राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 48 वां दिवस संख्या 27

सोमवार,

दिनांक 19 जून, 1967.

विधान सभा की बैठक म. प्र. 8.07 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई। (श्री निरन्जनाथ आचार्य अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सामुदायिक विकास, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, खाद्य, सहकारिता, वन, स्वायत्त शासन, पंचायत, आयुर्वेद विभाग)

श्री अध्यक्ष प्रश्न ।

ग्राम शेखपुर में पीने के पानी की व्यवस्था

613. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव शेखपुर का एकमात्र कुआ नीचे से गिर गया है जिससे ग्रामीणों के समक्ष इस ग्रीष्म ऋतु में पेय जल का भयंकर संकट उपस्थित हो गया है ?

(2) क्या यह सही है कि दो हजार से अधिक की इस आबादी वाले गांव के लिए तत्काल बीकानेर से रेल द्वारा मलसीसर स्टेशन पर रेलवे टैंक के द्वारा पानी मुहैया करके ट्रकों द्वारा शेखसर पहुँचाने के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त व्यवस्था करने के साथ-साथ तात्कालिक मरम्मत हेतु कम से कम आठ हजार की धनराशि स्वीकृत करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) 12,000) रु० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि इस वर्ष बजट प्रोवीजन में ऐसी कोई लोकल डेवलपमेंट वर्क्स के हैड में कुओं के लिए धनराशि नहीं रखी गई है सरकार के द्वारा ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार के द्वारा हमेशा की तरह ज्यादा धनराशि कुए खुदाने के लिए या उनको गहरा करवाने के लिए नहीं रखी गई है, लेकिन 1 लाख का टोकन प्रावधान जरूर रखा गया है। पंचायत समिति ने 12 हजार की धनराशि इस कुए को ठीक कराने के लिए, मरम्मत कराने के लिए 9-6-67 को अभी कुछ ही रोज पहले इस प्रकार से स्वीकृत की है, और भी जो कुछ रकम इस काम को देखते हुए हमारे पास में है दी जायगी ।

Page No.2

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : स्वीकृति तो दी है लेकिन रुपया भी दिया है कि नहीं आपने ? (विराम) अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि स्वीकृति देना तो बड़ा आसान है, लेकिन रुपया भी पहुँचाया या नहीं और काम शुरू हुआ या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समिति ने स्वीकृति दी है। एप्रोप्रियेशन बिल के पास होने के बाद राज्य सरकार लोकल डवलपमेंट वर्क्स की रकम अलग-अलग पंचायत समितियों को एलॉट करेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या इमर्जेन्सी के रूप में जब कि ऐसी दुर्दशा है, उस गांव की, तो जो वहां पर पीने के पानी की समस्या है उसको जरूरी कार्य समझ कर रुपया नहीं पहुँचा सकते ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह बजट में प्रावधान रखा ही नहीं है तो कहां से भेजेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि बजट के अन्दर सिर्फ एक लाख का ही टोकन प्रावधान इसके अन्दर रखा है, क्योंकि राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि इस मद में ज्यादा रकम रखी जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसी व्यवस्था यदि यह सरकार नहीं करती है तो it is not a Government worth the name.

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, उस गांव में इस कुए के गिर जाने से बहुत ही डिफिकल्टी पैदा हो गई है। उसमें मनुष्यों की आबादी 2 हजार की है और पशुओं की आबादी 8 हजार की है। उनके लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है जैसा कि प्रश्न के भाग 1 और 2 के जवाब में दिया है कि ऐसी व्यवस्था करने में अपने आपको मजबूर समझती है। कहीं से भी पैसा इमर्जेन्सी के तौर पर वाटर सप्लाई के लिए दे सकती है। गर्मी का मौसम है और पानी की बड़ी तकलीफ है।

श्री परसराम मदेरणा : वहां पर एक दूसरा कच्चा कुआ है जिससे पानी उस कस्बे वाले निकाल रहे हैं। उसके बाद में 2 मील के फासले पर दुरदन में भी ऐसे तीन कुए हैं। वहां से पानी ला रहे हैं। इसलिए पानी की दिक्कत नहीं है। माननीय सदस्य रेगिस्तानी इलाके के रहने वाले हैं। वहां का रेवेन्यू विलेज इतना बड़ा होता है कि 8, 10, 12 या 13 मील का होता है और कई जगह पर पानी लाने के लिए 3–4 मील तक जाना पड़ता है। वहां पर कुए बहुत गहरे होते हैं इसलिए हर ढाणी के अन्दर कुए खुदाने की समस्या नहीं होती है और दूर से पानी लाते हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि पंचायत समिति ने एक प्रस्ताव पास किया है 9-6-67 को और राज्य सरकार इस मामले में खास तौर से स्पेशल सेन्कशन करके भेज देगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि जिन गांवों में पानी की पाइप लाइन डाल कर पानी नहीं दे सकती और वहां कुए भी मोजूद नहीं हैं तो पीने का पानी देने के लिये वहां कुए खुदवाने के लिये वहां ज्यादा प्रोत्रिजन रखती और वहां पर कुए खुदवाने के काम को प्रायोरिटी देगी ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका सम्बन्ध जन स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय, मेरी समझ में गांव वालों को जो उनकी घर की गंगा है उससे भी महरूम रखते हैं। इतनी चर्चा हुई सदन में, क्या मंत्री महोदय फिर विचार करेंगे और एस. श्रो. एस. से अरजेंटली 12 हजार रुपया वहां तुरन्त भेजने की व्यवस्था करेंगे ताकि उनका जल संकट दूर हो। यह तो सामान्य विषय है। फोरमर बीकानेर गवर्नमेंट होती तो 5 मिनिट में यह व्यवस्था करती, श्राप इतनी बड़ी सरकार हो कर नहीं कर सकते, अफसोस है।

श्री परसराम मदेरणा : हर पंचायत समिति के लिये पी. डी. श्रकाउन्ट में पैसा होता है, पर्सनल डिपोजिट श्रकाउन्ट है उसमें से सेंक्शन करने के बाद खर्चा कर सकते हैं, श्राज दिन छुपने से पहले पहले राज्य सरकार हुक्म दे देगी कि पी. डी. श्रकाउन्ट से रकम निकाल कर खर्च करे पर यह काम है जन स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का, पानी के लिये पाइप लाइन के लिये हैल्थ डिपार्टमेंट के पास पैसा होता है लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट के पास कुए खोदने के लिये कम पैसा होता है।

श्री भीमसेन : जन स्वास्थ्य के विभाग के पास पानी की सप्लाई की स्कीम्स के लिये पैसा होता है। इस तरह के कुए खुदवाने के लिये तो लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट से देते हैं, इसके लिये तो श्रालरेडी सेंक्शन हो चुकी है मैं समझता हूं सरकार इसके लिये पैसा देगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामकिशन।

बागात के केजुश्रल श्रमिकों की मजदूरी

614. श्री रामकिशन (बैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान के समस्त बागात के केजुश्रल श्रमिकों को कम से कम क्या मजदूरी दी जाती है?

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के इसी श्रेणी के श्रन्य श्रमिकों को कम से कम 60 रु० मासिक वेतन दिया जाता है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री श्रमीनुद्दीन) : (1) 52.50 पैसे प्रति मास।

(2) जी हां।

श्री रामकिशन : यह भेदभाव क्यों है?

श्री श्रमीनुद्दीन : इसलिये है कि इनके वेजेज मिनिमम वेजेज एक्ट, 1948 के तहत श्राते हैं।

श्री रामकिशन : मिनिमम वेजेज एक्ट बना उसके बाद कितनी महंगाई बढ़ गई है। दूसरों के लिये महंगाई भत्ता बढाया है तो इनके स्केल पर सरकार को दुबारा विचार करना चाहिये था, इसको क्यों नहीं बढाया गया है?

श्री श्रमीनुद्दीन : महंगाई वगैरह इसके श्रलावा है, वह उन्हें मिल रहा है।

श्री रामकिशन : दूसरों के वेजेज को रिवाइज किया है, तो इनके वेजेज को क्यों नहीं बढाया है?

श्री श्रमीनुद्दीन : वह विचाराधीन है

Page No.4

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत पी० डब्लू० डी० और बागात के केज्युअल श्रमिकों के वेजेज रिवाइज हो गये हैं मिनिमम 60 रुपया हुआ है, तो फिर यह लागू क्यों नहीं किया गया है ?

श्री अमीनुद्दीन : यही विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहता हूं कि आलरेडी रिवाइज्ड है, 60 से कम किसी का नहीं होना चाहिये, फिर इसे लागू क्यों नहीं किया गया है ?

श्री अमीनुद्दीन : यही मैं कह रहा हूं कि इस वक्त नहीं है पर विचाराधीन है, लेबर डिपार्टमेंट में।

श्री रामकिशन : 60 रुपया दूसरों को देना शुरू कर दिया, बागात के श्रमिकों को नहीं मिल रहा है तो क्या बात है ?

श्री अमीनुद्दीन : ऐसा नहीं है, दोनों के अलग अलग रेट्स हैं, पी. डब्ल्यू. डी. और एग्रीकल्चर के अलग अलग हैं, यह विचार किया जा रहा है कि दोनों का बराबर किस तरह कर सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या पी. डब्ल्यू. के मिनिमम वेजेज के प्रावधान को अपने लोगों पर लागू नहीं कर सकते ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिवाइज करने का कमिटमैन्ट किया हुआ है ?

श्री अमीनुद्दीन : यही तो मैं कह रहा हूं यही विचाराधीन है, दोनों के रेट्स एक किये जाय या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि माथुर कमेटी ने सिफारिश की है कि 60 से कम किसी का नहीं होना चाहिये, जिनका 60 नहीं है, उनको मंहगाई देते हैं तो 60 मान कर मंहगाई देनी चाहिये। माथुर कमेटी की सिफारिश को गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया। तो क्यों नहीं उनका 60 रुपया वेजेज का और उसके अनुसार डी. ए. देने के प्रावधान को लागू नहीं किया जाता ?

श्री अमीनुद्दीन : यही मैंने कहा, यह लेबर डिपार्टमेंट के अधीन है, वह विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्रम विभाग आग्रह कर रहा है कि इस डिसिजन को लागू करें इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री रामकिशन : विचाराधीन क्या है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के प्रश्न आये हैं, उनका सामूहिक रूप से लेकर निर्णय ले लें।

प्रश्न संख्या 615

श्री डूंगाराम राजोरिया !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 616

भूमिगत जल मंडल को कुए खोदने के लिये अग्रिम राशि

616. श्री राजकुमार (चित्तोड़गढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड, जोधपुर के कार्यालय में

(श्री रामकुमार)
श्री गोपी जाट पालेर, श्री हरलाल नाई पालेर, श्री मोहनदास नि. पालेर, श्री भैरूलाल जाट गोपालपुरा, श्री गोपी भील, नि. गोपालपुरा, श्री काशीराम निवासी शादी, तहसील चित्तौड़गढ़, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 11-2-63 को प्रति व्यक्ति दो सौ रुपये के हिसाब से रकम एडवान्स की गई है ?

(2) क्या यह उपरोक्त रकम उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा कुआ खोदने हेतु एडवान्स की गई है ? यदि हां, तो फिर विभाग द्वारा ब्लास्टिंग मशीन क्यों नहीं भेजी गई ?

(3) क्या यह सच है कि इन व्यक्तियों ने पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के माध्यम से विभाग से इनके कुओं को गहरा कराने हेतु यह मशीन भेजी जाने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि करीब चार साल से राज्य सरकार द्वारा यह रकम न तो वापस की गई और न कुए ही गहरे कराने हेतु ब्लास्टिंग मशीन ही भेजी गई ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों के प्रति कोई एक्शन लेने का सरकार का इरादा है तथा अब भी इनके कुओं को गहरे कराने हेतु मशीन भेजी जा सकती है ? यदि हां, तो कब तक ? तथा यदि रकम लौटाने का इरादा है तो कब तक ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, सर्व श्री गोपी वल्द बिशना और मोहनदास ने सौ सौ रुपये और सर्व श्री हरलाल, भैरूंलाल, गोपी वल्द गोबर और काशीराम ने दो दो सौ रुपये 1962–63 में अग्रिम राशि कुए खोदने हेतु जमा कराई थी।

(2) जी हां। चित्तौड़गढ़ जिले की दूसरी पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों द्वारा ब्लास्टिंग मशीन की अत्याधिक मांग थी बाद में इन काश्तकारों ने अग्रिम राशि को वापस लेने के लिये आवेदन किया, तदुपरान्त कार्य करने का प्रश्न ही नहीं था।

(3) जी नहीं।

(4) ब्लास्टिंग मशीन न भेजने का कारण प्रश्न 2 के उत्तर में दिया जा चुका है। रकम वापिस लेने के आवेदन ब्लास्टिंग सुपरवाइजर चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किये गये। काश्तकारों को मनीआर्डर के कूपन प्रस्तुत करने को कहा गया किन्तु उनके पास कूपन उपलब्ध नहीं थे। यदि काश्तकार कुए गहरे करवाना चाहते हैं तो ब्लास्टिंग मशीन जल्दी भेजने का प्रबन्ध किया जा सकता है। यदि रकम चाहते हैं तो मनीआर्डर के कूपन पेश करने पर अधूरी रकम वापिस की जा सकती है।

श्री रामकुमार : प्रश्न यह है मन्त्री महोदय, कि 62–63 से रकम जमा है, 4 वर्ष तक मशीन नहीं पहुंची। पंचायत समिति के माध्यम से डिपार्टमेंट से मांग की है पर मशीन आज तक नहीं पहुंची, इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि चार वर्षों तक मशीन को नहीं पहुंचा सके। चित्तौड़गढ़ जिले में मशीनें गई थीं पर जिला परिषद् प्रायोरिटी तय करती है, जिसे प्राथमिकता जिला परिषद् ने दी वहां मशीन

(श्री परसराम मदेरणा)

भेजी गई। पहले वहां मशीनें कम थीं, अब वहां मशीनों की तादाद काफी हो गई है, काफी मशीनें गत साल में और खरीदी हैं, किसान अगर कुओं को गहरा करवाना चाहते हैं तो मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि 15 दिन में वहां मशीन भेज कर काम चालू करवा सकता हूं। रकम भेजना चाहते हैं तो मनी-आर्डर कूपन दिये बगैर रकम नहीं लौटाई जा सकती।

श्री रामकुमार : वे किसान तो अपने कुओं को गहरा करवाना चाहते हैं, मैं तो यह आश्वासन चाहता हूं, आप यह आश्वासन दे दें कि इस तारीख तक वहां मशीनें भेज दी जायेंगी।

श्री परसराम मदेरणा : 15 दिन के भीतर भीतर भेज दूंगा।

प्रश्न संख्या 617

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री हरिसिंह !

जल प्रदाय योजना, ग्राम बेंगू

618. श्री हरिसिंह(बेंगू): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेंगू ग्राम में जल प्रदाय योजना कितनी लागत की है और इससे कितना जल ग्राम को मिलेगा ?

(2) इस योजना का शिलान्यास कब और किसके द्वारा हुआ और अब तक इस कार्य की क्या प्रगति हुई ?

(3) इस योजना के अन्तर्गत जल कहां उपलब्ध होगा और पानी की टंकी का निर्माण किस स्थान पर होगा ? यह योजना कब तक क्रियान्वित होगी और कब तक ग्राम को जल उपलब्ध हो सकेगा ?

उप मंत्री, जन स्वास्थ्य (राव श्री धीरसिंह) : (1) बेंगू ग्राम की जल प्रदाय योजना की लागत रु. 3.29 लाख रुपये है। और इससे 1,3,5,000 गैलन प्रतिदिन जल ग्राम को मिलेगा जो 15 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से होगा।

(2) इस योजना का शिलान्यास श्री हरिदेव जोशी तत्कालीन जन स्वास्थ्य मंत्री कर कमलों द्वारा दिनांक 9-12-66 को हुआ। इस योजना पर मार्च 67 तक रु० 32062) खर्च हो चुके हैं।

(3) इस योजना के लिए जल एक मौजूदा कुए से उपलब्ध होगा जो कुण्ड के नाम से जाना जाता है। तथा एक और नदी की तरफ खोद लिया जावेगा। इस योजना के लिए टंकी का निर्माण झण्डा चौक के पश्चिम की तरफ उपयुक्त स्थान पर किया जावेगा। सरकार का प्रयास यही है कि ग्राम को शीघ्र ही जल मिलने लगे।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने 3 लाख 29 हजार कहा तो उसमें से इस टंकी के ऊपर कितना व्यय हुआ ?

राव श्री धीरसिंह : टंकी के ऊपर, अलग से जानकारी नहीं है, कि कितना व्यय होगा। इस सारे एस्टीमेट में टंकी, पाइप लाइन, कुए पर पाइप लाइन-सब शामिल हैं

श्री हरिसिंह : जहां तक मुझे मालूम है, टंको पर 57 हजार खर्च होगा। टंकी को जिस स्थान पर बनाया जा रहा है वह लो लाइन प्लेस है इसलिए वहां बनाना उचित नहीं है। इस प्रश्न पर मैंने सुझाव दिया था कि वहां बनाने की बजाय दूसरी जगह पर बनायें। वहां बनाने पर व्यर्थ खर्चा होगा।

राव श्री वीरसिंह : आपका सुझाव है कि दूसरी जगह बनाने से पैसे की बचत हो सकती है तो उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : पैसे की बचत और उपयुक्त स्थान का प्रश्न है।

राव श्री वीरसिंह : टेक्निकली एप्रूव कर लिया जायगा स्थान टंकी को बनाने के लिए तो विचार कर लेंगे। आपने सुझाव दिया है कि लो लाइन प्लेस पर बन रहा है। उसको देख लेंगे।

श्री हरिसिंह : इस काम की फिर से जांच करा ली जाय।

प्रश्न संख्या 619

श्री अध्यक्ष : श्री पुखराज कालानी !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ !

चोर बाजारी व भ्रष्टाचार के मामले

620. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर के भूतपूर्व कलेक्टर (सप्लाई) चौधरी गोवर्धन सिंह ने बीकानेर के कुछ डिपोज पर चोर बाजारी एवं भ्रष्टाचारी के मामले चलाये थे? यदि हां, तो किन किन पर?

(2) क्या यह सही है कि उनमें से कुछ मामलों को ऊपरी हस्तक्षेप से रोक दिया गया? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां।

1. श्री टी. प्रकाश, डिपो होल्डर नं० 10

2. श्री नन्दकिशोर घनश्यामदास, डिपो होल्डर नं० 17

3. श्री रामप्रताप आचार्य, डिपो होल्डर नं० 18

(2) जी नहीं। उनके विरुद्ध कार्यवाही जारी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): किस स्टेज पर है यह कार्यवाही? क्या चालान पेश कर दिया गया है?

श्री परसराम मदेरणा : चालान पेश नहीं हो सका है क्योंकि इन तीनों होल्डरों के सम्बन्ध में जो कागजात थे। वह अपाइन्टमेंट डिपार्टमेंट ने एक दूसरी इन्क्वायरी के सम्बन्ध में तीनों की फाइल मंगवा ली थी। इसलिए कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। अब फाइलों को लौटाने के आदेश मैंने कल दे दिये हैं कि फाइल तुरन्त लौटा दी जाय ताकि आगे कार्यवाही हो सके। यह कार्यवाही कल की गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पकड़े कब गये थे?

श्री रामकिशन : यह कब से शुरू हुई है इनके खिलाफ कार्यवाही ?

श्री परसराम मदेरणा : यह केस है 7-6-65 से, एक केस है 1-7-65 से, एक है 22-7-65 से और एक है 31-7-65 से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो वर्ष तक इन फाइलों को रखे रखना और केसेज को इन्स्टीट्यूट न करने का क्या कारण है जब कि दो वर्ष लग गये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : दो वर्ष लगने का प्रश्न नहीं है। इसकी पूरी फैक्चुअल रिपोर्ट यह है कि ज्यों ही एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर या एन्फोर्समेन्ट आफिसर ने जब यह लाइसेन्स सस्पेन्ड किये, उसके बाद में कलेक्टर के पास भेजे गये। कलेक्टर ने सस्पेन्शन को कन्फर्म कर दिया, फूड लाइसेंसिंग आर्डर और शुगर लाइसेंसिंग आर्डर के अन्डर में जो फूड का यह लाइसेन्स है इसको कैंसिल किया जाय और दो को आपोचुनिटी दे देनी चाहिए। इस प्रकार इसके बाद यह मामले राज्य सरकार के पास पहुंचे और राज्य सरकार ने जैसा कि प्रावधान है, डाइरेक्टिव दिये कि इनको आपर्चुनिटी दी जानी चाहिए, नेचरल जस्टिस के मुताबिक, शो कॉज नोटिस देकर। जो इसमें गलती है वह यह है कि एक का तो फैसला किया गया है और दो में रिमाण्ड किया गया है। रिमाण्ड होकर 65 में पहुंचा और कलेक्टर द्वारा इसकी डिटेल में इन्क्वायरी करने, आपार्चुनिटी देने और शो कॉज नोटिस देने की बात थी लेकिन तभी अपाइन्टमेंट में यह फाइल दूसरे केस में मंगा ली गई। इसलिए इसमें देरी हुई।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कब आये यह केस अपाइन्टमेंट डिपार्टमेंट में ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आॅफेन्स है, इसमें लाइसेन्स कैंसिल करने के सबसे पहले पीनल आॅफेन्स बनता है, इसलिए पीनल आफेन्स के तहत उस पर मुकद्दमा चलाने की जो कार्यवाही होनी चाहिए थी, उसको क्यों रोका गया ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह पीनल आॅफेन्स बनता है।

श्री परसराम मदेरणा : पीनल आॅफेन्स के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि क्योंकि आपर्चुनिटी नहीं दी गई, शो कॉज नोटिस के बाद। ऐसा मामला है कि उन्होंने अनियमितताऐं की हैं तो प्रासीक्यूशन किया जाना चाहिए। यह कार्यवाही की गई है, पी. एस. से कन्सलटेशन के बाद, एक में तो डाइरेक्टली कैंसिल कर दिया, एक केस में अपील में फैसला दे दिया और जो आपर्चुनिटी देने का प्रावीजन है वह आपर्चुनिटी नहीं दी गई। दो केस में रिमाण्ड वापिस कर दिये गये। तो यह अनियमितताऐं की गई और जो आपर्चुनिटी देनी चाहिए उसके बाद प्राइमा फेसी केस साबित हो जाय तो आगे कार्यवाही करनी चाहिए थी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या केस पुलिस को इन्वेस्टीगेशन के लिए दिये गये ? यह पुलिस में केस दर्ज हो, उसकी प्रोपर इन्वेस्टीगेशन हो, उसके बाद में चालान हो। यह केस पुलिस में दर्ज किये गये ?

श्री अध्यक्ष : Order please. माननीय सदस्य !

जल प्रदाय योजना, मलसीसर

621. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मलसीसर कस्बे की जल प्रदाय योजना पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो फिर कस्बे को पानी क्यों नहीं दिया जाता है ?

(2) इस काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने की तजवीज है ?

(3) इस कस्बे की जल योजना में कितने रुपये व्यय हुए ? तथा जन-सहयोग के रूप में कितने रुपये स्थानीय व्यक्ति ने दिए ?

(4) क्या सरकार इस जल प्रदाय योजना को तुरन्त चालू करने का आश्वासन देगी ? यदि हां, तो यह कौन से महीने में चालू कर दी जावेगी ?

उप-मंत्री, जन स्वास्थ्य (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी हां ! बिजली का कनेक्शन मिलने पर व पम्प्स प्राप्त होने पर इस माह में कस्बे को पानी देना चालू कर दिया जावेगा ।

(2) कोई ढिलाई नहीं की गई । अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) इस योजना पर अब तक कुल 1,14,729) रु० व्यय हुए हैं और जन-सहयोग के रूप में 50,000) रु० प्राप्त हुए हैं ।

(4) बिजली के कनेक्शन मिलने पर व पम्प्स प्राप्त होने पर एक माह के अन्दर चालू कर दी जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ! श्री रामानन्द ! Both of the members.

अमेरिकन पीस कोर के वालेन्टियर्स

622. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) व श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अमेरिकन पीस कोर के वालेन्टियर (वालेन्टियर्स आफ अमेरिकन पीस कोर) राजस्थान में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो वालेन्टियर्स की संख्या राजस्थान में कितनी है ?

(2) क्या भारत सरकार ने इन वालेन्टियर्स को वीसा देते समय उनके राजस्थान में रहने के लिए राज्य सरकार से सहमति प्राप्त की थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने सहमति किस दृष्टिकोण से दी ?

(3) क्या राज्य सरकार इनकी गतिविधियों पर कोई निगरानी रखती है ?

(4) क्या सरकार को मालूम है कि अमेरिकन पीस कोर नामक संस्था अमरीकी नव उपनिवेशिक नीति के घुसपैठिये का काम करती है और बहुत से स्वतन्त्र अफ्रीकी एशियाई देशों ने इस संस्था पर जासूसी करने के आरोप लगाए हैं ?

(5) ये वालेन्टियर किन-किन क्षेत्रों में काम करते हैं और क्या ये अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं ?

Page No.10

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत व श्री रामानन्द अग्रवाल)

(6) क्या ये वालेन्टियर मुर्गीपालन आदि का काम भी सिखाते हैं ? यदि हां, तो क्या वैसा काम करने वाले या सिखाने वाले हमारे राज्य में नहीं हैं ?

(7) क्या राज्य सरकार को मालूम है कि संसद के गत अधिवेशन में इस संस्था की गतिविधियों पर भारी बहस मुबाहिसा हुआ था और विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इस संस्था के वालेन्टियरों को भारत से निकाल देने की मांग की थी ?

(8) क्या राज्य सरकार को मालूम है कि संसद में भारत सरकार के उप-प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि यदि कोई राज्य सरकार इन वालेन्टियरों को अपने राज्य में नहीं चाहती है तो उसके कहने पर भारत सरकार इन वालेन्टियरों को वहां नहीं रहने देगी ?

(9) क्या यह सही है कि अखिल भारतीय शान्ति परिषद् एवं अफ्रीकी एशियाई एकता संगठन की भारतीय शाखा का एक शिष्टमण्डल मई के दूसरे सप्ताह में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिला था और इन अमेरिकन पीस कोर के वालेन्टियरों को राज्य से निकालने की मांग की थी ?

(10) क्या सरकार इनको रखना राज्य के हित में समझती है ?

(11) क्या राज्य सरकार ने इनके सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, राजस्थान में कुल 66....

श्री अध्यक्ष : 67

श्री परसराम मदेरणा : 67 अमरिकन पीस कार्प्स के वालेन्टियर्स काम कर रहे हैं।

(2) समस्त वालेन्टियर्स की मांग राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को सीधी की जाती है एवं इसके अतिरिक्त इनके सम्बन्धित जितनी भी अन्य कार्यवाहियां होती हैं वो भी भारत सरकार द्वारा ही की जाती हैं।

(3) इन वालेन्टियर्स की गतिविधियों पर उन विभागाध्यक्षों का नियंत्रण होता है जिन विभागों के अन्तर्गत ये कार्य करते हैं।

(4) राज्य सरकार के पास ऐसी विधिवत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(5) ये वालेन्टियर्स मुर्गी पालन, कृषि एवं ग्रामीण जन स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम करते हैं परन्तु ये लोग अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ तो नहीं हैं परन्तु इन्हें वालेन्टियर बनने से पूर्व उसी क्षेत्र में सघन प्रशिक्षण दिया जाता है जिस क्षेत्र में कि इनको काम करने के लिए लगाया जाता है।

(6) जी हां। मुर्गीपालन का कार्य करने वाले राज्य में उपलब्ध हैं।

(7) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई विधिवत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(8) राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(9) जी नहीं।

(श्री परसराम मदेरणा)

(10) आवश्यकतानुसार ही वालेन्टियर्स की मांग की जाती है।

(11) जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह वालेन्टियर्स कहां कहां काम करते हैं राजस्थान में ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल :

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस प्रकार के वालेन्टियर्स के खिलाफ कुछ राज्य सरकार ने एक्शन लिया है और उनके प्रवेश को अपनी स्टेट्स में बन्द कर दिया है और राज्य सरकार से यह कहा है कि उनको वहां से निकाल दिया जाय ? क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी कोई राज्य सरकार की जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस प्रकार के वालेन्टियर्स के खिलाफ सी० आई० ए० के एजेन्ट होने का आरोप है और इस प्रकार के लेख अमेरिका की बहुत सी प्रेसों के अन्दर छापे गये हैं जिनके उद्धरण हिन्दुस्तान के बहुत से डेली पेपर्स के अन्दर दिये गये हैं। क्या राज्य सरकार के नोटिस में यह बात आई है ? यह प्रश्न आने के बाद राज्य सरकार ने यह जानकारी करने की कोशिश की है ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार का जहां तक सम्बन्ध है, अभी तीन चार रोज पहले इस सम्बन्ध में यह अमेरिकन पीस कोर वालेन्टियर्स के सम्बन्ध में राज्य के गृह मन्त्री ने वक्तव्य दिया था और उस वक्त यह बात कही थी कि इनकी गतिविधियां हैं, वह राजस्थान में अनडिजायरेबल पाई गई हों—इस प्रकार की गतिविधि नोटिस में नहीं आई है। विभागाध्यक्षों को यह आदेश दिया गया है कि उनकी गतिविधि राष्ट्रविरोधी अगर होंगी तो उनको निकाला जा सकता है। और उपयोगिता जिनकी समझी जाती है उन क्षेत्रों के लिए उन वालेन्टियर्स की मांग की जाती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को किस मकसद से यहां पर रखा गया है ? आप जवाब दें कि इनको किस मकसद से रखा गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुर्गी पालन, कृषि एवं ग्रामीण जन स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम करने को।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : क्या हिन्दुस्तान में मुर्गी पालने वाले एक्सपर्ट नहीं हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : वे अमेरिका से आते हैं। उनको वहां पर इस सम्बन्ध में ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद में वे कुछ समय के लिये हिन्दुस्तान में आते हैं। इसके लिये एग्रीमेंट है और उसके अनुसार वे यहां पर आते हैं और हमारे यहां से भी वहां जाते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि जब हमारे यहां भारतवर्ष में इस प्रकार के मुर्गे पालने वाले मौजूद हैं तो फिर विदेशों

Page No.12

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
से विदेशियों को यहां रखने की क्या जरूरत है ??

श्री परसराम मदेरणा : विदेशियों को रखने का यह प्रश्न नहीं है। इसके लिये भारत सरकार और अमेरिका गवर्नमेंट के इसके बारे में एग्रीमेंट है उसके अनुसार कुछ हमारे वालन्टियर्स वहां पर है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : क्या वहां अमेरिका हिन्दुस्तान के लोगों को भी भेजा जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : हमारे यहां से काश्तकारान हैं वे वहां जाते हैं और वहां के लोग हमारे यहां पर आते है। अमेरिका में हमारे वोलान्टियर्स नहीं जाते हैं फार्मर्स जाते हैं और वहां ट्रेनिंग ले कर आते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि...

श्री अध्यक्ष : आप जवाब तो देने दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे यहां जो कृषक जाते हैं वे दर्शकों के रूप में जाते हैं। दर्शकों के रूप में जाना अलग है। और अमेरिका के वालन्टियर्स यहां पर स्थाई तौर पर रहते हैं। बाकायदा यहां मकानों में रहते हैं और शिक्षण संस्थाओं के चलाने का बहाना करते है। और अपनी एक्टीविटीज करते रहते हैं क्या आप एक भी इन्सटेन्स बता सकते हैं कि अमेरिका में एक भी हिन्दुस्तानी इस प्रकार अपना घर बना कर रहता हो ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने निवेदन किया है कि अलग अलग फेमिलीज के साथ वे वहां पर काफी समय तक रहते है और वहां पर खेती और दूसरे मामलों में जानकारी प्राप्त करते हैं। और जो लोग ट्रेनिंग लेकर आते हैं, ये लोग जो वालेन्टियर्स हैं वे वहां से ट्रेनिंग लेकर आते हैं और एक्सटेन्शन स्टाफ और दूसरे मुर्गीपालकों के साथ में और काश्तकारों के साथ में काम करते हैं। उनकी किसी प्रकार की ऐसी एक्टीविटीज अन्डर ग्राउन्ड या ओवर ग्राउन्ड नहीं पाई गई। अगर ऐसी एक्टीविटीज पाई जावेंगी तो राजस्थान सरकार उसी वक्त निकालेगी।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि वालेन्टियर्स की आवश्यकतानुसार मांग राज्य सरकार करती है। इसका क्या बेसिस है जिसके अनुसार आप मांग करते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : इसके लिये भारत सरकार और अमेरिका सरकार के बीच में एग्रीमेंट है। वे कहते हैं कि इतने वालेन्टियर आने वाले हैं। वे वहां से पशुपालन और अन्य दूसरी फार्मिंग की ट्रेनिंग किये हुए होते हैं और उनकी जानकारी हमको यहां पर मिल सकती है। इसलिये हम लिख देते हैं और वे कुछ समय रहने के बाद चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : Next.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ये वालेन्टियर पाकिस्तान के बोर्डर पर घूमते हैं और हमारे यहां की तरह तरह की सूचना

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
देते हैं। जब हमारे यहां पर इसके विशेषज्ञ मौजूद हैं और तो उनको क्यों रखा जाता है? कल सेक्रेट्री बन कर आवें तो आपको क्या मालूम हो सकता है?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि गृह मन्त्री ने बताया कि बोर्डर एरिया में उनके जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जब जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तो बोर्डर एक्टीविटीज का प्रश्न पैदा नहीं होता। ये बोर्डर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है।

श्री रा किशन (बैर) : क्या सरकार ने इन वालन्टियर्स के कार्यों का कभी मूल्यांकन भी किया है कि इनके आने से राजस्थान सरकार को मुर्गी पालन में कितना लाभ हुआ है?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान सरकार की ऐसी मान्यता है कि मुर्गी पालन में अच्छा काम किया है और कितना लाभ हुआ है इसकी तो मैं अभी आपको सूचना नहीं दे सकता क्योंकि इवेल्युएशन रिपोर्ट नहीं है। जो रिपोर्ट मिली है उससे मालूम होता है कि मुर्गी पालन में अच्छा काम किया है।

श्री रा किशन : उनके स्थाई रहने का और नहीं रहने का यह आधार होगा। इस दृष्टि से मूल्यांकन नहीं करें····

श्री अध्यक्ष : क्या मतलब हुआ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार को मालूम है कि कल ही पाकिस्तान सरकार ने भी इनकी एक्टीविटीज को देखकर उनको बुलाना बन्द कर दिया? तो राजस्थान सरकार उनको नहीं बुलाने के लिये भारत सरकार को लिख कर भेज देगी?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जोधपुर में मैं यह निवेदन करूंगा कि दो शख्स एक मोहनसिंह नाम के व्यक्ति के वहां गये। उनके हजार मुर्गे लिये हुए हैं। वे वहां गये, उनके 500 मुर्गे मर गये। उन्होंने क्या काम किया?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : राजस्थान में क्या काम करते हैं उसकी जानकारी देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने प्रश्न के शुरूआत में निवेदन किया कि मुर्गी पालन, कृषि एवं ग्रामीण जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में और उनकी संख्या 67 है।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार को यह सूचना है या कोई सूचना सरकार के पास आई है कि आदिवासी लोग जहां रहते हैं उनको उन्होंने क्रिश्चयन बनाया है और ऐसे कन्वर्शन बहुत हुए हैं उनके कारण से?

श्री परसराम मदेरणा : न तो उन्होंने आदिवासियों को क्रिश्चयन बनाया है और न इस प्रकार का कोई कुप्रयास किया है और न राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है। उनकी गतिविधियों पर वहां के विभागाध्यक्षों का नियन्त्रण होता है और वे अधिकारी देखते रहते हैं कि वालन्टियर्स किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं।

Page No.14

मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री शोभाराम।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जानकारी ली है। मुझे मालूम हुआ है कि आदिवासियों में बहुत कनवर्शन किये गये है. फिर भी उनको इस प्रकार का सर्टिफिकेट देना मैं समझता हूं कि शोभा नहीं देता। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को......

श्री अध्यक्ष : Order Order please

(बहुत से माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से शोरगुल और अश्रव्य)

माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

श्री विट्ठल (पीपलखूंट) : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों को वे मदद देते हैं और जो आदिवासी भूखे मरते हैं उनको वे मुफ्त में अनाज देते हैं जो हमारी सरकार उनके खाने के लिये प्रबन्ध नहीं कर सकती. है (शोर गुल के बीच)

(शेम शेम)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हमारे डिफेन्स से ताल्लुक रखता है। जब और क्षेत्रों में इस प्रकार की एक्टीविटीज बनती हैं और गड़बड़ी होती हैं तो कहीं इस प्रकार की हमारे यहां पर भी उनकी करतूतों के कारण हमारी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल दें। इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं इसलिये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को इसमें पहल करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज घुसपैठिये बैठे हों और गवर्नमेंट को जानकारी नहीं। खुद मंत्रीजी के पी.ए. जो घुसपैठिये के रूप में मंत्री के पास बैठे रहे (शोरगुल) क्यों न सरकार उनको निकालने का प्रयत्न करती है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि जयपुर में भी इस प्रकार के वालेन्टियर्स आये और उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। न्यू कोलोनी में जाकर उन्होंने अपनी एक्टीविटीज शुरू की और उसमें उन्होंने कुछ कालेज के लड़कों को भी अपने में मिलाया। वहां पर झगड़े हुए और उन लोगों को लोगों ने पीटा। इस प्रकार वे लोग लोगों को पैसा देकर ईमान खरीदते हैं और आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाते है और उनका ईमान खरीदते हैं-इसकी जानकारी सरकार को नहीं। उसके बाद खड़े होकर कहना कि कोई फॉरिनर क्यों नहीं आवे, हम आपसे मांग करते हैं कि जितने वालेन्टियर्स राजस्थान में आये हुए हैं उनको राजस्थान के हित की दृष्टि से वापिस भेज दिये जावें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार जब अन्धेरे में है सदन में बोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है, रोका क्यों जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर कम से कम 15 मिनिट लग गए हैं, फिर भी आपकी शिकायत है कि बोलने नहीं दिया जब कि 20 प्रश्न और हैं। पर्याप्त समय दिया गया है। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय, सदन के सदस्यों की

(श्री अध्यक्ष)
व्यग्रता, उग्रता और चिंता को सामने रखते हुए इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाय।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इस प्रश्न के लिए नेक्स्ट सेशन में उठाने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री शोभाराम।

सहकारी बैंकों के माध्यम से तकावी का वितरण

624. **श्री शोभाराम** (रामगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने 50 पंचायत समितियों के क्षेत्र में सहकारी बैंकों के माध्यम से तकावी वितरित किये जाने का फैसला कब किया ?

(2) सरकार कितने ब्याज की दर पर तकावी की धनराशि सहकारी बैंकों को देगी ? वह धनराशि कितनी है और वह कितने वर्षों में लौटाई जावेगी ?

(3) कब तक शेष पंचायत समितियों के लिये सरकार ऐसा निर्णय लेगी ?

सहकारी मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) :– (1) राज्य सरकार ने 50 चुनी हुई पंचायत समितियों के क्षेत्र में सहकारी बैंकों के माध्यम से तकावी वितरित किये जाने का फैसला दिनांक 30 जनवरी, 1966 को किया।

(2) यदि यह ऋण दीर्घकालीन अवधि के लिये वितरित किया जायगा तो निम्न प्रकार से ब्याज दर वसूल की जावेगी :

वर्ष	ब्याज दर
10 वर्ष के लिए	5।। प्रतिशत
15 वर्ष के लिए	5।।। प्रतिशत

मध्यकालीन ऋण : अधिक से अधिक 5.44 प्रतिशत।

अल्पकालीन ऋण : अधिक से अधिक 5.19 प्रतिशत।

इस वर्ष 20.00 लाख रु० की दीर्घकालीन तकावी ऋण की राशि राज्य सरकार केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक को वितरण हेतु देगी। यह राशि डिबेन्चर्स की अवधि की समाप्ति पर केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक द्वारा सरकार को लौटाई जावेगी। जो अवधि दस या 15 वर्ष की होगी।

(3) सहकारी बैंकों द्वारा 50 पंचायत समितियों में तकावी ऋण वितरण की क्रियान्विती को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार शेष पंचायत समितियों में सहकारी बैंकों के माध्यम से तकावी ऋण वितरित करने का फैसला करेगी।

श्री शोभाराम : किश्तों की अदायगी इक्वल इन्स्टालमेंट्स में होगी या इकुएटेड इन्स्टालमेंट्स में ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं नहीं समझा, आप काश्तकारों के लिए कहते हैं या बैंकों के लिए ?

श्री शोभाराम : बैंकों के मार्फत जो अदायगी होगी वह दो बराबर किश्तों में होगी या एक इकुएटेड और एक इक्वल की शक्ल में होगी ?

Page No.16

श्री परसराम मदेरणा : मुझे यह जानकारी नहीं है कि इक्वल इन्स्टालमेंट्स में होगी या इकुएटेड में होगी परन्तु जो पंचायत समितियों के मार्फत ऋण वितरित किया जाता है, वह ऋण अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण भू-बंधक बैंकों और केन्द्रीय बैंक के मार्फत वितरित किये जायेंगे। आज जो शर्त है उसी प्रकार की शर्तों पर दिये जायेंगे।

श्री शोभाराम : जो पंचायत समितियों की मार्फत इस प्रकार का ऋण दिया जाता है, वह इकुएटेड या इक्वल इन्स्टालमेंट्स से दिया जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : अलग अलग मात्रा है। कई ऐसे ऋण हैं जो दो किश्तों में दिए जाते हैं, कई ऐसे हैं जो तीन में दिए जाते हैं। जो दो किश्तों में दिए जाते हैं वे इकुएटेड नहीं हैं। पहली इन्स्टालमेंट्स की मात्रा ज्यादा है और उनके यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स आते रहते हैं, ऋण की किश्त तब दी जाती है।

श्री शोभाराम : यह प्रश्न नहीं है। इकुएटेड और इक्वल किश्तों में फर्क यह है कि एक में प्रिन्सिपल अमाउंट को लगाने के बाद पूरा ब्याज लिया जाता है। दूसरे में फायदा यह होता है कि पूर्ण ऋण का ब्याज और प्रिन्सिपल दोनों को बराबर भाग देकर किश्तें तय की जाती हैं। कौनसा सिस्टम पंचायत समितियों पर लागू किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समितियों में अलग किश्तों का जो समय होता है उससे ब्याज केलक्यूलेट किया जाता है और फिर उसके बाद में जब लास्ट किश्त ली जाती है उससे पूरे अमाउंट का ब्याज वसूल करके और बाद में जितनी किश्तें होती हैं, इक्वल किश्तों में उसका ब्याज फैलाकर किश्त के हिसाब से ब्याज लिया जाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : पंचायत समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था उसका ब्याज क्या था और यह जो भू-बंधक बैंकों द्वारा 50 पंचायत समितियों को ऋण दिया गया है, उसके ब्याज की दर क्या होगी, अन्तर क्या होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समितियों को जो ऋण दिया जा रहा है उसकी ब्याज 9 प्रतिशत है और भू-बंधक बैंकों द्वारा जो दिया जायगा उसकी साढ़े ग्यारह प्रतिशत है। लेकिन एक चीज है अगर समय पर किश्त की अदायगी कर देंगे तो वह 9 प्रतिशत देगा नहीं तो 11॥ प्रतिशत। पेनल इन्टरेस्ट देना पड़ेगा।

श्री नत्थीसिंह : 11॥ प्रतिशत किसने तय किया ?

श्री रामानंद अग्रवाल : जिन पंचायत समितियों के क्षेत्र में सहकारी बैंकों द्वारा तकावी ऋण दिया जायगा, वहां पर किसानों की एप्लीकेशन्स पर पंचायत समितियों से बनी कृषि समितियां विचार करेंगी और ऋणों के लिए सिफारिश करेंगी या बैंकों के डाइरेक्टर्स डाइरेक्टली उन एप्लीकेशन्स को रिकमेंड करेंगे ? कौनसी एजेंसी काम करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : शार्ट—टर्म और मीडियम-टर्म लोन केंद्रीय बैंक द्वारा दिया जायगा और लोंग-टर्म लोन भू-बंधक बैंकों के मार्फत दिया जायगा। पंचायत समितियों के मार्फत देने का प्रश्न नहीं है।

Page No.17

श्री शोभाराम : मैंने प्रश्न के भाग 3 में पूछा था कि कब तक शेष पंचायत समितियों के लिए सरकार ऐसा निर्णय लेगी ? समय बताइए ?

श्री परसराम मदेरणा : 50 पंचायत समितियों को जो इस साल से ऋण केंद्रीय और भू-बंधक बैंकों के मारफत दिया जा रहा है, उसके क्रियान्वयन के नतीजे को देखा जायगा और उसके बाद में तय किया जायगा, सिद्धांत के तौर पर राज्य सरकार ने यह तय किया है कि ऋण वितरण एक ही एजेंसी से किया जाय और केंद्रीय बैंक की एजेंसी से किया जाय। हमने काम अब शुरू किया है, प्रगति बात कर रहे हैं, अगर काम सैटिसफैक्ट्री रहा तो समय समय पर पूरे राज्य में हम क्रेडिट की एक ही एजेंसी के मारफत देना चाहते हैं वह कोआपरेटिव बैंक्स के मार्फत देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासहाय ।

कठूमर मण्डावर सड़क में अवाप्त भूमि का मुआवजा

623. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कठूमर से मण्डावर तक बनने वाली सड़क के लिए जो भूमि किसानों से ली गई थी उसे दो वर्ष हो चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): (1) जी हां

(2) जी हां ।

श्री गंगासहाय : मुआवजा न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री अमीनुद्दीन : यह ख्याल है कि इस साल अदा हो जायगा। अब मामला एक्वीजीशन वालों के पास है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री प्रेमसिंह सिंघवी, श्री भैरोंसिंह शेखावत व श्री हरिवल्लभ शर्मा ।

सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर को पत्थर निकालने का ठेका

625. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) :

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी को जंगल से पत्थर निकालने का ठेका दिया हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भैरोंपुरा रिजर्व फोरेस्ट एरिया भी इस ठेके में सम्मिलित है ?

(3) पत्थर खुदाने का काम किस किस तारीख से फैक्टरी ने शुरू किया ? अब तक जंगल का कितना क्षेत्र फैक्टरी के द्वारा इस हेतु काटा जा चुका है ?

Page No.18

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(4) यह ठेका कब से और किन शर्तों पर दिया हुआ है ? यदि कोई इकरारनामा हुआ था तो इकरारनामे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(5) क्या पत्थर खुदाई का काम प्रारंभ करने से पहले जंगल नीलाम किया जा चुका था अथवा वन सम्पदा का तखमीना करा लिया गया था ?

(6) क्या खुदाई का काम प्रारंभ करने से पहले फैक्टरी ने नियमानुसार वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी ? यदि नहीं, तो वन विभाग द्वारा फैक्टरी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या यह सही है कि वन विभाग ने जंगल के नुकसान को आंक कर फैक्टरी से लगभग 2 लाख रु० का मुआवजा वसूल करने की सिफारिश की थी ?

(8) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बहुत कम रकम मुआवजे के रूप में वसूल की गई ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

(9) यह निर्णय कब लिया गया और रकम की वसूली कब की गई ?

वन मंत्री (राव श्री नारायण सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को स्थगित करने की प्रार्थना करूंगा क्योंकि मुझे पूर्ण तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित न किया जाय । इस प्रश्न के सम्बन्ध में तीन बार डिबेट में भी माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो वन विभाग से राज्य सरकार को तुरन्त प्राप्त नहीं हो सकती है । राज्य सरकार इस प्रश्न को बार बार एवोइड करना चाहती है । इसलिए जो भी मंत्री महोदय के पास इस समय जानकारी है, वह दे दें । बाद में यदि कमी रहती है तो इसको अगले सेशन तक रख देंगे ।

राव श्री नारायण सिंह : मैं अधूरी जानकारी नहीं देना चाहता ।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न नहीं है । बहुत भयंकर घोटाला है । ये कांग्रेस के नेता जो कहते हैं हम सेठों से पैसा नहीं लेते हैं, साहू जैन का पैसा किस प्रकार काम करता है यह चित्र इस प्रश्न से खिंच जाता है । सरकार ने बार बार इस प्रश्न को एवोइड करना चाहा है । मंत्री महोदय इतना तो बता दें कि आगे का जो प्रश्न है, वन विभाग ने इस ठेके के अगेन्स्ट मुआवजा लेने की कितनी सिफारिश की थी और सरकार ने कितना वसूल किया ?

श्री अध्यक्ष : मुझे यह निर्णय देना है कि आया इस प्रश्न को लिया जाय अधूरी जानकारी के आधार पर या नहीं लिया जाय······

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न प्रिन्ट होने के बाद इसको न लेकर आप सदन का अपमान कर रहे हैं । अपमान होने देना या नहीं··

श्री अध्यक्ष : अधूरी जानकारी पर लिया जाय, यह ठीक नहीं है, इसलिए प्रश्न स्थगित होगा । दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने कहा है कि अधूरी जानकारी क्यों रही ? लेकिन

Page No.19

(श्री अध्यक्ष)
मैं समझता हूं कि अधूरी जानकारी पर क्योंकि प्रश्न विवादग्रस्त है, इसमें कई सप्लीमेंटरीज उठने की संभावना है और अधूरी जानकारी पर अगर इस प्रश्न को ले लिया जायगा तो अभी एक समय का सदुपयोग होगा और फिर स्थगित होगा, उस समय फिर समय का सदुपयोग होगा....

श्री भैरोंसिंह : हम समय और धन दोनों का सदुपयोग करना चाहते हैं, सरकार दोनों का दुरुपयोग करना चाहती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि समय और धन दोनों को बचाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या इस स्थिति में है आप कि उत्तर दे सकें ?

राव श्री नारायणसिंह : मैं इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का अधूरी जानकारी पर जवाब नहीं देना चाहता।

श्री भैरोंसिंह : यह बात नहीं है। सरकार यह समझती है कि वर्तमान मन्त्री वन विभाग इसका जवाब नहीं दे सकते। मंत्रि मंडल में हेर फेर करके इस घोटाले को दबाने के लिये एक्सपर्ट मन्त्री को जवाब देने के लिये वह विभाग दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! मैं इसको स्थगित करता हूं। 6 जुलाई को विधान सभा का अधिवेशन होगा उस वक्त यह ले लिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : तब तक तो 1 लाख का घोटाला हो जावेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डूंगरपुर मन्त्री महोदय आश्वासन दे सकते हैं कि लिखित रूप में प्रश्नकर्ताओं को अमुक समय में उत्तर दे दिया जावेगा ताकि उस पर पुनः प्रश्न पूछ सकें। यह सुविधा का प्रश्न है। मन्त्री महोदय को आप बाध्य नहीं कर सकते उत्तर देने के लिये इस हद तक तो आश्वासन देने के लिये आज्ञा कर सकते हैं कि चार पांच दिन और ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह में प्रश्नकर्ताओं को इसका उत्तर लिखित रूप में दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं ही मंत्री महोदय को संकेत दे देता हूं कि 6 जुलाई को वह प्रश्न लिया जावेगा। उससे पहले प्रश्नकर्ताओं को लिखित उत्तर दे दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय ने सचिव से यह फाइल मंगाई थी और सचिव ने यह फाइल देने से इन्कार कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं उठता।

श्री खेतसिंह।

तहसील शेरगढ़ की सड़कों के कार्य

626. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील शेरगढ़ में कितनी सड़कों का कार्य इस समय अधूरा पड़ा है ?

(2) ये सड़कें प्लान रोड्स हैं अथवा अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत थी ?

(3) इन सड़कों को पूरा कराने का राज्य सरकार का कोई इरादा है अथवा नहीं ?

Page No.20

(श्री खेतसिंह)

(4) इन सड़कों को बनाने में आज तक राज्य सरकार का कितना खर्चा लग चुका है ? और इन्हें पूरा करने में कितना खर्चा और लगने की संभावना है ?

(5) इन सड़कों को बनाने में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार ही खर्चा लगा है अथवा अधिक लगा है ? यदि अधिक लगा है तो क्या कारण है ? और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : इस प्रश्न की सूचना अभी आयी नहीं है। इसको 15 दिन के लिये स्थगित किया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय एक सप्लीमेंटरी पूछना चाहूंगा। क्या आप कृपा करके इतनी सी जानकारी दे सकते हैं कि फेमीन रिलीफ में कितनी सड़कें थीं और ऐसी सड़कें कितनी है जो स्ट्रेटेजिक है ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर भी मंत्री महोदय, उसमें प्राप्त कर लेंगे।

नेक्स्ट। श्री फूलचन्द बाफना।

सघन कृषि योजना पर व्यय

627. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में सघन कृषि योजना कब प्रारम्भ हुई ?

(2) पाली जिले में सघन कृषि योजना प्रारम्भ वर्ष के पूर्व वर्ष में किस किस अन्न का कितना कितना उत्पादन हुआ था ? प्रारम्भ वर्ष में और उस प्रारम्भ वर्ष के बाद किस किस वर्ष में किस किस अन्न का कितना कितना उत्पादन हुआ और इस प्रकार किस किस वर्ष में किस 2 अन्न के उत्पादन की कितनी कितनी वृद्धि हुई ?

(3) पाली जिले में सघन कृषि योजना पर किस किस वर्ष में कुल कितना कितना खर्चा हुआ ? इस योजना के कारण अफसरों व कर्मचारियों के वेतन का खर्च कुल खर्च से पृथक बताने की कृपा करें।

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) पाली जिले में सघन कृषि योजना खरीफ सन् 1961–62 से प्रारम्भ हुई।

(2) केवल वर्ष 63-64 में सभी फसलों के उत्पादन में वर्षा के अभाव के कारण 4 से 43 प्रतिशत कमी आयी। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री पृथ्वीसिंह (बाली): वर्षा की कमी 5 साल तक रही है और फेमीन रहा है और उसका मुआवजा कृषकों को लेवी के रूप में दिया जा रहा है और लेवी लगायी जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : 1963–64 की बात है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री फूलचन्द बाफना : पाली जिले में सघन कृषि योजना के प्रत्येक वर्ष में खर्च के

(श्री फूलचन्द बाफना)
लिये पूछा। 63-64, 64-65, 65-66 और 66-67 के लिये सरकार के पास खर्च का लेखा है। वेतन आदि के खर्चे के लिये 60-61 61-62 और 62-63 के लिये सरकार अप्राप्त लिखती है। फिर ये कहां से प्राप्त होंगे? सरकार से ही तो प्राप्त होंगे। आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं या आडिट नहीं होता है? किस कारण से अप्राप्त है?

श्री पृथ्वीसिंह : आडिट नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर!!

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी चाही थी लेकिन विभाग की ओर से कर्मचारियों पर इन वर्षों में कितना खर्चा हुआ वह जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हो सकी है। इस सूचना के अभाव में मैंने यह समझा कि प्रश्न के उत्तर को नहीं रोकना चाहिये अतः मैंने जो सूचना उपलब्ध थी उसका उत्तर यहां पर दे दिया है।

श्री फूलचन्द बाफना पिछले वर्षों के लिये तो उत्तर दे दिया। पहले के लिये क्यों नहीं दिया गया?

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों एवं माननीय सदस्या के आपस में बातचीत करने पर) : Order! Order!! माननीय सदस्य, माननीय सदस्या।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह सघन कृषि फिजूल की बात है। ऐसे कुए वहां पर मेरी जानकारी में हैं कि जिन पर तीन तीन चार चार पम्प लगा दिये जायं फिर भी पानी कम नहीं होता है। सघन कृषि योजना मंजूर हुई, मनमाने आंकड़े दे दिये। उससे पूर्व के आंकड़े दे दिये जाते तो उसमें कितना अन्तर पड़ता है वह दिखाई देता इसलिये उस इन्फोर्मेशन को सप्रेस किया गया, दबा दिया गया। क्या यह सही है मेरा आरोप?

श्री परसराम मदेरणा : आपका आरोप उससे सम्बन्ध नहीं रखता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सघन खेती के सम्बन्ध में उत्पादन के आंकड़ों के सम्बन्ध में सघन खेती के बाद क्या उत्पादन हुआ और उससे पूर्व का क्या उत्पादन हुआ यह सूचना, यह जानकारी होना परम आवश्यक है आप इसकी जानकारी करायेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : मैं नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उत्पादन के आंकड़े दिये। खर्चे के दो तीन साल के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके। अलग अलग खाद्य उत्पादन की जानकारी मैंने माननीय सदस्यों को दी है। हाउस में सदन की मेज पर रखी है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : 60-61, 61-62 और 62-63 तीन सालों में कर्मचारियों के खर्चे के सम्बन्ध में बतायी जानकारी। इसमें कर्मचारियों का वेतन न बताने का क्या कारण है?

श्री परसराम मदेरणा : जानकारी मेरे पास प्राप्त नहीं हो सकी थी। 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 के आंकड़े दिये हैं मैंने प्रश्न का उत्तर रात को ही देखा। जो भी जवाब आया है वह देना चाहिये यह मैंने उचित समझा और जो जानकारी उपलब्ध थी वह मैंने सदन के अन्दर प्रस्तुत कर दी। एस्टेब्लिशमेंट पर 7,74 हजार रुपया

(श्री परसराम मदेरणा)
कुल खर्चा कितना हुआ यह जानकारी मैंने दी।

श्री शंकरलाल (जैतारण): यह योजना बंद क्यों की गई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दिग्विजयसिंह।

मोटर गाड़ियों के अस्थायी नम्बर

628. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या ऐसे नियम हैं कि कोई भी मोटर गाड़ी 15 दिन से अधिक टेम्परेरी नम्बर पर नहीं चल सकती है ? यदि हां, तो ये नियम कब से लागू हैं।

(2) क्या यह सत्य है कि अभी कई जीपें टेम्परेरी नम्बर पर चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सत्य है कि मैसर्स इन्डिया मोटर्स, जयपुर ने 1966-67 में 100 जीपें सरकार को बेची हैं और उन पर अभी तक नम्बर नहीं डाले गये हैं ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) धारा 25 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार टेम्परेरी नम्बर 30 दिन के लिये मंजूर किया जाता है। ये नियम जब से मोटर व्हीकल्स एक्ट लागू किया गया है तब से हैं। (दिनांक 1 अप्रेल, 1951 से)

(2) जीपें टेम्परेरी नम्बर पर उक्त अवधि में चलाई जा सकती हैं। इस सम्बन्ध को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) यह सत्य है कि मैसर्स युनाइटेड मोटर्स राजस्थान ने 100 जीपें सरकारी विभागों को बेची हैं। नम्बर न लगने की कोई सूचना नहीं है क्योंकि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, रजिस्टरिंग आथोरिटी (कलेक्टर) करती है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि शिकायत आने पर करते हैं और डिपार्टमेंट को दी गई हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं ? क्या यह डिपार्टमेन्ट को खुद की जिम्मेवारी है कि रजिस्ट्रेशन करावे ?

श्री अमीनुद्दीन : ऐसी कोई चीज ध्यान में आजाय तो उनकी जिम्मेदारी है और ध्यान में न आये तो कैसे जिम्मेदारी है।

श्री दिग्विजयसिंह : डिपार्टमेन्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है वह जिम्मेदारी किसकी है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : डिपार्टमेन्ट की जीपों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो यह किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री अमीनुद्दीन : यह जिम्मेदारी जानकारी में जिसके आ जाय वह अमल न करे तो उसकी है।

कई माननीय सदस्य : ऐसा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

Page No.23

(9 म. पू.)

श्री दिग्विजयसिंह : अखबारों में एडवर्टाइज किया जाय तब आपको जानकारी होगी या सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को दिया जाय तब आपको जानकारी होगी ? आपके डिपार्टमेन्ट को खुद जानकारी करनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी मोटर व्हीकल्स के तहत है, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के तहत है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि कलेक्टर को रजिस्ट्रेशन कराना था, इनको मालूम नहीं है। यह गलत है। उत्तर में बताना चाहिए कि दरअसल में रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ ? आपका जवाब अधूरा है ।

श्री अमीनुद्दीन : अब मालूमात कर ली जायेगी ।

श्री जसराज (भिनाय) : आपने टेम्प्रेरी परमिट की प्लेट लगी हुई जीप घूमती हुई देखी है या नहीं जयपुर की सड़कों पर ?

श्री अमीनुद्दीन : ऐसा मौका नहीं आया है देखने का ।

श्री जसराज : मैंने देखी है और मैं आपको बता दूंगा ।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : बहुत सी टेम्प्रेरी परमिट की प्लेट लगी हुई जयपुर की सड़कों पर घूमती रहती हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : टेम्प्रेरी परमिट की प्लेट लगी हुई जीप मंत्री जी ने देखी है या नहीं देखी ?

श्री अमीनुद्दीन : मैंने नहीं देखी ।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल हादी !

श्री पृथ्वीसिंह : मैंने कई जीप ऐसी देखी हैं । चुनाव के अन्दर टेम्प्रेरी नम्बर लगी हुई दौड़ा करती थीं ।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने जो जीपों के लिए फर्माया कि वह डिपार्टमेन्ट को दी गई, उनमें से कितनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है ?

श्री अमीनुद्दीन : मैंने आपसे कहा कि चूंकि यह सवाल आ गया है तो मैं मालूमात कर लूंगा ।

श्री जसराज : मेहरबानी करके एक्शन भी लीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल हादी प्रश्न संख्या 629 ।

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर्स से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इस- लिए रिक्वेस्ट है कि इसको पोस्टपोन किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया । श्री हरजीराम !

श्री रामकिशन : ऐसी चीजों का जवाब देते है जिनमे बेइज्जती नहीं हो कहीं ।

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री !

लाडनूं–डीडवाना सड़क का कार्य

630. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरजीराम बुरडक)

लाडनूं—डीडवाना सड़क पक्की बनाने का कार्य कब तक पूरा होना चाहिये था तथा उसमें देरी होने के क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : यह कार्य योजना मुताबिक चौथी योजना में होने को है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या इस सड़क का ठेका पिछले वर्ष दे दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : गत वर्ष ठेका दे दिया गया क्या ?

श्री अमीनुद्दीन : नहीं, यह अण्डर प्रोग्रेस है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

नल योजना, रामगंज मंडी

631. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 14-1-67 को रामगंज मंडी की सार्वजनिक सभा में, रामगंज मंडी नल योजना का काम एक महीने के अन्दर अन्दर चालू कर देने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति है ?

(2) रामगंज मंडी नल योजना कब से सरकार के विचाराधीन है और इसके कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

उप मंत्री, जन स्वास्थ्य (राव श्री धीरसिंह) : (1) इरादा यही था लेकिन लाइफ इन्सोरेन्स कारपोरेशन से लोन न मिलने पर ऐसा नहीं हो सका।

(2) अक्टूबर, 1965 को योजना बनाई जा चुकी थी किन्तु वित्त के अभाव में कार्य शुरू नहीं किया गया। आवश्यक वित्त एवं सामग्री की उपलब्धि होने पर योजना को पूर्ण करने में साधारणतया 2 से 3 वर्ष की अवधि लग जाती है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि 14-1-67 को मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक महीने में चालू हो जायगी। उसका आपने उत्तर नहीं दिया है। दूसरा यह है कि आपने फर्माया कि 1965 में यह योजना बनाई गई। इससे पहले इस हाउस में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि 1965 में चालू कर दी जायगी, योजना पहले बन चुकी है। इस हाउस में इस तरह के दिये गये एश्योरेन्स मौजूद हैं कि 1965 के पहले यह बन चुकी थी। आप जवाब दे रहे हैं कि 1965 में योजना बनी है। मुझे दुःख है कि इस तरह के झूंठे जवाब इस हाउस में देते हैं।

राव श्री धीरसिंह : योजना बनाने में टाइम लगता है, 1965 के अन्दर योजना बन कर टेक्निकली सारा काम किया गया। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था वह इस अन्दाज पर दिया था कि एल. आई. सी. से लोन मिल जायगा। उसके बाद में इलेक्शन की वजह से और धन की कमी होने के कारण योजना नहीं पूरी हो सकी। एल. आई. सी. से इस साल दो करोड़ का लोन मिलने का

Page No.25

(राव श्री धीरसिंह)
प्रावधान रखा गया है। लोन आते ही आश्वासन पूर्ण करेंगे।

श्री जुझारसिंह : 1965 के अन्दर, जब आप मंत्री महोदय नहीं थे, तब प्रश्न पूछा गया, तब बताया था कि 1965 के पहले योजना बन चुकी है। 1965 के पहले योजना बन जाने का आश्वासन दिया हुआ मौजूद है। आप कोशिश कर एस्योरेन्स को देखें तो आपको वह मिल जायगा कि 1965 के पहले योजना बन चुकी है। इस प्रकार आश्वासन हो चुका है। मंत्री महोदय जो बैठे हुए हैं, श्री हरिदेव जोशी, उन्होंने आश्वासन दिया है। फिर भी आप कह रहे हैं कि 65 के अन्दर योजना बनाई गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह के झूठे जवाब क्यों दिये जाते है ?

राव श्री धीरसिंह : पहले तो आपने प्रश्न में कहा कि मुख्य मंत्री जी ने इस तरह का आश्वासन दिया हुआ है और अब आप हरिदेव जोशी पर आ गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order Order !!

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1965 से पहले यह योजना बन चुकी है, इस तरह की बात इस हाउस में कह चुके हैं। यह योजना सबसे पहले 1956 में बनाई गई थी। उसके बाद में आश्वासन देते रहे हैं और अगला अगला वर्ष इसमें होता रहा है। अब आप कहते हैं कि योजना 1965 में बनी है। यह बड़े खेद की बात है, आपके हिसाब से तो यह योजना 1965 में बनी है लेकिन मैं कहता हूं कि यह हाउस में दिये हुए जवाब मौजूद हैं। अगर आप जांच करें तो मालूम हो जायगा कि यह योजना 1965 से पहले की बनी हुई है। आपने जान कर इस तथ्य को टाल दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री संक्षेप में।

राव श्री धीरसिंह : ऐसा है कि भारत सरकार के टेक्निकल डिपार्टमेंट ने आब्जेक्शन निकाले उनकी पूर्ति करने में टाइम लगता ही है। दो तीन वर्ष तो सर्वे में लगते हैं। आश्वासन इस बात का दिया हुआ है, यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि हरिदेव जी ने क्या आश्वासन दिया था। मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी करेंगे अब टेक्निकल बातों में और फार्मेलिटीज को पूरा करने में टाइम लगता है। आश्वासन दिया था उसमें कोई डेट निश्चित नहीं दी थी।

श्री जुझारसिंह : मंत्री महोदय, मैं कहूंगा कि आश्वासन जो दिये गये हैं उनको आप कम से कम पढ़ें। कम से कम इस बात पर स्पष्ट आश्वासन दिया हुआ है, उसकी आप जानकारी कर लें। सब चीजें लिखित में हैं। आप टालमटोल क्यों करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! स्थगित प्रश्न !

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिये जाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। मुख्य मंत्री जी के आश्वासन का आदर करना आवश्यक है। खैर जो इन्होंने आश्वासन दिया, यह झूंठा और थोथा आश्वासन दिया, यह तो सरकार समझे लेकिन मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया, व वास्तविक रूप में, मेरे ख्याल में कार्यान्वित

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नहीं हो सका। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, आप भी उठा कर दे दीजिये। पहले आश्वासन दिया गया कि यह योजना है, यह एक महीने के अन्दर कम से कम पूरी होगी। मुख्य मंत्री जी ने एक महीने के लिए कहा कि यह एक महीने में पूरी होगी। आप उठा कर आश्वासन दे दीजिये कि एक साल में पूरी होगी। फिर आपके आश्वासन की कद्र पूरी हो जायगी।

श्री जुझारसिंह : यह चुनाव का एक तरीका था।

राव श्री धीरसिंह : एन्टीसिपेट यह किया था कि लोन मिल जायगा। लेकिन अनअवो-इडेबल सरकम्सटान्सेज के कारण लोन न मिला। आश्वासन झूठा होने की बात इसमें नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मंत्री की जिम्मेदार पद पर है, और जिम्मेदार सरकार के मुख्य मन्त्री हैं, वह चुने हुए मुख्य मंत्री है, उनके द्वारा ऊट पटांग आश्वासन मिलना, मेरे खयाल में, एक खेदजनक व्यवस्था है। क्या मंत्री महोदय कैटेगोरीकल आश्वासन यह देंगे, मैं पूछूंगा, मैं मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि एक साल के अन्दर, जैसा कि मुख्य मन्त्रीजो ने आश्वासन दिया था, उसको सरकार कभी कार्य रूप में परिणत करेगी अथवा नहीं।

राव श्री धीरसिंह : आश्वासन जो उन्होंने दिया है, उसको पूर्ण किया जायगा। इस साल के बजट में लोन लेने का प्रावधान रखा गया है। लोन प्राप्त होते ही आश्वासन पूरा करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : This is only beating about the bush. यह एक्सक्यूज लेना और लोन की बात कहना संतोषजनक नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : बिल्कुल संतोष जनक है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा अधिकार है, सदन के सदस्य के नाते कि आप केटेगोरीकल रिप्लाई दीजिये।

श्री अध्यक्ष : समय के सम्बन्ध में कह सकते हैं, अवधि !

राव श्री धीरसिंह : समय के सम्बन्ध में कहा कि जिस डेट को, जो लोन का प्रावधान रखा गया है, उसकी पूर्ति हो जायगी तो स्कीम को टेक अप कर लिया जायगा और उसको पूरा कर दिया जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : This is no answer. आश्वासन का महत्व है क्योंकि वैसे आप इधर उधर ढीले पडकर डिले कर देते हैं। आप क्वालिफाई करके, कन्डीशन करके रिप्लाई देते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कहिये कि नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो कहिये, इस अवधि के उपरांत हो जायगा। आपका आश्वासन महत्व रखता है।

श्री अध्यक्ष : Next, स्थगित प्रश्न !

श्री विट्ठल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। स्थगित प्रश्न !

Page No.27

श्री विट्ठल : मैंने आदिवासियों के विषय में वह पूछा है।

एक माननीय सदस्य : लिखित में उत्तर आ जायगा।

श्री अध्यक्ष : लिखित में उत्तर दे दिया जाय। माननीय मन्त्री, लिखित में उत्तर माननीय सदस्य को दे दें।

स्थान ग्रहण करें ! माननीय सदस्य !

श्री श्रवणलाल : आपके आदेश का भी उल्लंघन किया जाता है, आज तक कभी नहीं मिले हैं लिखित उत्तर !

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्री। स्थगित प्रश्न !

श्री दुर्गालाल बाढदार : 407

(स्थगित प्रश्न)

(12-6-67)

बालानन्दजी की मोरी जयपुर के जरिये आवागमन

407. **श्री दुर्गालाल बाढ्दार** (हवामहल जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर के शहर पनाह के कुल कितने दरवाजे और कितनी मोरियां हैं ? प्रत्येक का नाम बताने की कृपा करें।

(2) बालानन्द जी की मोरी पर राज्य सरकार की ओर से कब तक चौकीदार रखा गया और क्या अब यह मोरी यथावत् आवागमन के लिये सार्वजनिक मार्ग के रूप में खुली हुई है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (राव श्री नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के स्थगित किये जाने के लिये प्रार्थना करूंगा क्योंकि पूरी सूचना नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : वह तो पहले ही स्थगित है

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : This is a dismal state of affairs, Sir.

श्री दुर्गालाल बाढ्दार : अध्यक्ष महोदय एक मंत्री महोदय का मुश्किल से तो 20-25 दिन में एक बार नम्बर आता है और उसके बाद में विशेष जानकारी के लिए यदि समय चाहा जाता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय समय का प्रावीजन भी कर देते हैं और इसके पश्चात् फिर भी अगर समय चाहा जाता है तो मैं केवल इतना ही विनम्र निवेदन आपको करना चाहता हूं कि क्योंकि यह व्यवस्था आपके हाथों में है आखिर हमें कोई रास्ता क्या है। हम कोई डिमाण्ड रखते हैं तो सरकार सुनती नहीं, सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब देने के लिये समय चाहा जाता है अगर सरकार की यह मशीनरी मंत्रियों को भी वक्त पर जवाब नहीं दे सकती तो हम यह प्रिज्यूम करके चलें कि यहां की मशीनरी इतनी करप्ट हो चुकी है या इतनी इनकाम्पीटेन्ट हो चुकी है . . .

श्री अध्यक्ष : Please dont' attribute motives.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Hon. Minister should be pulled up.

श्री अध्यक्ष : After the resentment expressed by the Hon. Leader of the Opposition, does it leave something for me to add to these expressions

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : I am very sorry, Sir.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : कार्यवाही हिन्दी में होनी चाहिए ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय को कोई जवाब देना चाहिए । स्थगित प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया जाना मेरे ख्याल में सदन में अपमान है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय को यह कहना है कि यह मशीनरी आपको जवाब नहीं देती तो इसके लिए आपको सोचना होगा कि क्यों नहीं जवाब आ रहा है ।

कुछ माननीय सदस्य : जवाब आने दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : जवाब है ही नहीं । क्या दें ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : The Chair should pull him up.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह इस किस्म का सवाल नहीं है कि इसका जवाब न दिया जाये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो मोरी के खुले रहने की बात है यह वह चीज है जो सामूहिक रूप से काम में आती है मगर आपके पास जवाब नहीं आया तो आप देख आइये कि खुली है या नहीं, वहां चौकीदार है या नहीं····

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में आपकी मार्फत सदन से माफी चाहता हूं इसलिए कि मुझे कल ही इसकी सूचना मिली थी इसलिए इससे संबंधित पूरी सूचना प्राप्त नहीं कर पाया हूं इसलिए इस प्रश्न को पोस्टपोन करने के लिए निवेदन किया है ।

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, सदन में आपकी ओर से इतने आदेश हो जायें और मंत्री महोदय को जवाब नहीं मिलता है तो क्या आपने इसके अन्दर उन आफिशियल्स के खिलाफ एक्शन लिया है ?

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please ! यह अनावश्यक स्ट्रेन है चेयर पर । पहले आपका उत्तर नहीं आया, फिर उसके बाद नहीं आया और क्योंकि आपने खेद प्रकट किया है मैं इसको स्थगित करता हूं ।

श्री शोभाराम ।

स्थगित प्रश्न

(12-6-67)

रोडवेज म नियोजित पूंजी व आय

414. **श्री शोभाराम (रामगढ़) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) स्टेट रोडवेज विभाग ने अब तक कितनी पूंजी लगा दी है ?

(2) प्रति वर्ष रोडवेज की कितनी आय होती है और वह कुल पूंजी का कितना प्रतिशत है ? गत तीन वर्षों के आंकड़े बतलाने की कृपा करें ।

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) स्टेट रोडवेज कारपोरेशन में 31 मार्च, 1967 तक 2।। करोड़ रुपये की पूंजी लग चुकी है ।

(श्री अमीनुद्दीन)

(2) निगम के गत तीन वर्षों के लाभ-हानि व पूंजी का अनुपात इस प्रकार है:—

वर्ष	पूंजी	कुल आय	शुद्ध लाभ/हानि लाख	पूंजी पर प्रतिशत
1964–65	183 लाख	141–56	17–17 लाभ	9 प्रतिशत लाभ
1965–66	250 लाख	147–21	5–8 हानि	2 प्रतिशत हानि
1966–67	250 लाख	161–19	15–36 हानि	6 प्रतिशत हानि

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा क्योंकि यह डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है यह कारपोरेशन की तारीफ में आता है इसलिए बोनस एक्ट इस पर लागू होता है तो क्या 4 परसेंट का प्रोवीजन खर्चे में दिखाया या नहीं जब कि आपने हानि और लाभ दिखाया है ?

श्री अमीनुद्दीन : इसका मुझे मालूम नहीं है ।

श्री शोभाराम : मैं कहूंगा कि खर्चे में जब कि लाभ निकाला गया है तो इसमें कौन से आइटम्स को शुमार किया गया है। वैसे तीन-चार मुद्दे होते है मेन्टीनेन्स, एस्टेब्लिशमेन्ट और जो टैक्स की वजह से आमदनी घटी। जब कि यह बसेस प्राइवेट आदमियों के पास थी तो वह टैक्स का लास हुआ है इसका भी कोई प्रावीजन किया गया है या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन : मेरे ख्याल से तमाम इसमें खर्चा वगैरह उसके एक्सपेन्डीचर में आ गया है और ज्यादा आपकी मालूमात खास पर्टीकुलर की होगी तो मैं इसको आपको मुहैया कर सकता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच कराई है कि दो वर्षों से राजस्थान स्टेट रोडवेज में घाटा निरन्तर क्यों हो रहा है और इतना अधिक क्यों हो रहा है ?

श्री अमीनुद्दीन : इस जांच का भी मुझे मालूम नहीं है लेकिन यह मेरा फर्ज होगा कि मैं देखूं कि यह घाटा क्यों हो रहा है और इसका जस्टीफिकेशन है या नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या आप अब जांच करायेंगे कि घाटा क्यों हो रहा है ?

श्री शोभाराम : मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि गत दो वर्षों में जो हानि हुई है उसका क्या कारण है और इसको रोकने के लिए सरकार किन कदमों को उठाना चाहती है ?

श्री अमीनुद्दीन : एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मंहगाई है, भत्ता बढ़ाया गया, टैक्स बढ़ाया गया, टायर के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है....

कुछ माननीय सदस्य : किराया भी तो बढ़ रहा है ।

Page No.30

श्री अमीनुद्दीन : ठीक है लेकिन किराया आमदनी में आ जाता है और यह जो बढ़ा हुआ मामला है यह खर्च में आ जाता है। अगर किराया उस हिसाब से बढ़ाया जाये तो कोई नुकसान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि रोडवेज़ का डेप्रिसियेशन रिजर्व था और वह भी सरकार ने खर्च कर दिया है ?

श्री अमीनुद्दीन : इसका मुझे अभी पूरा इल्म नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इन दो सालों में जो नुकसान हुआ है उसके क्या क्या कारण हैं और जब सरकार को मालूम पड़ेगा कि इनकी वजह से नुकसान हो रहा है तो उन कारणों को समाप्त करने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री अमीनुद्दीन : यह तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब नुकसान नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि डेप्रिसियेशन से आमदनी काटने के बाद आपने जो पूंजी इसमें लगाई है उसके बाद में आपके पास कितने असेट्स बचे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप भी बड़े काम्पलीकेटेट और डेलीकेट प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार को रेल्वे के शेयर की जो पूंजी मिली थी वह राज्य सरकार ने पूरी खर्च कर दी है ?

श्री अमीनुद्दीन : वह तो इसका हिस्सा ही है 2।। करोड़ का।

श्री भैरोंसिंह : वह खर्च की या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन : वह जमा कहा से होती।

श्री भैरोंसिंह : आप मुझे बता दें कि क्या रेल्वे के शेयर का अमाउन्ट मिला था ?

श्री अमीनुद्दीन : वह तो सब एक रकम है नुकसान में भी और घाटे में भी।

श्री भैरोंसिंह : शेयर की पूंजी मिली या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन : हां, मिल गयी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या रोडवेज़ में नुकसान होने का कारण यह भी है कि उसका ओवरआल एक्सपेन्डीचर ज्यादा है और जितने रूट्स नेशनेलाइज किये हुए हैं वह थोड़े हैं और फर्दर वह घाटा मुनाफे में परिवर्तित करने के लिए जल्दी से जल्दी ज्यादा रूट्स को नेशनेलाइज करने से यह काम हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : लीडिंग क्वेश्चन है यह।

श्री शोभाराम : मैं माननीय मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वह यह बतायें कि 2।। करोड़ रुपये की लागत आपने बताई तो जितने असेट्स बने क्या वह 2।। करोड़ के हैं या कम के हैं ? उनके असेट्स की वैल्यू कितनी है ?

श्री अध्यक्ष : Matters of complicated acocounts.

श्री अमीनुद्दीन : मैं सारी इसकी जानकारी बता दूंगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा । मंत्री महोदय नये हैं शायद उनको जानकारी इस सम्बन्ध में कुछ कम होगी लेकिन मेरे ख्याल से यह जन धन के अपव्यय की बिलकुल पराकाष्ठा है, यह एक जनहित का काम है और किराये निरन्तर बढ़ रहे हैं । राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् कोई किस्म का टेक्स आपका यह व्यवसाय नहीं देता । आखिरकार यह व्यावसायिक व्यवस्था है । अगर प्राइवेट इण्टरप्राइजेज में इस तरह की अन्धाधुंधी होती तो मेरे ख्याल में कभी का दिवाला आउट हो गया होता । मै अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में निष्पक्ष कमीशन बैठावे और वह कमीशन जांच करे कि वास्तविक स्थिति क्या है ? जो सरकार जो है वही तो पार्टी है और सरकार ही खुद जज बनना चाहती है । ऐसी व्यवस्था कभी संतोषजनक नहीं हो सकती । इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इन बातों की जांच जनहित के कारण होनी चाहिए वरना मुझे आशंका है यह जन धन लावारिश मिल्कियत की माफिक लुटता चला जा रहा है और वह अन्धाधुंध बढ़ता जा रहा है । "अन्धाधुंध की साहिबी और घटाटोप का राज" ।

(कई सदस्य बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री अमीनुद्दीन : इस अन्धाधुंध की जांच जरूर की जायेगी कि अन्धाधुंधी न बढ़े ।

श्री जसराज : मेरा एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Order, please Order.

श्री लादूराम सुलानिया : हम आपको दस लाख रुपया देने को तैयार हैं....

श्री अध्यक्ष : Order please Order.

(श्री लादूराम सुलानिया बोलते रहे)

(व्यवधान अश्रव्य)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैरोंसिंह ।

स्थगित प्रश्न

12-6-1967

राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला अजमेर द्वारा कस्तूरी की खरीद

124. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गवर्नमेंट आयुर्वेदिक फार्मेसी अजमेर द्वारा मार्च सन् 67 में कितनी कीमत की कितनी कस्तूरी खरीदी गई है ?

(ख) यह खरीद किस प्रक्रिया से हुई और उसकी शुद्धता का प्रमाण-पत्र किस से लिया गया ?

(ग) यह खरीद किस आवश्यकता के कारण किस व्यापारी से की गई ?

Page No.32

(श्री भैरोंसिंह)

(ब) क्या इस खरीद के विरुद्ध विभाग को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

आयुर्वेदिक मंत्री (राव श्री नारायणसिंह) : (1) फार्मेसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कस्तूरी का क्रय निम्नांकित रूप से किया गया:—

1. नेपाली कस्तूरी 2 किलोग्राम 57680.00 पैसे।

2. काश्मीरी कस्तूरी 1 किलोग्राम 22034.00 पैसे।

(2) टेंडर निकाल कर स्टोर पर्चेज कमेटी में विशेषज्ञों द्वारा परीक्षणोपरान्त उत्तम नमूने को विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होने पर राज्य सरकार की स्वीकृति लेकर नमूने माफिक क्रय की गई।

(3) यह खरीद राज्य के सब ही औषधालयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कस्तूरी भैरव आदि औषधि निर्माण के लिए उचित परिमाण में ही (1) काश्मीरी कस्तूरी मैसर्स पुष्करणा आयुर्वेद फार्मेसी, देहली और (2) नेपाली कस्तूरी मैसर्स देशरक्षक औषधालय, हरिद्वार के द्वारा क्रय की गई।

(4) जी हां। श्री घासीलाल नामक तथाकथित व्यक्ति की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायती ने अपना पता पूरा नहीं दिया है। अतः उससे दरियाफ्त नहीं किया जा सका। वैसे कस्तूरी की पूरी जांच कर ली गई है।

श्री भैरोंसिंह : यह कस्तूरी का टेंडर इन्वाइट करने से पहले क्या राज्य सरकार से अनुमति ली गई।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : टेन्डर का अनुमति लेटर ता. 2?-3-66 के पश्चात् ही इन्वाइट किया गया।

श्री भैरोंसिंह : यह तो टेंडर इन्वाइट करने की बाद की बात है। टेन्डर इन्वाइट करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति ली गई ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तो विभाग ने पचास हजार रुपये से अधिक की खरीद कैसे कर ली ? क्या विभाग को पचास हजार से अधिक की खरीद करने का अधिकार है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : पचास हजार से अधिक की खरीद करने का अधिकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर डायरेक्टर ने किस अधिकार से टेन्डर इन्वाइट किए ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : दस हजार तक के अधिकार हैं। इसके बारे में इन्क्वायरी कर ली जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो आपने एक्सपर्टस कमेटी बनाई थी उसके चेयरमैन आयुर्वेद विभाग के डायरेक्टर ही थे ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : एक्सपर्ट्स कमेटी के चेयरमैन डायरेक्टर ही हैं।

Page No.33

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सारी परचेजिंग उन्होंने की है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : यह कमेटी जो नमूना....

श्री भैरोंसिंह : कमेटी में तो वैद्य भी होते हैं जो इनके मातहत हैं ।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : जो नमूना एप्रूव होता है । स्टोर परचेज कमेटी के द्वारा, उनके अनुसार ही एक्सपर्टस् कमेटी खरीद करती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कस्तूरी के दो पैकेट हैं वे अभी तक बन्द पड़े हुए हैं और उनको नहीं खोला गया है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : सारे औषधालयों से जो आवश्यकता आई उसके आधार पर विभिन्न जगहों से सारी कस्तूरी खरीदी गई और अब औषध निर्माण में कुछ तो काम में आ गई और कुछ बाकी है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह पूछ रहा हूं जो दो पैकेट आए, क्या यह सही है कि दोनों पैकेट अभी तक जैसे आए थे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : कस्तूरी बकाया हो सकती है । एक पैकेट होगा या जितनी भी बची होगी, उतनी होगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो बन्द पैकेट हैं और दोनों पैकेट बन्द हालत में ही स्टोर में पड़े हुए हैं उनकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार कोई जांच नहीं की गई कि जिस तरीके का नमूना दिया गया था उसी तरीके की कस्तूरी आई है या नहीं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं जानकारी करके निवेदन कर दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is no reply. It may be postponed.

श्री भैरोंसिंह : कितने आदमियों के टेन्डर आये थे ?

श्री अध्यक्ष : टेन्डर्स कितने आदमियों के आये थे ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इसकी सूचना मैं आपको दे देता हूं । मेसर्स...

श्री भैरोंसिंह : नाम नहीं संख्या ही बता दीजिए ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : आठ ।

श्री भैरोंसिंह : जिसका लोयेस्ट टेन्डर था उससे सामान क्यों नहीं खरीदा ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : लोयेस्ट टेन्डर के अनुसार परचेज करने की आवश्यकता आयुर्वेद विभाग के लिए नहीं है । जो नमूना एक्सपर्टस् कमेटी पास करती है उसके अनुसार और आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार जो नमूना उत्तम माना जाता है उसी की खरीद की गई है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस एक्सपर्टस कमेटी ने लोयेस्ट टेन्डर को इग्नोर करके दूसरे टेन्डर का सामान खरीद करने के

(श्री भैरोंसिंह)
निर्णय के मिनिट्स रिकार्ड नहीं किये हैं और रीज़न्स कोट नहीं किये हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Clean bowled

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मिनिट्स रिकार्ड नहीं किए गए हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या, मिनिट्स रिकार्ड नहीं किये गये हैं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही नहीं है कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अन्दर साफ लिखा हुआ है कि लोयेस्ट टेन्डर के अलावा यदि दूसरे का टेन्डर एक्सेप्ट किया जाय, लोयेस्ट रेट के अलावा किसी दूसरी रेट से सामान खरीदा जाय तो उसके मिनिट्स रिकार्ड किए जावें और रीजन्स कोट किए जायं ? यह क्यों नहीं किए गए ? पैकेट्स बन्द पड़े हुए हैं, उन पेकेट्स की स्पेसिफिकेशन के अनुसार कोई जांच नहीं की गई, जो जांच समिति बनाई गई डायरेक्टर स्वयं उसके अध्यक्ष हैं और बाकी जो वैद्य हैं उनके सदस्य वे उनके मातहत हैं । कस्तूरी की आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी कस्तूरी खरीदी गई और अभी तक वह कस्तूरी औषधालय को गई नहीं । इस कंपशन को देने के पश्चात् कस्तूरी स्टोर से निकली है पैकेट्स अभी तक यों के यों ही पड़े हैं । टेन्डर इन्वाइट करने में सरकार की अनुमति ली नहीं, पचास हजार से ऊपर के सामान को खरीदने की डायरेक्टर को पावर नहीं है लेकिन फिर उन्होंने सरकार की अनुमति के बिना खरीद की

(विपक्ष की ओर से शेम शेम की आवाजें)

इससे ज्यादा चार्जेज एक डाइरेक्टर के खिलाफ क्या हो सकते हैं और जब मन्त्री महोदय से क्वश्चन पूछा जाता है तो पीछे से स्लिप लेकर जवाब देते हैं ।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मिनिट्स रिकार्ड नहीं किये थे ।

श्री प्रेमसिंह : बैठ जाओ ।

श्री अध्यक्ष : Order please.

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : रीजन्स रिकार्ड किए गए हैं और पद्धति के अनुसार पहले स्टोर परचेज कमेटी अप्रूव करती है और उसी के अनुसार फिर बाद में एक्सपर्ट कमेटी चीजें लेती है और उसी के अनुसार यह सामान लिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या फरमाया, मिनिट्स रिकार्ड किए गए हैं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मिनिट्स रिकार्ड नहीं किए हैं, रीजन्स रिकार्ड किए गए हैं और स्टोर परचेज कमेटी ने नमूना अप्रूव किया है और फिर एक्सपर्ट कमेटी ने उसको तय किया था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान के किसी भी कानून के अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग की स्टोर परचेज कमेटी नाम की कोई संस्था नहीं है ।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मेरी जानकारी में यह आया है कि स्टोर परचेज कमेटी है . . .

श्री भैरोंसिंह : किस कानून और नोटिफिकेशन के तहत है ? गवर्नमेंट के किसी नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट के किसी रूल के अनुसार इस प्रकार की कोई कमेटी नहीं है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इस समय भी स्टोर परचेज कमेटी है।

श्री भैरोंसिंह : कौन से कानून के तहत है ?

श्री अध्यक्ष : यह डिपार्टमेंट ने ही कमेटी कायम की है या किसी नियम के अन्तर्गत कमेटी बनी हुई है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : नियम तो इस समय तक नहीं बने हैं लेकिन राज्य सरकार की आज्ञानुसार ही वह सारा काम हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : नियम नहीं बने हैं तो क्या गवर्नमेंट ने कमेटी के कांस्टीट्यूशन के लिए कोई आर्डर इश्यू किए हैं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : गवर्नमेंट की आज्ञानुसार ही है।

श्री भैरोंसिंह : आर्डर इश्यू किए हैं क्या?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : गवर्नमेंट की आज्ञानुसार ही है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट यह नहीं कर सकती है। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए परचेज कमेटी बनाने का जो आधार है और गवर्नमेंट के जो सारे सुपरवाईजरी काम हैं वे फाइनेंशियल रूल्स के तहत होते हैं और इन रूल्स के मातहत गवर्नमेंट ये अधिकार ले नहीं सकती कि किसी डिपार्टमेंट के लिए अपने स्टोर परचेज करने के लिए अलग से कमेटी बना दे और उसके रूल्स ही फाइनल न हों। गवर्नमेंट इस प्रकार का काम कर नहीं सकती कि आयुर्वेद विभाग के लिए परचेज कमेटी बना दे और उसके रूल्स ही न हों।

श्री अध्यक्ष : क्या मंत्री महोदय, इस सारे अफेयर की जांच के सम्बन्ध में आप कोई निर्णय ले सकते हैं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इस सारे अफेयर के बारे में मैं यह आश्वासन देता हूं कि इसकी पूरी जांच की जायेगी। रेस्पोंसिबिल्टी फिक्स की जायेगी और जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : लूंग, अलकतरा आदि कई चीजें मेरे पास हैं वे सब भी खरीदी गई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। श्री दुर्गालाल बाढदार।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार के तो सरकारी विभागों में अनेक घोटाले हैं किसी की भी जांच नही हो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री बाढदार।

अल्पकाल सूचना प्रश्न

जयपुर दुग्ध वितरण योजना

1. श्री दुर्गालाल बाढदार : (हवामहल जयपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(i) क्या जयपुर नगर में दुग्ध वितरण योजना के अन्तर्गत कार्ड्स जारी किये हुए हैं ? यदि हां तो, प्रति माह कितने लीटर दूध इन कार्ड्स के द्वारा

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
वितरित होता है ? यदि हां तो क्या प्रत्येक कार्ड होल्डर को कार्ड प्रस्तुत करने पर दूध दिया जाना आवश्यक है ?

(2) कार्ड होल्डर्स के अतिरिक्त आम जनता को वितरण हेतु कितना लीटर दूध प्रति रोज बिकता है ?

(3) दुग्ध वितरण योजना जयपुर का प्रतिमास दुग्ध खरीदने पर कितना व्यय होता है ? और दूध की कीमत प्रतिमाह कितनी होती है तथा प्रशासनिक व्यय व अन्य व्यय इस विभाग का प्रतिमाह कितना है ?

(4) दुग्ध वितरण योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले दूध का क्या दही अच्छा जम सकता है । यदि हां तो एक किलो दूध में कितना घी निकलता है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां कार्ड्स जारी किये हुए हैं। इन कार्डों पर वितरित दूध की मात्रा कार्ड होल्डरों की आवश्यकतानुसार घटती बढ़ती है । वैसे कुल 1882 कार्ड जारी किये हुए हैं और इनके आधार पर प्रतिदिन 2340 लीटर दूध कार्ड होल्डरों को मांग है कार्ड होल्डरों को दूध उपलब्ध होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जाती है।

(2) योजना द्वारा औसतन प्रतिदिन 6447 लीटर दूध वितरित होता है । जिसमें से 2440 लीटर दूध सरकारी संस्थाओं को दिया जाता है । व शेष 399 लीटर दूध कार्ड होल्डरों व आम जनता को दिया जाता है।

(3) दूध खरीदने का औसतन प्रतिमास व्यय 133040) रु. है । दूध की कीमत प्रतिमास औसतन 133450) रु. प्रशासनिक व्यय 17200) रु. हैं तथा अन्य व्यय 33550) रु. है।

(4 दुग्ध वितरण योजना के दूध से दही अच्छा जम सकता है। एक किलो दूध में करीबन 50 ग्राम घी निकलता है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना में जो मक्खन निकाला जाता है वह कितना रोज निकाला जाता है उसी दूध से निकाला जाता है जो वितरण के लिये है या उसके लिये दूसरे दूध की व्यवस्था है ?

श्री परसराम मदेरणा : वितरण योजना के अन्तर्गत जो दूध दिया जाता है उसमें से रोजाना घी या क्रीम नहीं निकाला जाता लेकिन जिस वक्त दूध की एसीडिटी बढ जाती है और वह पोइन्ट 15 तक पहुंच जाती है उस दूध में से क्रीम निकाल कर उस दूध को जमा दिया जाता है और वह सेपरेटा दही के नाम से बेचा जाता है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : जितना दूध रोजाना आता है क्या उसी दूध में से क्रीम निकाली जाती है या इसके अलावा दूध मंगाया जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : दूध वितरण योजना के अन्तर्गत जितने दूध की मांग है उतना दूध अच्छा है स्पेसिफिक ग्रेविटी का है यानि 27:28 के बीच का जो लेक्टोमीटर से जांचा जाता है उस दूध का मक्खन निकालने का प्रश्न नहीं।

दूसरा लेक्टोमीटर से यह मालूम हो कि सी. एल. आर. यह बतावे कि इसमें एसिडीटी

(श्री परसराम मदेरणा)
ज्यादा है तो उसमें से मक्खन निकलवाकर उसकी क्रीम अलग कर लेते हैं और सपरेटा के नाम से वह बेचा जाता है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) जो दूध बेचा जाता है ए. ए. एन. और एफ. पोइन्ट्स कितना होता है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपका सोलिड पोइन्ट ए.ए. एन. एफ. समझा नहीं। लेक्टोमीटर का रीडिंग 27 और 28 के बीच में होता है तो दूध अच्छा है। इतनी ग्रेवीटी जिस मिल्क में हो वह मिल्क अच्छा माना जाता है। और उसी को वितरित किया जाता है। अगर उसकी एसीडिटी बढ जाय पोइन्ट 15 बढ जाती है तो उस दूध की क्रीम निकाल कर सपरेटा के नाम से दही बेचा जाता है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या आप इस योजना के अन्तर्गत आम लोगों के अलावा सहकारी संस्थाओं को दूध देते हैं ? उसके अलावा क्या आप किसी व्यक्ति को शादी के लिए भी दूध देते है ? इस बारे में स्पेसिफिक इन्सटांस बताऊंगा जब कि आपको पहले आम पब्लिक को दूध देना लाजिमी होता है, सरकारी संस्थाओं को देना लाजमी होता है उसके बाद यदि बचता है तो दूसरों को दे सकते हैं लेकिन ऐसा हुआ है बिना पब्लिक को सप्लाई किये दूध आपने शादी में लोगों को दिया है।

श्री परसराम मदेरणा पब्लिक को टोप प्रायोरिटी है। मई के महीने में औसत 6140 मीटर का रहता है। वैसे पिछले कुछ दिनों में 9,6669 लीटर दूध आया है। पिछले कुछ दिनों में गायों की कमी की वजह से चारे की कमी की वजह से गायें इधर उधर चली गई थीं। इसलिए पिछले दिनों के अन्दर दूध के प्रोक्योर करने की मात्रा घटी है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : शादी में सप्लाई किया गया या नहीं, श्री टी० एन० चतुर्वेदी को सप्लाई किया गया या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने स्पेसिफिक बात कही है। मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। जानकारी करके बता सकता हूं दिया गया या नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : दूध आपके यहां जो आता है केवल गाय का ही दूध आता है या भैंस भेड़ बकरी सब का दूध मिलाकर जिस तरह से सब नदियां गंगा में मिल जाती हैं तो सब का पानी गंगाजल कहलाता है क्या उसी प्रकार सब का दूध मिलाकर आपके यहां दूध बनाया जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : गायें और भैंसों का दोनों का परचेज किया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपको यह जानकारी है कि जयपुर नगर को जो दूध सप्लाई किया जाता है वह शुद्ध दूध नहीं होता है उस दूध में पानी मिलाया जाता है और ग्रेविटी को बराबर करने के लिये उस चीनी मिला दी जाती है इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को जानकारी है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो दूध वितरित किया जाता है उसमें से सरकारी संस्थाओं,

(श्री परसराम मदेरणा)
होस्पीटल और मिलिटरी को सप्लाई किया जाता है इन दोनों को 2119 लीटर प्रतिदिन दिया जाता है वहां पर रिटेस्ट होता है। इस प्रकार की कोई शिकायत राज्य सरकार के पास में नहीं आई है कि जो दूध दिया जाता है वह स्पेसिफिक ग्रेविटी का नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी चतुराई से हास्पिटल और मिलिट्री हास्पिटल की बात कह कर उस सारी चीज को टाल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात रह गई। श्रोवीबो रह गया है।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है तो उसकी इत्तिला मुझे रात को मिली थी और रात को मिलने पर पर्टीक्यूलर डेट की बात कही है और मुझे रात को बताया कि पर्टिक्यूलर डेट के अन्दर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के वक्त शूगर की मात्रा थी तो शूगर जब मिला दी जाती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर हो जाती है। इस प्रकार से उन्होंने कहा था। मैंने कोशिश की है 8 बजे से पहले पहले उस फाइल पर हाथ रख सकूं लेकिन फाइल उपलब्ध नहीं हो सकी है। मैं इसकी जानकारी करूंगा और अगर ऐसी बात हुई है तो जानकारी के बाद जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि चिट्ठी की फोटोस्टेट कापी कुछ लोगों ने भेजी है?

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक दूसरे कर्मचारियों के पास आई हो, लेकिन अभी तक ऐसा मामला मेरे पास नहीं आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपको दे देता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : फोटो स्टैट कापी देते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यवाही करूंगा क्योंकि सदन के अन्दर फोटो स्टेट कापी देते है तो वह क्या है और क्या नहीं है और क्या आरोप लगाये गये हैं और वे आरोप कहां तक सही है यह सब जांच के बाद कहा जा सकता है। उसके पहले कुछ कहने में असमर्थ हूं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : एक एक बूथ पर कितना दूध सप्लाई करते हैं? कम से कम कितने लीटर दूध सप्लाई करते हैं? क्या यह सच है कि आदर्शनगर मिल्क बूथ पर केवल 5 लीटर दूध सप्लाई किया जाता है? वहां पर बूथ के सामने हजारों आदमी खड़े रहते हैं और उनको दूध नहीं मिलता है। घन्टों इन्तजार करते हैं पर मोटर नहीं आती है और अगर आती है मोटर तो 5 लीटर दूध देते हैं और बच्चे और औरतें निराश लौटती हैं।

(विपक्ष की ओर से शेम शेम)

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : दूध वितरण योजना में .

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि इस वितरण योजना में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
शाम का दूध सुबह सप्लाई करते हैं और सुबह का दूध शाम को सप्लाई करते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो दूध रोज आता है उसी तरह से वितरण कर दिया जाता है, लेकिन शाम और सुबह के दूध में थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ती हैं तो हमारे पास में प्लान्ट और रेफ्रिजरेटर्स है उनमें रखते हैं । न्यूजीलैण्ड का प्लान्ट है । मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता हूं कि किस टाइम दूध आता है और किस टाइम दिया जाता है यह जानकारी डिटेल में मेरे पास नहीं है । जो दूध ह्यूमन कन्जम्शन के लायक होता है उसमें एसिडिटी 0, 15 के अन्दर होती है तो वही वितरण किया जाता है । जो किसी तरह भी खराब नही है ?

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है इस योजना के अन्दर अचानक बजली बन्द जाने के कारण उस मशीन में रखा हुआ दूध खराब हो जाता है ? अगर यह हुआ है तो कितना हुआ है और उस दूध को किस कार्य में लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री श्रवणलाल : नहीं अध्यक्ष महोदय,

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या आप अपने लेक्टोमीटर्स की जांच करायेंगे । एक दूध के स्पेसीमेन को 1–2–3 लेक्टोमीटर्स से जांच कराई जाय तो उनके रीडिंग एक नहीं होते हैं । आपके लेक्टोमीटर मैंने सुना है कि गलत हैं और उसमें भी आपाधापी और भ्रष्टाचार है तो इस प्रकार की जांच करायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में कोई भी जो दूध को कन्जूम करने वाले व्यक्ति हैं कभी भी शिकायत करेंगे तो जांच कराऊंगा । जहां तक लेक्टोमीटर्स का सवाल है मिलिट्री हास्पिटल के पास में भी लेक्टोमीटर्स हैं मैं स्वयं देखूंगा कि उसकी जांच कराई जाय कि हमारे जो लेक्टोमीटर है वे सही है या नहीं है । इस की कम्पेरेटिवली जांच करवाऊंगा । किसी मिल्क को लेकर हफ्ते भरके अन्दर दूसरे लेक्टोमीटर्स जो सरकारी संस्थाओं के पास में हैं उनसे देखकर मालूम कर लूंगा कि हमारे लेक्टोमीटर्स ठीक हैं या नहीं । लेक्टोमीटर्स तो कई हमारे पास में हैं और कई में से देखकर उसके बाद में देते हैं । एक लेक्टोमीटर्स से नहीं कम से कम 2 लेक्टोमीटर लगाकर देखते हैं कि वास्तव में स्पेसिफिक ग्रेविटी की मात्रा है, पर्सेन्टेज है वह बिलकुल ठीक हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप क्या बच्चों को समझाने वाली बात करते हैं । सारे जयपुर नगर के दूध वितरण की व्यवस्था आपके पास में है तो कई लेक्टोमीटर आपके पास में होने चाहिए । मेरे पास यह शिकायत आई है कि आपके पास में बेयर लेक्टोमीटर्स नहीं है । लेक्टोमीटर की शार्टेज है । आपके लेक्टोमीटर की रीडिंग युनिफार्म नहीं है । आपके लेक्टोमीटर में खामियां है, और इसमें जानबूझ कर कोई घोटाला करके जो आपने कहा है कि 28, 29 के स्पेसिफिकेशन के अनुसार दूध का वितरण करते हैं । मुझे जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार आपका एक लेक्टोमीटर 26 रीड करता है, एक 24 रीड करता है और एक 29 रीड करता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय.....

श्री परसराम मोरेणा : अध्यक्ष महोदय, लेक्टोमीटर्स हमारे पास एक नहीं 50 से ऊपर हैं। अध्यक्ष महोदय, लेक्टोमीटर थर्मामीटर की तरह होता है। मिल्क की ग्रेविटी घटती बढ़ती है तो इसका मतलब यह नहीं हैं कि लेक्टोमीटर खराब है और लेक्टोमीटर के अभाव में अच्छा दूध वितरण नहीं किया जाता है। यह बात सही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस जयपुर दुग्ध वितरण योजना द्वारा जो जयपुर शहर में दूध सप्लाई किया जाता है उसके सम्बन्ध में मैंने और श्रीमान् भैरोंसिंहजी ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना आपको दी हैं, और उसी संदर्भ में यह चूंकि अल्पकालीन सूचना प्रश्न आ गया है और उसमें भी इस प्रकार के मुद्दे हैं तो मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्री महोदय ने जो जयपुर शहर के लिए दूध सप्लाई के आंकड़े बतलाये हैं वह अत्यन्त चतुराई से दिये हैं मई के। अध्यक्ष महोदय, जून के महीने में दूध की सप्लाई में और भी कमी हुई है। और दुःख इस बात का है कि जैसा कि माननीय रामानन्द जी ने कहा है यह बात बिलकुल सही है कि जो दूध शाम को इकट्ठा होता है वह सुबह सप्लाई किया जाता है और सुबह का दूध शाम को सप्लाई किया जाता है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह जो योजना बनी थी वह जयपुर शहर को शुद्ध दूध सप्लाई करने के लिए बनी थी, लेकिन उस योजना के अन्तर्गत बासी दूध सप्लाई किया जाता हैं। दुःख इस बात का है कि दूध में पानी मिलाया जाता है, अध्यक्ष महोदय, और पानी के अलावा दूध ऐसा भी है जिसमें फेट निकालकर वह दूध भी यहां बेचा जाता है। माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए मेरा सवाल है प्रश्न है कि उनको व्यक्तिगत तौर पर भी इस प्रकार की जानकारी मैंने दी थी, और, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन में सूचना देना चाहूंगा कि दिनांक 17-5-67 को इस सम्बन्ध में वहां के एक लेखाधिकारी ने जयपुर दुग्धशाला के अधिकारी को एक पत्र लिखा उसमें इस बात का संकेत है कि 30-4-67 को 500 लीटर दूध का जो मक्खन निकाला गया है वह मक्खन, अध्यक्ष महोदय, आधा किलोग्राम निकाला गया है। आधा किलोग्राम मक्खन 500 लीटर दूध में से! जब कि आपके नियमानुसार जो फेट पर्सेन्टेज उसका टेस्ट होता है उसके अनुसार साढे सतरह किलोग्राम चिकनाई प्राप्त होना चाहिए। लेकिन 500 लीटर दूध में से केवल आधा किलोग्राम चिकनाई निकली है। इस सम्बन्ध में सूचना दी तो माननीय मंत्री महोदय, अन्दाज लगा सकते हैं कि कहां आधा किलो और कहां साढ़े सतरह किलोग्राम। 1:35 का डिफरेन्स है। आप अन्दाज लगा सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, पानी मिला हुआ दूध, फेट निकला हुआ दूध, बासी दूध जयपुर शहर को सप्लाई करते हैं कीमत बढाकर सप्लाई करते हैं। यह भी सारे शहर को सप्लाई नहीं करते हैं। तो यह बड़ा गंभीर मामला है जयपुर दुग्ध वितरण योजना के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की गम्भीर बातें अखबारों में आई हैं। फोटो स्टेट कापी आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा आर्डर्स की कापी चाहेंगे तो वह मैं आपको दे दूंगा। उनसे सम्बन्ध में जितने तथ्य आपको चाहिए वह पूरे डिटेल्स दूंगा, लेकिन माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि दूध जैसी चीज में किस तरह के घोटाले किये जाते हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों के स्वास्थ्य

Page No.41

(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)

को ध्यान में रखकर उसमें दिलचस्पी लें और सारे जयपुर शहर की दुग्ध वितरण योजना में जो धांधली हो रही है, बच्चों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस सारे मामले को, काण्ड को, घोटाले की जांच करायेंगे, ऐसा आश्वासन माननीय मंत्री महोदय सदन में देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। जो जानकारी हमारे पास में है वह मैं आपको दे दूंगा।

एक माननीय सदस्य : लेक्टोमीटर और मिनिस्टरों में क्या अन्तर है ? दोनों झूंठे रीडिंग देते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार को इसमें 50 हजार का घाटा होता है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : अध्यक्ष महोदय मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूं।

जहां तक जयपुर नगर दुग्ध वितरण योजना का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष, यह मानकर चलिये कि यह आपके भी अनुभव की बात है कि आप जयपुर के बाजारों में से गुजरे होंगे तो आपने बूथ पर लोगों की भीड़ देखी होगी। जो दूध सप्लाई किया जाता है जनता को तो कितने शर्म की बात है कि लोक सेवा की भावना को लेकर चलने वाली सरकार के टाइम में उस खाने के पदार्थ में इस प्रकार की मिलावट हो, और वह भी राज्य सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाय उस योजना में इस प्रकार की मिलावट हो जिसके बारे में काफी शिकायतें हैं तो मैं यह शिकायत माननीय खाद्य मंत्री से नहीं करता, मैं व्यक्तिगत रूप से परसरामजी मदेरणा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से वे इसमें इन्ट्रेस्ट लें...

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री दुर्गालाल बाड़दार : और इसको दूर करने की कोशिश करें। मानवता के नाम से इन्ट्रेस्ट लें, भगवान के नाम से व्यक्तिगत रूप से सोचना चाहिए और कम से कम जनता के बारे में अनुदारतापूर्ण व्यवहार को नहीं अपनाना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, दूध वितरण का जो काम है यह ह्यूमन कन्जम्प्शन की ऐसी कामोडिटी है जिसमें खट्टापन या बासीपन हो–ऐसे दूध को वितरित नहीं करना चाहिए। यह बात मैं भगवान के भरोसे नहीं छोड़ कर अपने हाथ में लेता हूं...

एक माननीय सदस्य : यह सरकार के भरोसे है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं खुद देखूंगा कि दुग्ध वितरण के मामले में किसी प्रकार से ऐसा दूध न दिया जाय जिस दूध में पानी मिला हुआ हो और एसिडिटी यदि 27-28 के बीच में होती है तो वह हानिकर होती है और वह सप्लाई नहीं हो। इसके साथ ही फेट 3, 5...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order! Order please!

श्री परसराम मदेरणा : 3, 5 पर्सेन्ट फेट होना चाहिए, यह है या नहीं। इसको भी दूध के वितरण में राज्य सरकार बहुत इम्पार्टेन्स देती है और राज्य सरकार

(श्री परसराम मदेरणा)
निश्चित तौर पर देखेगी कि दुग्ध–वितरण ठीक तरह से हो। अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि एक अकाउन्ट्स आफिसर ने, पर्टीक्यूलर क्वान्टिटी के दूध में कितना फेट होना चाहिए, इसके सम्बन्ध में आब्जेक्शन किया है। इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि कल रात ही आपने 9 बजे इत्तला दी थी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सका हूँ। मैं इसकी जांच अवश्य करूंगा कि यह जो आब्जेक्शन किया है अकाउन्ट्स आफिसर ने, वह कहां तक सही है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि फेट का पर्सेन्टेज 3, 5 होना चाहिये, 3, 5, पर्सेन्ट··

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : स्टेन्डर्ड के मुताबिक 4, 5 होना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : यदि उसमें अलग अलग पर्सेन्टेज घटता बढता है तो··

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : जो स्टेन्डर्ड है, फूड एडल्ट्रेशन नियमों में जो स्टेन्डर्ड नियत किया है उसमें 4, 5 पर्सेन्ट है, यदि इतना नहीं होता है तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका चालान होता है। दफा है 16/31।

श्री अध्यक्ष : चालू रखिये, मन्त्री महोदय!

श्री ·वर्नसिंह : क्या यह बात सही है कि कल या परसों आपने जो दूध पिया था उसमें इतनी खराबी थी कि आपको उल्टी हो गई थी ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं अध्यक्ष महोदय, भैंस और गाय रखता हूँ, इसलिए न तो मैंने यह दूध पिया है और न दही खाया है जिसके कारण मुझे उल्टी हुई हो। उल्टी होने का कारण दूसरा था। वैसे भी मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि यह दूध पीने या दही खाने से किसी को उल्टी हुई हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप डेयरी से दूध नहीं मंगाते हैं, आप तो घर का ताजा दूध पीते हैं।

श्री भीमसेन : 50 हजार का जो घाटा है, मन्त्री महोदय, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

दौसा में पीने के पानी की व्यवस्था

615. श्री डूंगाराम राजोरिया : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या कस्बा दौसा में पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है ? अगर नहीं, तो क्यों तथा इसके लिये सरकार निकट भविष्य में क्या कदम उठा रही है ?

(2) वर्तमान जन संख्या को देखते हुए कितना पानी मिलना चाहिए तथा कितना मिल पा रहा है ?

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। जितना पानी उपलब्ध होता है उतना वितरण किया जा रहा है। विभाग ने योजना का पुनर्गठन करने हेतु 1,043,-000 रुपये की एक योजना बनाई है।

(2) लगभग तीन लाख गैलन–लगभग 75,000 से 80,000 गैलन पानी प्रति दिन वितरण किया जा रहा है।

रोडवेज वर्कशाप में अधिकारियों के पद

616. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि रोडवेज के जयपुर वर्कशाप में दो तीन वर्ष पूर्व 3 अधिकारी थे और अब 13 हैं।

(2) क्या यह सही है कि अधिकारियों के अनुपात में कारीगर कम होने से काम कम हो पाता है ?

(3) इतने अधिक अधिकारी क्यों रखे गये हैं ?

(4) इस वर्ष वर्कशाप के पदों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा भी करें।

उत्तर

(1) यह सही है कि रोडवेज के जयपुर वर्कशाप में दो–तीन वर्ष पूर्व तीन अधिकारी ही कार्य करते थे, लेकिन यह सही नहीं है कि वर्तमान काल में जयपुर वर्कशाप में 13 अधिकारी कार्य कर रहे हैं। बल्कि आजकल जयपुर वर्कशाप में 3 अधिकारी केन्द्रीय कार्यशाला में तथा एक अधिकारी आगार कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) अधिकारी आवश्यकतानुसार ही रखे गये हैं। अधिक नहीं।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

सोजत सिटी–बिलाड़ा सड़क

619. श्री पुखराज कालाणी (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सोजत सिटी व बिलाड़ा को जो सड़क जाती है, उसका निर्माण कब हुआ था व यह सड़क किस श्रेणी की सड़क है ?

(2) पिछले तीन वर्षों में सरकार के बजट में इस सड़क पर मरम्मत के लिये कितना रुपया खर्च हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि सड़क इस समय बहुत लम्बे हिस्से में इतनी खराब है कि उस पर साधारणतया गाड़ियां नहीं चल सकतीं ? यदि हां, तो सरकार निकट भविष्य में इस सड़क को नये रूप से निर्माण कराने का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सड़क पुरानी व ग्रेवल की है।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) 1964–65 में 2753)
1965–66 में 5101)
1966–67 में 1755)
मरम्मत पर खर्च हुआ है ।

(3) सड़क की हालत अधिक संतोषजनक नहीं है । आवागमन योग्य है । जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर विकास मण्डल, जयपुर द्वारा प्लाटों का वितरण

62. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 जनवरी सन् 1967 से लेकर अब तक नगर विकास मण्डल, जयपुर द्वारा किस किस व्यक्ति को कब कितने क्षेत्र का व किस किस कीमत में प्लाट दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) जिन व्यक्तियों को यह प्लाट दिये गये उनके आवेदन-पत्र विकास मण्डल के रजिस्टर में किस किस तारीख को दर्ज हुये है ?

(3) यह प्लाट मण्डल के किस किस तारीख की बैठक के प्रस्तावों के अनुसार दिये गये हैं ? इन बैठकों में कौन कौन सदस्य उपस्थित थे ? कृपया कार्यवाही के विवरण के सम्बन्धित अंशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) यह प्लाट्स किस किस भूखण्ड में दिये गये तथा यह भू-खण्ड मण्डल द्वारा प्रस्तावित और सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत आते हैं ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बरेह–कछियारा सड़क

63. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजाखेड़ा तहसील में बरेह से कछियारा जाने वाले मार्ग पर सड़क निर्माण करने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह काम योजना में मंजूर नहीं है । धन की कमी के कारण ।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रावास

64. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कहां कहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के छात्रावास है ? उनमें से कहां कहां के छात्रावास सहायता प्राप्त हैं और कहां कहां विभाग द्वारा चलाये जाते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) उपरोक्त दोनों प्रकार के छात्रावासों में सामान्यतया क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्लाट्स का अलाटमेंट प्रतापगढ़

6 . श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश चित्तौड़गढ़ ने प्रतापगढ़ नगरपालिका को भूमि रैवेन्यू से निकाल कर शहर की आबादी के लिये स्थानान्तर कर दी है ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि के प्लाट काट कर वहां के निवासियों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने प्लॉट दिये गये और किस तारीख को ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

चूरू जिले में पेय जल की व्यवस्था

66. श्री रावतराम (छापर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में किन किन गांवों में पेय जल के लिए नल कूप खोदे गये और उनमें कितनी फुट पर पानी मिला ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कुल खोदे गये नल कूपों में कितने सफल रहे और उनमें कितनी मात्रा में पानी मिला ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में अब तक 35 गांवों में पेय जल के लिए नल कूप खोदे गये हैं। डिटेल्स संलग्न सूची में उपलब्ध हैं।

(2) कुल खोदे गये कुओं में से 19 सफल रहे। सफल कुओं में कितनी मात्रा में पानी मिला इसकी जानकारी सूची में दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

आदिवासी छात्रावासों पर व्यय

67. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील किशनगंज शाहबाद, जिला कोटा में कितने आदिवासी छात्रावास हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वह छात्र छात्रावास से 6 मील दूर स्थित गांव या इससे भी अधिक दूर का होना चाहिए ?

(3) उक्त छात्रावासों के ऊपर राज्य सरकार सालाना कितनी धनराशि खर्च करती है ?

Page No.46

(श्री नन्दलाल)

(4) उक्त आदिवासी छात्रावासों में कितने छात्र हैं ?

उत्तर

(1) तहसील किशनगंज शाहबाद में अनूसूचित जन जाति स्कीम में दो छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

स्थान छात्रावास	तहसील
केलवाड़ा	शाहबाद
किशनगंज	किशनगंज

(2) छात्रावास जहां स्थित हैं वहां से 5 माइल से कम दूरी पर रहने वाले छात्रों को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाने का नियम है। नियमानुसार 5 माइल से कम दूरी पर रहने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। मेहतरों के लिये इसमें छूट है।

(3) उपरोक्त दोनों छात्रावासों पर वार्षिक खर्चे का ब्योरा एवरेज के हिसाब से निम्नांकित होता है :—

1960–61	1961–62	1962–63
13850)	20200)	19200)

1963–64	1964–65	1965–66
18400)	24800)	27065)

1966–67
30360)

(4) उपरोक्त दोनों छात्रावासों की छात्र संख्या 75 है।

नोखा तहसील के ग्रामों को कुएं निर्माण हेतु दी गई धनराशि

68. श्री चुन्नीलाल इंदालिया (नोखा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जिले की नोखा तहसील के ग्राम मैनसर, मुंडछ, दुदावास, बिलणियासर, बग सेऊ, गोदूसर, व जैसलमेर में सरकार ने कृषि कार्यों हेतु (सिंचाई के लिए) कुए बनाने के लिये कितनी धनराशि मंजूर की तथा अब तक कितनी राशि कौन कौन से ग्रामों में कुओं हेतु दी गई है ? और अब आगे किन किन ग्रामों के कुए बनाने हेतु कितनी राशि और देने का विचार है ? यह राशि कब तक दी जायेगी ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पडिहारा में चीनी का वितरण

69. श्री लाभचन्द बैद (सुजानगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चूरू जिला स्थित पडिहारा में इस वर्ष वैशाख शुक्ला तीज के दिन विवाहों के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को चीनी दी गई व कितनी मात्रा में दी गई व चीनी देने में प्राथमिकता किस आधार पर दी गई है ?

उत्तर

5 व्यक्तियों को चीनी के स्पेशल परमिट दिये गये चीनी की कुल मात्रा 80 किलो 4 व्यक्तियों को 15 किलो प्रति व्यक्ति तथा एक को 20 किलो दी गई। चीनी देने का आधार पहले आये पहले पाये था।

(9.55 म. पू.)

सदन के कार्यक्रम सम्बन्धी चर्चा

श्री अध्यक्ष : चूंकि आज विधायी कार्य अत्यधिक है, करीब चार मंत्रियों के द्वारा वक्तव्य है और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव करीब दो हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि विनियोग विधेयक को पहले ले लिया जाय और इसके बाद में वक्तव्य आदि लिये जायं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : प्रस्ताव पहले आ जायं।

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please ! !

माननीय सदस्यों के दिमाग में शंका हो सकती है कि समय कम मिलेगा बाद में। इसलिए अगर अनुमति हो माननीय सदस्यों की तो सैकिंड सिटिंग सदन की हो सकती है समय के अभाव में जो प्रश्न रह जायं तो सैकिंड सिटिंग में हो जायं।

श्री भैरोंसिह : पहले तय कर लिया जाय कि सैकिंड सिटिंग है या नहीं है। बाद में इस प्रश्न को लिया जाय। पहले यह तय हो जाय कि सैकिंड सिटिंग है या नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : नहीं होनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एतराज नहीं है हमें तो।

श्री अध्यक्ष : एक घण्टे का ब्रेक करके सैकिंड सिटिंग कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने बजे ?

श्री अध्यक्ष : सैकिंड सिटिंग एक घण्टा ब्रेक करके हो सकती है।

श्री भैरोंसिह : यह हाउस कितने बजे एडजॉर्न होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : सैकिंड सिटिंग की आवश्यकता नहीं है, काफी टाइम मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्यवस्था हो गई है।

श्री दामोदर लाल व्यास : व्यवस्था नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि यदि सदन की अनुमति हो····

श्री भैरोंसिह : आपको याद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक घण्टा ब्रेक करके सैकिंड सिटिंग हो सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप आसन का तो सम्मान रखिये। आसन ने यह व्यवस्था दी है कि क्योंकि विधायी काम ज्यादा है इसलिए इस सिटिंग के एडजॉर्न होने के बाद, एक घंटे के बाद सैकिंड सिटिंग हो सकती है। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आसन ने यह व्यवस्था दी है तो आसन की व्यवस्था के प्रति सम्मान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले ले लेता हूं सारे वक्तव्य !

श्री भैरोंसिह नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी आपने व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष : ट्रेजरी बैंचेज को इन-कन्वीनियेन्स हो रही है। मैं माननीय सदस्यों की अनुमति लेना चाहता था, उसमें चूंकि

(श्री अध्यक्ष)
विरोध हुआ है इसलिए मैं निर्णय नही दे सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विरोध नही हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आसन किसी संदर्भ में कोई अनुमति दे दे, और अब अध्यक्ष महोदय उसी आसन से उस अनुमति को वापिस ले लें—मैं समझता हूं, इसका कोई कारण मुझे नहीं लगता है । ट्रेजरी बैंचेज को इस सम्बन्ध में नहीं घबराना चाहिए क्योंकि आज काफी इम्पोर्टेन्ट मोशन्स हैं । वैसे भी विधान सभा पन्द्रह दिन तक और बैठने वाली थी । आज बैठ कर सारा काम डिस्पोज आफ करें तो उसमें दिक्कत क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : आज सुबह का सदन इसलिए ही रखा गया था कि कई माननीय सदस्य जाने वाले थे ।

श्री भैरोंसिंह : यह तय नहीं था पहले ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तय नहीं था पहले । इसको आप हमारी महरबानी मान लीजिये कि हमने पॉइन्ट ऑफ आर्डर रेज नहीं किया । कल हाउस को ग्यारह बजे तक के लिए पहले एडजोर्न कर दिया था, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि आठ बजे का टाइम रखा जाय । वैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने भी इस मामले में कोई तय नहीं किया था लेकिन हमने उदारतापूर्वक इस सम्बन्ध में एजीटेट नहीं किया । अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है, उसका आपको सम्मान रखना चाहिए । हम भी आसन की व्यवस्था का सम्मान रखते हैं, इसलिए ही हमने टाइम के मामले में एजीटेट नहीं किया नहीं तो पहले तो 11 बजे के लिए किया था, आठ बजे के लिए पहले तय नहीं हुआ था, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने भी इसके लिए तय नहीं किया था फिर भी हम 11 बजे के बजाय 8 बजे की व्यवस्था को मान कर चले, क्योंकि हम आसन का असम्मान नही करना चाहते ।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्योंकि 8 बजे का पहले तय नहीं था इसलिए ही बसेज नहीं पहुंची सुबह !

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : "The proposed matter shall be raised after the questions and before the list of business is entered upon and at no other time during the sitting of the House."

श्री अध्यक्ष : नियम ?

श्री पी. के. चौधरी : 131.
"The proposed matter shall be raised after the questions and before the list of business is entered upon and at no other time during the sitting of the House."

मैं निवेदन करूंगा कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं उनको आप अभी ले लीजिये ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब पर इस बात की पाबन्दी नहीं होती है और वह कभी किसी रूल को रिलेक्स कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : दो बजे सैकिंड सिटिंग पर और मीट करेंगे।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य : हिअर! हिअर!

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, लेवी के प्रश्न पर उत्तर दिलाने का आदेश दिया था। जो लेवी का प्रश्न था उसका उत्तर आज दिलवाने का किया था। इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय··

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि··

श्री पी. के. चौधरी : On a Point of order.

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर दूं कि··

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ ओर्डर है, माननीय सदस्य!

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो, तो दूसरे बिजनेस को लेने से पहले क्वेश्चन आवर के बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेने चाहिए। रूल 131 है।

श्री अध्यक्ष : This is deemed to have been relaxed.

श्री भैरोंसिंह : पहले स्टेटमेंट होंगे, अध्यक्ष महोदय! स्टेटमेंट होंगे और फिर काल अटेन्शन के प्रस्ताव होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : पहले बिल है उसके बाद में दूसरा बिजनेस होगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री पी. के. चौधरी : मुझे जानकारी दी जाय कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कब लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं (व्यवधान) Order please! मैंने माननीय सदस्यों को सूचना दी थी कि क्योंकि विधायी कार्य अधिक है, नम्बर एक, विधायी कार्य आज अधिक है, विधायी कार्य में मंत्रियों के चार वक्तव्य बतलाये. उसके बाद में दूसरा, दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इस आधार पर निवेदन किया था कि विधेयक पहले ले लिया जाय और उसके बाद में (व्यवधान) आर्डर प्लीज! इस आधार पर मैंने सैकिंड सिटिंग के लिए आग्रह किया था। चूंकि हम इन दूसरे विधायी कार्यों को इस वक्त न ले सकेंगे इसलिए सैकिंड सिटिंग में ले लें। समय ज्यादा लगने का है इस कार्य में इसलिए सैकिंड सिटिंग की व्यवस्था की गई है। ऐसी स्थिति में विधेयक विनियोग विधेयक पहले ले लेना चाहिए।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : Order please! समय बच जाय तो विनियोग विधेयक पास होने के बाद, समय बच जाये तो इन्हें उस वक्त ले लें और समय अधिक लगेगा तो सैकिंड सिटिंग में ले लेंगे। यह व्यवस्था है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह नहीं है कि सैकिंड सिटिंग हो रही है या नहीं, लेकिन शासन की तरफ से जो व्यवस्था दी गई

Page No.50

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है उससे डेविएट होने की जरूरत नहीं है। रूल्स में यह कहा गया है कि किसी विधेयक को लेने से पहले काल अटेंशन मोशन, एडजोर्नमेन्ट मोशन आदि पहले लिये जायं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने व्यवस्था दे दी है कि सैकिंड सिटिंग हो सकती है, तो उसके बाद मे रूलिंग से डेविएट करने की आवश्यकता नहीं रहती है। मैं निवेदन करूंगा कि एप्रोप्रियेशन बिल सैकिंड सिटिंग में ले लीजिये और बाकी काम अभी ले लिजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि इससे असुविधा पैदा होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : असुविधा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : Order please ! मन्तव्य स्पष्ट था और उसे सारे माननीय सदस्यों ने समझा, और उनकी भावना, मुझे बड़ा विश्वास है इस प्रश्न के आधार पर ही सैकिंड सिटिंग के लिए निवेदन किया। पहले उस पर ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से विरोध हुआ था, लेकिन बाद में कन्सेन्ट दिया, उसके बाद में पाइन्ट आफ आर्डर उठाया तो रूल को रिलेक्स किये जाने का आदेश दिया। ऐसी स्थिति में पूरा प्रश्न हल हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा, इसमें असुविधा आगे के लिए नहीं हो सकती और जिस काम के लिए अर्ज किया है उस काम से जारी रखें।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि विधेयक के लिए सैकिंड सिटिंग हो सकती है। उसी तरह मेरा निवेदन है कि जो नियम है उनके अनुसार दूसरा बिजनेस लें उसके पहले काल अटेन्शन मोशन और स्टेटमेंट आदि पहले ले लिये जायें।

श्री दामोदर लाल व्यास : यह जरूरी नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : और रूल को रिलेक्स करने का कोई कारण नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले ले लिये जायें....

(१० म० पू०)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पोइन्ट आफ आर्डर रेज किया कि 13 रूल के अनुसार काल अटेन्शन नोटिस ही पहले लिया जावे और उसे लेने से पहले कोई दूसरा बिजनेस नहीं लिया जावे और मैं इसको सपोर्ट करता हूं। हम सपोर्ट करते हैं और उस समय भी किया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, नियमों से डीविएट करने का कोई कारण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज आर्डर !

लेकिन मैंने इस पर रूलिंग दे दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस पर ?

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य ने जो पोइन्ट आफ आर्डर उठाया उसके बारे में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोइन्ट आफ आॅर्डर पर रूलिंग नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस रूल को रिलेक्स किया है।

Page No.51

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस का कोई मोशन नहीं है। अनेक माननीय सदस्य इस खयाल में हो सकते हैं कि सदन 11 बजे से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार होगा और वे शाम को तीन बजे तक यहां पर हाजिर हों। फिर कल 11 बजे के लिए एडजोर्न हुआ। उस हिसाब से भी चार बजे मीट करते। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 19 तारीख को 11 बजे के लिए रखा था। अगर सरकार 8 बजे रखना चाहती तो उस समय बिजनेस एडवाइजरी में 8 बजे कर लेती। मगर नहीं लिया गया। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको पहले से लिया जावे। हम ज्यादा से ज्यादा कोआपरेट करेंगे और हम चार छै घंटे में एप्रोप्रियेशन बिल की डिबेट को समाप्त कर देंगे। इसलिए यह जो शंका है कि हमें ज्यादा बैठना पड़ेगा वह नौबत नहीं आवेगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसका एक बाया मीडिया सजेस्ट करता हूं। एडजोर्नमेंट मोशन, काल एटेन्शन आदि में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी ज्यादा समय लगे तो एप्रोप्रियेशन बिल को मूव किया जाता है तो उसका रिप्लाई सेकिन्ड सिटिंग में हो जावेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कई माननीय सदस्यों को हमारी तरफ से शादियों में जाना है। इसलिए पहले इसको ले लिया जावे तो अच्छा होगा।

श्री मदनसिंह दांता : आपको जाने से कोई नहीं रोकता है। आप अभी भी पधारना चाहें तो पधार सकते हैं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order ! ! मैं जिस क्रम में विधि कार्य है उसके मुताबिक लेता हूं। और उसके साथ सेकिन्ड सिटिंग का प्रश्न है वह विचारणीय रहता है।

श्री भैरोंसिंह : बार बार चेयर डिसिजन नहीं बदलती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पी० के० चौधरी ने एक रूल के प्रश्न के बारे में एतराज उठाया। मैंने देखा कि सस्पेन्शन होता है, it is based on a motion. I correct Myself. उसी हिसाब से इस कार्यक्रम में चलना चाहिये। इस बात पर कन्ट्रोवर्सी थी कि सेकिन्ड सिटिंग हो। अगर यह नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सेकिन्ड सिटिंग होगा नहीं उसको विचाराधीन रखा जावे। यदि यह समाप्त नहीं होता है तो पुनः यह प्रश्न रखा जावे।

श्री पी. के चौधरी : Relaxation was for the first sitting and not for the second sitting.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सिद्धान्त की बात निवेदन करना चाहता हूं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अमुक तारीखें सदन की मीटिंगों के लिये सदन के सामने रखती है और वह कार्यक्रम सदन मंजूर करता है। उस कार्यक्रम में साधारणतया तबदील नहीं होनी चाहिए। उसमें सदन का समय 11 बजे से 5 बजे तक

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

का रखा। उसको भी एकाएक इस सदन की परम्पराओं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की परम्पराओं के विपरीत सदन को एकाएक 8 बजे बदला गया यह भी मेरे खयाल से एक सिद्धान्त के विपरीत है। इसमें बहुत से लोगों को असुविधा हुई। ऐसा नहीं होना चाहिये।

इस सदन की परम्परा रही है कि लन्च आवर्स नहीं होंगे। इस सदन की परम्परा कायम रहे इसलिए आप इस पर पुनः विचार करेंगे। इसलिए अन्त तो गया आप यह भी समस्या सदन के समक्ष रखें कि लंच आवर्स होंगे या नहीं। दूसरी सिटिंग होगी या नहीं यह भी अनिश्चित है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब से निवेदन करूंगा कि कन्टीन्युअस सिटिंग की परम्परा है जो बदस्तूर रहनी चाहिये और मेरे खयाल से इसमें कोई तब्दीली करते हैं तो सदन की इच्छा के विपरीत नहीं कर सकते। और मैं यह कहूंगा कि वह भी सर्व सम्मति के बगैर नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कार्यक्रम के सम्बन्ध में पुरजोर निवेदन है कि सामान्य बुद्धि के अनुसार भी आपके द्वारा एक निर्णय दिया जावे उस पर पुनः विचार करें और मैं समझता हूं कि यह शासन और सदन की प्रतिष्ठा के विपरीत है। We should adhere to the programme.

जो भी परम्पराएं हैं उनके अनुसार अगर नहीं होगा तो यह खेद जनक है।

श्री पी. के चौधरी : काल एटेनशन नोटिस पहले आना चाहिये धारा 131 रूल आफ बिजनेस के अनुसार।

श्री अध्यक्ष : This is only a formal motion.

श्री पी. चौधरी : विधायी कार्यों से पहले··

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है कि पुरः स्थापित करेंगे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, You mean call attention notice must have preference over the statements?

श्री पी. के. चौधरी : Yes Sir, Statements and legislation.

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभारी मन्त्री, आप बोलिये।

श्री फूलचन्द बाफना : On point of Order, Sir, आपने वचन दिया था..

श्री अध्यक्ष : वचन तो पोइन्ट आफ आर्डर में नहीं आते। मैं आप से बात··

श्री फूलचन्द बाफना : आपने चेम्बर में कहा था..

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर की बात यहां लाते हैं। वहां मैं आपसे बात कर लेता हूं इसका मतलब यह है कि मैं मौन रहूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चेम्बर में आते हैं तो आपसे कहते हैं··

श्री अध्यक्ष : मैं चेम्बर में आपसे बात कर लेता हूं। अब मैं मौन रहूंगा जब आप आवेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : पोइन्ट आफ आर्डर सर, चेम्बर में आ कर बात करें यहां कही जावे··

Page No.53

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हम थोड़ा सा सीरियस मेटर लेते हैं। मैं अपसे बातचीत कर लेता हूं उस पर प्रतिबन्ध न लगावें।

श्री रामकिशन : भरतपुर में पानी की व्यवस्था के बारे में आपने व्यवस्था दी थी आज वह भी हो रहा है क्या ?

श्री अध्यक्ष : हां हां। आप बैठिये। भरतपुर में पानी की कमी की व्यवस्था है।

श्री रामकिशन : आज है ?

श्री अध्यक्ष : हां। आज है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, विधायी कार्य लिया जाय उससे पहले मेरे विशेषाधिकार प्रश्न के सम्बन्ध में आपने कल फरमाया था कि मैं देख कर निर्णय दूंगा।....

श्री अध्यक्ष : मैं स्टेडी कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ा नेशनल-इश्यू है।

श्री अध्यक्ष : नेशनल इश्यू है। इसी लिये मेरा उस पर अध्ययन चल रहा है।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1967 का पुरः स्थापन

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1967 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी गई।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(10.11 म. पू.)

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

सी. आई. ए. द्वारा गत आम चुनाव में राजनैतिक दलों को आर्थिक सहायता दिये जाने सम्बन्धी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय··

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir. फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने काल अटेन्शन का जिक्र करने की अनुमति मांगी है उससे पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : पाइण्ट आफ आर्डर से निवेदन नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : सदन को निवेदन नहीं करूंगा तो क्या बाहर जाकर निवेदन करूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय,··

श्री भैरोंसिंह : पोइन्ट आफ आर्डर मैं इस सम्बन्ध में रेज कर रहा हूं कि जिस तरह के नोटिस की सूचना दी गई है वह नेशन के साथ बहुत बड़ा स्कैन्डल है, नेशन

(श्री भैरोंसिंह)

की प्रेस्टिज को हिट करने वाला है। इस बात को मैं ही नहीं कहता भारत के गृह मन्त्री ने लोक सभा में इसे स्वीकार किया है कि अमेरिका में इस प्रकार का न्यूयार्क के टाइम्स में समाचार छपने से हिन्दुस्तान की पोलिटिकल पार्टीज पर आघात पहुंचा है, हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी पर आघात पहुंचा है। लोक सभा में हिन्दुस्तान की सब पोलिटिकल पार्टीज ने इस पर रोश प्रकट किया है, इस पाइन्ट को गृह मन्त्री ने स्वीकार किया है कि ऐसे प्रश्न पर सारी राजनैतिक पार्टीज को गम्भीरता से विचार करना है..

श्री पी के. चौधरी : Point of order Sir. How can he anticipate the discussion.

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके लिये पत्थर नहीं छोड़ने वाला हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य को अभी पोइन्ट आफ आर्डर रेज करने की अनुमति नहीं देता। यह जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, माननीय श्री भैरोंसिंह जी, मेरे ख्याल से इस प्रस्ताव का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इसी आशय का प्रस्ताव लोकसभा में आया और वहां पर भी चिन्ता व्यक्त की गई। माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, इस चिन्ता पर बड़ी सीमा में इस प्रश्न को लोक सभा में लाया गया है। ऐसी स्थिति में........

श्री अध्यक्ष : No point of order arises when the Chair is on its legs.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He should read rules.

श्री अध्यक्ष : ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी का पोइन्ट आफ आर्डर नहीं मानता। यह चिन्ता और व्याकुलता है, राष्ट्रीय चिन्ता के रूप में मैं मानता हूं और मैं समझता हूं सदन आपकी व्याकुलता और चिन्ता के सन्दर्भ में इस प्रश्न को लेगा।

श्री भैरोंसिंह : Point of order. Sir.

श्री पी. के. चौधरी : पोइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंहजी, पाइन्ट आफ आर्डर पी. के. चौधरी ने पहले उठाया है।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 264 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। "No member shall anticipate the discussion of any subject of which notice has been given.." इसलिये जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पोइन्ट आफ आर्डर उठाया है, वह नहीं उठा सकते, जब तक मैं ध्यान आकर्षण पेश करता हूं तब तक कुछ भी कहने का अधिकार माननीय सदस्य को नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दें उससे पहले..

श्री पी. के. चौधरी : पहले पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पेश किया उसकी व्यवस्था होने दें।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोइन्ट ऑफ आर्डर पर अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दें उससे पहले अध्यक्ष महोदय को हम निवेदन कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो रूल क्वोट किया है उसी रूल की गिरफ्त में माननीय सदस्य आते हैं। वह रूल मैं पढ़ कर सुनाता हूं। रूल्स के मामले में, हम भी जानते हैं, आप कांग्रेस में बैठे हैं, हम भी ओपोजिशन में बैठे हैं :

'No member shall anticipate the discussion of any subject of which notice has been given.'

यहीं तक पढ़ दिया...

"Provided that in determining whether a discussion is out of order on the ground of aticipation, regard shall be had by the Speaker to the probability of the matter aticipated being brought before the house within a reasonable time."

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह नहीं कह सकते कि डिस्कशन को एन्टीसिपेट नहीं कर सकते। डिस्कशन को एन्टीसिपेट करके अगर शासन को इस बारे में जानकारी देना चाहें कि इस प्रकार का प्रश्न उठाया जा रहा है, और डिस्कशन उठाया जा रहा है, वह इस सदन की पर्व्यू के बाहर है, सदन की स्कोप में नहीं आता....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपका एन्टरप्रिटेशन समझ लिया है, माननीय सदस्य का इन्टरप्रिटेशन भी समझ लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है वह गलत किया है।

श्री पी. के. चौधरी : It is correct.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वैसे तो माननीय सदस्य इस डिस्कशन को जितना पोलिटिकल बनाना चाहेंगे, दुर्भाग्य होगा लोकतंत्र का और देश का, इस तरह से पोलिटिकल पार्टीज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं...

श्री पी. के. चौधरी : How can you anticipate ? मैं इसे पोलिटिकल बना रहा हूं, यह आप कैसे एन्टीसिपेट करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अमेरिका के एजेंट हैं उनसे यही एक्स्पेक्ट करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : देश के गद्दारों को एक्स्पोज करना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : देश के गद्दारों को इस सदन में एक्स्पोज किया, कागज सदन में पेश किया है, पर आज तक क्या किया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 15–16 जून की लोकसभा की सीटिंग्स में, न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट का आ गया है, इसलिए इस पर इस सदन में डिस्कशन नहीं करना चाहिये।

Page No.56

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी !

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं सी. आई. ए. द्वारा गत आम चुनाव में कुछ राजनैतिक दलों को आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी विषय पर, प्रक्रिया तथ कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

इस सबंध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने से पहले सी. आइ. ए. के संबंध में बताना चाहूंगा। यह सेंट्रल इंटेलिजेंस अमेरिका की एजेंसी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir. अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान रूल 131 की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसके तहत कि माननीय सदस्य ने यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया है :

"(1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date."

अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था इतनी ही है :

"(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made."

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। नियमों को दोहाई दी जाती है तो इस सचिवालय के द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के लिए इस प्रकार का कागज दिया हुआ है, उसमें इतना ही लिखा हुआ है : अध्यक्ष महोदय, फलाने फलाने की तरफ मैं मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके बाद गवर्नमेंट का स्टेटमेंट होगा। इतना ही केवल आपका कहना है कि इसके बाद स्टेटमेंट होगा सरकार की तरफ से उसके बाद यद्यपि डिबेट नहीं होती है लेकिन अध्यक्ष महोदय उसके बाद आवश्यक समझें तो अनुमति दे सकते हैं। लेकिन पहले ध्यान आकर्षित किया जायगा, सरकार का स्टेटमेंट होगा, उसके बाद चाहें तो स्टेटमेंट दे सकते हैं, उससे पहले नहीं।

श्री पी. के चौधरी : मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं लेकिन साथ ही साथ जिन एक्टिविटीज पर ध्यान आकर्षित करता हूं वह चीज मैं सामने नहीं रखता। वह सिर्फ स्टेटमेंट के पाइंट आफ व्यू से नहीं होता है। इसमें कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं, प्रत्येक सदस्य को प्रकाश डालने का मौका दिया गया है..

श्री अध्यक्ष : "Call the attention of the Minister" Does it include discussion and speech ?

श्री पी. के. चौधरी : Not discussion Sir But it includes the right of a member to narrate the subject matter to which he is drawing the attention. इस सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर प्रत्येक मेम्बर को मौका दिया गया है..

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय सदस्य एक मिनट के लिए बोलें..

Page No.57

श्री पी. के. चौधरी : विरोधी दल के नेता, कृपया ध्यान ग्रहण करें, मैं बोल रहा हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आपके लिए ही कुछ कहना चाहता हूं जिससे इस व्यवस्था के प्रश्न का खुलासा हो सके।

श्री पी. के. चौधरी : सी. आई. ए. एजेंसीज पर अमेरिका का शासन तंत्र है उसका हाथ रहता है, मैं मिसाल के तौर पर..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 127 और 131 दोनों की हैडलाइन्स एक ही प्रकार की हैं:

127. "Discussion on matters of urgent public importance for short duration."

131. "Calling attention to matters of urgent public importance."

डिस्कशन ऑन मैटर्स आफ अरजेंट पब्लिक इम्पोर्टेन्स। नियम 131 केवल ध्यान आकर्षण का है और 127 में डिस्कशन है। 131 में डिस्कशन नहीं है और 127 में डिस्कशन है।

श्री पी. के. चौधरी : यहां कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पॉइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं। आप बाद में कह दें जो कुछ आपको कहना है नियम 127 और 131 दोनों अरजेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स के बारे में हैं। 127 में डिस्कशन है और 131 में केवल अटेन्शन काल करने की बात है। अगर माननीय सदस्य इस प्रश्न को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं तो 127 के तहत दो माननीय सदस्यों से दस्तखत करा कर दो घंटे की चर्चा उठा सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, आप चर्चा करें। अध्यक्ष महोदय उसको एडमिट करें, वह अलग सवाल होगा लेकिन पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि 131 के अन्तर्गत जो भी इसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसमें माननीय सदस्य केवल सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, स्वयं स्टेटमेंट नहीं दे सकते। सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आयेगा। उसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से कोई स्पष्टीकरण या जो कुछ आप कहना चाहें अध्यक्ष की अनुमति से कह सकते हैं लेकिन कम से कम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद आप कोई भाषण इस सदन में नहीं दे सकते।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Debate is debarred, but discussion is allowed.

127 और 131 के अन्तर्गत बहुत सब्टिल अन्तर है मैं मानता हूं और इसमें कोई डर नहीं है कि माननीय सदस्य अगर काल अटेन्शन करना चाहें तो वह मेरे ख्याल से प्रिलिमनरी आबजरवेशन के साथ काल अटेन्शन बराबर सदन का करें सेल्येंट फीचर्स जो इस सम्बन्ध में हैं, आप कह सकते हैं। इस सम्बन्ध में डिबेट नहीं होनी चाहिये लेकिन डिस्कशन बराबर होनी चाहिए। माननीय सदस्य खड़े होकर जो कुछ भी उनको वक्तव्य देना है, दे दें उसके बाद हम भी अपने विचार व्यक्त करेंगे लेकिन डिस्कशन के रूप में हो, डिबेट के रूप में न हो, डिस्कशन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
और डिबेट में बहुत सब्टल अन्तर है लेकिन डिस्कशन काल अटेन्शन नोटिस पर विचार नहीं हो सकता....

श्री अध्यक्ष : मैंने पाइन्ट आफ आर्डर समझ लिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): नियम 131 में कालिंग अटेन्शन है। मेरी इस सम्बन्ध में निश्चित राय है कि केवल माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित कर सकेंगे। परन्तु साथ में ही वह किन पाइन्ट्स को विशेषतौर से ध्यान आकर्षण का केन्द्र बनाना चाहते हैं। उन पाइन्ट्स को भी स्पेसीफिकली कह सकते हैं। मैं विरोधी दल के नेता की राय से इत्तफाक करता हूं कि वह डिबेट शुरू नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे परन्तु while calling the attention of the Minister, उन पाइन्ट्स को रख सकेंगे उन प्रश्नों को ले सकेंगे जिन पर वह स्पेशल तरीके से स्ट्रेस करना चाहेंगे, डिबेट और डिस्कशन नहीं करेंगे। अब तक इस सदन की परम्परा रही है, अब तक जितनी प्रोसीडिंग उठाकर देंगे, जहां तक मेरी गति जाती है, उसके अनुसार मेरा नम्र निवेदन है कि आज जो कालिंग अटेन्शन मोशन प्रस्तुत हुआ है, उसके ... में माननीय सदस्य जिन पाइन्ट्स पर विशेष जोर देना चाहें, उनको अपनी बातें कहने का मौका दिया जाय, डिबेट चालू करने को या वक्तव्य देने की ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को उन पाइन्ट्स को रेज करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए और यही इस रूल की सही व्यवस्था होगी।

श्री अध्यक्ष : मैं भी सदन का बार बार ध्यान आकर्षित करता रहा हूं कि हमारे रूल्स के संबंधित जो नियम हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए और मुझे अवसर मिल गया है कि मैं इस पर अपनी सम्मति रूल्स के अन्तर्गत दूं, इस व्यवस्था के प्रश्न पर और साथ ही जो अन्य व्यवस्थायें इस संबंध में रूल्स में हैं उन पर भी प्रकाश डालूं। मैंने कई बार माननीय सदस्यों से निवेदन किया था, उदाहरण के लिए स्थगन प्रस्ताव इस पर डिबेट और उस पर भी मैंने व्यवस्थायें दीं। इसी संदर्भ में माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि रूल्स के इन्टरप्रेटेशन, रूल्स की स्पिरिट को यदि सही माइने में देखा जाय और जो उनका अर्थ निकलता है, उनका अनुकरण किया जाय, तो परम्पराओं का पालन कर सकेंगे। माननीय श्री चौधरी ने पाइन्ट आफ आर्डर 131 के अन्तर्गत....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाइन्ट आफ आर्डर मेरा है।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य का पाइन्ट आफ आर्डर है। इस सम्बन्ध में दो रूल्स 131 और 128 पर प्रकाश डाला गया है माननीय सदस्यों द्वारा। दूसरे रूल 131 को 127 व 128 से इस प्रश्न को सम्बन्धित नहीं समझता। "Calling attention to matters of urgent public importance" यह भिन्न प्रकरण है, "Discussion on matters of urgent public importance for short duration. हाफ एन अवर की पाइन्ट पर यह है इसलिए माननीय श्री चौधरी ने जो प्रश्न उठाया है, वह 131 के अन्तर्गत आता है और 127 व 128 इस पर एप्लीकेबुल नहीं है। अब मैं रूल 131 को माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए पढ़ता हूं और इस

Page No.59

(श्री अध्यक्ष)

रूल के अन्तर्गत जो वर्तमान स्टेज पर आपत्ति का प्रश्न उठाया है, व्यवस्था का प्रश्न, वह कहां तक न्यायसंगत है कहां तक नहीं पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मेटर और अटेन्शन आफ दी मिनिस्टर दोनों इस पर काल किये गये।

"A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importpnce."

तो माननीय सदस्य श्री पी० के० चौधरी ने पब्लिक इम्पोर्टेन्स के प्रश्न पर प्रिवियस परमिशन आफ दी स्पीकर लेकर अटेन्शन आफ दी मिनिस्टर, मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित किया। जो मुझे ध्यान आकर्षित करने के लिए माननीय सदस्य ने साहित्य लिखा इस लेखन को उस साहित्य को माननीय सदस्य पढ़कर सुना सकते हैं इसके ओवर एण्ड अबाव कोई भाषण की व्यवस्था इसमें नहीं है और इसको एक्स्प्लेन करने की व्यवस्था इसमें नहीं है। और इसी तरह से "....and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date." माननीय गृह मंत्री अपना स्टेटमेन्ट देंगे। स्टेटमेन्ट देने के बाद 131 के अन्तर्गत कोई डिबेट की व्यवस्था इसमें नहीं है। ऐसी स्थिति में जब डिबेट की व्यवस्था नहीं है डिबेट इन्क्लूड दी डिस्कशन तो दोनों प्रश्नों पर न डिबेट और न डिस्कशन हो सकता है।

एक प्रश्न रहता है, whether questions can be put to the hon. Minister.

इस रूल को स्ट्रिक्टली और रिजिडली इन्टरप्रेट किया जाय तो क्वश्चन पूछना भी 131 में इलीमिनेट होता है। मैं इस पर मौन रहना उचित समझता हूं। कई प्रग्नेन्ट क्वश्चन्स इस सम्बन्ध में हो सकते हैं जो 131 के अन्तर्गत आते हैं या नहीं मैं इस पर इन्टरप्रिटेशन नहीं देता। हो सकता है ऐसे इम्पोर्टेन्ट प्रश्न उठते हों जो डिबेट और डिस्कशन में दाखिल न होते हों उसके सम्बन्ध में इजाजत दी जाय 131 में ऐसे पोइन्टस क्लेरिफिकेशन के लिए हो सकते हैं। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आपके 131 के अन्तर्गत डिबेट और डिस्कशन के लिए सहयोग दिया उसी प्रकार आपका सहयोग एडजोर्नमेन्ट और रूल्स के इन्टरप्रिटेशन के सम्बन्ध में होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : सहयोग की तो शिकायत नहीं आती है कहीं ?

श्री अध्यक्ष : मैं खुद सहयोग मांगता रहता हूं।

श्री रामकिशन : जो आपने इन्टरप्रिटेशन और व्यवस्था दी है वह सही है। लेकिन परम्परा रही है कि मन्त्रीजी के वक्तव्य के बाद.....

श्री अध्यक्ष : मैंने परम्परा को भी सामने रख दिया है।

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पोइन्ट आफ ऑर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है आपने फरमाया है कि जो रिटन स्टेटमेंट और जिस प्रकार की सूचना माननीय सदस्य ने दी है सरकार का काम

(श्री भैरोंसिंह)

अटेन्शन करने के लिये वह लिखित में हो तो उसको पढ़ कर सुना दी जाय । आपने व्यवस्था दे दी इसलिए मुझे उसे स्वीकार करना पड़ता है । लेकिन आपकी इस व्यवस्था से काम्पली-केशन्स अराइज़ होंगे । जो काल अटेंशन मोशन के लिए लिख कर दिया जाता है । उसका सारांश ही एजेन्डा में दिया हुआ होता है कि किस विषय पर माननीय सदस्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे । दो तीन पेज का स्टेटमेंट मान लीजिये मैंने लिख कर दे दिया और आपने उस पर अनुमति दे दी तो उस पर भाषण देने और डिबेट करने की आवश्यकता नहीं होगी । तीन पेज का लिखा हुआ स्टेटमेंट होगा वही काफी है डिबेट और डिस्कशन के लिये । अगर आप ऐसा चाहते हैं कि काल अटेन्शन नोटिस के लिये जो कुछ लिखकर दिया जाता है वही काफी है या जो इसका सारांश एजेन्डा में दिया जाता है वह काफी है, उसका सारांश पर्याप्त होगा या उसका लिखा हुआ स्टेटमेंट है वह पर्याप्त होगा, इसका क्लेरिफिकेशन हो जाय ताकि स्टेटमेंट की इजाजत न दें तो भाषण शुरू कर सकें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न 131 के अन्तर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है । आयन्दा भी हमारे अधिकार प्रभावित होने वाले हैं । मैं इसके बारे में निवेदन करूंगा कि जो नोटिस 131 के तहत लिख कर देते हैं वह केवल मात्र इस सदन में ध्यान आकर्षित करने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त करने के लिये वह देता है और उसका सब्स्टेंन्स किया है उसको भी आपको देता है । इस स्थिति में आपकी अनुमति प्राप्त होगी, एजेन्डा में रखवा दिया तो अनुमति प्राप्त है और जो शब्द रखे हैं उतने ही शब्द कहना वाजिब है या वाजिब नहीं है । आपने अनुमति दे दी । माननीय सदस्य को जो ब्रीफ बात है उसको क्लेरिफाई करते हुए ऐसे ढंग से रखने का अधिकार होना चाहिए ताकि यह सदन उसको पूरी तरह से समझ सके । मैं समझता हूँ आज यह प्रश्न किसी माननीय सदस्य के लिये उपयुक्त न हो तो भी आप रूलिंग दे रहे हैं भविष्य में ऐसे प्रश्न आते हैं तो इस व्यवस्था से असर पड़ेगा इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक परम्परा यह रही है कि ध्यान आकर्षित करते समय सैलियेन्ट पोईन्ट्स रखते हैं और मन्त्री महोदय उनका उत्तर देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा मतलब यह है कि आप माननीय भैरोंसिंहजी और सतीशचन्द्रजी ने जो दृष्टिकोण रखा है इस नियम के सम्बन्ध में उससे...

रामानन्द अग्रवाल : मैं उससे सम्बद्ध नहीं हूं । बहुत रेस्ट्रिक्टेड राइट्स हो जायेंगे ।

श्री पी. के. चौधरी . मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इस प्रकार से मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाय यह सदन की आज तक जो परम्परा रही है उसके खिलाफ है । माननीय रामानन्दजी ने ठीक ही कहा है । आपकी पार्टी के मेम्बरों ने लगाया । आप मेम्बरों के राइट को छीन रहे हैं ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, काल अटेन्शन नोटिस से मिनिस्टर को किस तरह से काल किया जाय, तीन लाईन लिख कर दे दी जाय यह जरूरी नहीं हैं कि इन्टरप्रिटेशन दे इस सम्बन्ध में मैं नम्रता से निवेदन

(श्री मस्तीसिंह)

करना चाहूंगा कि जो तथ्य उसके पीछे हैं उनको संक्षेप में और सही रूप में हाउस में रखा जाय ताकि मिनिस्टर का अटेन्शन तो काल हो ही लेकिन सदन भी समझ सके कि वह विषय क्या है जिस पर एक माननीय सदस्य को मिनिस्टर का अटेन्शन काल करना पड़ रहा है। जो सचिवालय की तरफ से तीन चार लाइनें लिख कर दी जाती हैं हमारे अधिकारों को सीमित किया जावे यह सही नहीं होगा और इन नियमों के अनुकूल भी नहीं होगा। इसलिये हर एक सदस्य को अधिकार होना चाहिये कि जो उसके सैलियेन्ट फीचर्स हैं वह जो माननीय सदस्य तब ही कह सकेंगे जबकि मिनिस्टर महोदय का ध्यान इस आकर्षित प्रस्ताव पर वक्तव्य सामने आ जाय। यदि केवल तीन लाइन तक इसको महदूद किया जाता है तो यह माननीय सदस्यों के हकों पर कुठाराघात होगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : नियम 131 का सही अर्थ बताने के लिये दो बातें आवश्यक हैं। पहली तो माननीय सदस्य को अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है और अनुमति प्राप्त करने के बाद नियम 131 के अन्तर्गत तब मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। यह दो भावनायें हैं। इन दो भावनाओं को स्पष्ट रूप से नहीं समझा जावेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना है। इस दृष्टि से मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य जब कभी कोई लिखित रूप में सचिवालय को, आपके सचिवालय को लिख कर देते हैं, तो उसका उद्देश्य एक मात्र यह होता है कि हम अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं और जब अध्यक्ष महोदय उस सदस्य को अनुमति दे देते हैं तो अनुमति देने के बाद ध्यानाकर्षण करने का उसी माननीय सदस्य का कर्तव्य हो जाता है। अब ध्यानाकर्षण कैसे करें···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : और उसकी कैसे परिसीमा निर्धारित करें।

श्री अध्यक्ष : मैं जानना चाहता हूं Call attention means- आपका इन्टरप्रिटेशन यह है Call attention means to speak about the issue and that has been raised in writing. कम्बीशन करने का मतलब है, क्या है?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Otherwise attention would be called in what way.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सतीशचन्द्र जी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : It becomes incumbant.

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, आपका पाइन्ट यह है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मिनिट !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने जो इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी है, उससे अक्षरशः मैं सहमत हूं। जब काल अटेंशन मोशन आता है तो किसी डेलीकेट मैटर के लिए और जब डेलीकेट मैटर के लिए

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
काल अटेंशन मोशन मूव किया जाता है तो बाईवे ऑफ इलूसिडेशन जो अटेंशन काल करते हैं माननीय सदस्य, उनको अधिकार है कहने का, और मंत्री महोदय के बोलने के पश्चात् इस पर डिस्कशन हो नहीं सकता है, डिबेट नहीं हो सकती। कन्वेंशन के बेसिस पर आपने जो कुछ निर्णय दिया उससे मैं भी सहमत हूं। यदि इस प्रश्न पर डिस्कशन पर आपत्ति है तो दो तीन मिनट इलूसिडेशन के रूप में एक्सप्लेनेशन के रूप में वह विचार पेश करें और सारे काल अटेंशन मोशन के ऊपर डिस्कशन हो, वह पन्द्रह-बीस मिनट हो, अन्डर दी प्रोवीजन्स ऑफ रूल 131.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह कैसे करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: On the basis of the notice he has given, he must be allowed.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : He should be allowed.

राज्य सभा की यह परम्परा रही है that he should be allowed और दिन भी नहीं कर सकते हैं, यह कन्वेन्शन भी लेना चाहिये। हम इससे डरते नहीं हैं। कोई आरोप आवेंगे तो हम जवाब देंगे। यह तो है सदन की परम्परा, अब यह विचार व्यक्त करें खुले रूप से तो हमें भी अधिकार हो कि उस पर बाई वे आफ इलूसिडेशन हम भी निवेदन करें तभी सदन की परम्परायें निर्मेंगी। हम कोई इस डिस्कशन से डिवोक नहीं करना चाहते, हम कोई स्ट्रिक्चरल एडीट्यूड नहीं रखना चाहते। मैं निवेदन करूंगा कि जो रीडिंग बिट्वीन दी लाइन्स आफ दी एक्चुवल स्प्रिट आफ दी प्रोवीजन्स आफ रूल 131 है, उसके अनुसार अगर आप व्यवस्था करेंगे तो उसके अन्तर्गत सब को मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : I understand the point.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर मन्त्री महोदय के वक्तव्य से पूर्व भाषण दिये जाने के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया...

श्री पी. के. चौधरी : भाषण कहां दे रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस सम्बन्ध में आपने एक व्यवस्था दी। अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट करते हुए इस बात का अनुरोध एक साथी के रूप में किया। अध्यक्ष महोदय, वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मेरा यह कहना नहीं है कि किसी प्रकार के तथ्य सदन के सामने न आयें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 127 और 131 का हवाला देते समय यह बात रखी थी कि 127 में दो घण्टे के डिस्कशन और 131 में ध्यान आकर्षण की बात है। मन्त्री महोदय के वक्तव्य के होने के बाद प्रश्नों के रूप में या प्रश्नों के रूप में ही नहीं, कभी कभी वक्तव्य के रूप में चर्चा और वाद–विवाद चलता रहा है। उसी आधार पर ध्यान आकर्षण अनेक बार इस सदन में किया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गया है। यह बात सही है कि ध्यान आकर्षण के सिलसिले में अपनी बात कहने का मौका देते रहे हैं, और यह बात भी सही है कि ध्यान आकर्षण के बाद, मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद चर्चा और डिस्कशन होते रहे हैं। इस सम्बन्ध में आसन हमेशा उदार रहा है और सदन के माननीय सदस्य भी उदार रहे हैं। एक बात के बारे में मैं सदन को और सदन के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो इस सम्बन्ध में रूल है, उसको रिलेक्स करने की जो मैंने आवश्यकता समझी गई है, उसके बाद में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य चाहे रूल 131 के अन्तर्गत आधे घन्टे बोलें इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और यदि और चाहें रूल 127 के अन्तर्गत दो घंटे बोले सदन इसके ऊपर चर्चा करना चाहें तो वह चर्चा करें। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका बोलना यह दिखाने के लिए रोका, इसलिये यह प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया कि इससे कितना उनको इर्रीटेशन होता है। अब जिस प्रकार उनको इर्रीटेशन हुआ है, तो जब कभी इस प्रकार की विरोधीदल के किसी माननीय सदस्य पर कभी कभी इस प्रकार की रोक लगाई जाती है तो इस प्रकार वह खड़े होकर कहें कि इस प्रकार से रोक नहीं लगानी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, आपने जो आज्ञा फर्मायी है कि आपको बोलने का अधिकार नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद माननीय सदस्य के बोलने के ऊपर अंकुश नहीं लगाना चाहिए और रूल को रिलेक्स करके उनको भाषण करने की आप इजाजत दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्यों की सम्मति को सुना। 131 में जो स्पष्टीकरण किया जा सकता है जिस शब्द का वह शब्द है काल दी अटेंशन आफ ए मिनिस्टर। काल दी अटेंशन के अन्तर्गत आयेगा वह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, यह पर्याप्त है या क्लेरिफिकेशन और तथ्य दिये हैं उनको क्लेरिफाई किया जाना आवश्यक है। माननीय सदस्यों की सम्मति को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं काल अटेंशन आफ ए मिनिस्टर-इसको अधिक स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये और जो स्पष्टीकरण हो सकता है वह यह है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में जो उल्लिखित तथ्य दिये गये हैं, उन पर प्रकाश डालने की अनुमति प्रस्तावक को दी जाना उचित होगा।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, तो मेरा तो काल अटेंशन प्रस्ताव है वह सी. आई. ए के सम्बन्ध में है! अब सी. आई. ए. क्या है– उसके सम्बन्ध में मैं जानकारी देना चाहूंगा। सी. आई. ए. के सम्बन्ध में लाइफ में और दूसरे पेपर्स में आर्टिकल्स आते रहे हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि जो 1950 में यू. 2 का इन्सीडेंट हुआ जिसकी चर्चा पूरी दुनियां के अन्दर हुई थी। लेकिन पाकिस्तान में जो यू टू गया था, उसी समय के प्रेसीडेंट को जानकारी नहीं थी और यू टू के उड़ान का जो प्रबन्ध हुआ, वह सी. आई. ए. के मातहत हुआ। इस सी. आई. ए. का होल्ड इतना है, अध्यक्ष महोदय, कि क्यूबा के ऊपर जो एक्शन हुआ उसके प्रेसीडेंट कैनेडी जैसे प्रेसीडेंट को भी इसने मजबूर कर दिया था। इसके अलावा जो सी. आई. ए. है, इसका काम जो डेवेलपिंग

(श्री पी. के. चौधरी)
कन्ट्रीज हैं, उनके अन्दर जो यूथर आर्गेनाइजेशन्स हैं, फिफ्थ कालमनिस्ट्स के आर्गेनाइजेशन्स हैं और जो पोलिटिकल पार्टी हैं उनको पैसे के द्वारा और दूसरे तरीकों से करप्ट करने का है। अभी रीसेन्टली मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टालीन की सुपुत्रि स्वेतलाना का इन्सीडेंट हुआ, उसके अन्दर भी सी. आई. ए. का ही हाथ था, उसको सी. आई. ए. का प्रॉफेसर ही ले गया था। इस प्रकार जो यह सी. आई. ए. की संस्था है, यह संसार भर में व्यापक रूप में फैली हुई है। यह सब तरह की आर्गेनाइजेशन्स से डील करती है। इसके अलावा जो पी. एल. 480 के फंड्स रहते हैं, उन फंड्स से अपने तरीके से वालेन्टियरी तरीके से पोलीटिकल, पार्टीज और ट्रेड यूनियन्स आदि को देकर उनको करप्ट करने की कोशिश इसके द्वारा चलती है। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले यह पार्लियामेंट के अन्दर सवाल उठा था कि सी.आई.ए. के द्वारा पैसा लगभग ढाई करोड़ का सपोर्ट स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, पी. एस. पी. और इन्डीविजुअल लोगों को मिला था · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : कांग्रेस के भी कुछ लोग थे जिनको मिला था, वह क्यों छिपाते हैं ?

श्री भैरोंसिंह: इस मामले की पूरी रिपोर्ट में कांग्रेस का नाम है।

श्री पी. के. चौधरी : यह मामला पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, उसमें इतना · ·

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह बात तो मुरारजी भाई ने स्वीकार की है।

श्री पी. के. चौधरी : गृह मंत्री ने इस बात से इन्कार करते हुए कहा था, उन्होंने क्या कहा वह पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स से सुना सकता हूं। उन्होंने यह नहीं कहा था। उन्होंने यह नहीं कहा कि जो बात उस रिपोर्ट में आई है वह गलत है या सही है। उन्होंने कहा—मैंने स्टडी नहीं किया है। सी.आई.ए. की रिपोर्ट हमारे पास आई है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया की जो इन्टेलीजेन्स की एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट आई है—उसको मैंने स्टडी नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका लीकेज कैसे हुआ है, इसके लिए आर्डर देता हूं इन्क्वायरी करने के लिए। यह साबित करता है कि जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के इन्टेलीजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है—उसके लीकेज के बारे में बात कही है। रिपोर्ट में यह बात है या नहीं, यह पार्लियामेंट में कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि मैंने स्टडी नहीं किया है। ब्राह्मण साहब यह कैसे कहेंगे कि जो रिपोर्ट है वह सही नहीं है। अब जो स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ और पी.एस.पी. और इन्डीविजुअल लोगों को सी.आई.ए. के द्वारा रुपया दिया गया है, मैं उस ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ समय पहले बिड़ला की आठ मीलों में रेड हुआ था, तो एक मिल में जो टेलीप्रिन्टर के मैसेज अलग अलग मिले थे, जो सेंचुरी मिल के अन्दर से टेलीप्रिन्टर के मैसेज और फाइल्स कब्जे में आये हैं, उनमें देखा गया है कि मिल के जरिये लाखों–करोड़ों रुपया दिया गया है वह न तो उनके अकाउन्ट्स में है और न कहीं है। हम मानते हैं कि यह रुपया सेंचुरी मिल के जरिये राजस्थान में आया है और लाखों की तादाद में आया है,

Page No.65

(श्री पी. के. चौधरी)

यह रुपया कहां से आया और उस रिपोर्ट में हम ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि सी० आई० ए० ने इस प्रकार के टाटा, बिरला और तापड़िया के जरये जनसंघ और या स्वतन्त्र पार्टी के जरिये पैसा देकर हमारी पोलीटिकल लाइफ को खराब करने की कोशिश की है और हम सब मानते हैं कि इनकी कोशिश यह है कि जो हिन्दुस्तान में प्रोग्रेसिव एजेन्सीज हैं वह डेवेलप नहीं करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब चुनाव थे तो महारानी गायत्री देवी के साथ अमेरिकन एक्सपर्ट्स होते थे और मुझे मालूम है मेरी कान्स्टीटुएन्सी में महारानी गायत्री देवी ने 16 रोज टूर किया है तो उनके साथ अमेरिकन एक्सपर्ट्स होते थे तो उनके लिए वह सब पैसा कहां से आता था? उनको फारिन एक्सचेन्ज कहां से पेमेन्ट किया करते थे? उनको फारिन एक्सचेंज यदि पेमेन्ट कहीं से हुआ है तो सी० आई० ए० से हुआ है। अगर सी० आई० ए० से नहीं हुआ तो फिर आप ही बताओ कहां से हुआ? चुनावों में इस प्रकार झुंझुनू में 50 लाख रुपया खर्च हुआ वह कहां से आया? तापड़िया ने 50 लाख रुपया खर्च किया। वह कहां से आया? उनका जो बुक एकाउन्ट है उसमें नहीं है। अब वह पैसा ब्लेक का हो या सी० आई० ए० का हो परन्तु हम इसको इसलिए मानते हैं कि फारेन एजेन्सी हमारी डेमोक्रेशी को करप्ट करने के लिए कि इस डेमोक्रेसी का शेप क्या हो और यहां किस प्रकार से आइडोलाजी डेवेलप करे इसके लिए फारिन कन्ट्री का फाइनेन्स आया है। उसको हम फिफ्थ कॉलम एक्टीवीटीज मानते हैं। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में जिन पार्टीज का नाम है उनके पदाधिकारी और उनके अकाउण्ट्स हैं उनकी कम से कम जांच की जाये कि उनके पास रुपया कहां से आया, किधर से आया और उनका सोर्सेज क्या है और सी० आई० ए० से कितना पैसा आया है और जो अमेरिकन महारानी गायत्री देवी के साथ घूमते थे और जो उन एक्सपर्ट्स को रखा था तो उनको पेमेन्ट फोरिन एक्सचेंज का कहां से किया? सी० आई० ए० से नहीं आया तो और कहां से आया? इनकी सब की जानकारी चाहता हूं....

श्री मदनसिंह दांता : महारानी गायत्री देवी के साथ तो चुनावों में घूमते थे पर इन्दिराजी के साथ तो उन्होंने उमर भर घूमा है।

श्री पी. के. चौधरी : कभी नहीं घूमा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर, अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर भी टाइम की पाबन्दी मत लगाइये हम भी घण्टों डिबेट चलावेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Let him expose.

श्री भैरोंसिंह : तमाम कन्ट्रीज का रुपया खा गये।

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमें भी बोलने का मौका दिया जायेगा। आपने तापड़िया जी का नाम लिया, बिड़लाजी का नाम लिया, झुंझुनू के बारे में बोला और माननीय सदस्य किस पर नहीं बोले क्या उन पर इलेक्शन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
पिटीशन नहीं है, जो कि हाई कोर्ट में चल रही हैं और जो खर्चे के बिना पर चल रही है उनके ऊपर बोले और उनके ऊपर भी बोले जो कि मामले सब्जुडिस हैं इसलिए हमें भी बोलने की खुली छूट मिलनी चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बिल्कुल यह रोंग इन्टरप्रिटेशन लिया जा रहा है कि हम नहीं बोलने दे रहे हैं।

(व्यवधान एवं शोरगुल के कारण अश्रव्य(

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please ! ! माननीय गृह मंत्री स्टेटमेन्ट देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले समाचारपत्रों में जो भी समाचार छपे और उनके ऊपर पालियामेंट में वहां के भारत सरकार के गृह मंत्रीजी ने जो कुछ कहा....

श्री लादूराम तुलाणिया : सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Use mike No. 2.

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किया है उसके लिए समाचारपत्रों में समाचार छपे। मेरे खयाल से उन पर उन्होंने अपना प्रस्ताव आधारित किया है। समाचारपत्रों में जोसमाचार आये उन सब को माननीय सदस्यों ने पढ़ा है। पार्लियामेन्ट में भी माननीय गृह मंत्रीजी भारत सरकार के हैं उन्होंने एक जबाब दिया है। और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की बातों की कुछ रिपोर्ट्स उनके पास आई हैं और वह स्टडी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके सिवाय मेरे पास और कोई मेटिरियल नहीं है कि मैं सदन में कुछ बात बता सकूं। जो कुछ समाचार पत्रों में आया वह और सी. आई. ए. की रिपोर्ट क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं है और न उसकी कोई डिटेल मेरे पास में हैं। इसलिए मैं सदन को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई और इन्फर्मेशन देने में असमर्थ हूं। यह बात जरूर है कि जिस प्रकार की खबरें छपी हैं अखबारों के अन्दर वह बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे देश की पालीटीकल पार्टीज के ऊपर स्लर है कि उन्होंने जो चार्जेज लगाये कि विदेशी फण्ड्स हमारे यहां इलेक्शन में काम में आते हैं अब उसके अन्दर फैक्चुअल पोजीशन क्या है इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : आप एक बात तो बता दें कि राजस्थान के इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट की जानकारी के अनुसार क्या राजस्थान में सी. आई. ए. के फण्ड्स का उपयोग किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास कोई फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं है इसलिए मैं कुछनहीं कह सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं है तो आप लेकर क्यों नहीं आये ? आप जवाब देने के लिए आये हैं तो गवर्नमेन्ट से इन्फर्मेशन लेकर नहीं आये तो किस लिये आये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान की इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट की मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है अभी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या हम यह मानकर चलें कि राजस्थान में सी. आई. ए. के पैसे के यूज होने की कोई रिपोर्ट राजस्थान इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट के पास नहीं है ? क्या सदन यह क्लीयर समझ कर चले।

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान की इन्टेलीजेन्स की ओर से कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या आपने इस संबंध में राजस्थान के इन्टेलीजेन्स से कोई रिपोर्ट मांगी है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया जाये, अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रारम्भ करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो आरोप लगाये हैं वह गम्भीर हैं और इन आरोपों के संबंध में लोकसभा में भी चर्चा हो चुकी है। जब इस तरह के आरोप किसी राजनैतिक दल पर शासनारूढ़ दल की तरफ से लगाये जायें तो अवश्य छानबीन होनी चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक सदस्य ने कहा है दल ने नहीं कहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह आरोप जांच के मोहताज हैं और जहां तक मेरे व्यक्तिगत और मेरे दल का प्रश्न है अगर इन आरोपों में से जो बातें माननीय सदस्य ने कही हैं वह साबित हो जायें तो मैं स्वयं अपने आपको सेकिण्ड क्लास सिटिजन मानूंगा। अध्यक्ष महोदय, सेकिण्ड क्लास सिटिजन वह होता है जिसको चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है और केवल मात्र वोट देने का अधिकार है। महारानी गायत्री देवी के संबंध में मैं यहां कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उनके प्रति भी मैं इतना तो अवश्य कहूंगा कि जो भी आरोप लगाये हैं अगर वह साबित होते हैं तो, महारानी गायत्री देवी के प्रति तो उनकी ओर से मैं कह सकता हूं कि वह भी सेकिण्ड क्लास सिटिजन का रोल अदा करेंगी। भारतीय जनसंघ एक राजनैतिक दल है और उसके संबंध में सम्माननीय नेता हैं वह प्रकाश डालेंगे। अध्यक्ष महोदय, अमेरिकन एड से आज कांग्रेस सरकार राजस्थान में जीवित है, अमेरिकन फूड से मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने अपने उदयपुर डिवीजन में इलेक्शन की सफलता प्राप्त करके जनतंत्र के ऊपर बलात्कार किया है

(11 म. पू.)

इस सम्बन्ध में यहां पर इस ओर के सदस्यों ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी लेकिन उनका हौसला नहीं है कि हमारी मांग को स्वीकार कर लें। अध्यक्ष महोदय, डब्ल्यू. एच. ओ. और एफ. ए. ओ., वर्ल्ड हैल्थ ओर्गनाईजेशन और फूड एण्ड एग्रीकल्चर आर्गेनाईजेशन की जीपों के अन्दर इन आर्गेनाईजेशन के लोगों ने कांग्रेस की मदद करके उन्होंने प्रचार किया है, यह भी चीजें हुई हैं। मेरे खयाल से राजस्थान के अन्दर चुनावों का जिस तरीके से मखौल हुआ है कांग्रेस पार्टी

Page No.68

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के द्वारा वह भी एक इतना ही महत्वपूर्ण विषय है कि जिसकी निष्पक्ष जांच अवश्य होनी चाहिए और हम चैलेंज करते हैं कि आप हमारे ऊपर जांच कराइए। और अगर हम देशद्रोही साबित हों तो हमको फांसी की सजा हो लेकिन इसके साथ ही साथ जो आरोप हम आप पर लगाते हैं तो फिर आप इतने उदार क्यों नहीं हो सकते, क्यों आप इतने साहसी नहीं हो सकते कि आप हमारी बात को मंजूर करें ? यह बात तो नहीं मंजूर करना ही आपकी गुनहगारी की प्रदर्शनी है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आरोप और प्रत्यारोप में कुछ नहीं धरा है। यह एक डेलीकेट विषय है काल अटेंशन नोटिस का और उसके द्वारा जो बात उठाई गई है तो हम जांच को मंजूर करते हैं परन्तु साथ ही प्रतिपक्ष, हमारे शासनारूढ़ दल के माननीय सदस्यों को भी जांच मंजूर करनी चाहिए और खास तौर से मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया को भी इस सम्बन्ध में जांच मंजूर करनी चाहिए। What is sauce for the goose, is not sauce for the gender अगर यह नहीं होता है तो आप जो कुछ कहना चाहें वह तो सब ठीक है और हम सब जो कुछ बोलें वह गलत है, यह कैसे हो सकता है। मैं समझता हूं कि जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा को स्थापित करने के लिए आपकी यह मांग उचित है, हम उसे मंजूर करते हैं कि हमारी जांच होनी चाहिए लेकिन जब हम री मांग को आप मंजूर नहीं करते हैं तो आप जनतन्त्र और देश के प्रति गद्दारी करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय····

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : Point of order, Sir जैसा माननीय नेता विरोधी दल के खुद ही फरमा चुके हैं कि काल अटेंशन नोटिस रूल 131 में है··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह सवाल ही नहीं है अब। आप लेट आई हैं।

श्री दुर्गालाल बादशाह : यह पोइन्ट तो तय हो चुका है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अब आप उसमें बैठ रही हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय लिया गया है वह यह है कि जो मूवर आफ दी कॉल अटेन्शन नोटिस हैं वे कुछ कह सकते हैं या नहीं या जो कुछ एजेन्डा में रखा गया है उसे ही बोल सकते हैं और उस बात पर यह निर्णय लिया गया है कि वे सेलीयेन्ट फीचर्स को सदन के सामने रख सकते हैं। इस बारे में रूल 131 बिल्कुल क्लीयर है :

'A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.'

इसका सब सैक्शन (2) है :

'There shall be no debate on such statement at the time it is made.'

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

स्टेटमेंट हो जाने के बाद कोई डिबेट हाउस में नहीं हो सकती, It is very clear from the rules. डिबेट को अब चालू रखना रूल्स की अवहेलना होगी। इतना ही मैं निवेदन करूंगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्या को जानकारी नहीं है कि आसन से व्यवस्था हो चुकी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमको एड मिले तो बुरा और आपको अमेरिका का फण्ड ही मिल जाय तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं! यह कैसे हो सकता है?

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अगर वाद-विवाद चलाना है तो इसके लिए सैक्शन 127 और 128 हैं, उनके तहत हम कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। Rules are very clear.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमको एड मिले तो बुरा और आपको हजारों करोड़ों मिले वह वाजिब है!

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय········

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं यह चाहूंगा कि जो वाया मीडिया स्टिक किया है इसलिए मैं यह आशा करूंगा कि संक्षेप में ही आप अपनी भावना को व्यक्त करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डिस्कशन करने का सब को अधिकार होना चाहिए, जो बोलना चाहें वे बोलें यह उनका अधिकार है। यह तो और भी महत्वपूर्ण विषय है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय····

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा पोइंट यह था : There should be no debate.

श्री अध्यक्ष : I understand all these implications, Hon'ble member.

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मेरा निवेदन इतना ही है कि जहां तक डिस्कशन का सवाल आता है····

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया हूं। आप अपना स्थान ग्रहण करिए। Don't come to my protection.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, चुनाव के तुरन्त पश्चात् भारत की लोक सभा में विरोधी दल ने सर्वप्रथम इस बात की मांग की थी कि अमेरिकन सरकार का जो सी. आई. ए. की मार्फत हिन्दुस्तान में पैसा खर्च हो रहा है उसके कारण अमेरिका की सरकार हिन्दुस्तान में सैबोटेज की कार्यवाही कर रही है और इसलिए इस प्रश्न पर भारत सरकार को जांच करानी चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी की देन नहीं थी बल्कि हिन्दुस्तान के विरोधी दलों ने जो आवाज उठाई उसी आवाज का परिणाम था कि सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस ब्यूरो को आदेश दिया और उन्होंने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। अब मोटे रूप में यह बात तो स्पष्ट है कि यदि हिन्दुस्तान के विरोधी दलों ने अमेरिका से पैसा लिया होता और यदि इस बात में थोड़ी सी भी सत्यता होती तो सारे हिन्दुस्तान में विरोधी दलों ने जिस तेजी से मांग की वह नहीं की होती और उन्होंने जांच की मांग किस तरह से की यह मैं आपको कटिंग्स को

(श्री भैरोंसिंह)
सदन में पढ़कर सुनाता हूं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस किस पार्टी ने किस किस तरह से मांग की और इन एलीगेशन्स को रिफ्यूट किया है। माननीय सदस्य ने जो अभी यह कॉल अटेंशन नोटिस के द्वारा मामला उठाया है, मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने अपनी सरकार के प्रतिनिधियों से पूछ कर ही इस बात की चेष्टा की है कि हम दूसरे राजनैतिक दलों पर किस प्रकार से कीचड़ उछालने की कोशिश करें। मुझे दुख तो इस बात का है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने भी शायद इस प्रश्न को सदन में लाना उचित समझा है लेकिन उन्होंने यदि इस बात की गम्भीरता को अनुभव किया होता···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) मेरी सलाह से यह प्रश्न सदन में नहीं लाया गया है, इतना मैं स्पष्ट कर दूं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे दुख है कि आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और आपके सदस्य ऐसे गम्भीर प्रश्न को उठाने से पूर्व आप से जानकारी नहीं लेते और आप उन पर कन्ट्रोल नहीं कर पाते। यह बात सही है कि आपका काम तो मन्त्रि मन्डल बनाना और उसे बनाये रखने का है।

श्री पी. के. चौधरी : यह तो मेम्बर्स के प्रिविलेज का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इसमें आपत्ति नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस प्रकार के हर मामले में नेता महोदय को पूछा जाय यह आवश्यक नहीं है। यह तो किसी भी मेम्बर का अधिकार है और वह अपने अधिकारों का उपयोग करेगा।

श्री भैरोंसिंह : आप अपने अधिकारों का उपयोग करें मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि इस प्रश्न पर न्यूयार्क टाईम्स में एक खबर छपी कि अमुक अमुक राजनैतिक दल जिसमें स्वतन्त्र पार्टी, जन संघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भी उसमें शामिल किया गया है, इनको चुनावों में भी सी. आई. ए. से पैसा मिला है। इस स्टेटमेंट की कापी मेरे पास नहीं है। इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने लोक सभा में स्टेटमेंट दिए हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि न्यूयार्क टाईम्स में हिन्दुस्तान के सारे राजनैतिक दलों पर एक प्रकार का आरोप लगाया गया है। उसके एक एक्सट्रेक्ट को पढ़ने से इस सदन को जानकारी मिल जाएगी :

"Mr. Hiren Mukerjee (C.P.I.) said that no tainted foreign money ever came to his party. Nor did the party need it because Communists fought the elections on the basis of an ideology. All political parties had been mentioned in the New Yark Times' and all of them have refuted the slander. He joined the rest in demanding that there must be a proper full and appropriate inquiry, either judicial or parliamentary. Any suggestion that his party got monies from socialist countries or any other conutry was an utter lie.

अब प्रश्न यह है कि आज राजनैतिक दलों पर जो इस प्रकार का आरोप लगाया गया है वह

(श्री भैरोंसिंह)

आरोप लगाया गया है न्यूयार्क टाईम्स की खबर को लेकर कि हिन्दुस्तान में अमेरिका की सी. आई. ए. की जो एजेंसी है जो न्यूयार्क टाईम्स का प्रचार करना चाहती है, उसी तरह से कुछ उसके एजेंट भी यहां पर हैं जो कि न्यूयार्क में जो खबर छपी है उस खबर की सत्यता को हिन्दुस्तान में लाने का प्रयत्न किया जाय। उस सत्यता का प्रचार किया जाय, उसकी सत्यता को दलों पर आरोपित किया जाय। इस प्रकार एजेन्ट हिन्दुस्तान में कई जगह हैं और हो सकता है कि इस प्रकार के जो एजेंट्स हों उनको सी. आई. ए. का पैसा मिलता हो और उनसे कहा जाता हो कि तुम जगह जगह पर जाकर न्यूयार्क टाईम्स का प्रचार करो। यदि किसी के पेट में सी. आई. ए. का पैसा उछल उछल कर यदि बोलता हो तो मैं उसको रोक नहीं सकता। मैं रोक भी कैसे सकता हूं··

श्री पी. के. चौधरी : चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्यों कूद रहे हैं? आपके लिए थोड़ी ही कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यही समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जिसके पेट में सी. आई. ए. का दाना पड़ा है वही न्यूयार्क टाईम्स का प्रचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज इस प्रश्न को लेकर हमने जितना मखौल बनाया है राजस्थान की विधान सभा में और सरकारी पक्ष ने जिस मखौल का सबूत दिया है और इसमें भी मुझे सब से ज्यादा अफसोस इस बात का है, लोक सभा में गृह मन्त्रीजी ने जो रिप्लाई दिया है उसको किस गलत ढंग से माननीय सदस्य ने इण्टर-प्रेट किया है। वह मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा ताकि भारत सरकार ने इस प्रश्न को कितनी गम्भीरता से लिया है, इसका पता चल सके। यह प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि सी.बी. आई. की रिपोर्ट जो भारत सरकार के गृह मंत्री को प्रेषित की गई वह लीक कैसे हुई और इसकी खबर न्यूयार्क टाईम्स में छपी। मुख्य बात तो यह है कि भारत सरकार के समक्ष जो सी. बी. आई. की रिपोर्ट पेश हुई उस रिपोर्ट के अनुसार अमुक अमुक पार्टियों को सी. आई. ए. से पैसा मिला। प्रश्न यह है और यह प्रश्न जांच तलब है और जांच होगी जैसा कि भारत के गृह मंत्री ने कहा है।

(11.08 म० पू०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

"The Home Minister, Mr. Y. B Chavan, fully endorsed the view expressed by others that what had been alleged was a slander of the whole Nation. Efforts were already being made to find out the source of the newspaper report. Mr. Chavan did not accept the suggestion that there had been a calculated leakage, in which case the contents of the report would have been correct. He had already stated that they were only conjectures. He agreed that somebody who had not been friendly to India had done it,

आगे क्या है:

(श्री भैरोंसिंह)

"While fully sharing the feelings of the different political parties, that the insinuation amounted to a condemnation of all democratic parties in the country, Mr. Chavan urged that they should take a dignified stand."

कांग्रेस सदस्यों ने भी यह कहा कि उनकी पार्टी में पैसा आता है, न्यूयार्क टाईम्स में जो खबरे छपी हैं वह गलत हैं इस बात का खंडन किसी कांग्रेसी सदस्य ने भी लोक सभा में नहीं किया । और किसी भी माननीय सदस्य ने इस बात का समर्थन नहीं किया कि जो न्यूयार्क टाईम्स में खबर छपी है वह सही है । इस बारे में सारे राजनीतिक दलों ने मांग की सी० आई० ए० की रिपोर्ट को लोक सभा में प्रस्तुत किया जाय । उस रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जाय कि जो पैसा आया है वह वास्तव में किसे मिला है और किसको नहीं ।

जहाँ तक जन संघ पार्टी का प्रश्न आता है सदन को मैं यह विश्वास दिला सकता हूं जन संघ राष्ट्र भक्तों की पार्टी है । उसके ऊपर यह जानबूझ कर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई····

श्री गिरधारीलाल व्यास : जाने दीजिए इन बातों को····

श्री भैरोंसिंह : मैं यह चैलेन्ज देकर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर एन्टीनेशनल एक्टीविटीज में काम करने वाले लोग हैं । मैं आपको चुनौती देकर कहता हूं और मैं एप्रोप्रियेशन बिल पर उन सब व्यक्तियों को बताऊँगा ।

एक माननीय सदस्य : ट्रेजरी बैन्चेज पर एक भी एन्टीनेशनल व्यक्ति नहीं बैठा है ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे लोग कांग्रेस पार्टी के अन्दर हैं और उनकी क्या देशद्रोही कार्यवाहियां हैं । वे लोग आज मिलकर हमारे पर यह आरोप लगायें कि हम सी० आई० ए० का पैसा लेकर इलेक्शन जीत कर आये हैं ।

यह सही बात है, अमेरिका का पैसा आता है और अमेरिकन पैसे से भी चुनाव लड़ा जाता है । लेकिन प्रश्न यह उठता है कि फुलेरा में बिजली के खंभे लगवा कर चुनाव जीत कर इस विधान सभा में नहीं बैठते । उन लोगों से मैं चुनौती देकर पूछना चाहता हूं वे कांग्रेस पार्टी का चुनाव का हिसाब एक माह में पेश कर दें और मैं अपनी पार्टी का चुनाव का हिसाब आज शाम तक पेश कर सकता हूं । सारे कागजात के साथ । हमने रुपया लिया है किसी से एक रुपया, किसी से पांच, किसी से दस, किसी से 100 रुपये । इस प्रकार से कलेक्शन करके हमने चुनाव लड़ा है । जो भी राजनैतिक पार्टियां होती हैं वह बिना कलेक्शन के चुनाव नहीं जीत सकतीं । लेकिन आज प्रश्न है कि सी० आई० ए० से किसने पैसा लिया और कितना लिया ? आज यह तथ्य मान कर चलिये आज जो कांग्रेस हिन्दुस्तान के शासन पर बैठी हुई है वह कांग्रेस है जिसने इस सी० आई० ए० से पैसा लिया है अगर नहीं लेती तो फाके

Page No.73

(श्री भैरोंसिंह)
भारती हुई नजर आती और मर जाती। कांग्रेस ने सेठ साहूकारों से पैसा लिया....

श्री उपाध्यक्ष: Order please! आप स भाषण को थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री भैरोंसिंह: बहुत ही संक्षेप में रख हा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी ी ओर से सदन को कहना चाहता हूं जो ारोप जो इन्सीनुएशन....

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था के नाम पर ाननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं ; जो मोशन मूव किया गया उस पर मान- य मंत्री महोदय ने अपना उत्तर दे दिया। नके स्टेटमेन्ट में किसी को चार्ज नहीं किया या।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: लोक भा में भी सभी पार्टियों के व्यू सुने गये ।

श्री विजयसिंह रावत: आसन की ओर इस बारे में व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह महत्वपूर्ण जनैतिक प्रश्न है। इस पर हम सभी लेंगे।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं वेदन करना चाहता हूं इस बारे में महारानी त्री देवी पर आरोप लगाया गया है और ग्रेस के एक सदस्य द्वारा आरोप लगाया कि वे अमेरिका के एक आदमी के साथ थीं, उनकी इस जानकारी के दिवालियापन पर आता हू और मुझे अफसोस है कि अब उनके पति भारत सरकार की सर्विस में हैं और स्पेन में राजदूत हैं। उनकी पत्नी पर कांग्रेस के सदस्य आरोप लगाते हैं, उनकी बुद्धि पर तरस आता है। आप आज यह कह सकते हैं अमुक आदमी अच्छा नहीं है तो फिर वह भारत सरकार की सर्विस में किस प्रकार से है ये दोनों चीजें आपस में कन्ट्रा- डिक्टरी हैं। अगर उनमें आप कोई चीज पाते हैं तो आप भारत सरकार को कहिये कि वे उनको राजदूत न रखें।

आज वे राजदूत हैं और भारत सरकार भी चाहती है कि वे राजदूत रहें। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। मैं इस स्थिति में यह कहना चाहता हूं एक बार इसी प्रकार का आरोप हिन्दुस्तान की वर्तमान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बार कम्युनिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लिए लगाया था कि इन पार्टियों को विदेशों से पैसा मिलता है। इस बात का विदेशों में भी प्रचार हुआ। उसका खंडन उस वक्त के प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने किया कि जो इन्दिराजी ने आरोप लगाये हैं वे गलत हैं। इस पर इन्दिराजी ने कहा था मेरे भाषण की जो रिपोर्ट्स पेपर्स में आयी हैं वह गलत हैं। आज हमें भी इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है हम किसी पर इलजाम लगाते हैं तो वह सोच समझ कर लगायें। हमारा विदेशों में मोरल है, हिन्दुस्तान का एक चरित्र है। आज जो कुछ हमारे यहां की आलोचना है या विचार है उनकी विदेशों में चर्चा निश्चित रूप से चलेगी कि जन संघ वाले कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं और कांग्रेस वाले जन संघ पर और एस. एस. पी. पर लगाते हैं और इसका

(श्री भैरोंसिंह)

मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में जो यह बातें होती हैं तो इससे उनका ख्याल बनता है कि ये बातें किसी न किसी रूप में सत्य होंगी। हिन्दुस्तान के जो राजनैतिक दल हैं वे हिन्दुस्तान से बाहर बैठे हुए देश रूस, अमेरिका या चाइना या जर्मनी, इनकी हाथ की कठपुतली हैं। आप स्वयं इस बात को गंभीरता से लेंगे तो आपको भी यही महसूस होगा और आपको खेद प्रगट करना पड़ेगा। मैं अपनी पार्टी की ओर से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं वे भारत सरकार को निवेदन करें कि सी. आई ए. के फण्ड्स से रुपया पोलिटिकल पार्टीज़ को मिला या नहीं मिला इसकी जांच करें। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है राजस्थान विधान सभा की एक कमेटी और लोक सभा का प्रश्न है तो लोक सभा के सदस्यों की एक समिति द्वारा जांच कराई जाय। राजनैतिक दलों पर जो यह कीचड़ उछाला गया है उसकी सफाई होना आवश्यक है। भारत सरकार के प्रधान मंत्री इस बारे में उनकी सी. आई. बी. की रिपोर्ट है सी. आई. ए. के फण्ड के बारे में वह प्रकाशित करें ताकि स्थिति का स्पष्टीकरण हो सके।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को लेकर जो बहस सदन के अन्दर चल रही है मैं समझता हूं इस पर काफी गरमागरमी और गलतफहमी की स्थिति पैदा हो रही है। यह प्रश्न लोक सभा में भी उठाया गया था वहां पर गृह मंत्री वक्तव्य दे चुके हैं उससे ज्यादा मैं समझता हूं यहां चर्चा करना आक्षेप प्रत्याक्षेप में पड़ना उचित नहीं है। अतः बहस यहीं पर समाप्त समझी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न इतना ब... की आवश्यकता नहीं थी····

श्री मदनसिंह दांता : यह हमने ... बढ़ाया यह उधर से ही उठाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Please take y... seat.

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : जो ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव रखा गया इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के पीछे भा... यह है कि प्रशासन जिस काम को सु... सकता है उस ओर प्रशासन का ध्यान दिल... जाय। आप खुद अच्छी तरह से समझते हैं... विचारणीय विषय है उस पर माननीय ... महोदय ने कह दिया है कि जिस तरह से प्रश्न सामने लाया गया है उस सम्ब... कोई कारगर उपाय यहां नहीं हो सकता

श्री रामानन्द अग्रवाल : Then ... was this Call Attention No... admitted ?

श्री उपाध्यक्ष : Please take y... seat.

इस मामले को क्यों लिया गया ? मिट एक स्टेज पर कर दिया गया उसके ... में मैं कुछ कहना नहीं चाहता।

श्री भैरोंसिंह : व्यवस्था कर दी है ... बाद में बहस हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन चाहे पोस... के वालन्टियर्स का प्रश्न हो, चाहे सी. ए. का प्रश्न हो, चाहे देश की सुरक्षा

Page No.75

श्री उपाध्यक्ष)

श्न हो, इसके बारे में कारगर चर्चा इस दन के अन्दर नहीं हो सकती है, क्योंकि पना अनुभव यह बताता है कि मंत्री महोदय, ड़े होकर यह कहते हैं कि इसमें भारत रकार की जो नीति है वही हमारी नीति । इससे विशेष नहीं कह सकते। तो मैं मझता हूँ कि कोई प्रश्न सदन के सामने ाया है तो सदन में बहुत थोड़े विषय ऐसे े सकते हैं कि जिसमें कोई प्रस्ताव के रूप या इस रूप में अपना आदेश नहीं दे कता, और सब मामलों के अन्दर कारगर ग से आदेश दिये जा सकते हैं। लेकिन अभी ो विचारणीय विषय है, मैं समझता हूँ, यह ो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनसे सम्बन्धित प्रश्न जिसकी चर्चा अपनी तरफ से नहीं होना ाहिए ..

एक माननीय सदस्य : Who started ?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें मुझे कुछ नहीं हना है। यह व्यवस्था दे दी गई थी कि इस वषय में बाद में चर्चा नहीं होगी। इसलिए.. कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) order please !....यह व्यवस्था दी गई थी क इस पर चर्चा नहीं होगी। अगर एकाध दन किसी माननीय सदस्य को पूछना हो मंत्री महोदय के उत्तर में कोई ऐसी बात रह ई हो जिसको स्पष्ट करना जरूरी है तो पूछे जा सकते हैं। मंत्री महोदय ने, मैं समझता कि कोई ऐसा उत्तर ही नहीं दिया जिससे कोई शंका उत्पन्न होती हो। यदि हर राज-नैतिक पार्टी यह सोचती है कि हम भी अपनी तरफ से जवाब दें तो यह राजनैतिक जवाब देने का प्रश्न जनता के सामने हो सकता है, लोक सभा या राज्य सभा के सामने हो सकता है.....

श्री मदनसिंह दांता : एक एम. पी. जो लोक सभा के है उनके सम्बन्ध में यह सवाल उठाया गया है। अगर यह सही नहीं है तो इसमें इनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह और अवसर पर भी हो सकता है। विशेषाधिकार का प्रश्न हो सकता है (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर, आर्डर ! और किसी तरह से सदन के सामने इसको लाया जा सकता है। लेकिन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर मंत्री महोदय के उत्तर देने के बाद उस पर वाद-विवाद हो, चर्चा हो, ऐसा नियम के अन्दर कोई प्राव-धान नहीं है। इसलिए अगर किसी माननीय सदस्य को कोई प्रश्न पूछना हो जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है उसके सम्बन्ध में हो तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

माननीय श्री रामानन्द : लेकिन इस पर भाषण नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : On a point of privilege उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था में आपने हेर फेर की है। मैं आपसे यह जानकारी करना चाहूंगा कि अध्यक्ष की व्यवस्था में उपाध्यक्ष हेर फेर कर सकते है ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कर सकता है। और न मैंने कोई हेर फेर की है। अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है, उन्होंने यह फर्माया था कि उत्तर आये उसके बाद .

(श्री उपाध्यक्ष)

में चर्चा इस पर नहीं होगी, वाद-विवाद नहीं होगा। अगर किन्हीं माननीय सदस्यों को शंका होती है तो शंका का समाधान किया जा सकता है प्रश्न को पूछ कर। इसलिए मैंने रामानन्दजी का नाम पुकारा कि उनको अगर कोई शंका जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है उसके विषय में हो किन्हीं माननीय सदस्यों को और खास तौर से जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है उनके स्टेटमेंट के बारे में शंका हो तो मंत्री महोदय जवाब नहीं देंगे। जवाब मंत्री महोदय को देना है, और आपके और जो प्रस्ताव के मूवर हैं उनमें आपस में चर्चा नहीं होगी। मंत्री महोदय से कोई शंका समाधान करानी हो तो उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय ने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिसको कि उनके खुद के दल के एक माननीय सदस्य ने उठाया है और जिसका सम्बन्ध देश की पूरी सुरक्षा से ताल्लुक है, उसका जिस प्रकार का उत्तर दिया है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि उनको राजस्थान इन्टेलीजेन्स का इसके बारे में क्या कहना है इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैं यह समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय को इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी का जवाब किसी भी होम मिनिस्टर का नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी उन जानकारियों को जो उनके पास में हैं शायद छिपाना चाहते हैं, और जो एस्पर्शन्स हैं, उनका नतीजा उनके स्वयं के दल पर या उनकी खुद की कार्यवाहियों पर निकलता है उनको पर्दे में रखना चाहते हैं, और केवल जो माननीय सदस्य ने कहा है उसके दूसरे राजनैतिक दलों पर जो रिफ्लेक्शन डाला गया है वह वहीं का वहीं वैसे का वैसा रह जाय, ऐसी स्थिति उन्होंने पैदा की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहूंगा, उपाध्यक्ष-महोदय, कि क्या इनकी जानकारी में नहीं है कि सी०आई०ए० एक ऐसा अमेरिका गवर्नमेंट का इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट है जिसका काम दूसरे देशों में सबवर्सन करना होता है, जिसका काम दूसरे देशों की गवर्नमेंट को उलटना है और राजनैतिक करप्शन करना रहता है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। यह बात प्रस्ताव-कर्ता ने कह दी है इसलिए दुबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न पूछ लें। एक तो पूछ लिया दूसरा और हो तो पूछ लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय गृह मंत्रीजी की जानकारी में यह नहीं है कि राजस्थान के अन्दर जयपुर उद्योग के मालिक खुद सी०आई०ए० के एजेन्ट के तौर पर काम करते हैं और कांग्रेस को श्री शान्ति प्रसाद जैन ने लाखों रुपयों की इस चुनाव में मदद मिली है जीपों के रूप में और शान्ति प्रसाद जैन भी सी०आई०ए० के एजेन्ट हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा बिरलाजी के बारे में कि वह सी०आई०ए० के एजेन्ट के रूप में पैसा वितरण कर रहे हैं तो क्या उनकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जानकारी में यह नहीं है कि उनके खुद के दल के भूतपूर्व गृह मंत्रीजी नन्दा ने इस बात को कहा था कि कांग्रेस की तरफ से 45 एम०पी० बिरला की लॉबी से चुन-कर आये हैं (विपक्ष से शेम, शेम) ।

मैं यह पूछना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि क्या यह गृह मंत्रीजी की जानकारी में नहीं है कि लोकसभा के अन्दर केन्द्रीय मंत्री-मण्डल के सदस्य श्री सत्यनारायण सिन्हा और श्री के०सी० पंत पर यह आरोप लगाया गया है (विपक्ष की ओर से शेम, शेम) कि ये मंत्री-मण्डल के सदस्य उसी सी०आई०ए० के एजेन्ट बिरला नौकरी पर पलते हैं ? मैं गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इनकी जानकारी में यह बात नहीं है कि यही सत्यनारायण सिन्हा थे जिन्होंने बिरलाजी जब अमेरिका गये थे·······

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे कहने दें। जब बिरलाजी अमेरिका गये थे···

श्री उपाध्यक्ष Order please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो सत्य-नारायण सिन्हा ने प्रेसीडेन्ट ऑफ अमेरिका को पत्र लिखा कि स्टील इन्डस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में बिरला को दे दी गई है···

श्री उपाध्यक्ष : Order please. मंत्रीजी इसका उत्तर देंगे। सत्यनारायण सिन्हा न तो राजस्थान में रहते है और न गृह मंत्रीजी का इससे सम्बन्ध है, इसलिए कृपया इस बात का पूरा ध्यान रखें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : महारानी गायत्री देवी के लिए कहा जा सकता है तो सत्यनारायण सिन्हा के लिए क्यों नहीं कहा जा सकता है ? चाहे वह प्रधान मंत्री हो देश की सिक्योरिटी, देश की आजादी सबसे बड़ी है···

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई भी आदमी जो सी०आई०ए० का काम करता है····

श्री उपाध्यक्ष : Order please. सिवाय एक प्रश्न के जो उनकी जानकारी में है मंत्री महोदय किसी और का उत्तर नहीं देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल मुझे कहने दें । मेरी क्वेरीज अभी खत्म नहीं हुई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष ये क्वेरीज आवश्यक नहीं हैं इस चर्चा के लिए इसलिए इन क्वेरीज की इजाजत नहीं दी जाती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चर्चा के लिए आवश्यक कैसे नहीं है ? महारानी गायत्री देवी का (कई माननीय सदस्यों के बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order.

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : यह पक्षपात है आपका कि उधर के सदस्य बोल रहे थे कि महारानी गायत्री देवी के साथ कुछ अमेरिकन घूमते थे तो मैं भी यह आरोप लगाता हूं कि इन्दिराजी जब राजनीति में नहीं आई थीं तो कई अमेरिकन और योरोपियन उनके साथ में घूमते थे और उन

Page No.78

(श्री विजयसिंह रावत)

पर भारत का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। अजमेर जिले के अन्दर चुनावों में जगह जगह पर राशन बांटा जाता है····

श्री उपाध्यक्ष : order please.

श्री विजयसिंह रावत : इन लोगों को धिक्कार है..

श्री उपाध्यक्ष : order please.

श्री विजयसिंह रावत : इसकी जानकारी मंत्री महोदय को नहीं तो फिर क्यों बात कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : order please. आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : यह बहुत ही बुरी कार्यवाही है। ये बोल रहे थे तो व्यवस्था दी हुई है और सही व्यवस्था दी हुई है····

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order! देखिये। इसमें झगड़े का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नियम तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : सुनें। 131 नियम है वह बिल्कुल साफ है कि प्रस्तावकर्ता कोई अपनी बात सामने रखेंगे और उसके बाद में मन्त्री महोदय जवाब देंगे। इसके बाद में किसी तरह की चर्चा का प्रावधान नहीं है।

लेकिन क्योंकि व्यवस्था दी गई। उस पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा। विषय गम्भीर था और राजनैतिक पार्टियों पर आरोप लगाये थे इसलिये यह सुविधा दी गई कि प्रश्न के रूप में कुछ पूछ सकते है पर इस पर बहुत लम्बी चौड़ी चर्चा हो, विवाद का विषय बने और इस पर कारगर ढंग से न तो प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और न उसका इलाज किया जा सकता है तो मेरे लिये यही विवेचन करने को रहता है कि इस पर लम्बी चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिये। केवल इस पर जो आपकी शंकाएं हैं वे आपने बता दीं और मन्त्री महोदय ने उनका उत्तर दे दिया। वास्तव में कुछ दिया ही नहीं, अगर कोई देना चाहिये था यहां तो, यह कह सकते हैं। पर उससे अधिक कहना उपयुक्त नहीं होगा।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री भागलाल (हिण्डौन) : रोकना था तो पहले आप रोकते।

श्री विजयसिंह रावत : शान्तिपूर्वक सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता महोदय बोलेंगे। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं बोल रहा था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे अच्छा तो यह समझूंगा इस स्थिति में, जब कि सभी ओर से इस तरह की बातें कही जा रही हैं तो माननीय सदस्य जिन्होंने यह मोशन रखा, वह इसको विथड्रा कर लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : काहे को कर लें ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नहीं करते हैं तो दूसरी बात है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी इन्क्वायरी पूरी होनी चाहिये । देश का सवाल है । कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जांच होनी चाहिये । देश का सवाल किसी भी व्यक्ति से कहीं बहुत बड़ा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसको बिगड़ा करने का सवाल नहीं पैदा होता । सत्तारूढ़ दल द्वारा जानबूझ कर विरोधी पक्ष के राजनैतिक दलों को नीचा दिखाने और उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है । इसलिये हमें इसकी जरूरत है कि इसकी जांच की जाये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तब मैं अपना सुझाव वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़े में आप अपनी बात बता दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि पी. एल. 480 का फण्ड जो हिन्दुस्तान में रहता है बाकी और उसका अमरीकन एजेन्सी, जो यहां काम कर रही है, द्वारा अपनी मरजी माफिक खर्चा करने का बार-बार संगीन आरोप लगाया है । उस पी. एल. 480 का रुपया सी. आई. ए. के द्वारा राजस्थान में भी खर्च हुआ है । राजस्थान में पी. एल. 480 आता है जिसमें अमरीकन लोग कई मिशनों के तहत यहां हैं, कोटा में एग्रीमेन्ट द्वारा मौजूद हैं, माइन्स के अन्दर सर्वे करने के रूप में मौजूद हैं ।

तो क्या गृह मन्त्रीजी उन्हीं के दल के एक सदस्य द्वारा यह सन्देह प्रकट करने पर कि उन सभी की जांच कराई जावे तो उनकी जांच करावेंगे कि क्या उनको सी. आई. ए. की मार्फत पी. एल. 480 का पैसा मिला है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Ord r !! आप इसमें विस्तार से कह गये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न है सी. आई. ए. के फण्ड का जो मित्र राष्ट्र से किन्हीं एग्रीमेन्ट्स के तहत आता है । इसमें इसी एक का नहीं होता । सभी राष्ट्रों से आता है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !! उनका चुनाव में उपयोग करने की बात है तो आप उस तक ही सीमित रक्खें इसे ।

श्री पृथ्वीसिंह (बार्ला) : प्रश्नकर्ता ने कुछ आरोप लगाये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बात को उन्होंने खुद ने कहा है कि इस पी. एल. 480 से उपलब्ध फण्ड के पैसे का उपयोग चुनाव वगैरह में किया गया ।

मैं यह चाहूंगा माननीय गृह मन्त्रीजी से कि ये बहुत सीरियस एलीगेशन्स हैं और इन सीरियस एलीगेशन्स की अभी तक उन्होंने जानकारी प्राप्त नहीं की बावजूद इसके कि यह नोटिस उनको काफी दिनों पहले मिल गया था । तो इस तरह से यह एक सीरियस लेप्स तो है ही राजस्थान और दिल्ली की शिकायतों के प्रति उनकी कम्पलेसैंसी तो है ही पर क्या अब ये एश्योरेन्स देंगे कि इस सी. आई. ए. की या उससे सम्बन्धित ओर्गेनाइजेशन्स की एक्टीविटीज़ पर चुनावों में या दूसरी एजेन्सियों के जरिये किसी तरह यह सी. आई. ए. एफर्ट्स करता है उस 480 के फण्ड से रुपया इकट्ठा करती है या दूसरे–

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
आर्गेनाइजेशन्स के जरिये काम कराया जिसका कमीशन उनको मिल जावेगा उन सब की जांच कराकर सदन में रिपोर्ट पेश करेंगे ?

श्री रामकिशन (वैर): उपाध्य महोदय, इस प्रश्न पर बहुत शान्ति से विचार करने की जरूरत है ।

माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा राजस्थान की राजनीति को और देश की राजनीति को बहुत ही स्वच्छ करने के लिये उठाया है । और इसके लिये यह सदन की, बुरी नहीं, अच्छी परम्परा स्थापित हुई है ताकि इसे राज्य के रहने वाले नागरिक अच्छी तरह समझें ।

मंत्रीजी के जवाब के बाद सवाल करने का जहां तक प्रश्न है वहां दो तीन बातें साफ हो जानी चाहिए कि आज हिन्दुस्तान के बाहर और सारी दुनियां में तीन ताकतें ऐसी हैं कि जो दुनियां की राजनीति को पैसे के द्वारा, विचारों के द्वारा, अस्त्रों-शस्त्रों के द्वारा प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं जिनमें से अमेरिका और सोवियत रूस के अतिरिक्त चीनी सभ्यता का प्रतीक एक मुल्क भी शामिल है । तीन तरह की जानकारी हमें चाहिए । विचारों की मदद का जहां तक प्रश्न है उसको तो मैं समझता हूं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारों की मदद लें । पर अस्त्र और पैसे के मामलों में इतना ही नहीं है कि सी० आई०ए० ने कांग्रेस को या विरोधी दलों को पैसा दिया पर देश हित विरोधी कामों के लिये भी पैसा दिया है । अगर इसकी जांच नहीं की तो हो सकता है हमारे मुल्क की भी वही दुर्दशा होगी जो एशिया और अफ्रीका के और कई मुल्कों की हो रही है ।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जानकारी का नहीं है । न इतना ही सवाल है कि गृहमंत्री मामूली सा जवाब दे दें और यह प्रश्न समाप्त हो जाय । इसके पीछे विश्व राजनीति का सवाल छिपा है । एक राज्य प्रजानीति का हामी है तो एक साम्यवादी तो तीसरा उग्रवादी समाजवादी का है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of Order Sir, जो विषय चल रहा है वह सी. आई. ए. से सम्बन्धित है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप उसी की भूमिका बान्ध रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि आप इस भूमिका में ऐसी पार्टियों से सम्बन्धित जो हैं उन पर रिफ्लेक्शन करने की इजाजत देते हैं तो आपको हमें भी समय देना पड़ेगा इस पर बोलने के लिये ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : काठमाण्डू में छात्र संघ का सम्मेलन हुआ है अभी ।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये तो मैंने शुरू में ही कहा था कि इतना विवादास्पद विषय है यह कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता । दूसरी राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार भी इस मामले में कुछ बहुत ज्यादा कर सकती हों ऐसी बात नहीं है । इसलिये कृपया

Page No.81

जो गृहमंत्रीजी ने जवाब दिया है उसी तक ही सीमित रहें और उसके बारे में शंका हो तो आप कह दें इतना ही कहना है। बाकी सदन का समय भी बच सकेगा ।

श्री रामकिशन : अगर यह प्रवृत्तियां चलीं तो सदन के समय का प्रश्न ही नहीं रहेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जहां तक सी०आई०ए० के फण्ड का सवाल है वह अकेला नहीं है, कम्यूनिस्ट रशिया के भी ऐसे काम चल रहे हैं इसलिये आप अपनी चर्चा सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेन्सी तक ही सीमित रखें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह तो सिफारिश है।

श्री रामकिशन : मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें भ्रम हो रहा है उसको दूर करें। किसको किससे बात हो रही है, न सी. आई. ए. की बात है, न सोवियत रशिया की बात है, न चीनी पद्धति की बात कहता हूं।

मैं तो एक सिद्धांत की बात कह रहा हूं कि सारी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां चल रही हैं । मैं तो इनके सामने हमारी देश की केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का क्या फर्ज है वह बताना चाहता हूं। सी. आई. ए. के बारे में चर्चा हुई है, दूसरी ओर से दूसरी चर्चा लगाई गई। स्वैतलाना का भी जिक्र किया गया और माननीय सदस्यों ने कहा कि जयपुर में दौरा करने में भी सी. आई. ए. का हाथ था। इन सब बातों पर मुझे नहीं कहना है अफसोस मुझे सिर्फ इतना सा है कि राज्य सरकार के वे लोग और केन्द्रीय सरकार के वे लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनके लिये वे खुद जिम्मेदार हैं।

आज सी आई. ए. का इतना जाल फैल रहा है, इस देश में फैल रहा है, दुनियां के दूसरे देशों में फैल रहा है, इसकी जिम्मेदारी सरकारी पार्टी पर है विरोधी दलों पर नहीं है।

यह सवाल लोक सभा में जार्ज फरनाण्डीज ने उठाया था और इसके बाद सरकारी दबाव किस तरफ चलता है। कहने लगे कि पी. एस. पी., जनसंघ, स्वतन्त्र इसमें हैं तो मैं यह कहता हूँ कि आर. पी. एस. पी. है जनसंघ है, कांग्रेस है कोई है इसकी जांच से हमें घबराना नहीं चाहिए। इससे मुल्क की राजनीति साफ होगी और आगे का रास्ता मिलेगा। लेकिन हम दलगत नीति से छोटी छोटी चीजों को जांचना चाहते हैं। केवल यह कहना कि जनसंघ या पी. एस. पी. मदद लेते हैं और कांग्रेस के लोगों ने मदद नहीं ली है तो मैं समझता हूं कि यह दलगत दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें इन सारी बातों को दलगत दृष्टिकोण से नहीं देखकर राजनैतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिये और जिस प्रकार पूंजीपति व्यवस्था और प्रभावशाली लोग प्रगतिशील दृष्टि में दखल दे रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिये । और मैं यह जानना चाहूँगा माननीय सदस्य से जिन्होंने कहाकि जनसंघ और पी. एस. पी. को एक करोड़ रुपया मिला तो लोक सभा में इस बात की चर्चा थी कि उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों ने भी पैसा लिया है। और उसमें केन्द्रीय विदेश मंत्री और सेना के मंत्री के नाम आये

Page No.82

(श्री रामकिशन)

है। मैं समझता हूँ कि यह सदन की चर्चा का विषय नहीं है लेकिन जब आ गया है तो इस पर राजनैतिक स्पष्टीकरण हो जावे। इसलिये मैं जानना चाहूँगा कि सभी दलों के बारे में जो न्यूयार्क टाइम्स में छपा है उसके लिये हमें तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिका हमारे बारे में कुछ भी लिखे इसकी चिन्ता नहीं लेकिन मौलिक व्यवस्था यह है कि किसी प्रकार विदेशी पूंजी, विचार और विदेशी अर्थ कहीं हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को भंग तो नहीं कर रहे हैं। बाकी अमेरिका और दूसरे देश हमारे लिये क्या समझते हैं उसके लिये कोई बात नहीं। उसका समाधान नहीं होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी एक राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिये कि किसने धन दिया और किसको दिया। यह नहीं कि जिस किसी ने चाहा कह दिया कि गायत्रीदेवी के साथ सी. आई. ए. का एजेन्ट था। आप गायत्री देवी और सी. आई. ए. को जेल में डाल सकते हैं। मैं इतना ही कह कर माननीय होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये और इसकी सूचना तेजी से आपको मिलनी चाहिये क्योंकि यह जो घटनाओं का सिलसिला बना है और यह घटनाएं कभी बुरे से बुरा मोड़ ले सकती हैं। इसलिए इसकी राज्य सरकार को जानकारी होनी चाहिये। गृह मंत्री का जवाब असंतोषप्रद है। या तो उन्होने उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा है या....

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दिया वह आपके सामने है उस पर टीका करने की जरूरत नहीं है।

श्री रामकिशन : या उन्होंने सोचा हो कि उनका दल भी इसमें फंसा है इसलिये इससे निकल जावे। मेरा यह कहना है कि उनका दल भी उतना ही दोषी है जितना दूसरे दल दोषी हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री ने कहा कि कोई सूचना नहीं है। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस राज्य के एक बहुत बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा है और विश्वासपूर्वक बताया है, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता मगर सदन का सदस्य होने के नाते अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि उधर के बैठे हुए पार्टी के लोगों को फोरिन का पैसा मिला है उससे आधा भी पैसा चुनावों में खर्च नहीं हुआ और मैं अपने विश्वास के आधार पर कह सकता हूं कि यह सूचना हमारे गृह विभाग के पास है और उनको उस पर कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से अपोजिशन पार्टी पर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाये गये। मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह के कांग्रेस पार्टी के साथ एलिगेशन लगाये गये। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक जनरल प्रश्न का सवाल है और आल इन्डिया का प्रश्न है वहां तक उनको मदद मिली यह तो भारत सरकार जानती है लेकिन राजस्थान के मामले की जानकारी हमारे गृह मन्त्री को होनी चाहिये। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि इस बात की जानकारी हमारे इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेंट को नहीं है। जब यहां पर किसी प्रकार की जानकारी अब तक आपके पास नहीं है फिर भी यह कहा जाता है। इसलिये उपाध्यक्ष

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि यह शिकायत सिर्फ इस तरफ से नहीं है कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ भी है। कांग्रेस के सदस्यों ने लाखों रुपया खर्च किया है उनकी जानकारी होनी जरूरी है। इसलिये जहां तक राजस्थान का प्रश्न है मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिए एक इन्डिपेन्डेंट कमीशन मुकर्रर होना चाहिये जो इसकी जांच करें। क्योंकि पहले ही लाखों रूपया खर्च होता है। हमें हमारी नई डेमोक्रेसी है उसको कायम रखना है। इसलिये हमारे राजस्थान में जो मांग की गई है कि इसकी इन्डिपेन्डेन्ट कमीशन के द्वारा जांच कराई जावे और इन्डिपेन्डेन्ट कमीशन बिठाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या माननीय गृह मंत्री ने जो उत्तर लास्ट सदन में दिया था वह उत्तर इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के एडमिट किये जाने के पहले इस उत्तर की सूचना भेज दी थी ?

श्री पी. के. चौधरी : यह प्रश्न एसेम्बली सैक्रेटेरियेट से संबंधित है इसलिये नहीं पूछ सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रकार की परम्परा है उसके अनुसार पूछ नहीं सकते यह परम्परा मैं जानता हूँ मगर ये बतादें तो बतादें।

श्री पी. के. चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय··

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आपके इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ने करीब करीब दो घन्टे ले लिये हैं। मैंने स्वयं ने निवेदन किया कि होम मिनिस्टर ने जवाब दिया है अब आप कुछ क्लेरिफिकेशन और कराना चाहते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी पार्टी को बदनाम करने के लिये यह नहीं लाया गया है और यह कहना गलत है कि किसी को बदनाम करने के लिये यह लाया गया है। मेरी मंशा यह है सी. आई. ए. एक ऐसी ऐजन्सी है जिसको खतरनाक मानते हैं। सिर्फ इसलिये मैंने यह काल ऐटेन्शन रखा है।

श्री विजयसिंह रावत : आपकी मंशा यह थी कि महारानी गायत्री देवी ने अमेरीकन सी. आई. ए. के साथ मिलकर··

श्री रघुनाथ विश्नोई : उन्होंने देखा होगा उनके साथ।

श्री विजयसिंह रावत : भारत की प्रधान मन्त्री भी किसी जमाने में उनके साथ थीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप भी बतादें।

श्री विजयसिंह रावत : मैं यह कहूंगा कि यह बहुत गम्भीर मामला है इसलिये इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय इसमें लग गया है। गृह मन्त्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो राजनैतिक दलों के फन्डस के बारे में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कहा उसमें से कोई भी अंश सही है क्या ? आपके इन्टेलीजेन्स विभाग को जानकारी के आधार पर।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही स्टेटमेंट में माननीय सदस्यों को साफतौर से बता दिया कि यह समाचार पत्रों में आया है। इस पर पार्लियामेंट में बहस हुई। होम मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया है। सी. आई. से इन्वेस्टीगेशन की रिपोर्ट भी विचाराधीन बताई जाती है। इसके सिवाय कोई सूचना नहीं कि जो मैं आपको दूं। इस काल एटेन्शन पर मैं समझता हूँ कि इतनी गरमा गरम बहस हुई, मैं यह समझता था कि यह एडमिट नहीं होगा। एक मित्र राष्ट्र का सवाल है, एक मित्र राष्ट्र का सम्बन्ध है, इसका सीधा सम्बन्ध पार्लियामेंट से है। हम यहां इस प्रकार की बहस की उम्मीद नहीं करते थे। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को यहां उठाया तो उस पर बहस हुई। किसी पर यह आरोप लगाना कि विदेशी पूंजी उसकी अपनी विचारधारा में या डेमोक्रेटिक विचारों में चेंज लाने के लिए काम में आ रही है या उस विदेशी पूंजी से राष्ट्र के अगेन्स्ट में प्रचार किया जा रहा है तो यह सबसे बड़ा आघात हमारे नेशनल करेक्टर पर है। गृह मन्त्रीजी ने पार्लियामेंट में साफ कहा कि किन्हीं पोलिटिकल पार्टीज पर जो आरोप लगाये हैं उससे वे खुश नहीं हैं।

इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाये जायं और मुझसे उम्मीद लगाई जाय कि राजस्थान में कितना रुपया आया है, मैंने स्पष्ट कहा है कि मेरे पास कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। कितना पैसा आया चाहे मन्त्रियों के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर या चाहे किसी पार्टी विशेष के ऊपर आरोप हो, इस सब की छानबीन सेंट्रल इन्टेलिजेंस ब्यूरो कर रहा है। इससे ज्यादा सूचना मैं आपको नहीं दे सकता। मैंने आपको कह दिया कि राजस्थान के लिये अलग से सूचना नहीं है। अगर कोई जांच से, सी. आई. डी. की जांच से, सेंट्रल से इन्टेलिजेंस की जांच से सूचना मेरे पास आई और वह ऐसी सूचना हुई कि उसकी जानकारी सदन को दूं तो मैं अवश्य दूंगा। लेकिन फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री की सलाह से या मेरी सलाह से जैसा कि कहा गया, इस प्रकार का सवाल उठाया कि विरोधी दलों पर इस प्रकार का आरोप लगाया जाय, यह बिलकुल गलत है। उन्होंने हमसे कोई सलाह नहीं ली। उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया है, यह उनके खुद के विचार हो सकते हैं, सरकार के ऊपर इसे लाना उचित नहीं है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछे हैं, यह सारे सवाल पार्लियामेंट में बहस के दौरान आये हैं और भारत सरकार के विचाराधीन हैं, भारत सरकार इन्क्वायरीज कर रही है। यह सारा सब्जेक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट है, उन पर विचार हो रहा है इसलिये इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सब आपने माननीय सदस्य को क्यों नहीं भेजा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय के पास मैंने भेज दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री पी. के. चौधरी से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस सब की जांच करवाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय को भेजा है, उसमें जांच करवाने का है सी. आई. ए. के कामों की ?

एक माननीय सदस्य : जांच करवाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री लादूराम सुलानिया : व्यवस्था का प्रश्न है । उपाध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर प्रश्न सदन के सामने था, आपने क्या फैसला दिया है, गम्भीर प्रश्न इस प्रकार का सदन के सामने आता है तो आपका इस पर निर्णय होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आसन कोई फैसला नहीं करता, सदन के सामने प्रस्ताव हो तो निर्णायिक ढंग से जांच करा सकते हैं । ऐसा कोई प्रस्ताव था नहीं । सदन की राय उस हालत में ली जाती जब कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव होता । मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया और मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब तक बहस हुई उसमें गवर्नमेंट को डायरेक्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरा तो मत है कि सी०आई०ए० के सम्बन्ध में अपने यहां पर कोई ज्यादा गहराई से चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह सदन उस प्रस्ताव में निर्णय ले सकता है जो कोई प्रस्ताव निर्णायक रूप में पेश हो उसके सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि कोई निर्णायक प्रस्ताव नहीं इसलिये इस पर फैसला नहीं हो सकता । ध्यान आकर्षण के रूप में यह प्रस्ताव सामने आया है । यहां ऐसा प्रस्ताव होना चाहिये जो प्रशासन से सम्बन्धित हो, ऐसी बात इसमें नहीं है । काल अटेन्शन नोटिस था, एडमिट हो गया, उस पर चर्चा हो गई, इसके सम्बन्ध में निर्णय की स्थिति में सदन नहीं है । आसन को अधिकार नहीं है कि इसमें निर्णय दे ।

श्री मदनसिंह : यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है, इस पर बहस हुई तो इस पर सदन में निर्णय क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : निर्णय के रूप में प्रस्ताव नहीं था ।

श्री मदनसिंह : क्या मंत्री महोदय ने इस पर गम्भीरता से सोचा ?

श्री उपाध्यक्ष: ध्यान आकर्षित हो गया और मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया ।

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय का वक्तव्य यह हुआ जैसा उन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई सूचना उनके पास नहीं है । तो क्या यह केवल गायत्री देवीजी को जो इलेक्शन में पधारी थी, उनको बदनाम करने की वजह से पेश किया और यही कारण है कि इस पोइन्ट को मंत्री महोदय स्ट्रैस नहीं कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिये माननीय सदस्य को निवेदन किया गया था कि

(श्री उपाध्यक्ष)

किसी व्यक्ति का नाम बहुत सोच समझ कर चर्चा में खींचना चाहिये, नहीं तो लम्बी चर्चा बढ़ती है, असंगत बातें कही जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते हैं। इसलिये माननीय सदस्यों के सोचने की बात है कि जब किसी का नाम लिया जाय तो बहुत सोच विचार कर सीधे सरकार या प्रशासन से सम्बन्धित हो उनका नाम लिया जाय।

श्री लादूराम सुलानिया : जो नाम लिया है, आपने निर्णय फरमाया है, श्रीमती गायत्री देवी का नाम लिया है और आपने व्यवस्था दी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order, Sir. रूल 131 के सब रूल 3 में है :

"Not more than one such matter shall be raised at the same sitting."

सो, आज की सिटिंग में एक काल अटेन्शन नोटिस हो गया है, इसलिये अब दूसरा नहीं लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आसन को अधिकार है, नियमों में हेर फेर कर के एक की जगह दो को आसन कर सकता है। खास तौर से यह इस सत्र की बैठक का आखिरी दिन था इसलिये किया है।

श्री पी. के. चौधरी : ऐसा कोई एक्सेप्शन रूल में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आसन को और सदन को बहुत अधिकार हैं, सर्वोपरि अधिकार हैं कि सदन अपने प्रणाली खुद तय करता है, कोई नियम इसमें बाधक हो तो कुछ समय के लिये या हमेशा के लिये हटाया जा सकता है।

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : आपने सदन का काफी टाइम लिया है..

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने ढाई घन्टे लिये हैं जब कि 15 मिनट का कहा था।

(11.57 म. पू.)

नगरपालिकाओं के चुनाव न कराये जाने सम्बन्धी मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान की लगभग 70 नगरपालिकाओं के अब तक चुनाव नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस वर्ष राजस्थान में 50 प्रतिशत नगरपालिकाएं ऐसी हैं

Page No.87

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जिनके अब तक भी चुनाव नहीं हुए हैं।

(12 मध्याह्न)

यह दुख का विषय है कि जो नगरपालिकायें शहरी क्षेत्रों में लोकतन्त्र की मौलिक इकाइयां हैं उनके चुनाव इतने दिनों तक न कराये जायं। पिछले वर्ष या उससे पूर्व इस सदन में राज्य सरकार ने एक विधेयक पेश किया और सरकार ने उसके द्वारा नगरपालिकाओं के चुनाव की अवधि बढ़ाने का कार्यकाल जो एक वर्ष का था, उसको दो वर्ष करने का अधिकार लिया। उस समय सदन में इस बात की आशंका प्रकट की थी कि राज्य सरकार इस अधिकार का दुरुपयोग करेगी। सदन में तत्कालीन मन्त्री महोदय ने इस बात का भरोसा दिया था कि सरकार कभी भी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन हमें यह जानकर खेद हुआ है कि राज्य सरकार ने उस अधिकार का बहुत दुरुपयोग किया है। राजस्थान में आज लगभग आधी नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक कार्य कर रहे हैं।

प्रशासकों की नियुक्ति लोकतन्त्र की भावनाओं के विरुद्ध है। जिस काम के लिए हमने नगरपालिकाओं का निर्माण किया शहरी क्षेत्रों में, वे पूरे नहीं हो रहे हैं। सरकार की बदनीयति की भावना के कारण सरकार ने चुनाव न करा कर प्रशासक रखे हैं और उनके माध्यम से मनमाने तरीके से कर लगाना और जमीनों की बिक्री करना और जो मैं बदनीयति की बात कह रहा हूं, उसको सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनायें बना रहे हैं, जो नगरपालिकाओं के द्वारा चलाई जाती हैं, उनमें से लगभग आज 36 नगरपालिकाएं ऐसी हैं, जिनकी जल प्रदाय योजनायें जो नगरपालिकाओं के माध्यम से चालू रहनी चाहिए, उनके नियंत्रण में रहनी चाहिए, वे अब विभाग के द्वारा चलाई जा रही हैं। आज नगरपालिकाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, उनके अधिकार क्षेत्र में से जल प्रदाय योजनायें ली जा रही हैं, जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाये जा रहे हैं। नए नए टैक्स लगाये जा रहे हैं, टैक्सों में वृद्धि की जा रही है, कम्पलसरी टैक्सेज लगाए जा रहे हैं और आज हालत यह हो रही है कि प्रशासकों की नियुक्ति के बाद में राजस्थान में आज जनता की तकलीफों के बारे में भी कोई सुनने वाला नहीं है। आज छोटे छोटे काम के लिए चाहे चीनी का राशन कार्ड हो, शादी के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता हो, शादी के लिए चीनी की आवश्यकता हो, व्यक्ति बढ़ाने हों, उम्र की तसदीक करने का सवाल हो, स्कूल फीस माफ कराने का सवाल हो, वजीफा, दाखिला इत्यादि हर काम के लिए नगरपालिका के सदस्यों की प्रमाणिकता चाहिए। यदि नगरपालिका के सदस्य नहीं हैं तो ये काम नहीं होते। इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि राज्य सरकार को राजस्थान में नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के लिये तिथि घोषित करनी चाहिये कि हम इस तारीख को राजस्थान में 60 नगरपालिकाओं के चुनाव करा देंगे।

राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है इसलिए इस

Page No.88

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा राजस्थान के 69 नगरपालिकाओं के निवासियों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। आज बड़े बड़े शहरों और कस्बों में प्रशासक काम कर रहे हैं जैसे जयपुर, उदयपुर इत्यादि। इस सम्बन्ध में सरकार को निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिए, उसकी घोषणा सदन में करनी चाहिए और यह सदन इस बात में दिलचस्पी रखता है कि राज्य सरकार इन नगरपालिकाओं के चुनाव निश्चित रूप से इस तारीख तक करा देगी। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस प्रश्न की ओर खींचता हूं।

श्री नारायणसिंह मसूदा: (स्वायत शासन मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने नगरपालिकाओं के विषय में ध्यान आकर्षित किया है और चिंता व्यक्त की है कि जनतंत्र और लोकतंत्र की जड़ें हैं उनको खतरे में डालते हुए उनको खतम करते हुए, कई नगरपालिकाओं के अन्दर प्रशासक नियुक्त किए गए और चुनाव की अवधि एमेंडमेंट के द्वारा बढ़ाई गई, इत्यादि।

मैं निवेदन करूं कि यह सही है कि 141 नगरपालिकाओं में से 67 नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त हो जाने के कारण और उनमें से . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उनमें से तीन नगरपालिकायें, मालपुरा, राजगढ़, और कोटपुतली में क्रमशः 21-2-67, 21-2-67 और 21-3-67 को प्रशासकों की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त नगरपालिका रायसिंह नगर के चुनाव अवैध घोषित हो जाने के कारण वहां 23-4-67 को प्रशासक की नियुक्ति की गई और इस प्रकार के कारणों से ही गत विधान सभा के समय में यह सवाल उठा था कि प्रशासक मुकर्रर हो रहे हैं और राज्य सरकार अपनी मनमानी करके जहां चाहे प्रशासक नियुक्त कर रही है और जहां अपनी पार्टी की बात आई तो वहां नगरपालिकाओं को उसी प्रकार चलने देती है। मेरे पूर्व के मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि एक यूनीफार्म पोलिसी अख्त्यार की जायगी और सभी जगहों पर इसी पोलिसी के अन्तर्गत कार्य किया जायगा।

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अब केवल प्रश्न आज जनतंत्र का यदि जुड़ा हुआ नजर आता है तो म्यूनिसपल एक्ट में, प्रस्तुत विषय को लेकर, दो धाराओं का इस्तेमाल होता है इसके अन्दर। सेक्शन 11 और 293ए. .

(अश्रव्य)

मेरा नम्र निवेदन है कि प्रत्येक नगरपालिका के चुनाव, यह सर्वविदित है, पार्टी के आधार पर नहीं होते। पार्टी के सिम्बल नहीं दिये जाते हैं और हम यह चाहते हैं कि नगरपालिकाओं में यह प्रवृति न बने कि अगर राज्य सरकार को खुश रखा जायगा तो दो वर्ष या एक वर्ष, जो भी अवधि हो, उतनी बढ़ा दी जायगी। इसलिए 293 के अन्दर प्रशासक की नियुक्ति का आश्रय लेकर एक

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

यूनीफार्म पोलिसी के अन्तर्गत 66 या 67 नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त किए गए । प्रश्न यह भी हो सकता है कि धारा 293 के अन्तर्गत प्रशासक कितने समय तक रहें, इसका कोई साफ उल्लेख उसमें नहीं है। और इसलिये कोई यह भी अर्थ लेना पसन्द करे कि अनिश्चित काल के लिये वह होगा । परन्तु सारे फैक्ट्स को देखते हुए सेक्शन 11 की भी जो मंशा है उनकी पृष्ठभूमि को यदि हम सामने रखें तो 293ए. के अन्दर भी प्रशासक सामान्यतया दो साल से अधिक तो हो नहीं सकता । इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता परन्तु यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब यह प्रशासक नियुक्त किया गया सब नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त किये गये। उन नगरपालिकाओं को विभिन्न तबके, पार्टी के प्रभाव में कहा जा सकता है। दलगत आधार पर चुनाव नहीं हुए तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि नगरपालिका फलां की पार्टी के अधिकार में है । फिर भी प्रभाव-ग्रस्त हो जाने पर भी यही कहा जा सकता है कि एक पार्टी या दूसरी पार्टी पर आघात पहुंचाने के लिये ऐसा किया गया हो तो उस सामान्य नीति के अनुसार यह प्रशासक नियुक्त किये गये हैं ।

अब चुनाव कब हों और चुनाव आगे टालने की मंशा राज्य सरकार की हो, ऐसा मान लेना भी, मैं समझता हूँ, अनुचित है । जो भूमिका मैंने आपको बतायी उसके अन्दर प्रशासक नियुक्त किये गये। बीच में ग्राम चुनाव आये । उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम चुनाव के अन्दर यह सब को ही विदित होता है कि सरकारी जितना भी अमला है वह सारा ग्राम चुनाव के प्रबन्धों में लग जाता है । इसलिये उसके समानान्तर इन चुनावों को भी रखा जाता तो कई फोर्मेलिटीज को पूरा करने में, इन चुनावों को पूरा कराने में कठिनाईयां आती ।

अब मैं यह निवेदन कर सकता हूँ कि हमारे स्वायत्त शासन विभाग द्वारा चुनाव विभाग को पत्र लिखा गया और चुनाव विभाग का उत्तर भी आगया है । इस विषय में यह तथ्य विचाराधीन है । राज्य सरकार की यह मंशा है कि चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायं परन्तु जो फोर्मेलिटीज चुनावों के पहले होनी चाहिये उनको देखते हुए फोर्म वगैरह तैयार कराना, डिलिमिटेशन इलेक्टोरल रोल का बनाना, ओब्जेक्शन आना और प्रोग्राम आदि तय करना यह सब समय लेता है और उसको सामने रखते हुए निर्णय शीघ्र लिया जाय मैं समझता हूँ इस विषय में, ऐसा कदम उठा रहे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र यह कार्य हो सके और मैं आशा करता हूं कि दिसम्बर तक सब नगरपालिकाओं के चुनाव पीछे कराये जा सकेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दिसम्बर के पीछे कब तक ? 68 में या 69 में ? कौन से महीने तक ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जनवरी 68 तक । दिसम्बर 67 तक का तो समय हो ही जायेगा । उससे पहले भी हो सकते हैं । इन सारी फोर्मेलिटीज को पूरा करने में समय लगेगा । यह सम्भव है कि दिसम्बर से पहले भी हो सकें । मेरी यह मंशा है कि जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है । प्रशासक का रहना आवश्यक नहीं है । जनतन्त्र में कहीं प्रशासक या ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । परन्तु हम देखते हैं ···

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

'Liberty is always guided by safe guards so that it may not be misused.'

इन सेफगार्ड्स के लिये कोन्स्टिट्युशन में प्रावधान रहता है। इमर्जेन्सी में राज्यों में भी प्रेसिडेन्ट रूल का समय आता है और किसी देश के कोन्स्टिट्युशन में देखा जायगा तो वहां कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर होगी कि जिससे जनतन्त्रीय व्यवस्था अगर ऐसी हद तक पहुंच जाय कि जिससे उसमें कोई दोष नजर आने लगे और उसको ठीक करने की बात हो तो कुछ सेफगार्ड्स ऐसी हों प्रेसिडेन्ट रूल या ऐसी व्यवस्था की जाय। तो उसी प्रकार से क्या म्युनिसिपैलिटीज क्या ये छोटी 2 जनतन्त्रीय संस्थायें उनके लिये यह सेफगार्ड है। उसके अन्तर्गत यह कार्य होगा। मैं नहीं चाहता कि एडमिनिस्ट्रेटर्स बराबर बने रहें। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ से भारी टेक्स लगते रहें उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि यह अलग बात है कि टेक्सेशन का इन्सीडेंस कितना है, लेकिन टेक्सेशन से हम चमकते रहें और सब प्रकार की प्रगति की आशा करते रहें तो यह भी एक ज्यादती हो जाती है। ओब्लीगेटरी टैक्स की तरफ भी नगरपालिकायें ध्यान कम दें और दूसरे टेक्सों की तरफ केवल इसलिये दें कि जनता में एक तुरन्त पापुलेरिटी प्राप्त हो सके तो, मैं समझता हूं, हम दायित्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं हम टेक्स का इन्सीडेन्स देखते हैं परन्तु आज हमें यह भी देखना पड़ेगा कि, आज म्युनिसिपैलिटीज का ही जिक्र है, अगर नगरपालिकायें आर्थिक दृष्टि से इतनी सक्षम नहीं है कि वह अपने एम्पलाइज को भी वेतन चुकाने में अक्षम हो जायं तो या तो राज्य सरकार से ग्रान्ट-इन-एड और लोन लें या जिस प्रकार की शिकायतें आज कई जगहों से आती हैं, तनख्वाहें नहीं चुकायी गईं और उनके कारण से निम्न वर्ग के सेवकों को दिक्कतें हुई वे शिकायतें बराबर बनी आ सकती हैं। यद्यपि मैं आपको निवेदन करूं कि कई नगरपालिकाओं के अन्दर जहां जहां इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं वहां का भी सिंहावलोकन किया जावेगा तो यह स्पष्ट होगा कि वहां भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होने के बाद ऑक्ट्रॉय या हाउस टेक्स लिये जाकर वहां की नगरपालिकाओं को इतना सक्षम किया गया है कि तनख्वाहें आदि चुका सकें। यह राज्य सरकार कभी नहीं चाहेगी कि टेक्सेशन माइट बन कर, जो स्वीपर्स इत्यादि दिन-रात काम करते हैं उनकी तनख्वाहें आदि न चुकें। तो इन दृष्टियों से जहां जहां इस प्रकार की स्थितियां हैं इस टेक्सेशन से वे स्थितियां हल्की भी पड़ें। उस दृष्टि से भी उसको देखना पड़ेगा।

आज का ध्यान आकर्षण का विषय है कि चुनाव कब हों। राज्य सरकार स्वयं यह चाहती है कि ये प्रशासक नगरपालिकाओं में अधिक दिन न रहें। किसी को भी खुशी नहीं है। जनतन्त्र की व्यवस्था विकेन्द्रित रूप से नीचे से बनी रहे इसी में हमारा लाभ है और प्रगति है और इस चीज को करते हुए हम कोन्स्टिट्युशन और दूसरे नियमों से प्रत्येक स्तर पर जिस प्रकार के कानून इत्यादि हैं हम इस ओर प्रगति करते हुए चले जा रहे हैं। चाहे पंचायतों की तरफ देखें, चाहे पंचायत समितियों की तरफ देखें, स्वायत्त शासन तो बहुत पुराने वक्त से चला हुआ है और आज भी कभी उसमें

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

संशोधन किया जाता है इसी नीयत से किया जाता है कि जनतन्त्रीय पद्धति की कड़ियां नीचे से बढ़ी हुई रहें। उसको तोड़ कर प्रजातन्त्र पार्टी सिस्टम में बना नहीं रह सकता। प्रजातन्त्र का रूप, उसकी रीढ़ की हड्डी उसी आधार पर है। यह कभी नहीं हो सकता कि उन सिद्धांतों को तोड़ा जाय और जनतन्त्रीय सिद्धान्तों को खत्म किया जाय और जो कुछ किया गया है, जिस पृष्ठभूमि में किया गया है आपके सामने वह मैंने निवेदन किया, चुनाव के लिए जो मैंने निवेदन किया मैं समझता हूं, उस समय तक वह सारा कार्य भी समाप्त होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनाव के लिये क्या करेंगे यह बता दीजिये ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष से भी इस सम्बन्ध में कुछ एक बात स्पष्टीकरण के रूप में पूछना चाहूंगा। माननीय सदस्य के द्वारा यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है। इन्होंने जो मुद्दे उठाये उसमें इन्होंने कहा कि कई एक नगरपालिकाओं में चुनाव नहीं हुए हैं। मैं सरकार के इस अधिकार के ऊपर कोई आपत्ति नहीं डालना चाहता कि प्रशासक नियुक्त न हों लेकिन आपने बहुत अधिक संख्या में नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त किये हैं। यह खामी से भरपूर व्यवस्था है आपकी। नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त होने पर उसका प्रशासन अच्छा चले इस दृष्टि से अगर आप प्रशासक नियुक्त करते हैं तो मेरे ख्याल में इस व्यवस्था का प्रयोग आपको अत्यधिक रूप से नहीं करना चाहिये। और प्रशासक द्वारा टैक्स लगाये जाते हैं तो मेरे ख्याल में यह जनतान्त्रिक प्रणाली के विपरीत है।

स्पष्टीकरण के रूप में मेरा निवेदन है कि इस तरह से दो टेबलेशन की तालिकायें बनानी चाहिये जैसे कान्करेन्टली लिस्ट और स्टेट लिस्ट। एक ओब्लीगेटरी हो और एक ओप्शनल हो। ओब्लीगेटरी में ऐसे विषय रक्खें कि जिनकी संख्या कम से कम हो। मैं आपको विशेष तो निवेदन नहीं करना चाहता पर ऐसे उदाहरण भी हैं कि नगरपालिकाओं ने हाउस टेक्स भी नहीं लगाया, पर तनख्वाह बराबर दी, बजट भी उनका सन्तुलित रहा, असेट्स भी बराबर रहे, और शासन व्यवस्था में कोई खामी भी सरकार के द्वारा नहीं बताई गई। लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक थोप दिया गया। मुझे खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि मुझे इस तरह की आशंका है कि धीरे धीरे आप नेशनल का स्थान ले रहे हैं कि कदम कदम पर आप यह कहते हैं कि एक पार्टी के हाथ में व्यवस्था दो, निर्णय दो। मैंने यह भी देखा है कि नगरपालिका जहां शासनारूढ़ दल की बनी वहां उसको एक्सटेन्शन भी दिया। विरोधी पक्ष की नगरपालिकाओं के लिये ऐसी कोई व्यवस्था आप नहीं करते। मैं समझता हूं यह भी आपकी अनुचित व्यवस्था है और माननीय मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि दिसम्बर तक चुनाव करा दिये जावेंगे अगर यह आश्वासन कार्य रूप में परिणित आप करा सकें तो मन्त्री महोदय के इस निर्णय का स्वागत करूंगा।

मेरा यह भी निवेदन है कि नगरपालिका के सम्बन्ध में याचिकाएं हैं, वे भी फैसल नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हो पाती। तो कम से कम आपको यह चाहिये कि जो प्रशासक की नियुक्ति हो वह कम से कम समय के लिये हो, पहले तो होना ही नहीं चाहिये प्रशासक नियुक्त, जब अवधि समाप्त होने को हो तो व्यवस्था तो वहां चुनाव कराने की उसके तुरन्त बाद ही हो जानी चाहिये, फिर भी आपने जो दो वर्ष की अवधि बताई वह अत्यधिक है। यह जनतन्त्र के लिये अशोभनीय है। इसमें अधिकतम कार्यकाल इनका आप एक साल का रखें तो एक हद तक मैं उससे सहमत हो सकता हूं। यही याचिकाओं के सम्बन्ध में होना चाहिये। एक साल में अधिक से अधिक इन पर भी निर्णय हो जाना चाहिये और उनका फैसला कर दिया जावे।

जितने कम समय के लिये प्रशासक कायम कर सकें, करें इस सिद्धान्त को मान कर आप चलें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के बारे में बड़ा मधुर व्याख्यान हमको दिया और इसके लिये उनके दिल में जो टीस है उसको भी हमने महसूस किया।

लेकिन मैं समझता हूं कि यह निर्णय उनका अपना व्यक्तिगत है, उसके पीछे राजस्थान सरकार का कोई निर्णय हो ऐसा प्रतीत नहीं होता।

मैं उनसे प्रश्न के द्वारा जानना चाहूंगा कि जब आज लगभग एक एक साल नगरपालिकाओं को भंग हुए हो गया और वहां पर आज प्रशासक नियुक्त हैं तो इस समय तक सरकार के सामने कौनसी ऐसी दुविधा या कठिनाई थी कि वह चुनावों की व्यवस्था नहीं करा सकी।

यह ठीक है कि नगरपालिकाओं के चुनाव कुछ जगह हाई कोर्ट के आदेश हैं या कुछ नगरपालिकाओं का डिस्प्यूट होने से बन्द किये गये हैं। पर अधिकांश तो इस प्रकार की हैं कि जिनकी अवधि समाप्त होने के कारण चुनाव जल्दी ही हो सकता था और चुनी हुई नगरपालिकाओं को काम करने की इजाजत दी जा सकती थी। आपका पूरा डी. एल. बी. का महकमा था वह चुनावों को संगठित कर सकता था। फिर क्यों नहीं यह महकमा समय पर चुनाव करा पाया। डिलिमिटेशन है, वोटर लिस्ट है इन के बारे में इन्तजाम करा दिया जावे कि आइन्दा से अवधि समाप्त होने के पूर्व ही वे तैयार हो जावें और अवधि समाप्त होने के साथ ही तुरन्त उसके पश्चात चुनाव करा कर उनको सौंप दी जानी चाहिये।

पर आपकी ढिलाई के कारण प्रशासक को अधिक समय तक कायम रखने में जनहित की हानि की सम्भावना अधिक है।

इसी सदन में छावर की नगरपालिका के चुनाव को लेकर सवाल आया, चार चार महीने से सवाल आ रहा है कि तनखा नहीं मिलती उनको। फिर प्रशासक लोग करते क्या हैं? सिवाय लालफीताशाही के वे काम नहीं करते। वे किसी जवाब के लिये उत्तरदायी नहीं हो सकते। काम वे करेंगे जिनके दिलों में जनता के लिये पीड़ा होगी मैं जानना चाहूंगा कि जितना विलम्ब अब तक हुआ उसके लिये कौन जिम्मेदार है अगर हो भी जिम्मेदार कोई तो क्या आप कार्यवाही करेंगे?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने दिसम्बर का समय मांगा है यह भी बहुत अधिक है, वार्डों के डिलिमिटेशन और वोटर लिस्टों के तैयार करने में तीन महीने से अधिक समय नहीं चाहिये। आप इतने समय में इलेक्शन करा सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) उपाध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय, ने जो उत्तर दिया है वह एक बायरड डिक्लेरेशन करने के अलावा और कोई उत्तर में ठोस बात नहीं है। अभी माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया वह यह तथ्य थे कि जनतांत्रिक तरीकों को छोड़ कर सरकार का यह रवैया हो गया है कि कितनी ही म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव समय पर नहीं कराये जाते हैं तो माननीय मंत्री महोदय को अपने उत्तर में यह बताना चाहिए था कि जितनी भी नगरपालिकायें हैं इनमें किन स्थिति में सामान्य रूप से चुनाव नहीं कराये गये और अवधि पूरी होने से पहले ही प्रशासक क्यों नियुक्त किये। उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय ने आम चुनावों की बात कही . . .

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! इस में जैसा पहले निवेदन किया गया था कि लम्बे भाषण नहीं होने चाहिए। यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है और आपकी समझ में जो गलतियां नजर आती हैं उनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण होना होता है और काफी शब्दों में श्री सतीशचन्द्र जी ने कह दिया उनका ध्यान आकर्षित हो गया और यह विवाद इसके बाद में समाप्त होना चाहिए। फिर भी नियमों के प्रतिकूल होते हुए कि कोई भाषण नहीं होगा यह व्यवस्था है यहां की कि एक दो सवाल हों तो पूछ लें। अब इसके द्वारा जो गलतियां हैं जिनका माननीय श्री सतीशचन्द्र जी ने जिक्र कर दिया और श्री गोयल जी ने जिक्र कर दिया उसको आप दुबारा दोहरायेंगे और फिर और दूसरे माननीय सदस्य दोहरायेंगे तो यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित हो गया। आपने कहा कि दिसम्बर तक चुनाव करा देंगे उसके बाद में आपको शंका हो तो एक प्रश्न दो प्रश्न पूछ लिए जायें क्योंकि आज आखिरी दिन है और जो हमारा विचारणीय विषय है वह वित्तीय विषय है और उसको एक अवधि में समाप्त करना है इसलिए आपको प्रश्न पूछने हों तो छोटे में ही पूछ लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो माननीय मंत्री महोदय ने बता दिया कि दिसम्बर में चुनाव करा दिये जायेंगे लेकिन इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो तो यह हाउस में जस्टीफाई करना चाहिए कि अभी तक जो चुनाव नहीं कराये गये उनके रीजनेबल कारण क्या थे। इसलिए माननीय मंत्री महोदय को यह तथ्य बताने चाहिए कि इन 68 म्युनिसिपैलिटीज में कम से कम 6 महीने से अधिक से ज्यादा कौनसी म्युनिसिपैलिटीज हैं जिनके चुनाव नहीं कराये गये। यह भी बतायें कि ऐसे कौन से कारण थे कि जिनके कारण इतनी म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव नहीं कराये गये ? और पूरी जानकारी करने के बाद इनकी अपनी राय क्या बनती है और क्या रीजनेबल कारण थे इन तमाम के तमाम में इतनी देर तक चुनाव नहीं कराये जाने के। उपाध्यक्ष

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह सरकार की प्रवृत्ति है उससे हमें मलबर के अन्दर भुक्तभोगी बनना पड़ा है। हमारी नगरपालिका की मियाद 3 साल से बढ़ाकर वहां पर भी नये चुनाव नही कराये गये और 5 साल तक उसकी मियाद बढ़ा दी गयी और उसका नतीजा यह हुआ है कि उस म्युनिसिपैलिटी का दीवाला निकल गया और अनियमित तरीकों से पैसा खर्च करते रहे और न तो सरकार ने ही नाजायज पैसा खर्च करने पर रोक लगाई और अब म्युनिसिपैलिटी के पास तनख्वाह के लिए पैसे नही रहे और इस्तीफा देकर चलते बने। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन तमाम बातों पर पूरी तरह से प्रकाश डालें कि आया जितनी भी नगरपालिकाओं के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं उसके लिए कोई जस्टीफाइड रीजन्स थे क्या ताकि माननीय सदस्य इस बात से संतोष कर लें कि वास्तव में अनअवाइडेबल रीजन्स के कारण ही अभी तक चुनाव नही हो सके।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक काल अटेन्शन नोटिस नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिन नगरपालिकाओं में चुनाव नही कराये गये और जो प्रशासक नियुक्त हैं उनकी ओर हम माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए पूछना चाहते हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि जिन नगरपालिकाओं में आज प्रशासक हैं उनमें से कई ऐसे हैं कि जो रेवेन्यू विभाग के हैं और नगरपालिकाओं के रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से झगड़े चल रहे हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारां की नगरपालिका का एक उदाहरण देते हुए माननीय मंत्री महोदय को उसके निराकरण के लिये पूछना चाहता हूं· · ·

श्री उपाध्यक्ष : उसका निराकरण माननीय मंत्री महोदय अभी नहीं कर सकते। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर आकर्षित किया गया था कि बहुत लम्बे अर्से से कई म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव नहीं करवाये गये वह उन्होंने एक माननीय सदस्य से सुन लिया, दूसरे माननीय सदस्य से सुन लिया और तीसरे माननीय सदस्य से सुन लिया और जितना उनका ध्यान आकर्षित होना चाहिए था वह हो गया। उसके बाद से यह कोई गुंजाइश नहीं रहती कि उस म्युनिसिपैलिटी में यह गलतियां हैं और उसमें यह गड़बड़ियां हो रही हैं। इसके लिए और भी तरीके हैं जिनका आप उपयोग करके प्रश्न पूछ लीजिए और भी बहुत से अवसर हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं में जो प्रशासक नियुक्त है वह रेवेन्यू विभाग से सम्बन्धित होने के नाते नगरपालिका के रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से आज झगड़े चल रहे हैं और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए उनके कारण से वह रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का पक्ष लेते हैं और यदि नगरपालिकाओं में आज प्रशासक नहीं होकर जनता के प्रतिनिधि होते तो वह नगरपालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा करते। बारां नगरपालिका की गोशाला की जमीन है 300 बीघा जो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट लेना चाहता है और आज वहां पर प्रशासक होने के नाते · · ·

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !! आप विषयान्तर हो रहे हैं। इस

(श्री उपाध्यक्ष)
चर्चा को यहीं समाप्त कर दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि इस प्रकार से नगरपालिकाओं पर एक लम्बे अर्से तक प्रशासक नियुक्त रखे गये तो जिस क्षेत्र की गरीब जनता टैक्स देती है उसका तो दुरुपयोग होता ही है और इसके साथ ही साथ जिन नगरपालिकाओं के जन प्रतिनिधि थे और जिस नगरपालिका की महत्वपूर्ण जमीन को नहीं देना चाहते थे, आज प्रमुख व्यक्ति प्रशासक महोदय से सांठगांठ करके उस जमीन पर कब्जा कर रहे है इसलिए उस नगर की शोभा को सुरक्षित रखने के लिए, उस नगर के मास्टर प्लान को सुरक्षित रखने के लिए नगरपालिका को जो अधिकार दिये गये थे और जो नगरपालिका में तानाशाही चल रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के अन्दर कहूंगा उस क्षेत्र के रहने वाले गरीब आदमी, गरीब मजदूर जिनके पास जमीन के पट्टे नहीं हैं, सौ-सौ वर्षों से जो काबिज हैं जो प्रशासक महोदय अपनी कलम से कहते हैं कि या तो पट्टे पेश करो या परमीशन पेश करो नहीं तो गरीबों की झोंपड़ियों को गिराया जा रहा है। यदि यह प्रशासक लोग इतने लम्बे समय तक चलते रहे तो गरीबों की झोंपड़ियां जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, उनके पास पट्टे नहीं हैं तो आज उनके मकान गिराये जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य, मैं अनुरोध करूंगा कि विषयांतर नहीं हों। आप तो यह चाहते हैं कि जो मन की जंची हुई बात है वह कह देनी चाहिए। पर इससे लाभ नहीं होगा क्योंकि आपकी बात का उत्तर मंत्री महोदय नहीं दे सकेंगे क्योंकि वह आज उसके लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए आपने कहा कि चुनाव जल्दी होने जरूरी हैं क्योंकि बहुत सी अनियमिततायें हो रही हैं तो काफी ध्यान आकर्षित हो गया मंत्री महोदय का इसलिए हम अगले विषय पर चलते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन-जिन नगरपालिकाओं में प्रशासक हैं ऐसे आदेश जारी कर देने चाहिए कि जो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास पट्टे नहीं हैं और आज वह 50-0 वर्षों से रह रहे हैं उनकी झोंपड़ियां को नहीं गिराया जाये और यदि उनके मकान किन्हीं कारणों से गिर जाते हैं तो उनको तामीर की इजाजत देनी चाहिए और इस प्रकार से गरीबों को परेशान नहीं किया जाये, हरिजनों को भेजकर उनको बर्बाद नहीं किया जाये....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! इस पर अब चर्चा समाप्त हुई।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो सवाल पूछना चाहता हूं इसी विषय में क्योंकि मेरे भरतपुर में भी नगरपालिका सस्पेन्डेड है और वहां पर प्रशासक का राज्य चल रहा है निरंकुश और मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो नगरपालिकायें बार-बार भंग कर दी जाती हैं और एडमिनिस्ट्रेटर रख दिये जाते हैं क्या इसके कारण आपने जो कानून में व्यवस्था की है कि चेयरमैन है उसको आप बहुमत से हटा सकते हैं और इसके कारण

(श्री नत्थीसिंह)
ही नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है ...

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल आप विषयांतर बात कह रहे हैं। विषय में कोई इसका संबंध नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : विषय से बिल्कुल सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : विषय जितना था उस ओर ध्यान आकर्षित कर दिया गया है। माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री नत्थीसिंह : चुनाव जल्दी हों उतना ही काफी नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव कराने के बाद जिस तरह से नगरपालिकाओं को भंग कर दिया जाता है यह भी विचारणीय विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन चुनावों में क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि इन चुनावों की व्यवस्था को बदला जाय और चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट कराया जाय और चेयरमैन के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए 2/3 मेजोरिटी का प्रावधान किया जाय ताकि यह रोज-रोज जो भंग करने की नौबत आती है यह न आवे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री मथुरादास माथुर : मैं उत्तर दूं।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी से बिल कैसे ले सकते हैं ? अभी तो चार चार स्टेटमेंट होने हैं। भरतपुर के लिए पानी का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : चारों स्टेटमेंट हों इसके पहले ही वित्त विधेयक को लिया जाय इसकी व्यवस्था दी हुई है।

श्री नत्थीसिंह : नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था यह हुई है कि विधेयक को लेने से पहले चारों स्टेटमेंट दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है। वक्तव्य बाद में दिए जायेंगे, पहले विनियोग, विधेयक लिया जायगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा स्थगन प्रस्ताव है, उपाध्यक्ष महोदय, जिसको आज ही लिया जाना है। काल अटेंशन से भी पहले मेरा स्थगन प्रस्ताव लिया जाना चाहिए था क्योंकि स्थगन प्रस्ताव तो सदन को स्थगित करने के लिए होता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! अभी पहले विनियोग विधेयक लिया जायगा और इसके बाद में वक्तव्य और स्थगन प्रस्ताव आदि लिए जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्यों ने अभी जितने प्रश्न रखे हैं उनके उत्तर सदन में आने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो ऐतराज उठायें हैं वे खास तौर से चुनाव जल्द कराने पर थे और उस पर माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया कि दिसम्बर महीने तक चुनाव करवा देंगे। माननीय सदस्यों ने अब कोई नई बात इसके अलावा कही नहीं है और न ही कोई नई बात उधर से आने वाली है। ऐसी स्थिति में समयाभाव के कारण आगे का कार्य विनियोग विधेयक लिया जाता है।

श्री नत्थीसिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय । सुबह इस बात पर वाद-विवाद हुआ था अध्यक्ष महोदय के सामने और यह तय हुआ था कि स्थगन प्रस्ताव और स्टेटमेंट वगैरह जो भी हैं उनके लिए यह रूलिंग दी गई है कि जिस क्रम में आज का एजेंडा है उसी क्रम में लिया जायगा । हमने स्पेसिफिक तौर से यह पूछा था कि भरतपुर के पानी की समस्या के सम्बन्ध में जो स्टेटमेंट देने का सवाल है वह लिया जाय और इस पर अध्यक्ष महोदय ने पहले यह व्यवस्था दी थी कि यह स्टेटमेंट दिया जायगा । आज चार स्टेटमेंट्स हैं और उनके लिए यह व्यवस्था हो गई थी कि स्टेटमेंट्स पहले लिये जायेंगे और इस तरह से जिस क्रम में एजेंडा है कि पहले स्टेटमेंट हैं और इसके बाद में विनियोग विधेयक पर विचार होगा और विधेयक को पास किए बिना सदन जल्दी से उठने वाला नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के अनुसार पहले स्टेटमेंट दिलाया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के अनुसार ही मैं अर्ज कर रहा हूं कि सबसे प्राथमिकता रखने वाला फाइनेंशियल मैटर होता है और उस दिन उसके होते हुए दूसरी चीजों को नहीं लिया जाता है । उसके बाद में निर्णय दिया गया जब अध्यक्ष महोदय खुद विराज-मान थे उस वक्त उन्होंने श्री पी० के० चौधरी के कॉल अटेंशन नोटिस पर जो कि चौथे नम्बर पर था उसको पहले ले लिया और उसके बाद में विनियोग विधेयक लिया जाएगा और उसके बाद में दूसरे कार्यक्रम लिए जायेंगे ।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव है वह सदन की कार्यवाही को स्थगित रख कर उस पर विचार करने के लिए होता है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह अपनी मर्जी से या अपनी याददाश्त पर नहीं बल्कि पूरी जानकारी करने के बाद कर रहा हूं और और उसके अनुसार ही व्यवस्था जैसी की गई है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं कि पहले विनियोग विधेयक लिया जाएगा, उसके बाद दूसरे प्रस्ताव लिये जायेंगे और यह मैं आपको और निवेदन कर दूं कि उसमें जितना भी समय लगेगा आपके जितने भी प्रस्ताव वगैरा लेने में, उनको पूरा करने के बाद ही सदन की कार्यवाही समाप्त होगी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज प्रारम्भ में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई थी वह व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय ने दी थी । अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के अनुसार जो भी स्टेटमेंट या कॉल अटेंशन नोटिस हैं विनियोग विधेयक पारित होने के पहले इन सब पर स्टेटमेंट होने थे । आपके पास जो नोट है उस नोट में माननीय सदस्य जो भरतपुर से आये हैं और उनका वहां के पानी के सम्बन्ध में प्रश्न था, उस पर्टीक्यूलर पोइन्ट के ऊपर जो उन्होंने आसन से जानकारी चाही थी तो उन्हें कहा गया था कि कॉल अटेंशन नोटिसेज सब समाप्त होने के बाद में इस सब पानी के बारे में स्टेटमेंट मंत्री महोदय की तरफ से दिया

(श्री भैरोंसिंह)

जाएगा। यह तो अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो गई थी, अब यह व्यवस्था बदल कर किस प्रकार से हो रही है, यह मेरी समझ में नहीं आता और अगर अध्यक्ष महोदय विनियोग विधेयक पहले पास कराना चाहते हैं तो अब तो केवल दस मिनिट का समय बचा है, इस दस मिनिट के समय में यह कैसे हो सकेगा। हम यह नहीं कहते हैं कि विनियोग विधेयक को पारित न कराया जाय लेकिन ज्यादा अच्छा तो यह रहेगा कि पहली सीटिंग में ये सब वक्तव्य वगैरह हो जायं और दूसरी सीटिंग में बैठ कर विनियोग विधेयक पारित करें। इस तरह से बीच में ही विनियोग विधेयक पारित करना चाहें तो इसमें तो बहुत बड़ा अन्तर पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ मैंने निवेदन किया वह जो अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था थी उसके अनुसार ही मैंने मालूम करके निवेदन किया है। जहां तक दस मिनिट का प्रश्न है, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि विनियोग विधेयक आप दस मिनिट में पास करें यह सवाल नहीं है, आप पूरा समय लेकर जिसमें सभी दलों के माननीय सदस्य बोल सकें, उसके बाद में पारित किया जाएगा और उसके बाद में चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी देर बैठना पड़े, जितने भी प्रस्ताव माननीय सदस्यों के हैं वे सब लिए जायेंगे। जो कुछ भी व्यवस्था अध्यक्ष महोदय ने दी है उसके आधार पर ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट ने क्या मुहूर्त निकलवा रखा है कि एक बजे तक बिल पास करा लिया जाय। आखिर इसमें क्या दिक्कत है ? खास इसी वक्त में बिल पास किया जाय, क्या इसका कोई मुहूर्त है ?

श्री उपाध्यक्ष : इन प्रस्तावों पर तो काफी समय लग सकता है लेकिन विनियोग विधेयक तो एक नियत तिथि जो उसमें दे दी जाय उस दिन पारित हो जाना चाहिए।

कई माननीय सदस्य : पारित तो आज हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो पहले जैसी व्यवस्था हो चुकी है पहले विनियोग विधेयक लिया जायेगा और उसके बाद में जितने वक्तव्य वगैरा हैं वे लिए जायेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हम यह चाहते हैं कि विनियोग विधेयक लाया जाय हम उसके लिए इन्कार नहीं करते। मेरा निवेदन है कि हमारे स्थगन प्रस्ताव हैं, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह कोटा जिले के अन्दर लोगों को बिजली नहीं मिल रही है जो छोटे 2 उद्योग हैं वे बन्द पड़े हुए हैं उनके सम्बन्ध में है....

(12.48 म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : order ! order !! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

मैं यह कहना चाहता था कि चूंकि ध्यानाकर्षण प्रस्तावों ने मात्रा से अधिक समय ले लिया है तो ऐसी स्थिति में यदि विनियोग विधेयक को पहले ले लिया जाय

(श्री अध्यक्ष)

और उसके बाद में वक्तव्य ले लिये जायें अथवा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो पहले तय हो चुका था।

श्री अध्यक्ष : आपके सहयोग का प्रश्न मेरे सामने है। वक्तव्य पहले लिये जायं अथवा विधेयक पहले लिया जाय, इसमें दोनों प्रश्न....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले वक्तव्य लिये जायं।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं आपका निर्णय नहीं ले रहा हूं। तो मैं आपसे कह रहा था कि यदि आपको यह शंका हो कि बाद में वक्तव्य नहीं लिए जायेंगे तो इस शंका का निवारण में पहले कर देना चाहता हूं। यह आप मुझ पर छोड़ दें, मैं सहूलियत से इस प्रश्न को एडजस्ट करा दूंगा और इस विनियोग विधेयक के पास होने के बाद जितना भी आप समय लेना चाहेंगे उसमें कोई असुविधा माननीय सदस्यों को नहीं हो पायेगी। इसलिए मैं चाहता था सुविधा की दृष्टि से कि यह विधेयक पहले ले लिया जाय और वक्तव्य बाद में लिये जायं। और जो वक्तव्य बाद में लिये जायेंगे उनको भी ऐसी सुविधा से लिया जायगा जिस सुविधा के सम्बन्ध में आपको आशा है। इसलिए मैं सदन की अनुमति से लेना तो चाहता हूं विधेयक को प्रथम और मुझे विश्वास है कि आप इसमें मुझ को सहयोग देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें क्या फर्क पड़ता है लेकिन ?

श्री अध्यक्ष : जब फर्क नहीं है तो फिर इसको मुझ पर छोड़ दें। मैं आपके सहयोग से विधेयक को पहले लेना चाहता हूं। वक्तव्यों पर मैं पूरी सुविधा दूंगा माननीय सदस्यों को। मैं भी पूर्ण धैर्य लेकर आया हूं, जितना भी आप समय लेंगे, दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह : हम भी आपको सहयोग देने में पीछे नहीं हैं, उसमें तो आपको किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यहां तो एक ही बात का सवाल चल रहा है। आपने पहले आरम्भ में ही व्यवस्था के रूप में कह दिया था कि पहले जितने भी स्टेटमेंट वगैरह हैं उनको निपटा दिया जाय। और उसके बाद में विनियोग विधेयक पारित किया जाय। यह आप भी उचित नहीं समझेंगे कि सुबह जो व्यवस्था दी जाय उसको दोपहर में बदल लिया जाय और दोपहर में जो व्यवस्था दी जाय। उसको सायंकाल बदल लिया जाय। इस प्रकार से व्यवस्था बदलना इस सदन के लिए, आप स्वयं महसूस करेंगे कि ज्यादा उचित नहीं है। मुझे इस बात का खेद है कि उस कॉल अटेंशन के बारे में जो कुछ व्यवस्था दी थी और उपाध्यक्ष महोदय यहां पर कह गए कि—

श्री अध्यक्ष : आगे नहीं, यहां तक इस सीमा के अन्दर ही बात करें।

श्री भैरोंसिंह : इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी घड़ी के अनुसार अब केवल पांच मिनिट का समय है और सरकार की घड़ी के अनुसार 10 मिनिट का समय है। वैसी स्थिति में यदि यह विधेयक पेश भी कर

(श्री भैरोंसिंह)
दिया गया तो दस मिनिट में स्टेटमेंट होगा। वैसी स्थिति में अच्छा तो यह होगा पहले स्टेटमेंट्स हो जायं उसके बाद लंच के लिये ब्रेक होने के बाद फिर मिला जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक दो तो स्टेटमेंट् हैं।

श्री अध्यक्ष : चार स्टेटमेंट हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक स्टेटमेंट अभी हो जाय और दूसरा स्टेटमेंट भोजन के पश्चात्।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : भोजन और पानी के पश्चात्।

श्री अध्यक्ष : भोजन का प्रश्न सदन की समस्या नहीं है और न वह सदन के बहस की समस्या है।

श्री हरिदेव जोशी : सदन की समस्या तो नहीं है सदस्यों की समस्या जरूर है।

श्री अध्यक्ष : इसमें व्यवस्था देने का सवाल नहीं है। यह कार्यक्रम के एडजस्टमेंट का सवाल है। बाकी के कार्यक्रम को एडजस्ट करने के लिये क्या व्यवस्था हो उसके बारे में मेरा निवेदन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले स्टेटमेंट होने चाहिये।

कई माननीय सदस्य : पहले स्टेटमेंट होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावनाओं का आदर करना चाहता हूं पशुपालन विभाग के वक्तव्य द्वारा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Very fine ruling.

श्री अध्यक्ष : This is not ruling, Adjustment of Karyakram.

श्री भैरोंसिंह : तो यह व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था नहीं अवस्था है।

मत्स्य पालन सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राज्य के चुनिन्दा जलाशयों में मत्स्य का विकास वैज्ञानिक ढंग से करने का कार्य पशुपालन विभाग की मत्स्य शाखा ने अपने हाथ में लिया है और इस योजना के अन्तर्गत निम्न जलाशय चुने गये हैं जहां मत्स्य पालन हेतु फार्म अथवा नर्सरी बनाई गई है अथवा बनाई जा रही है :

(1) बन्ध बरेठा (2) बन्ध शिलो शेड (3) बंध कालाखो (4) बन्ध सैंथल (5) बंध जैसमन्द (6) बन्ध गम्भीरी (7) बंध मोरेल (8) बंध जवाई (9) बंध फतह सागर।

इन फार्म एवं नर्सरियों के माध्यम से मत्स्य बीज गुणन एवं प्रजनन वैज्ञानिक ढंग से किया जावेगा।

राज्य के बड़े बड़े जलाशयों में संकलन हेतु मत्स्य बीज प्राप्त कर छोड़ा जावेगा ताकि उन्नत किस्म की मछलियों का विकास कर राज्य के आय के साधनों में वृद्धि की जा सके। उक्त योजना भारत सरकार के मत्स्य सलाहकार के सुझाव पर क्रियान्वित की जा रही है। राजस्थान मीन नियम, 1958 की धारा 15 में प्रदत्त अधिकार के अनुसार वैज्ञा-

(श्री परसराम मदेरणा)
निम्न कार्य हेतु विभाग द्वारा मछली पकड़ने का कार्य सम्पादन करने की शक्ति निहित हैं। चूंकि विभाग के पास अभी पूर्ण साधन एवं उक्त कार्य के सम्पादन हेतु वांछित संख्या में उपलब्ध प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है अतः उक्त कार्य को अन्य व्यक्तियों के माध्यम से कराया जाना उचित समझते हुए बंध बरेठा, बंध शिली शेड, बंध काला खो, बंध सैंथल (खरजा) नदी सहित में से मत्स्य भक्षक Predatory Fishes को समाप्त करने के लिए खुली बोली द्वारा सिंघाड़ा लाची बीघा बोल आदि मछली पकड़ने के अधिकार प्रदान करने हेतु 1 व 2 मई 1967 को विभाग द्वारा उच्चतम बोली वालों को दिया गया। मत्स्य भक्षी मछलियों को निकलवाना इसलिए आवश्यक था कि उक्त जलाशयों में इनकी मात्रा अधिक थी और जिसके कारण उनमें छोड़े गये मत्स्य बीजों के नष्ट होने अथवा उनके विकास में अवरोध होने की सम्भावना है। उक्त जलाशयों में भारी मात्रा में मत्स्य बीज छोड़े गये हैं तथा और भी छोड़े जाने का लक्ष्य है ताकि इनका विकास वैज्ञानिक एवं उन्नत आधार पर किया जाकर आय में वृद्धि की जा सके।

ठेकेदार को केवल मत्स्य भक्षक मछलियों को निकालने के लिए अधिकृत किया गया है तथा अन्य कार्य मछलियाँ न पकड़ने के लिए पाबन्द किया गया है। यदि कोई कार्प मछली पकड़ने में आ जावे तो उसे तुरन्त जिन्दा ही वापस पानी में छोड़ने के लिए पाबन्द किया गया है। यह कार्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति एवं निगरानी में सम्पादित किया जा रहा है। ठेकेदारों द्वारा पकड़ी जाने वाली विभिन्न प्रकार की मछलियों का रिकार्ड स्थानीय विभागीय अधिकारियों द्वारा रखा जा रहा है। जालों के प्रयोग में छूट दिये जाने का कारण यह है कि मत्स्य छोटी एवं बड़ी दोनों ही प्रकार की होती है अतः किसी भी प्रकार के विशिष्ट जाल के प्रयोग को निषेध नहीं किया जा सकता अन्यथा इस प्रकार की मछलियों का अधिक मात्रा में पकड़ा जाना संभव नहीं होगा और निर्धारित लक्ष्य अथवा ध्येय प्राप्त नहीं हो सकता। इन्हीं जलाशयों में विशिष्ट समय पर ठेका देने का मुख्य कारण यह है कि उक्त जलाशयों में पानी की मात्रा कम हो गई थी तथा वर्षा ऋतु के आगमन पर इनमें छोड़ी गई मछलियों के प्रजनन की संभावना है। साथ ही इन जलाशयों में नया मत्स्य बीज भी छोड़ा जाना है। अच्छी किस्म की छोड़ी गई मछलियों के जलाशय में उपलब्ध भोज्य पदार्थ एवं बीजों का उक्त मत्स्य भक्षक मछलियां निश्चित मात्रा (20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत में) कमी कर देती है जिससे कार्प (Carp) मछलियों के विकास में रुकावट आती हैं। इन्हीं वैज्ञानिक आधारों को दृष्टिगत रखते हुए जल्दी से जल्दी तथा अधिक से अधिक मात्रा में इन हानिकारक, मत्स्य भक्षक मछलियों को निकालने का ठेका देना न्याय संगत हैं। ऐसा करने से राज्य को दोहरा लाभ है पहला इन मत्स्य भक्षक मछलियों के पकड़े जाने की आय से तथा तत्पश्चात् कार्य मछलियों के विकसित होने पर उनकी नीलामी से होने वाली उच्चतर बोली की रकम से।

मछली पकड़ने वालों में असन्तोष होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि खुली बोली द्वारा कोई भी ठेका ले सकता है। उच्चतम बोली वाले को ठेका लेने से वंचित नहीं

Page No.102

(श्री परसराम मदेरणा)

किया जा सकता । उक्त जलाशयों के पूर्ण विकसित होने पर उनमें उपलब्ध मछलियों के पकड़ने का ठेका उपयुक्त समय पर दिया जावेगा तथा उससे प्राप्त आय से सरकार को लाभ होने की पूर्ण आशा है । इस समय यदि इन जलाशयों का पूर्णरूपेण ठेका दे दिया जाता तो राज्य सरकार को उतनी अधिक आय नहीं होती जो कि भविष्य में उनके पूर्ण विकास के फलस्वरूप होने की संभावना है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थगन प्रस्ताव मैंने सदन में प्रस्तुत किया है जिसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने अभी वक्तव्य दिया है और जो जानकारी दी है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ बाकी निवेदन कर स्पष्टीकरण चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सन् 1966 में फिशरीज डिपार्टमेन्ट द्वारा लगभग पचास लाख बच्चे मछलियों के खरीद किये गये । ये बच्चे हवाई जहाज से यहां लाये गये जिनका ट्रान्सपोर्टेशन पर और अफसरान पर और इन मछलियों को चावल और तेल डाला गया....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मछलियों के बच्चों के खाने के लिये ?

एक माननीय सदस्य : बड़े बच्चे खा गये होंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन खा गये । मछलियां तेल और चावल खाती हैं क्या इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । लेकिन इस पर 6 लाख का खर्चा हुआ ।

(शेम शेम)

श्री अध्यक्ष : शेम शेम क्या ? बच्चों ने खाया है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह आथोरिटी द्वारा प्लानिंग हो रहा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद उन बच्चों को लाकर बालासर अरसिया आदि बन्धों में डाला गया और भी कुछ बन्धे होंगे उनमें इन बच्चों को डाला गया । ये जो बच्चे खरीदे गये उसमें जो एक बात हुई वह यह कि ये बच्चे बिना टेण्डर के खरीदे गये ।

(1 म. प.)

मध्य प्रदेश में तो ठाकुर नाम का आदमी है, गुजरात में कोई फिश एसोसियेशन हैं और हावड़ा में कोई फिश सिन्डीकेट है—इनसे जाकर या कुछ और तरीकों से बच्चे खरीदे गये । दूसरी बात यह है कि इनको लाने में इतना बड़ा भारी खर्चा किया गया। तीसरी बात, चावल और तेल, जो यह बच्चे नहीं खाते हैं, को डालने के नाम से खर्चा दिखाया है। नर्सरी में उन बच्चों को नहीं रखा गया और सीधा तालाबों में डाला गया है कुछ बच्चों के अलावा इससे क्या हुआ कि सागरी, सोल और लाबी यह तीन तरह की मछलियां होती हैं जो मछलियां मछलियों को खा जाती हैं इन तीन तरह की मछलियों को निकाले बिना बच्चे डाले गये । बहुत कम बच्चे डाले गये और 55 लाख की तादाद दिखाई गई और तालाबों में बच्चे डाल दिये गये ऐसा कहा गया । जब सैन्ट्रल गवर्नमेंट के आफिसर्स आये तो उन्होंने कहा कि इतने बच्चे खरीद कर लाये हो सो तालाबों में से पकड़ कर दिखाओ । नेट डाली गई तो वह खाली

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
आई तो उन्होंने कहा कि सागर, लाची और सोल मछलियां हैं वे बच्चों को खा गई।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि इनको खा गई तो इन मछलियों को निकलवाओ जो मछलियां मछलियों को खाती हैं तो ठेका देने का सवाल खड़ा हुआ सागरी, लाची और सोल—इन तीन तरह की मछलियों को पकड़वाने का। खास कर इन तीन तरह की मछलियों को पकड़ने को कहा गया ताकि वे बाकी के बच्चों को नहीं खाजायं। ठेका दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इन तीन तरह की मछलियों को पकड़ने का ठेका नीलाम करने को 1 मई की तारीख तय करदी गई। ठेकेदार इकट्ठे हुए। सारे ठेकेदारों ने कहा कि सागरी, लाची और सोल मछलियां तो पानी के बजाय कीचड़ में रहती हैं तो जब तक सारा पानी नहीं निकाला जाय और कीचड़ साफ नहीं हो जाय तब तक वे मछलियां नहीं निकल सकती हैं। हम ठेका नहीं लेंगे इस शर्त पर। सारे ठेकेदारों ने लिख कर दे दिया कि इन तीन तरह की मछलियों को नीलाम करना चाहते हैं,तो हमसे बेईमानी नहीं होगी बाकी की मछलियां बड़ी हो गई है तीन-तीन पाव के बच्चे हो गये हैं तो उनको निकालने का ठेका नहीं होता गत इन तीन तरह की मछलियों को निकालने का ठेका देना बेईमानी होगी। सारे ठेकेदारों ने लिख कर 1 मई को दे दिया। अफसरों ने हुक्म कर दिया कि इन शर्तों के अनुसार तीन तरह की मछलियों को निकालने के लिये कोई ठेकेदार तैयार नहीं है। अफसरों ने दस्तखत कर दिये और कह दिया कि जाओ अपने अपने घ र को। 2 तारीख को किसी एक ठेकेदार को बुलाया गया और बुला कर कहा कि अब तुम ठेका ले लो तीन तरह की मछलियां निकालने का। उसने कहाकि ये तीन तरह की मछलियां तब तक कैसे निकलेंगी जब तक कि बाकी की जितनी मछलियां हैं उनको न निकाला जाये। उनसे कहा गया कि वह तो तुम ऐसे ही निकाल लो और कोई पूछे तो कह दो कि लाची और सोल निकालना चाहते हैं और बाकी पकड़ में आ जाती हैं तो हम क्या करें? अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाज लगाइये कि इसके पहले वह दो तारीख को, जो ठेके की तारीख नहीं है और ठेके के नीलाम की तारीख एक है, सब ठेकेदारों ने लिख कर दे दिया है और जिसको अब ठेका दिया है उसने भी लिख कर दिया था उसके बाद उसको दो दिन के बाद ही ठेका दे दिया। कुछ आगरा के लोग हैं और कुछ बाहर के लोग है उनको ठेका दिया गया जिन्होंने यह कह दिया था कि इन तीन तरह की मछलियों को तब निकालेंगे जब कि पानी सूख जायगा। अब सवाल रहता है, बाकी की जो बड़ी मछलियां हैं उनका क्या किया जाय? तो इन बाकी की मछलियों का ठेका हर साल होता है। लेकिन इन्हीं ठेकेदारों को उसकी इजाजत दे दी बिना टेन्डर इन्वाइट किये जब कि इस साल भी नीलाम होना चाहिए था। उदाहरण के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिलिसेट के बान्ध का पिछले साल आक्शन 1,25,000 रु० में हुआ और पारडी के बान्ध का 20 हजार रु. में हुआ और कोह के बान्ध का 35 हजार रुपये में। तो इन सारे बान्धों से मछलियों निकालने का ठेका दिया तो उनमें इन ठेकेदारों को यह इजाजत दे दी कि हम सब तरह के आम काम में ला सकते हैं, सब तरह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की मछलियों को पकड़ सकते हैं चाहे जैसी मछली हो और केवल इन तरह की मछलियों का सवाल नहीं है। उसके बाद में रायल्टी का सिस्टम लगा दिया। उस रायल्टी के आधार पर 40 रु. क्विन्टल के हिसाब से रायल्टी फिक्स्ड अप कर दी जब कि मछलियों के भाव 300, 350 रु. क्विन्टल हैं। वह अभी तक आक्शन होता था 1,25,000 रु. में, उसके बजाय कर दिया 40,50 रु. क्विन्टल के हिसाब से इस दर से, अध्यक्ष महोदय, हिसाब निकाल सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा मन्त्री महोदय को बान्ध लामा का। इसमें, अध्यक्ष महोदय, 50000 बच्चे डाले गये, फिफ्टी थाउजेंड और इसका ठेका दिया है अभी 300 रु० में 300 रुपये में ठेका दिया जिसमें 50 हजार बच्चे, जो कि सारे के सारे नहीं डाले गये, लगभग तीन पाव के हो गये। माननीय मन्त्री महोदय मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इन तीन तरह की मछलियां,जो मछलियों को खाती हैं, बाकी के लिए यह बात आज की तारीख में है कि वह तीन तीन पाव की मछलियों को नहीं खाती है ये तो छोटे बच्चों को खाती है जब 55लाख बच्चे डाले गये तब इन मछलियों को निकलवाना चाहिए था और जब निकलवाया नहीं तो वे बच्चे आज तीन तीन पाव की मछलियां हो गई फिर भी आप उनको निकलवाने का ठेका दे रहे है। या तो 55 लाख बच्चे आये ही नहीं और अगर आये हैं तो पूरे नहीं डाले गये। और यदि डाले गये तो मछलियां उनको पहले ही खा गई। और अगर नहीं खा गई तो बच्चे बड़े हुए हैं और ये तीन तरह की मछलियां उन बच्चों को नहीं खा सकती हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा भारी घोटाला है इस ठेके के सम्बन्ध में····

श्री भैरोंसिंह : मछली नहीं खा सकती लेकिन सरकार तो खा जाय। वह मगरमच्छ बैठे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह मछली पुराण अब तो बन्द करो भाई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या फर्मा रहे हैं विश्नोई जी ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह मछली पुराण लम्बा होता जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : अब मगर–मच्छ पुराण शुरू कर दो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा तो मैं उनके उदाहरण के लिए केवल यह कहना चाहूंगा कि पहले रामगढ़ बन्धे का ठेका दिया था तो लगभग 250 रुपये क्विन्टल का कोटेशन दिया था। अब 40–50 रुपये का और पहले 250 रुपये का था उसके बजाय आफिसर्स ने 100 रुपये क्विन्टल के हिसाब से दिया। 250 रु० के हिसाब से दिया था जब कि दिल्ली में भाव 400 रु० के हिसाब के थे। बाद में 215 के हिसाब से दिया। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ठेके के मामले में मंत्री महोदय को मैंने इस संबंध में जानकारी अलग से दे दी है। समयाभाव है इस कारण से ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक मई को जिन ठेकेदारों ने यह लिख कर दिया था, जिसमें ये ठेकेदार भी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मौजूद थे सारे मछली के ठेकेदारों ने कहा कि हम नहीं ले सकते हैं इन टर्म्स पर यह ठेका और इस तरह से इन तीन तरह की मछलियों को नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि बाकी की मछलियों को नहीं पकड़ा जाय। इसलिए इन शर्तों पर यह ठेका लेना चाहते नहीं। यह 1 मई को सारे ठेकेदारों ने लिखकर और अपने दस्तखत करके दिया है जिनमें इन ठेकेदारों के दस्तखत भी मौजूद हैं और यह ठेका इसी कारण से केन्सिल हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय को रात को टेलीफोन पर जानकारी दी तो वह कागज फाइल में से गायब कर दिये गये। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 1 मई को कागज पर दस्तखत हुए थे और ठेका केन्सिल हुआ था, पोस्टपोन हुआ था तो वे कागज कहां हैं? 2 तारीख का नोटिस कहां है? कितने ठेकेदार वहां पर मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में ठेका दिये जाने की बात कही जाती है? अध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला इन फिशेज के संबंध में फिशी-फिशी है। ठेके में गड़बड़, खरीद में घोटाला, टेन्डर के बिना खरीद की गई। पूरे नहीं डाले गये बच्चे। बच्चों को गलत ढंग से डाला गया। नर्सरी में उनको नहीं रखा गया। ठेका गलत तरीके से दिया गया। उसमें बड़ा घोटाला और धांधली बाजी हुई है। राज्य सरकार के सार्वजनिक कोष के हित में माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे मामले की व्यक्तिगत तौर पर और उसके आधार पर स्वयं जांच करें या किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जांच करावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मछली फार्म और नर्सरी को डेवलप करने का प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने अभी हाथ में लिया है और मछली के फार्म्स और नर्सरी को डवलप करने के लिए जो बाहर से फिश फ्राई और फिंगर लिंक जो छोटी-छोटी मछलियों के बच्चे: 4-5 इंच के बच्चे लाये हैं तो छोटे बच्चों को लाकर तालाबों में डाला गया था। जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं कि 6 लाख खर्चा हुआ है तो यह बात सही नहीं है। करीबन जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार डेढ़ लाख के आसपास खर्च हुआ है। खल और चावल के टुकड़े उनको डाले गये हैं। तेल नहीं डाला गया है।

खल डाली गई है इसलिए उसे शायद तिल का तेल मान कर माननीय सदस्य ने यहां तेल की बात कही होगी। तो उसको खली और चावल के टुकड़े डाले गये थे। इसलिये यह कहना कि तेल डाला गया, यह गलत है, सही नहीं है।

यह भी कहा गया कि जो इस साल ठेके दिये गये वे अनियमित थे। यह सही है कि 18-4-67 को एक विज्ञप्ति जारी की गई थी मत्स्य विभाग के द्वारा। उसको अखबारों में छापा किया गया। एक दो तारीख को हम छः बन्धों में नीलामी की बोली के लिए ठेकेदारों को बुलाया गया। वे आये तो उनको स्पष्ट बताया गया कि प्रीडेटरी मछलियां जो हैं, मांस भक्षी मछलियां जो हैं उन्हीं को सिर्फ निकालने का ठेका है। सब प्रकार की मछलियों का ठेका जैसा हर साल दिया जाता है वह ऐसा नहीं है। और यह ठेका सिर्फ दो महीने

(श्री परसराम मदेरणा)

और मई जून में मछलियां निकालने का है। इसके बाद जुलाई अगस्त में इनका क्लोज सीजन होता है। इन महीनों में प्रजनन का सवाल आता है। इसलिए इन महिनों से पहले पहले प्रीडेटरी फिशेज और दूसरी मछलियां, जो नॉन वेजिटेरियन मछलियों को खा लेती हैं, निकालने का ठेका है। एक तारीख को जिन ठेकेदारों की समझ में यह बात नहीं आई तो सभी ठेकेदारों को सिद्धान्त के बारे में जानकारी दी गई। फिर यह इत्तला दी गई उनको कि नीलामी खोल दी जावेगी रायल्टी के बेसिस पर। फिर दूसरे दिन भी ऑक्शन हुआ और जिसका हाइएस्ट बिड था उसको ठेका सरकार ने दे दिया। कुछ ठेकेदारों ने लिख कर दे दिया। शुरू शुरू में उन्होंने यह कहा था कि सभी प्रकार की मछलियों का ठेका लेना चाहते हैं। पर बाद में सभी प्रकार की मछलियों का आग्रह नहीं रहा। इसलिए यह कहना कि वे लोग राजी नहीं थे यह ठेका लेने के लिए यह सही नहीं है। कोई भी उन्होंने लिखित में, जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, नहीं दिया। फिर वैसा आप कह रहे हैं कि आपकी इत्तला के बाद में कागज गायब कर दिये गए हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ ठेकेदारों ने शिकायत की थी, इसके बारे में डाइरेक्टर से हमने जवाब पूछा था उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि ठेकेदारों ने लिखित में कोई बात नहीं कही। वे हमारी शर्तों पर राजी थे।

दूसरे दिन 150 ठेकेदार थे और हमने हाइएस्ट बिड जिसकी थी उसको स्वीकार कर लिया।

यह भी आपने कहा कि सभी ठेकेदारों को सभी प्रकार के जाल काम में लेने की इजाजत दी गई है। यह जान बूझ कर दी गई है। प्रिडेटरी फिशेज का फिशेज को पैवेज के द्वारा समाप्त न कर दे इसलिये प्रिडेटरी फिशेज के लिए छोटे जाल नहीं होंगे तो वे फंसने वाली नहीं हैं। ऐसी मांस भक्षक मछलियों को पूरा समाप्त न कर दें तब तक दूसरी मछलियों को जिन्दा नहीं रख सकते इसके लिए यह व्यवस्था करनी पड़ी।

श्री भैरोंसिंह : आपके कहने का मतलब है कि वे पकड़ी नहीं जावेंगी ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रिडेटरी फिशेज कार फिशेज को खतम नहीं करते हैं तो 20 से 30 प्रतिशत तक बच्चों को वे समाप्त कर सकते हैं। टोटल को तो हम खत्म नहीं कर सकते। जितनी जाल में फंस सकें उसमें इस प्रिडेटरी प्रकार की मछलियों का ठेका दिया। उन्हीं प्रिडेटरी फिशेज को पकड़ें इसलिये यह पाबन्दी लगाई है कि सिंघोड़ा, रीव, सिंघल और साल इन चार प्रकार की मछलियों को पकड़ने पर इनको जिन्दा छोड़ना होगा, केवल प्रिडेटरी फिशेज लेनी होंगी और यह हमारे अफसरों के सामने काम होगा। इस बात पर ऑब्जेक्शन किया है जब कि उन्होंने कहा कि इस तरह से सिलेक्टेड मछलियों का ठेका नहीं हुआ। हमारा लिमिटेड परपज था, केवल दो महीनों के लिए प्रिडेटरी मछलियों को अधिक से अधिक पकड़ लिया जाय और इसी के लिए यह ऑक्शन था, मांस भक्षक मछलियों को नीलाम करने के लिए एक लिमिटेड पीरियड के लिए यह ठेका दिया है।

अब इस काम की देख भाल के लिए असिस्टेन्ट फिशरीज डवलपमेन्ट ऑफिसर रहेगा। तोलने का काम भी खुद देखेगा।

(श्री परसराम मदेरणा)
वहीं पर कांटा लगा दिया जावेगा। ठेकेदार उन प्रिडेटरी फिशेज को लेने को तैयार नहीं थे इसलिए यह ढिले हुई।

कार फिशेज को लोग ज्यादातर पसन्द करते हैं इसलिए हमने एग्रीमेन्ट में कन्डीशन डाल दी हैं कि कार फिशेज को ठेकेदार नहीं पकड़ सकेगा और पकड़ेगा तो सिक्योरिटी पांच हजार की फोर फिट हो जावेगी। यह सारा काम राज्य कर्मचारियों की देख रेख में होगा।

आवशन के तरीके के बारे में, तथा तारीख के बारे में बात कही गई। विज्ञप्ति हमारी इसके लिये है। सभी ठेकेदारों को पता था। इनकी फहरिस्त विभाग के पास है। सभी को इतला पहुंचा दी थी और उन्होने भी बता दिया था कि हम एक दो महीने में ठेका पूर्ण करने को तैयार हैं। जिन्होंने ठेका लिया उनके दस्तखत भी हमने करा लिये हैं। पर सबने मना कर दिया। मैं समझता हूं मेरी जानकारी के आधार पर विभाग के पास में इस प्रकार का कोई भी लेटर सभी ठेकेदारो ने नहीं भेजा एक तारीख को कि सम्भव नहीं है।

मैं समझता हूं इससे माननीय सदस्यों का सन्देह दूर हो गया होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is all wrong. यह तो स्टेट एक्स-चेकर का सवाल है। तीन तरह की मछलियां वहां जब मौजूद थीं तो नये बच्चे तालाब में लाकर क्यों डाले गये ?

श्री परसराम मदेरणा : ये प्रिडेटरी फिशेज सभी तालाबों में होती हैं और इनको कम किये जाने का सवाल है। सब की सब प्रिडेटरी भी नहीं होती हैं। कार फिशेज और बच्चे भी डाले हैं। उनको भी खा सकते हैं। इसलिए हमने जानबूझ कर डाली यह बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, समय नहीं है इस समय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर बाद में डिसकस कर लीजिये, आधे से ज्यादा बातें आपकी असत्य हैं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह नहीं जानती कि सभी तालाबों में करीब-करीब प्रीडेटरी फिशेज रहती हैं ? क्या आप यह नहीं समझ सकते कि बड़े बड़े तालाबों में प्रिडेटरी फिशेज को इरेडिकेट करना मुश्किल है ? क्या आप यह उचित समझते हैं कि तालाबो में जैसे सिलिमेट में फिंगर लिंग इन्ट्रोड्यूस करके बाद में जैसे आप बगुलाभगत हो ऐसे एक एक करके खत्म करा दिया ? यह आपकी क्या प्लानिंग है ? यह तो कॉमन सेंस के भी बिल्कुल विपरीत है और जनता का लाखों रुपया इस तरह से बरबाद कर रहे हैं। आप अपना ध्येय भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यह तो कॉमन सेंस का सवाल है।

अगर फिंगर लिंग इन्ट्रोड्यूस करना है तो छोटे तालाबों में कम्पलीटली इरेडिकेट करिये प्रिडेटरी नेट्ल को नेट्स के द्वारा।

दूसरा कहते हैं आप कि ठेकेदार कार को पकड़े तो वापिस छोड़े और प्रिडेटरी को पकड़े तो कम्पीटेन्ट है तो यह तो इकोनोमिकल और फीजिकल पोजीशन नहीं है। आग के पास घी रक्खें और कहें कि मत पिघला

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो यह कैसे हो सकता है? यह अजीबो गरीब तरीका है आपका काम करने का जिसके न सींग का पता न पूंछ का। कोई प्लान नहीं आपका।

राजस्थान में विद्युत् अभाव पर विद्युत् मंत्री का वक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत् मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली की कमी के बारे में एक ध्यान आकर्षण, प्रस्ताव दिया गया है जिसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान में मुख्य रूप से चम्बल और भाखरा से बिजली मिलती है यह सही है किन्तु माननीय सदस्य ने जैसा अपने प्रस्ताव में लिखा है कि भाखरा की बिजली कम हो गई है यह सही नहीं है बल्कि पिछले दिनों भाखरा में पानी की कमी होते हुए भी, और दूसरी जगह चाहे हरियाना, दिल्ली आदि में बिजली में कटौती हुई हो, राजस्थान में बिजली बढ़ी है और हम देते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ तथ्य आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूँ। राजस्थान और मध्यप्रदेश की संयुक्त योजना है। गांधीसागर के अन्दर लगभग 1280 फीट पानी का लेवल होना चाहिये परन्तु पिछले वर्ष वह 1265 फीट ही रहा और उससे जितनी बिजली पैदा होनी चाहिये वह नहीं मिल सकी। धीरे-धीरे सेन्ट्रल वाटर पॉवर कमीशन के परामर्श से और एक के बाद दूसरा जनरेटर कायम करके अभी 70 हजार यूनिट बिजली पैदा होती है जिस में से आधी मध्य प्रदेश को और आधी हमको मिलती है। माननीय सदस्य ने इस कमी के कारण अपने प्रस्ताव में कहा है कि बिजली की कमी के कारण कोटा प्रोग्राम में काफी बिजली की कमी हो गई। यह सही है कि इसके कारण हमें कई उद्योगों को बिजली कोटा की कम करनी पड़ी लेकिन अब स्थिति यह है कि 35 हजार यूनिट कोटा से, 25 हजार उदयपुर से, 80 से 90 हजार यूनिट गैस टर्बाइन से, प्राप्त करते थे। गैस टर्बाइन बन्द है। उसके बन्द होने से कमरकटक से बिजली खरीद कर कमी को कम्पलीट कर रहे हैं और अभी पिछले दिनों 6–6–67 से 10 से 11 लाख यूनिट एक्स्ट्रा पॉवर भाखरा से मिल रहा है इसलिए आज की स्थिति में जयपुर शहर में रात और दिन को पूरा मिला दिया जावे तो कटौती लगभग नोमो-नल के बराबर है। दिन में कमी जरूर है। अब भाखरा का पॉवर कोटा ले जाया जा रहा है और इस बढ़े हुए पॉवर का उपयोग किया जा रहा है कोटा में। जनरेटर जरूर खराब है और एक सप्ताह में ठीक हो जावेगा यह आशा है।

माननीय सदस्य ने यह भी प्रकट किया कि यह कठिनाई हमें हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पॉवर से हो रही है। यह सही है। लेकिन लगभग दो महीनों में सतपुड़ा में 62 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है उसमें राजस्थान का हिस्सा है। इस पॉवर जनरेशन के बाद में हमारे यहां बिजली में सुधार होगा। राणा प्रताप सागर, जैसी आशा है, कम्पलीट हो जावेगा और वह भी पॉवर देगा। उस समय हमें एडिशनल पॉवर मिलेगा।

दूसरी बात यह कि एक ट्रंक लाइन उससे इसी-हिसार की लाइन तैयार होने से भाखरा से हमें एडीशनल पॉवर मिलेगी।

Page No.109

(श्री हरिदेव जोशी)

ऐसी हालत में जवाहर सागर के कम्पलीशन के बाद और पॉवर जनरेट होने के बाद में स्थिति ठीक हो जावेगी। और सतपुड़ा के बाद में हम सांस लेने की स्थिति में होंगे।

आज पॉवर का जो क्राइसिस राजस्थान में है वह फिर नहीं रहेगा—यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दिल्ली-अलवर लाइन का क्या हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : उसमें समय लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इमिडियेट प्रोग्रेम दो तीन महिनों की है और वह ठीक हो जावेगी। हमें आशा करनी चाहिये कि इस वर्ष वर्षा ठीक हो तो गांधी सागर या राणा प्रताप सागर और कोटा डेम से बिजली मिले और सतपुड़ा से अच्छी तरह से बिजली मिले ताकि अच्छी तरह से बिजली की सप्लाई हो सके। यही मुझे आपके मारफत सदन को निवेदन करना है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मन्त्रीजी से कि जो सरकार को अनुभव है कोटा गेस टरबाइन का, क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि आने वाले समय में उस गेस टरबाइन से जो बिजली पैदा हो रही है उस टरबाइन को छोड़ कर आप किसी दूसरे तरीके को पकड़ें ? गांधी सागर में पानी का लेवल गिरता जा रहा है, उसके कारण कोटा में बिजली की कमी आई है और इस कमी के कारण गेस टरबाइन का भविष्य खतरे में बना है। इसका मुकाबला करने के लिये और छोटे और बड़े उद्योगों को मिलने वाली बिजली में कमी नहीं हो उसके लिये सरकार क्या सोचती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली से अलवर 132 के. वी. लाइन लगानी थी उसके बारे में आपने बताया था कि फाइनेन्स से बात करने जा रहे हैं इसके बारे में 11 तारीख को कहा था उसके लिये क्या हुआ ? वह 132 के. वी. लाइन आपको मिल गई ? और नहीं मिली तो क्या राजस्थान सरकार ने उसको डालने के लिये कार्यवाही की ? अभी फाइनेन्स मिनिस्टर ने लोक सभा में उत्तर दिया कि राजस्थान में बिजली की कमी का कारण केवल यह है कि राजस्थान के अन्दर टसपियन लाइन समान नही है, क्या यह सही है ? तीसरी बात यह कि राजस्थान बिजली के लिये हाइड्रो पावर पर बेस करके चल रहा है। हमारे यहां दो तीन वर्षों में रेन की स्थिति ठीक नहीं रही। आगे क्या भौगोलिक स्थिति में कोई तब्दीली आ जावेगी ? क्या सरकार इसके लिये उचित नहीं समझती कि हाइड्रो पावर पर आधारित नहीं रह कर थर्मल पर बेस करें ? और इसके लिये सरकार पलाना लिगनाइट के कोयले को यूज करके एक बड़ा प्लान्ट लगाया जावे ताकि राजस्थान में इस बिजली का समस्या हल हो सके।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने यह बात कही भाखड़ा बांध से जो पानी मिल रहा था राजस्थान नहर का वह राजस्थान में कम नहीं होगा…

श्री हरिदेव जोशी : पानी का नहीं कहा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे स्थगन प्रस्ताव में बिजली और पानी दोनों का सम्मिलित था। जिस समय मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था, 15 रोज पहले, भाखरा से राजस्थान नहर को जो पानी मिलता था 20–25 पर्सेन्ट मिलता था। उससे कपास की फसल नष्ट हो गई। जनता की मांग पर कुछ सुधार हुआ है। बिजली का सवाल है कोटा क्षेत्र में, उसके बारे में मंत्री महोदय ने जो बताया उसके आधार पर हम समझकर चलते हैं कि सुधार होगा। गैस टर्बाइन का सवाल है, उसके लिए यह कहा कि गैस टर्बाइन ठीक होगा उससे बिजली की सप्लाई में सुधार होगा।

कोटा में बड़े उद्योग हैं जिनके पास बिजली के स्वयं के साधन हैं, जिन इन्डस्ट्रीज के पास स्वयं के साधन है, वे स्वयं के साधनों का उपयोग करें। मध्यम श्रेणी के उद्योगों की बिजली में कटौती के कारण कारखाने बन्द हो रहे हैं। इसलिए बड़े उद्योगों को बिजली न देकर छोटे उद्योगों को बिजली दी जाय। मैं आशा करता हूं कि जिनके पास बड़े उद्योग हैं, उनके पास स्वयं के साधन हैं उनको बिजली नहीं दी जायगी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न के उत्तर में पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि गैस टरबाइन कोई पर–मानेन्ट अरेन्जमेंट नहीं है, वह एक स्टेण्ड बाई अरेन्जमेंट है। किसी समय कठिनाई होती है, जैसे पिछली बार स्ट्राइक हुई थी, ब्रेक डाउन हो जाय तो यह मंहगा उपकरण पॉवर सप्लाई करने के लिए है। हमेशा हमेशा इतनी मंहगी बिजली आर. एस. ई. बी. दे सके यह सम्भव नहीं है। इसलिए गैस टरबाइन नहीं खरीदा है। इसलिए हमें उसको स्टेण्ड बाई के रूप में काम में लेना चाहिए। एक्स्ट्रा–आर्डिनरी स्थिति सूखे के कारण है इसलिए सब महिनों लगातार गैस टर्बाइन को चलाने की कोशिश करते हैं। गैस टर्बाइन के बारे में तो यह स्थिति है।

अभी माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है, यदि उसको आपने देखा होता तो पॉवर की पोजिशन वैसे अब भी खराब है पर बहुत अधिक सुधार उसमें हुआ है। 10–11 लाख यूनिट पॉवर का एक्स्ट्रा आना मामूली बात नहीं है। कोटा में जो पहले पोजिशन थी वह आज नहीं है, काफी इम्प्रूव हो गई है, जयपुर का पॉवर हाउस बिजली सप्लाई करता है, 10-11 लाख यूनिट एक्स्ट्रा मिलती है, वह भी दी जा रही है। अभी जो बारिश हुई है उससे भी फर्क हुआ है। इरिगेशन के लिए जो पॉवर किसानों को देते थे वह बरसात की वजह से किसानों ने लेना बन्द कर दिया है। दिन को लोड कम आता था तो दिन को बिल्कुल पॉवर देने की स्थिति में नहीं थे, आज इस स्थिति में हैं कि कोटा में और जयपुर में दे सकें।

माननीय सदस्य ने जो विचार रखा है उससे सहमत हूं, हाइडल पॉवर को बेस मान कर नहीं चलते। आर. ए. पी. पी. की सतपुड़ा की मशीनें आ रही हैं, उसके बाद राजस्थान की स्थिति में फर्क आयेगा। इनसे जो पॉवर जनरेट होगा वह दूसरी प्रकार का पॉवर होगा, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि इस दिशा में सरकार का ध्यान नहीं है। थर्मल पावर को ज्यादा जनरेट कर सकें तो अच्छा होगा। केन्द्रीय मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया, मैं कह नहीं सकता पर राजस्थान में

(श्री हरिदेव जोशी)
सप्लाई लाइन के खींचने में कोई कमी नहीं की जा रही है। सतपुड़ा से गांधी सागर को जोड़ने की बात थी उसमें हमने आदमी दिये हैं। ठीक उसी प्रकार देहली से जयपुर, वाया अलवर है, उसमें अलवर को बन्द नहीं किया है। पैसे की कमी है इसलिए भारत सरकार की सहायता पर निर्भर करना पड़ता है।

खेतड़ी में भी हमारा काम जारी है, मैंने देखा नहीं है इसलिए उसके बारे में नहीं कह सकता पर मैं यह आश्वासन सदन को देता हूं कि यदि हमारी तरफ से कोई खामी होगी तो उस खामी को दूर किया जायगा, हमारी तरफ से जितने संभव प्रयत्न हैं उनमें कमी नहीं की जायगी।

केन्द्रीय मन्त्री से, मैंने, आपने कहा, उसके बारे में चर्चा की थी, हमारे साथ सहानुभूति है, उनकी सहानुभूति से हमें लाभ होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितने राजस्थान के प्रोजेक्ट हैं, वे सबके सब इन्टर-स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, राणा प्रताप सागर, सतपुड़ा, गांधी सागर का है, इसी तरह भाखड़ा का है, अपना खुद का कोई नहीं है। अपना खुद का कोई नहीं है तो क्या यह एडवाइजेबल नहीं होगा कि हमारा खुद का एक थर्मल पावर केवल हमारी स्टेट के लिये हो? ऐसा प्लान्ट में बना सकते हैं। तो क्या सरकार इस दृष्टि से नहीं सोचती?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें दो राय नहीं ऐसा कर सकें तो बहुत ही अच्छी चीज होगी पर जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि इन्टर-स्टेट की वजह से हमें दिक्कत होती है तो जवाहर सागर और कोटा डेम तो राजस्थान में है।

तो जो पोजिशन थी वह मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। जो साधन हमारे पास रहते हैं, हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना चाहते हैं पर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की मदद की जरूरत रहेगी।

श्री रामकिशन : इस वक्त बिजली का कृषि में, उद्योग में और घरेलू उपयोग में, इन तीनों में कन्जम्पशन का रेशियो क्या है?

श्री हरिदेव जोशी : अमुक अमुक क्षेत्र में अलग अलग स्थितियां हैं, कोटा इन्डस्ट्रीयली ज्यादा डेवेलप्ड है तो वहां इन्डस्ट्री पर्पज के लिये ज्यादा बिजली दी जाती है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां डोमेस्टिक यूज के लिये ज्यादा बिजली दी जाती है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें एग्रीकल्चर के लिये ज्यादा बिजली दी जाती है। निश्चित् रूप से नहीं कहा जा सकता। अभी कोई प्रपोर्शन नहीं निकाला है।

श्री अध्यक्ष : अलवर नगर की स्थिति के बारेमें?

अलवर में पानी संकट सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

राव श्री नारायणसिंह मसूदा (जन-स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री रामानन्दजी से बात की है और कुछ जानकारियां और लेनी बाकी हैं। यदि वे चाहें तो जो जानकारी मेरे पास है उसका स्टेटमेंट मैं दे दूं पर पूरा स्टेटमेंट अभी

नहो दे सकूंगा अतः इसे आगे के लिये स्थगित कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : एग्री करते हैं।

भरतपुर की पानी की स्थिति के बारे में।

एक माननीय सदस्य : अब तो भोजन।

श्री अध्यक्ष : यह पानी अभी हो जाय तो भोजन अच्छा रहेगा।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर की स्थिति पर भी वक्तव्य दे चुका हूं, वह विशद् रूप से सारी स्थिति को कवर करते हुए था। 5 पोइन्ट माननीय उपाध्यक्ष ने निकाले और कहा कि इनका स्पष्टीकरण कर दें। मैंने उन्हें नोट किया और लिखित में वक्तव्य ले आया हूं। आप यदि इजाजत दें, तो यह विभिन्न विभागों से सम्बन्धित है, मेरा नहीं है, सारे का सारा सदन की मेज पर रख दूं। उसके बाद जो भी माननीय सदस्य के आल्टरनेटिव सुझाव होंगे तो हम देखेंगे। जैसे एक नहर का प्रश्न आता है, वह सबसिडी कर लें, कोई भी आल्टरनेटिव स्कीम वे देना चाहें तो दे सकते हैं रीआर्गेनाइजेशन के बारे में....

श्री अध्यक्ष : आप यह वक्तव्य सदन की मेज पर रख दें और माननीय सदस्य के जो सुझाव हों, मंगा लीजिए।

(वक्तव्य विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नारायणसिंह मसूदा : दे सकते हैं। इनका कुछ पृथक्करण के बारे में था।

श्री अध्यक्ष : इसको मैं पोस्टपोन करता हूं।

श्री रामकिशन : वक्तव्य तो पहले दिया वह समझ में आ गया। हमने 5-6 पोइंट्स बताए थे, उनके बारे में आप जानकारी दें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जानकारी दे देंगे लेकिन उसमें आपके भी सुझाव आ सकें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

(1.42 म. प.)

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक 1967 (विचारार्थ)

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1967, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1967, को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री भैरोंसिंह : डिबेट होगी या सदन स्थगित होगा ?

श्री अध्यक्ष : आप बोल लें तो सुविधा रहेगी। 20 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह : वित्त मंत्री के निमंत्रण पर सभी सदस्य भूखे आए हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता हूं कि माननीय श्री बाफना, जिनके लिए मुझसे कहा गया है, बोलेंगे। श्री फूलचंद बाफना।

श्री भैरोंसिंह : उधर भोजन की व्यवस्था हो रही है··

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी की तरफ से सदन में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, पृथक् पृथक् मांगें स्वीकृत हो चुकी हैं पहले और अब उन्हीं मांगों को इकट्ठा करके एकत्रित बजट हमारे सामने विनियोग विधेयक के नाम से पेश है और फिर यह विचार सदन में पेश है कि रुपया मिलने पर सरकार को खर्च करने का अधिकार मिलेगा। इसलिए यह तो रिवाजानुसार पेश हुआ है।

मुख्य बात यह है कि यह बजट तमाम इन्सानों के लिए है और जो राजस्थान की जनता है उनके उत्थान के लिए है। पहला नियम है कि जनता बजट से आश्वस्त होनी चाहिए कि हर इन्सान की एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं है और वह सुरक्षित है। मैं आपके मार्फत वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हवा मुफ्त में मिलती है कुदरत से, पानी भी मिलता है, रोशनी भी मिलती है परन्तु जो रोटी है, उस बारे में सरकार का अधिकार है। इसलिए जो भूमि है वह बिल्कुल लगान रहित कर देनी चाहिए। जो लगान में छूट दी गई है, वह मामूली है। जो सीलिंग की बात की जाती है जमीन की, उसके बदले में पहले फ्लोरिंग होनी चाहिए। हर इन्सान के पास थोड़ी जमीन रहे जिससे वह गुजारा चला सके। जब फर्श हो जाय तो फिर छत की बात की जाय। भूमि का लगान पूरा पूरा माफ होना चाहिए। भू-राजस्व की जो छूट दी है उसके अनुसार पाली जिले में 5 बीघा और 17 बिस्वा चाही पर छूट हुई है और 17॥ बीघा बारानी पर छूट हुई है। लेकिन इससे साफ मालूम नहीं पड़ता कि अगर इससे ज्यादा जमीन है, मान लो 5 बीघा 18 बिस्वा है तो····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस बिल पर मेरा अमेंडमेंट है।

श्री अध्यक्ष : आपको सूचना मिल गई होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: नहीं। सर्क्यूलेट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : सर्क्यूलेट तो इसलिए नहीं हुआ कि आपको सूचना मिल गई कि मैंने रिजेक्ट किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 204 में तो रिजेक्ट नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : रिजेक्ट किया है विश्वास के साथ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बोल लूं ?

श्री अध्यक्ष : यह भाषण समाप्त हो जाय उसके बाद बोल लें।

श्री फूलचन्द बाफना : यह जो भू-राजस्व की छूट दी गई है उससे पता नहीं लगता है कि जितनी छूट है उससे अगर एक बिस्वा भी ज्यादा हुआ तो क्या छूट कतई नहीं होगी जैसे रेल्वे में जितने वजन की छूट होती है

(श्री फूलचन्द बाफना)
उसमे अगर ज्यादा वजन होता है तो छूट काटकर पैसा वसूल करते हैं क्या वैसे नहीं होगा भू-राजस्व छूट में ? आपने 5 बीघा 17 बिस्वा वाली भूमि को छूट दी है। समझ लो 5–18 हो गया तो क्या लगान लेंगे ? होना तो यह चाहिए कि इतना माइनस करके फिर लेना चाहिए।

दूसरी बात जो छूट है वह केश में होनी चाहिए। क्षेत्रफल इस तरह से भूमि की छूट न होकर इतनी विघोड़ी होगी, इतना रुपया होगा ऐसा होना चाहिए क्योंकि भूमि कई तरह की है, कहीं खारब जमीन है, खारब जमीन को एक साल पिलाते हैं तो चौथे साल बारी आती है। तो इस हिसाब से खारब भूमि वालों को कोई छूट का लाभ नहीं मिला और वे वास्तव में भी कम जमीन में खेती करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए 10 हिस्सेदार हैं। उनको भू-राजस्व की छूट नहीं मिलती। इसलिए भू-राजस्व की मामूली छूट है जैसे मैंने एक गांव सादड़ी को लिया है रु० 26860 22 का मतालबा है उसमें से केवल रु० 2153 की छूट मिलेगी। तो यह नाममात्र की छूट है। छूट पूरी पूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो केश में होनी चाहिए कि इतनी रोकड़ की छूट देंगे, बाकी रुपया वसूल करेंगे। अगर खारब जमीन है तो उस पर इतनी छूट होगी, बारानी और चाही पर इतनी होगी नहीं तो तमाम जमीनों पर एक जैसी छूट रोकड़ में कर दें चाहे भूमि कम हो या ज्यादा हो। हर इन्सान को जमीन मिलनी चाहिए। इस हिसाब से भू-राजस्व की छूट पूरी होनी चाहिए। इस प्रकार का आप प्रबन्ध करें। हर इन्सान को रोटी, कपड़ा, घर, शिक्षा, दवाई, न्याय और सुरक्षा चाहिए। ये एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी हैं। आराम का सवाल बाद में आता है। जहां तक जिन्दा रहने का सवाल है सरकार का दखल बहुत कम या बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे व्यक्ति को जिन्दा रहने का अधिकार मिल जाय। आराम के मामले में भले ही सरकार दखल करे।

जो अनाज उत्पन्न करता है उसको सब्सिडी देनी चाहिए क्योंकि जब हम अमरीका से लाखों करोड़ों रुपए का अनाज मंगाते हैं तो क्या अनाज पैदा करने के लिए उसको ससिडी नहीं दे सकते ? इससे जो करोड़ों-लाखों रुपए अमरीका को जाते हैं, वे बच जायेंगे।

किसानों से जब जागीरदार जमीन की बटाई या लटाई करते थे तो हम विरोध करते थे परन्तु आज हम रोकड़ में महसूल लेते हैं और लेवी भी। होना यह चाहिए था कि घर के 12 महीने व आगामी फसल के बीज रखने के बाद जितना बचे उसके ऊपर लेवी होनी चाहिए थी। पहले जब विघोडी काइन्ड में ली जाती थी तो विरोध करते थे परन्तु अब केश और काइन्ड दोनों ही ले रहे हैं। एक तरह से हम किसान को निराश कर रहे हैं तो वह केश क्रोप बोएगा। और इस तरह से अनाज की समस्या और विकट से विकटतर हो जावेगी। यह अच्छा नहीं है। लेवी भी इस तरह लगायी गयी है कि पटवारी के हाथों में यह चीज सौंप दी गई है। किसान सारी फसल काट ले गया, फसल घर में आ गयी और बाजार में बिक गयी। तब सरकार का हुक्म निकला कि लेवी ली जायगी। पटवारियों के हाथ में यह सारी चीज आ गयी और पटवारियों को पौ बारह करने का मौका मिल गया।

(श्री फूलचन्द बाफना)

अनाज उत्पादन के लिये जितना प्रोत्साहन दे सकें किसान को देना चाहिये। ट्रैक्टरों से खेती कराना चाहते हैं तो इसमें सौ-सवा सौ वर्ष लगेंगे और तब तक भी हर किसान को ट्रैक्टर दे सकेंगे इसमें भी मुझे संदेह है। आज जो स्थिति चल रही है उसमें क्रय शक्ति भी आम किसान की इतनी नहीं है कि ट्रैक्टर खरीद सके। पशुपालन और गौ पालन में भी आप सब्सिडी दें तो काफी खेती में फायदा हो सकता है। ट्रैक्टर वर्षों तक उपलब्ध नहीं हो सकता तो गौ पालन आज बहुत ही और अधिक आवश्यक हो गया है। गौ-पालन से आपको खेती के लिये बढ़िया बढ़िया बैल मिलेंगे। और जब गौ-पालन ही नहीं करेंगे और बैल ही नहीं मिलेंगे और साथ साथ आप ट्रैक्टर भी वर्षों तक किसान को नहीं दे सकेंगे तो फिर मांसाहार पर ही जीवन निर्भर होगा। और यों मांस और अण्डों का उत्पादन भी शुरू करा दिया है आपने। क्या भावी निरंतर अकाल की पूर्व तैयारी है यह !

सिंचाई की तरफ आपको अधिक ध्यान देना चाहिये। साथ ही स्वतन्त्रतापूर्वक बिजली सबको मिलनी चाहिये। सुमेरपुर का ही मैं आपको उदाहरण दूं। सन् 63 से लेकर आज तक सुमेरपुर से सैकड़ों तार और अर्जियां दी जा चुकी हैं फिर भी बिजली की समस्या उलझी हुई है। लाल-फीताशाही में ये सारी चीजें उलझी हुई हैं। पहले तो अर्जियां वगैरह का जवाब तो मिलता था लेकिन अब तो उनका जवाब भी नहीं मिलता है। चाहे अर्जी हो या तार हो कोई वापिस जवाब नहीं मिलता। यदि आप खेती में प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो आपको उनकी सुनवाई करनी चाहिये। एक तरफ तो आप बिजली नहीं देना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप उनकी सुनवाई भी नहीं करना चाहते हैं। सुमेरपुर में जवाई बांध है उसमें से भी मामूली पानी दिया जाता है। तीन पानी दिया और चार पांच पानी बन्द कर दिया। वह तीन पानी देकर भी बरबाद कर दिया। कम पानी है और ज्यादा लेने वाले हैं। दो नहरें हैं— सांडेराव और तख्तगढ। मेरा यह सुझाव है कि एक साल यह कह दीजिये कि इस नहर वाले को देंगे, एक साल तुम रबी और तुम खरीफ कर लो। अगले साल उसको लेंगे। इस साल यह लेंगे और अगले साल दूसरे लेंगे। यह उन लोगों को अभी पहले से ही मालूम होना चाहिये जिससे गरीब किसानों को दो वर्ष में एक बार तो समय पर पूरा पानी मिल सकेगा। इस तरह खरीफ और रबी की दोनों ही फसलें पूरी तरह से तैयार हो जायेंगी। दो नहरों को इस प्रकार से बांटा जा सकता है यह मेरा एक सुझाव है।

दूसरी जंगल की बात है। जंगल के मामले में भी बेपरवाही कर रहे हैं। लाखों रुपयों का कोयला बन रहा है। सरकार जंगलों को कटा रही है। उससे वर्षा में कमी आ रही है और सरकार प्रकृति के प्रकोप के बात करती है। आप इस प्रकार को स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं।

(2 म. प.)

कूप सिस्टम हमने बनाया। चालीस वर्षों से उनकी बारी आती है। पर जंगल में ही कोयला बनाया जाता है और इसकी

(श्री फूलचन्द बाफना)

आप परमिशन देते हैं तो काफी कूप यों ही अनधिकृत रूप से काट डाले जाते हैं और कोयला बनाने में काम आ जाते हैं। होना यह चाहिये कि हरी लकड़ी नहीं काटी जावे। सूखी लकड़ी ही काटी जावे। इस तरह से हरी लकड़ी को हम बचा सकते हैं और जंगलों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।

अलग अलग प्रकार के कई टैक्स हैं, लाइसेन्स हैं। एक प्रकार से अनेकों तो टैक्स और अनेकों ही लाइसेन्स है। मैंने दुकानों पर देखा है कि एक दीवार के एक कोने से दूसरी दीवार के कोने तक लाइसेन्स मढ़े हुए लगे हैं। दस-पन्द्रह-बीस प्रकार के लाइसेन्स और परमिट वे होते हैं। अब एक एक सर्टिफिकेट लाइसेन्स को देखने के लिये अलग अलग एक एक अफसर आता है। बीसों अफसर आते हैं। दुकानदार को परेशान और तंग करते हैं। आप सबको मिला कर एक टैक्स लगा दीजिये। दुकानदार को शान्ति तो मिले, काम के लिये समय तो मिले। जितना आपको लेना हो एक बार में वसूल कर लीजिये। बार बार किसी टैक्स की पेशी में कहीं जाना पड़ता है, किसी टैक्स के लिये कहीं जाना पड़ता है। इसी में दुकानदार की बहुत सी एनर्जी खतम हो जाती है। सही बात है आपको सरकार चलानी है, पैसा चाहिये। ठीक है। पर एक ही टैक्स में आपको जो लेना है ले लीजिये और उसकी भर पाई कर लीजिये। फिर इतने प्रतिबन्ध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और व्यापारी भी निश्चिन्त होकर व्यापार में अपनी एनर्जी अधिक लगा सकेगा। एक टैक्स लगावेंगे तो मेरा ऐसा खयाल है, भू-राजस्व की छूट वालों को भी कह दीजिए, दूसरों की चार हजार की इन्कम की मर्यादायें हो गई तो उन किसानों को भी कह दो कि तुम्हारे चार हजार की पैदा होगी तब तक तो ठीक है, ज्यादा होगी तो तुमसे भी टैक्स वसूल करेंगे। कम होगी तो नहीं करेंगे। तो उनको भी यह आजादी मिलनी चाहिए। इसमें यह ठीक होगा कि भू-राजस्व की समस्या भी हल हो जावेगी। इसलिए यह जो आपकी व्यवस्था है वह इस प्रकार की होनी चाहिए।

और, यह सेल्स टैक्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। 15 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स किन्हीं आइटमों पर आपने कर दिया। व्यापारी 15 पर्सेन्ट कमाता भी नहीं है, फिर भी आप उससे 15 पर्सेन्ट से लेना चाहते हैं। सेल्स टैक्स औरों में किसी में कम है किसी में ज्यादा है। यह तो मैंने उदाहरण दिया है। मोटर पार्ट्स पर आपने 15 पर्सेन्ट लगाया। चेसिस बाडी पर लगाया है। यह इतना लगा दिया है कि इससे यहां का व्यापार बाहर चला जायेगा। मजदूर जो इस व्यापार के आधार पर मजदूरी करते हैं वे भी बेकार हो जावेंगे। तो इससे तो आप उल्टे बेकारी बढ़ाने जा रहे हैं।

टैक्स का भी एक सिद्धान्त होना चाहिए। मधुमक्खी जैसे फूलों से रस लेती है और शहद बना लेती है। उसी तरह से सरकार को होना चाहिए। मधुमक्खी फूलों से रस लेकर भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बरबाद नहीं करती, वैसे ही आप टैक्स लें और शहद की तरह उसको बदल दें और

(श्री फूलचन्द बाफना)

ऐसा आप करेंगे तो आपका और जनता का दोनों का हित है। नहीं तो कमरतोड़ टैक्स आज आप ले रहे हैं और उसको भी भ्रष्टाचार में नष्ट कर रहे हैं। पर एक युग ऐसा आवेगा जब टैक्स देने वाले की कमर टूट जावेगी। उसे कायम रख कर हमेशा के लिए टैक्स देने लायक उसकी स्थिति रहे तो वह भी जिन्दा रहेगा और आपका भी काम चले।

सेल्स टैक्स की अपील के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि अपील का अधिकार है। पर अपील के निर्णय देने की कोई सीमा नहीं है। पार्टी को रुपया बहुत भरना पड़ता है और पहले भरना पड़ता है। फिर वह अपील करता है। अपील का निर्णय पक्ष में हो जाता है तो रिफण्ड होना चाहिए। रिफण्ड के लिए उसको बहुत परेशान होना पड़ता है। तो इसके लिए यह आज्ञा हो जावे कि जितना रिफण्ड होना हो या तो वह जल्दी ही हो जाय, या यह कर दिया जाय कम से कम कि आगे के पेमैण्ट में वह एडजस्ट हो जाय। अभी उसको भरना पड़ता है और रिफण्ड जल्दी होता नहीं तो इस तरह उसे दुहरा परेशान होना पड़ता है।

आपने अवमूल्यन को ध्यान में रखकर 15 हजार से 20 हजार की छूट दी है। यह बहुत कम है। अवमूल्यन 1) 57 पैसा हो गया है तो 15 हजार के 25 हजार तो वैसे ही हो गए। 15 हजार की कीमत ही 25 हजार हो गई। पर आपने छूट दी है केवल 20 हजार की। तो कम से कम 15 हजार के बराबर रखने के लिए 25 हजार की लिमिट रखनी चाहिए थी जिससे पहले वाली छूट तो रहे। जो इस तरह आपने छूट की लिमिट पहले से भी कम की है वह ठीक नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बिक्री कर अधिकारी जो हैं वह एडवान्स लेने को व्यापारी के पास घूमते हैं। द्वार द्वार पर चक्कर लगाते हैं और इस तरह बहुत भ्रष्टाचार फैलता है। पेनल्टी लगा दें अगर समय पर नहीं देता है तो। पर एडवान्स के लिए दबाव क्यों डालते हैं और सैंकड़ों रुपया एडवान्स क्यों लेते हैं? हजारों रुपया वैसे भी बिक्री कर के रूप में लोगों में बकाया पड़ा है, वह तो आप से वसूल होता नहीं, और जो बराबर देते रहते हैं उनसे एडवान्स के लिए घूमते हैं वह अनुचित है।

आप का तरीका अजीब है। आप एक तरह से लोगों को जिन्दा रखने की नहीं बरबाद करने की कोशिश करते हैं। मैं एक मिनिट में उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। शराब है। आप इसका अत्यधिक प्रचार करके लोगों को बरबाद करना चाहते हैं और उनसे हजारों--लाखों रुपया छीन कर, उनके बाल-बच्चों को और घर-बार को चौपट कर, भूखों मार कर, उन बच्चों के मुंह का कौर छीनकर अपना खजाना भरना चाहते हैं। लोगों को उजाड़ कर अपना खजाना भरेंगे तो यह आपको शोभा नहीं देगा। इतिहास में इस तरह का नमूना नहीं है। इस पृथ्वी पर नहीं है। पहले भी नहीं था। आप बरबाद करने की कोशिश और भी करते हैं। पांच हजार की आबादी का गांव है, उसमें एक हजार घर भी मानें तो प्रति घर बीडी-सिगरेट और चाय का खर्चा प्राय: 17 अरब रुपया आता है सारे हिन्दु-

Page No.118

(श्री फूलचन्द बाफना)

स्तान का करीब। अगर आप वास्तव में देश के लोगों को बरबादी से बचाना चाहते हैं तो उन को इस फिजूलखर्ची से रोकें। इससे वे बरबाद होने से भी बचेंगे और इतना रुपया उनके पास बच जावेगा जो किसी न किसी रूप में उनके परिवार व राष्ट्र निर्माण में ही लगेगा। पर आप बरबादी से बचाते नहीं। सिनेमा में अश्लील गाने आते हैं। आचरण भ्रष्ट करके अर्थात् बबूल बोकर आम पाने की आशा व्यर्थ है। भगवान ही मालिक है।

श्री अध्यक्ष। सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही (मध्यान्ह पश्चात् दो बज कर दस मिनिट पर मध्यान्ह पश्चात् तीन बजे तक स्थगित की गई।

सदन की कार्यवाही 3. म. प. पुनः प्रारम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री जसराज ! No.

(अनुपस्थित)

श्री सहदेव !

श्री सहदेव शर्मा (आमेर) अध्यक्षजी, यह एप्रोपियेशन बिल वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया है उस पर मेरे पूर्व वक्ता द्वारा प्रकाश डाला गया है। निर्विवाद रूप से यह सत्य है कि हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था निरन्तर बिगड़ती जा रही है। अभी भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा डिमाण्ड जो पेश की गई उन पर राज्य पक्ष की ओर से और विरोधी पक्ष की ओर से भी राज्य की वित्तीय स्थिति पर चिन्ता प्रगट की गई है। निस्संकोच भाव से कहा जा सकता है कि आज हम लोग जनता की भावना को सही रूप से मूर्त रूप नहीं दे पा रहे हैं। देखा जाय तो सारे भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त होने से पूर्व जो जो आश्वासन, जो बातें, जनता को देते थे, कहते थे, आज बीस साल के बाद भी हम उनमें से, मैं ऐसा मानता हूं. कुछ भी पूरे नहीं कर सके हैं। इस बात के साथ साथ आखिर आदमी को विचार आता है कि ऐसा क्या कारण है? हमारी वित्तीय स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर आदमी गहराई से विचार करे और सोचे तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारी अर्थ व्यवस्था आज पूर्ण रूप से लड़खड़ा रही है। वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में तथा अन्य मंत्रियों ने भी, जो डिमाण्ड पर रखे गये कट मोशन पर अपने जवाब दिये हैं उनमें अकाल या बढ़ती हुई जन संख्या को वित्तीय स्थिति के बिगड़ने का कारण बताया है। मेरा यह मानना है कि वित्तीय स्थिति बिगड़ने का कारण अकाल या बढ़ती हुई जन संख्या ही नहीं है। उसका कारण हमारी सरकार की अनिश्चित नीतियां हैं और सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। यह मैं मुख्य रूप से दो कारण मानता हूँ। जब तक सरकार अनिश्चित नीतियों की जगह स्पष्ट नीतियां नहीं अपनाती है, जब तक सरकार इन वित्तीय स्थितियो को ठीक करने या सुधारने के लिए कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाती है तब तक मेरा ऐसा मानना है कि हम इन वित्तीय स्थितियों को कन्ट्रोल में नहीं ला सकते हैं। यदि आप ईमानदारी से और सख्ती से, जितने भी हम नियम बनाते हैं, उनका पालन नहीं करेंगे तो मेरा ऐसा मानना हैं कि हम इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते

(श्री सहदेव शर्मा)

हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अर्थ व्यवस्था को इन सारी स्थितियों से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें हमारी अर्थ व्यवस्था को जन मानस के अन्दर मजबूत, लोकप्रिय और रुचिकर बनाना होगा। अध्यक्ष जी, आज मेरा मानना है सरकार की आज अगर कोई सबसे बड़ी असफलता रही है तो वह है कि हम जन मानस में उत्साह पैदा नहीं कर सके हैं, जन मानस में भावना पैदा नहीं कर सके हैं कि हम देश सेवा कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम इस स्थिति को नहीं ला पा रहे हैं, निरन्तर प्रयास करने के बाद भी हम उत्साह पैदा नहीं कर सके हैं कि वह महसूस करे, कल कारखानों में काम करने वाला मजदूर, खेतों में काम करने वाला किसान यह महसूस कर सके कि मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं। आज हम हमारी योजना को इतनी लोकप्रिय नहीं बना सके हैं, उसके लिए उचित वातावरण नहीं बना सके हैं। अध्यक्षजी, अगर हम आज विचार करें तो महसूस करना पड़ेगा कि कल कारखाने में काम करने वाले मजदूर या खेत में काम करने वाले किसान के लिए जो हमने योजनायें बनाई हैं उनको वह समझ नहीं पा रहा है। आज हम योजनायें बनाते हैं तो टोप प्रायोरिटी को छोड़ देते हैं। मैं मानता हूं कि योजना को प्रभावशाली बनाना है, मजबूत बनाना है अर्थ व्यवस्था को तो हमें किसानों के लिए नये नये तरीके उपलब्ध करके उनकी माली हालत को मजबूत बनाना होगा, उनकी हालत को मजबूत करना पड़ेगा, गांव में रहने वाले आदमी की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। हम नित नये टैक्स जो उनके ऊपर लगाते रहे हैं, उसको देने की स्थिति में वह आ जायं-इस दृष्टिकोण से उनकी माली हालत को ठीक करना होगा। बिजली के साधन को हमें गांवों की तरफ ले जाना चाहिये। हम यदि चाहते हैं कि गांवों के अन्दर उत्पादन बढ़े तो गांवों में बिजली का प्रसार करना बहुत आवश्यक है। आज की बिजली की हालत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जयपुर जिले में अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाय तो चारों तरफ जो भी सिंचाई का साधन है वह कुओं का साधन है। बिजली की हालत यह है कि गांवों में, जिन जिन गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, वहां के किसानों को रात के समय बिजली दी जाती है। रात के समय, अध्यक्षजी, आप समझते हैं कि क्या यह सम्भव है कि बिजली का उपयोग किया जा सकता है?

सर्दी के दिनों में, अध्यक्ष महोदय, रात को पानी आता है खेतों में बिजली के द्वारा क्योंकि आप उनको रात को बिजली देते हैं आप काश्तकारों को कहते हैं कि अपने खेतों तक पानी ले जाओ, उस समय हम इस बात को भूल जाते हैं कि किसानों को जो सिंचाई के साधन दिये हैं वे किस तरह से काम में लेते हैं। जब हम सर्दी में भी गर्म पानी से नहाते हैं तो किसानों से कैसे कहते हैं कि पौष-माघ के महीनों में रात को सिंचाई की जावे। मेरे कहने का मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से किसानों को बिजली दी जा रही है उससे उनमें रोष पैदा होगा। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम उनको इस बात को सोचना चाहिये, वित्त की स्थिति यदि मजबूत करनी है तो सिंचाई के लिए आपको बिजली विभाग को कहना चाहिये कि ज्याद

(श्री सहदेव शर्मा)

से ज्यादा बिजली दी जावे। हमारे गांवों में आपने बिजली देने का प्रयास किया है। जयपुर में भानपुर गांव में इसके लिए एक उत्सव मनाया गया और वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी वगैरह सब वहां पर पहुंच गये थे। वह उत्सव बिजली देने के सम्बन्ध में मनाया गया था मगर आज तक हम देखें तो वहां पर एक या दो कनेक्शन्स से ज्यादा किसी को कनेक्शन नहीं मिले हैं। वहां पर हजारों रुपया खर्च किया गया उस दिन के उत्सव को मनाने में लेकिन आज हम देखते हैं कि वहां पर एक दो कनेक्शन से ज्यादा किसी को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं।

इसी प्रकार मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कर आपने सीमेन्ट पर लगाया है वह आपको नहीं लगाना चाहिये। एक तरफ तो किसान पंचायत समितियों से दो हजार की तकावी ले जाता है और अपने कुओं की मरम्मत कराने के लिए उससे सीमेन्ट खरीदता है। आप सीमेन्ट पर टैक्स लगावेंगे तो मगर वह 2000 रु० लोन के लेता है तो टैक्स बढ़ने के बाद बहुत कम रुपया उसके पास रहेगा। तो कहीं पर हम कुओं के लिये लोन देते हैं तो कहीं भूमि बन्धक ऋण देते हैं। तो आप अन्दाजा लगावें और बतावें कि सीमेन्ट पर टैक्स से उन गरीबों को कितना नुकसान होगा। यह टैक्स गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर ही पड़ेगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह कि आप टैक्स भले ही लगावें मगर गांवों के अन्दर रहने वालों की टैक्स पेइंग कैपेसिटी को पहले बनावें। विदेशों में जो टैक्स लगे हैं वहां पर उन लोगों ने उनकी टैक्स पेइंग कैपेसिटी को बढ़ाया है। टैक्स वेस्ट जर्मनी ने लगाये हैं और चीन ने लगाये हैं लेकिन उन्होंने अपने देश में रहने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति को देखा है और उसी के अनुसार टैक्स लगाये हैं। इसलिये मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यह जो सीमेन्ट पर आपने टैक्स लगाया है वह उचित नहीं है। पहले जो सीमेन्ट पर टैक्स लगा हुआ है वह भी अधिक है। उससे भी किसानों पर बहुत बोझ पड़ता है। मैं तो यह कहूंगा कि पहले से सीमेन्ट पर टैक्स लगा हुआ है उससे भी उनको बरी किया जावे। अगर यह संभव नहीं हो तो किसान, जो कर्जा लेकर अपने कुए बनाते हैं, को तो इस टैक्स से कम से कम बरी रखना चाहिए।

इसके अलावा चांदी पर और चांदी के जेवर व गोटे पर टैक्स लगाया है उसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि ज्यादा लोग गांवों में रहने वाले हैं और वे चांदी के जेवर ही इस्तेमाल करते हैं। मध्यम वर्ग के शहरों के रहने वाले लोग भी चांदी का जेवर पहनते हैं और सोने का भी प्रयोग करते हैं। आपने उन पर एक परसेंन्ट से दो परसेंन्ट किया है वह भी न्यायोचित नहीं लगता है।

इसके बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने एन्टरटेनमेंट टैक्स लगाया है वह भी ज्यादा है। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एन्टरटेनमेंट में आपने 50 परसेंन्ट एक रुपया और उसके ऊपर भी ज्यादा टैक्स बढ़ाया है। यह टैक्स मध्यम वर्ग के लोगों पर ही पड़ता है जो पहिले से ही गरीब है वह और गिरते जा रहे हैं

Page No.121

(श्री सहदेव शर्मा)

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी आप आज हमारी अर्थ व्यवस्था को भी दलगत राजनीति में ले जा रहे हैं। यह आपकी कोई अच्छी बात नहीं है। और आज इसी कारण से आपकी आर्थिक नीतियां लड़खड़ा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि दलगत राजनीति जनतन्त्र को भी खतरे में डाल रही है। जिस प्रकार की नीतियां आप अपना रहे हैं उससे वेक्यूम बनता जा रहा है। जितना अच्छा लेजिस्लेशन हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट और विधान सभा में दिया शायद ही किसी दूसरे देशों की पर्लियामेंट या विधान सभा ने दिया हो। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। इसलिये इसको कठोरता से अपनाना होगा और अपनी कथनी और करनी में जो अन्तर रखा है उसको आपको दूर करना होगा। आज आप उसको अन्य प्रकार से काला रंग देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे राज्य पक्ष की तरफ से इतना आश्वासन दें कि जो कुछ कार्य वे करेंगे वे दलगत राजनीति से नहीं करेंगे और दलगत राजनीति से दूर रहेंगे। दलगत राजनीति के कारण हम यह सोचने लग जाते हैं कि यह हमारा क्षेत्र है, हमारे लोगों का क्षेत्र है और यह विरोधी दल के लोगों का क्षेत्र है इस लिए विरोधियों के क्षेत्र में कोई काम नहीं होना चाहिए। और होते भी नहीं है। जिस समय चुनाव आते हैं उस समय आपको सब काम याद आ जाते हैं, पहले नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपको बहुत सी चीजें चुनावों के समय याद आती हैं उनको केवल चुनावों के दिनों में ही याद न रखें बल्कि सदैव याद रखें। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आपको इस लड़खड़ाती हुई व्यवस्था को जिन्दा रखना है तो स्वस्थ परम्पराओं को बनाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट।

अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं शिक्षा विभाग के बारे में। शिक्षा मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं मगर फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें प्राईवेट स्कूलों पर चेक रखना चाहिये जो आज व्यवसाय के केन्द्र बनते जा रहे हैं अन्यथा बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ जायेगी। आज आप जितने भी केन्द्र चला रहे हैं चाहे वे हरिजनों के नाम से हों या अन्य किसी नाम से हों उनको रोका जाना चाहिये।

वित्त मंत्रीजी, दवाइयों के बाद, बिजली की योजना, और नल की योजना के लिये भी अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिन ब दिन बिगड़ती हुई अर्थ व्यवस्था को हमें ठीक करना है तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा और हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये इसको कठोरता से पालन करना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री, आप आज ईमानदार आदमी के स्वभाव के नहीं रहे। आप इस प्रकार से चलें कि ईमानदार आदमी के स्वभाव में आ जावें। अगर आपको अपनी अर्थ व्यवस्था को ठीक करना है

(श्री सहदेव शर्मा)

इसे लोकप्रिय बनाना है तो आपको अपने प्रशासन और वित्त को ठीक करना होगा। इसमें अगर आप पहल नहीं करेंगे तो आपकी दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जायेगी। आप इसको कोमन–मैन की तरह से सोचें कि हम इसको अपना रहे हैं और अगुआ बन कर चल रहे हैं। अगर आप इसको इस तरह से सोचेंगे तो आपकी हालत ठीक हो जावेगी आज हम अपने आपको कोमन मैन की तरह नहीं समझते हैं। ऐसे आदमी की तरह समझते हैं जो बहुत मालदार हो। इसलिये पहले हमें अपने आपको सुधारना होगा। हमको देखना होगा कि हम गरीब आदमी हैं और हमें गरीब आदमी की हैसियत से रहना चाहिये। इस तरह से आप देश को आगे बढ़ा सकेंगे, मिनिस्टर की तरह से नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सर्वेषां मुकरं मृणाम्

श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : Correct yourself hon. Member.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का विनियोग विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। बजट के संबंध में माननीय सदस्यों ने अलग अलग विभागों के लिए अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। आज हम उन मांगों के संबंध में, जिनकी इस सदन में स्वीकृति दी है, उन सब को कन्सोलीडेटेड फण्ड से खर्च करने का अधिकार इस विनियोग विधेयक द्वारा राजस्थान को इस वर्तमान सरकार को देने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इस बातको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान पिछले वर्षों से जिस प्रकार की स्थिति से गुजर रहा है वह हम सब के लिए एक चिन्ता का विषय है। राज्य सरकार की फाइनेन्शल पोजीशन जिस प्रकार से गिरती जा रही है उस प्रकार की गति में यदि कोई अवरोध पैदा नहीं किया तो यह बात निश्चित है कि सरकार तो डूबेगी ही लेकिन राजस्थान की जनता को भी साथ लेकर डूबने की चेष्टा करेगी। आज राज्य सरकार पर कर्जों का भार है, राजस्थान सरकार अपने रिसोर्सेस से न सोशियल सर्विस के खर्चे को वहन कर सकती है, न डवलपमेण्ट के खर्चे को वहन कर सकती है और या तो राजस्थान सरकार, केन्द्र सरकार से जो हमें ग्रान्ट-इन-एड के रूप में या कर्जे के रूप में रुपया मिलता है, उस पर निर्भर करती है या फिर हमारी राजस्थान सरकार जनता पर नये करों का बोझ लाद कर उस आधार पर राज्य का संचालन करना चाहती है। इन सब के उपरान्त भी, अध्यक्ष महोदय, यदि राजस्थान की जनता के लिए किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का सुख सुविधा का प्रबन्ध होता तो यह सब कठिनाइयां भी सहन करने के लिए जनता आतुर रहती लेकिन आज जिस प्रकार से चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, मंहगाई जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, लोगों की नेकनीयति की आमदनी जिस प्रकार सीमित रह रही है वह दोनों चीजें एक इस प्रकार के कान्ट्राडिक्शन के रूप में हमारे सामने है कि यदि इस जनता के साथ सरकार ने कोई न्याय नहीं किया तो क्या जनता इस

(श्री भैरोंसिंह)

स्थिति में रहेगी ? यह एक सोचने की बात है। सरकार स्वयं जानती है कि वह न तो जनता के साथ और न लोकतन्त्र के साथ न्याय कर सकेगी। इसको सरकार स्वयं महसूस करके चलती है और मुझे याद है, माननीय योजना मंत्री जी इस बात को स्वयं स्वीकार करेंगे, कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया गया उस प्रारंभिक प्रारूप में राज्य सरकार ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि अब राजस्थान की जनता पर अतिरिक्त कर भार की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि यह प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो निर्धारित धनराशि थी, उसको दुगना करने का था, उस दुगना करने की स्थिति में जो हमने प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया था उससे यह बात तो सही है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सारी बातें सही रूप में स्वीकार की थीं। इस बात को भी स्वीकार किया था कि हम भारत का जो पर केपिटा इनकम का एवरेज है उस एवरेज को आज की योजना के अनुसार हम पूरा नहीं कर सकते। इस बात को भी स्वीकार किया था कि बिजली शिक्षा और सिंचाई-इन मदों के ऊपर भी हम जो भारत का एवरेज है उस एवरेज तक नहीं पहुंच सकते। राज्य सरकार ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि एम्प्लायमेंट पाटेन्शियलिटी जितनी हमें क्रियेट करनी चाहिए और जो अनएम्पलायड हैं उनको एम्पलायमेंट देने की व्यवस्था करनी चाहिए वह भी आज हम इस योजना की स्थिति में पूरा नहीं कर सकते। यह तो उस हाल में था जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी 236 करोड़ रुपये की थी और उससे दुगने का प्रावधान रखने के लिए हमने इस प्रकार का एक प्रारूप तैयार किया था। उस स्थिति में हम न पर केपिटा इनकम बढ़ा सके, न बिजली की सुविधायें दे सके, न शिक्षा और चिकित्सा हम दे सके। उस हालत में जबकि यह प्लान तीसरी पंचवर्षीय योजना के दुगने प्रावधान से बहुत ही कम है तो यह बात तो अपने आप से सिद्ध है कि हम अगले पांच वर्षों के अन्दर किसी प्रकार से भी भारत का जो औसत है, डवलपमेंट का जो औसत है उस औसत तक नहीं पहुंच पायेंगे। अब हमें विचार करना पड़ेगा कि हम औसत तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं ? राज्य सरकार की यह सीमायें जो कुंठित हो गयी हैं वह आगे क्यों नहीं बढ़ पाती हैं ? तो मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने पहले भी एक बार नहीं कई बार निवेदन किया है और आज मैं फिर कहना चाहूंगा, हमारी राज्य सरकार ने बजट बनाते समय, विनियोग विधेयक पेश करते समय सही आंकड़े देने की जैसे सौगन्ध खा रखी हो उस स्थिति से काम कर रही है। मुझे याद है 1956-57 से लेकर आज 1966-67 तक केवल एक वर्ष का समय निकाला है 1962-63 का जिस समय बजट के अन्दर, राजस्थान के अन्दर, घाटे की स्थिति नहीं रही बाकी 1956-57 से लेकर 1966-67 तक हर वर्ष घाटा रहा है और घाटा भी उस स्थिति में रहा है जब हमने अपने बजट को कई बार सरप्लस बजट बनाया। कई बार हमने इसकी घोषणा की कि हमें घाटा नहीं होगा, राजस्व इनकम हमारी बढ़ेगी और केपीटल एक्सपेन्डीचर हम ज्यादा कर पायेंगे। हमें ज्यादा सहायता मिलेगी, ज्यादा टैक्स से रेवेन्यू मिलेगी। यह सब कुछ करने के बाद भ

(श्री भैरोंसिंह)

हमारी रेवेन्यू तो घटी और हमारे एक्स-पेन्डीचर बढ़े और उन सब का परिणाम यह निकला कि पिछले 10 वर्षों में जो भी सदन में राजस्थान का चित्र प्रस्तुत किया उसको हम सही रूप से लागू नहीं कर पाये। आज यह स्थिति क्यों है? उस स्थिति के लिए मैं कहना चाहूंगा या तो हमारी राज्य सरकार की आमदनी करों से है, या राज्य सरकार की आमदनी सिंचाई से है, या फिर स्टेट एन्टरप्राईजेज से है, या सरकार की आमदनी है राजस्थान के इले-क्ट्रीसिटी बोर्ड से, या राज्य सरकार की आमदनी है जो हमने इनवेस्टमेन्ट कर रखे हैं उनसे। लेकिन अध्यक्ष महोदय दुर्भाग्य की बात यह है कि यह जो मद हैं आम-दनी के उनमें किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। सिंचाई योजनाओं का जहां तक सवाल आता है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज गंग नहर को छोड़ कर बाकी सब योजनाओं का यदि टोटल मिलाया जाये तो 31-3-65 तक का जो मैंने हिसाब लगाया उसके हिसाब से हर वर्ष इन सिंचाई योजनाओं पर राज्य सरकार को 306 लाख रुपये का घाटा होता है। अब हम अन्दाज लगायें एक तरफ 306 लाख का घाटा और उस घाटे में स्थिति यह है कि हमारी इनकम होनी चाहिए 5 पर्सेन्ट। 5 पर्सेन्ट की इनकम की जगह 6 पर्सेन्ट का घाटा प्रति वर्ष होता है। इसलिए राजस्व आय में 11 पर्सेन्ट का प्रति वर्ष घाटा हो कर चलता है। यह स्थिति केवल सिंचाई योजनाओं की ही ऐसी बात नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लें जिसने 1957-58 से काम करना शुरू किया। इसमें 1957-58 में 24 लाख का घाटा, 1958-59 में 40 लाख का घाटा और 1959-60 में 32 लाख का और इस प्रकार से घाटा चलता रहा। और इस साल में तो जाकर यह घाटा 147 लाख के करीब पहुंच ही गया। अब यह घाटा इस प्रकार से चलता है। इलेक्ट्रि-सिटी बोर्ड में यदि घाटा चले, सिंचाई योजनाओं में इस प्रकार का घाटा चले और उस स्थिति में भी, अध्यक्ष महोदय, इस सदन को सुन कर ताज्जुब होगा कि आज इलेक्ट्रिसिटी की बकाया थोड़ी नहीं है। पिछली साल 1965 के मार्च में 124 लाख रुपये की बकाया थी। 1966 के अन्दर 133 लाख की होगी और 1967 के अन्दर 147 लाख की बकाया आज अकेले इले-क्ट्रिसिटी बोर्ड की है। जो बोर्ड लगातार घाटा बताये उस बोर्ड में कम से कम उसकी आउटस्टेंडिंग की रिकवरीज का प्रश्न ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिसके ऊपर विभाग द्वारा अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि विभाग उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, बकाया चलती जाती है। इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल इतना सा ही प्रश्न नहीं है। हमारे कुछ कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे वन विभाग है-आज राजस्थान का वन विभाग रेवेन्यू का स्रोत होना चाहिए। रेवेन्यू के स्रोत के नाते हमें उसका डवलपमेंट करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि वन विभाग में भी हमें घाटा होता जा रहा है पहले हमें लाभ था लेकिन धीरे धीरे लाभ नुकसान में परिणत होता जा रहा है। 1966-67 में 10 लाख का

(श्री भैरोंसिंह)

नुकसान होगा और 1955–56 से लेकर 5 वर्ष तक दो-दो तीन–तीन लाख रुपये का मुनाफा हुआ है बाकी हर साल फारेस्ट डिपार्टमेंट को भी घाटा होता चला जा रहा है। आज जो हमारे रेवेन्यू इनकम के सोर्सेस हैं उनके ऊपर तो हमारा कन्ट्रोल नहीं है। जो हमारी इनकम के सारे सोर्सेस बन सकते हैं उनके ऊपर हम कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब हम यह मान कर कैसे चल सकते हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति सही प्रकार से काम करेगी। जब वित्तीय स्थिति ही सही प्रकार से काम नहीं करती तो प्रश्न आता है कि खर्चे को कन्ट्रोल करने की व्यवस्था करें वह कभी हम नहीं कर पाते। रेवेन्यू खर्चा बढ़ता जा रहा है, प्लान खर्चा और रेवेन्यू खर्चे में जिस प्रकार का तालमेल होना चाहिए, स्टेट का ओवर आल बजेटरी पाइंट आफ व्यू से, वह भी बिल्कुल समाप्त कर दिया। आज जैसे सदन में चर्चा हुई है कैपीटल रिसोर्सेज से रेवेन्यू खर्चे को मीट करने के लिए उपयोग में लाते है। जहां तक खर्चे को कन्ट्रोल करने का प्रश्न आता है, आज के दिन राजस्थान में 26 लाख रुपए के गबन के मामले अलग अलग विभागों में चल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि 127 करोड़ के बजट में 26 लाख के गबन होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन पिछले साल आपने 36–16 लाख की कमी को पूरा करने के लिए सदन से सुझाव मांगे थे। सरकार का यदि साहस होता तो जो 26 लाख के गबन के मामले पड़े हैं, उन पर मुकदमे बना कर उन लोगों से वसूल करती तो राजस्थान की जनता को राहत मिलती। इसके साथ साथ सरकार जनता पर कर भार न लगा कर उनको मुक्ति प्रदान करती। वह भी सरकार नहीं कर सकी।

इतना ही नहीं कि सारे गबन के मामले केवल सरकारी किसानों में हैं लेकिन अगर एक्जामिनर, लोकल फंड आडिट, के केसिज को देखा जाय तो ये भी ऐसी संस्थाओं में हैं जैसे स्कूल, समाज कल्याण विभाग की संस्थायें। लोकल फंड आडिट की रिपोर्ट्स को यदि आप देखेंगे तो चैप्टर्स के चैप्टर्स, पेजेज के पेजेज इस बात से भरे पड़े हैं कि राजस्थान के विभागों में किस प्रकार से गबन चलते हैं, हम रोक नहीं पाते।

1235 इन्सपेक्शन रिपोर्ट ऐसी हैं इस लोकल फंड आडिट की जो आज भी विभागों में उनकी कम्पलायेन्स करने के लिए पड़ी हैं। लेकिन कम्पलायेन्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारे केसिज में कहीं मिस एप्रोप्रिएशन है, कहीं गबन है, कहीं टेम्प्रेरी मिस ऐप्रोप्रियेशन है। इस प्रकार की सभी चीजें इन्वाल्व्ड हैं तो राजस्थान की स्थिति जिस प्रकार की बनाई जा रही है, उस स्थिति में हम कैसे समझें कि हमारी सरकार कुछ विचार कर सकेगी? पिछले 4–5 वर्षों में जो फर्क डवलप हुआ है मैं उसको देखता आ रहा हूं और इस फर्क का नक्शा इस बजट में खास तौर से देखने को मिलता है। हमने एक डिमाण्ड में दो–ढ़ाई करोड़ का प्रावधान रख दिया। आपने एक चीज के लिए एक लाख रुपए टोकन के रूप में रख दिया और जब बजट समाप्त होता है तो इसके अगेन्स्ट में कहीं 10 लाख खर्चा मिलेगा, कहीं 15 लाख और फिर उसको

Page No.126

(श्री भैरोंसिंह)

रिएप्रोप्रिशन करके एग्जास्ट करते हैं। यह लगातार प्रवृत्ति चलती रही तो फाइनेन्शल डिसीप्लेन खत्म होगा। इसका परिणाम 1965-66 में यदि देखें तो 12 करोड़ रुपये का रिएप्रोप्रियेशन किया है। इसमें लगभग 5 करोड़ रुपये का अमाउन्ट अन-यूटिलाइज्ड रहा। यह रिएप्रोप्रियेशन के बाद भी रहा। एक तरफ हम कहें कि सरकार को घाटा है, दूसरी तरफ हम कहें कि बजट में प्रावधान रखा है, वह खर्च नहीं हुआ। तो दोनों बातों में तालमेल बिठाने की आवश्यकता तो है, वह तभी पूरी हो सकती है जब राज्य सरकार कड़ाई से इस बात को चलाए कि रिएप्रोप्रिएशन की कोई परसेंटेज रखें। एक परसेंट रखें या आधा परसेन्ट रखें। रिएप्रोप्रिएशन एक रिवाज बनाया जाय, लेकिन विधान सभा की पावर्स को एक प्रकार से सीमित किया जाय, विधान सभा को इस प्रकार से डार्क में रखा जाय, इन सब प्रावधानों को रखा जाय. यदि रिएप्रोप्रिएशन की प्रणाली चलती है तो राजस्थान की जनता का भला नहीं होने वाला है।

ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और वे प्रश्न भी इस प्रकार आते हैं। पिछली बार कानून बनाया था कि राजस्थान की बड़ी बड़ी जमीनें खाली पड़ी हैं उन पर टैक्स लगायेंगे। अब जब खाली जमीन पर टैक्स लगाने का कानून बनाया उस समय आपने कहा था कि बजट की कमी की पूर्ति करनी है। इसलिए यह कानून जल्दी लागू किया जाय। अब सरकार ने व्यवस्था की है कि जमीन एग्रीकल्चरल लैंड से आबादी लैंड में कन्वर्ट करेंगी और उसके कारण राजस्थान में बहुत बड़ी आबादी होगी। आप पिछले 15 वर्षों से लगातार इस बात को मान कर चलते आ रहे हैं। और इस मांग के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि अजमेर जैसे नगर में मदार गेट एग्रीकल्चर लैंड में कितने मकान बने हुए हैं। आज उस एग्रीकल्चर लैंड को आबाद नहीं कहेंगे लेकिन सरकार से जब प्रार्थना की कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में कुछ वर्षों से मकान बना रखे हैं, उनके कन्वरशन के आर्डर्स होने चाहिए, उस समय सरकार ने स्वीकार नहीं किया लेकिन आज जिस स्थिति में यह कानून बनाया जा रहा है उसके पीछे केवल एक भाव है कि बड़े बड़े लोगों ने, मुख्यमन्त्री से लेकर बाकी मन्त्रियों ने, सबने शहरों में एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली। उस एग्रीकल्चर लैंड को यदि आबादी में कन्वर्ट करके बेचा जाय तो लाखों रुपये की कमाई होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान के मुख्यमन्त्री जी ने जो उदयपुर में जमीन खरीदी है उस जमीन को आबादी में यदि कन्वर्ट किया जाय तो चाहे उन्होंने वह जमीन 10,000) में खरीदी हो लेकिन यदि उनको आज बेचें तो 10 लाख की कीमत प्राप्त हो सकती है। आज इस प्रकार की जमीनें राजस्थान के कई मन्त्रियों ने, उप मन्त्रियों ने शहर के नजदीक अपने अधिकार में कर लीं। (वित्त मन्त्री से) आप नहीं होंगे लेकिन आपके साथी कई हैं इसलिए मैंने कई शब्द का इस्तेमाल किया है और जिन्होंने किया है उनके नाम आपको भी मालूम हैं और मुझे भी मालूम हैं। आप उनको सुविधा पहुंचाने की गरज से यह कानून बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जयपुर शहर में कच्ची बस्तियां हैं। राज्य सरकार ने नगर विकास मण्डल बना रखा है। वह विकास के बजाय विनाश कर रहा है। जयपुर विकास मण्डल जैसे कांग्रेस की कोई बपौती हो। इस पर

(श्री भैरोंसिंह)

तो हारे हुए मन्त्री को ही रखेंगे। आप बताइए जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा नगर विकास मण्डल के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है? क्या रामकिशोर व्यास और सरदारमल के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं मिला जो गैर-कांग्रेसी होते हुए भी विकास के मामलों को समझते हों? यह उसका परिणाम है, जब ऐसे लोगों को विकास-मण्डल का काम सौंपते हैं तो वे लोगों को गलत पट्टे देते है, ऐसी स्कीम्स बनाते हैं जिनमें अपने आदमियों का पोषण हो। इस सम्बन्ध में लम्बी चौड़ी बात न करते हुए विधान सभा की याचिका समिति के प्रतिवेदन के उद्धरण सदन में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। यह रिपोर्ट 1967 के फरवरी माह में प्रस्तुत हुई थी। यह प्रतिवेदन सदस्यों को सक्यूलेट हुआ है। पेज 9 "इन समस्त सूचियों का अवलोकन एवं परिनिरीक्षण करने के पश्चात् समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस बस्ती के भू-खंडों के आवंटनों के सम्बन्ध में थोड़ी सी भी सावधानी रखी जाती या सामान्य सतर्कता बरती जाती तो इन भू-खंडों के आवंटन में घोर अनियमितायें न होतीं। इन भू-खंडों के आवंटनों में नियमों का खुल कर उल्लंघन हुआ है, इस बस्ती के निवासियों के अधिकारों की खुल कर उपेक्षा की गई है, फर्जी व्यक्तियों के नाम से भी आवंटन किए गए हैं, कच्ची बस्ती के विकास की आड़ में प्रभावशाली व्यक्तियों ने प्लाट्स हथियाए हैं, निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु कच्ची बस्तियों के निर्माण की योजनाएं किस प्रकार खटाई में डाली गई हैं और उन योजनाओं की क्रियान्विति किस ढंग से नहीं हो सकी है, इसका इन भू-खंडों के भू-खंडों का आवंटन ज्वलंत उदाहरण है। समिति को यह जानकर अत्यन्त खेद है कि इन आवंटनों में जो भारी घोटाले हुए हैं वे उस समय हुए जब कि जयपुर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष श्री देवीशंकर तिवाड़ी थे। इतना ही नहीं, इसके पश्चात् भी इन घोटालों को रोकने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए अपितु इसके विपरीत पूर्व आवंटनों की पुष्टि एवं कुछ नए आवंटन उसी प्रकार ऐसे ही लोगों को किए जाते रहे। यह अग्रेतर कार्यवाही उस समय हुई जब श्री रामकिशोर व्यास नगर विकास न्यास के अध्यक्ष थे"

अब यह रामकिशोर जी व्यास राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, यह तो खुशी की बात है कि आज राजस्थान की कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते नियुक्ति मिलती है, जो फर्जी कार्यवाही करने में एक्सपर्ट हैं। मैं बधाई दूंगा उनको कि उन्होंने एक तरफ फर्जी काम किया और उससे अपनी क्वालीफिकेशन बढ़ाकर राजस्थान की कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनमें फर्जी कार्यवाही करने की वह क्वालिफिकेशन आते ही अध्यक्ष बना दिए गए। इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आप ऐसे नगर के विकास न्यास में अध्यक्ष बनाकर किस सेवा की बात करना चाहते हैं? यह आप बता दीजिए।

स्लम क्लीयरेन्स के नाम पर बजट में पैसा रक्खा। हम वह पैसा खर्च नहीं कर सके। रूरल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत काफी रुपया खर्च किया पर उसके अनुसार भी डवलपमेंट नहीं हो सका। रूरल हाउसिंग स्कीम 57-58 में शुरू की थी। 25 लाख रुपया इस सारे काम के

(श्री भैरोंसिंह)
लिए पंचायत समितियों को बांटा। 310 हजार रुपया ऐसा है जो आज तक यूटीलाइज नहीं हो पाया, 57 हजार ऐसा जो 599 पार्टियों को दिया पर उन्होंने कन्स्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं किया। 444 हजार ऐसे हाउसेज के निर्माण में दिया जो इन–कम्पलीट पड़े हैं और 122 हजार रुपये ऐसों को दिए जिनके प्लान्स एप्रूव नहीं थे। तो 25 लाख में से 16 लाख तो ऐसे थे जिनका उपयोग नहीं हुआ। बाकी का जैसे उपयोग हुआ वह स्वयं सरकार जानती है।

आज नगरों में हाउसिंग की दिक्कत, गांवों में दिक्कत। भारत सरकार इसके लिए आपको पैसा देती है। राजस्थान सरकार उसमें योग देती है पर फिर भी राजस्थान की हाउसिंग प्रॉबलम खत्म नहीं हो पायी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब तक राजनीति के आधार पर मनोनयन होगा तब तक मानकर चलिये इन नगर विकास न्यासों के माध्यम से नगरों का विकास नहीं हो सकता। जयपुर शहर के लिए केवल श्री सरदारमल सिंघी ही क्या व्यक्ति रह गये थे? वे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, मंत्री बनने की योग्यता उनमें हो सकती है क्योंकि मन्त्री के लिए कोई योग्यता प्रेस्काइब नहीं है कोई भी बन सकता है, और सुखाड़ियाजी के राज्य में तो नेशनल इन्टेग्रिटी का कन्सीडरेशन किसी को न हो तो भी वह मन्त्री बन सकता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका या नगर विकास न्यास के लिए एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना यह बताता है कि राजनीति के आधार पर आप हर चीज को देखते हैं।

नगरपालिका के चुनावों में, विधान सभा के चुनावों में कांग्रेसी नहीं जीते, लोक सभा के चुनावों में कांग्रेसी नहीं जीते और जनता ने जिस कांग्रेसी को ठुकरा दिया, और लोकतन्त्र को जीवित रखने की बात कह कर कांग्रेस के उस सदस्य को नॉमीनेट करते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती राजस्थान में।

जैसे मैंने निवेदन किया माननीय मन्त्री के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा खास तौर से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य, आप सो रहे हैं। आप जगें उससे पहले इस सदन का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दोनों ओर से सोना हो रहा है। एक तरफ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान के वित्तमंत्री ने दावत दी है और खिलाया पिलाया भी ऐसा है कि लोग सदन में खा पीकर आराम से सो जावें। पर लोग सतर्क हैं उन्हें इस बात का रोष है।

अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप कुछ भी कर दें भाषण में, इसका स्ट्रेन पड़ रहा है।

श्री भैरोंसिंह : आज से कुछ दिन पहले सरकार ने घोषणा की थी कि 55 वर्ष से ऊपर राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों को वह रिटायर करने वाली है। इसके नियम बनाए और उसमें ऐसे क्लाज रख

Page No.129

(श्री भैरों सिंह)

लिए कि हम कुछ व्यक्तियों को रिएम्प्लॉय भी कर सकते है । यह नियम कैसे बने ? कैसे रिएम्प्लॉयमेंट का प्रावधान रखा ? और यह भी कर दिया, कइयों को एक्सटेन्शन भी दे सकते है । सदन में आश्वासन दिया जावे कुछ और बाहर कुछ और किया जाकर इस प्रकार के नियम बनाये जावें, यह किस बात के लिए ? उस समय तो हाथ बढ़ा-बढ़ा कर कह रहे थे, मैं इन्जीनियरों को भी नहीं रक्खूंगा, मैं उनको भी नहीं रखूंगा । इरिगेशन पी. डब्ल्यू. डी. और कई विभागों में इन्जीनियर हैं किसी को एक्सटेन्शन और रिएम्प्लॉयमेंट देने वाला नहीं । पर अब रूल्स में क्या किया जा रहा है ? क्या कारण है ? ये कौन-कौन व्यक्ति हैं जिनके कारण वित्त मन्त्री जी और राजस्थान की सरकार विवश होकर इस प्रकार के प्रावधान करने पर तुली हुई है ?

आज आप कमी करना चाहते हैं । पर आई. पी. एस., आई. ए. एस. के बारे में कह दिया हम नहीं कर सकते इनके बारे में, ये भारत सरकार की सेवाएं हैं । पर मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने छूट नहीं भी दी हो, चाहे आई. ए. एस. और आई. पी. एस. ऑफिसर लूट मचाते रहें, भ्रष्टाचार के मामलों में इनवाल्व्ड रहें और आप किसी प्रकार का एक्शन नहीं लें ।

झुंझुनू के भूतपूर्व कलेक्टर अलाउद्दीन खिलजी जिनके खिलाफ एन्टी-करप्शन विभाग ने अपनी रिपोर्ट दे दी, ऑडिट ने कहा, कमिश्नर ने रिपोर्ट दे दी, डिपार्टमेंटल इन्क्वारी ने रिपोर्ट दे दी, विजिलेन्स कमीशन ने दे दी । सारे चार्जेज जो भी कहे जा सकते हैं, अगर इण्डियन पीनल कोड में हीनियस से हीनियस ऑफेन्स अगर कोई हो सकते हैं तो वे चार्जेज उसके खिलाफ थे, यह ताईद कर दी गई । ऐसा कोई चार्ज उनके खिलाफ नहीं जो साबित नहीं हुआ हो । नेशनल डिफेन्स फण्ड तक के पैसे का दुरुपयोग, एम्बेजलमेन्ट के आरोप, गलत परमिट देने के आरोप, बिक्री कर के केसों में, हीनियस क्राइम में इनवॉल्व्ड होने के आरोप, यह सब कुछ, पर सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती । क्यों नहीं ले सकती ? अलाउद्दीन खिलजी वे हैं जिनके कारण माननीय मुख्य मन्त्री जी के रिश्तेदारों को बूंदी मे जगह मिली थी । जांच की गई उसकी । जो कागजों को टेम्पर किया करने में बहुत एक्सपर्ट थे । बूंदी में जाकर उन्होंने ये सारे काम किए ।

(शेम, शेम)

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक आदमी दुनिया भर के केसों में इनवॉल्व्ड है । राजस्थान के सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के अध्यक्ष भट्ट के विरुद्ध कितने आरोप हैं ? मन्त्री जी खुद जानते हैं । हरिदेव जी खुद उनसे खुश नहीं हैं । वे स्वयं महसूस करते हैं कि कितने आरोप हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनकी कोई सीमा नहीं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया ।

कहने तो हैं कि विजिलेन्स कमीशन के हर मामले में रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार की है, पर दुर्भाग्य की बात ऐसी है विजिलेन्स कमीशन को शायद सरकार ने जानकारी नहीं दी । पिछले वर्ष हथियारों की खरीद के

(श्री भैरोंसिंह)

सामने उठाये गए थे। मेरी जानकारी के अनुसार विजिलेन्स कमीशन ने इसकी जांच की और अपनी जांच से वह इस नतीजे पर पहुंच गया था कि उस खरीद में भयंकर घोटाला है।

और, अध्यक्ष महोदय, अगर ईमानदार मन्त्रिमण्डल हो तो वह तो कर सकता है वह कि आई. पी. एस. और आई. ए. एस. जो जो इन हथियारों की खरीद में इन्वॉल्व्ड हो उनको बर्खास्त करे। वे बर्खास्त किए जा सकते हैं, अगर 55 साल के परव्यू में नहीं आते हों और सेन्टर उनको यहां से हटाने को तैयार नहीं हो तो। आपके सामने यह प्रॉब्लम हो सकता है पर अगर ईमानदारी से, मन से अगर कुछ करना चाहते है तो कर सकते हैं। राजस्थान के राजस्व मण्डल के चेयरमैन से लेकर छोटे मोटे आई. ए. एस. गंगानगर में कलेक्टर रहे हैं, अजमेर में कलेक्टर, एस. पी. रहे हैं। जिस-जिस जिले में हथियार बिके हैं, सब लोगों ने हथियारों की खरीद में भयंकर घोटाले किए है। इस माइ में अगर ईमानदारी से आप आई. ए. एस. और आई. पी. एस. के लोगों को कम करना चाहते हैं तो उस रिपोर्ट को मंगा लें और इस सम्बन्ध में जो जानकारी दी है विजिलेन्स कमीशन ने दी हैं उस पर अमल करें। विजिलेन्स कमीशन ने छः महीने हो गए जानकारी दे दी। पर छः महीनों से उन कागजों को दबाकर आप बैठे हैं। उनको निकाल कर विजिलेन्स कमीशन को सौंप दो, वह रिपोर्ट दे देगा और आपकी समस्या विजिलेन्स कमीशन हल कर देगा। जो आज आप डर रहे हैं कि आई. पी एस. और आई. ए. एस. वालों से हम कुछ नहीं कह सकते, ये भारत सरकार की सेवाएं हैं, हम इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो आप की यह समस्या भी दूर होगी और राजस्थान के आई. ए. एस. और आई. पी. एस. के कारण होने वाले आपकी सेवाओं में डिस्क्रिमिनेशन और हार्ट बर्निंग भी समाप्त हो जावेगा।

मैं ज्यादा न कह कर दो मामले और प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक मामला मैं प्रस्तुत नहीं करता। पर जब से हमारे माननीय सदस्य फुलेरा से आने वाले आए हैं उन्होंने हमारी पार्टियों पर आरोप लगाये हैं और उस समय मैंने निवेदन किया था कि राजस्थान के मन्त्री-मण्डल में कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे है जिन्होंने, जो व्यक्ति राष्ट्रद्रोह के अपराध में जेल जाने लायक था, उसके प्रति रियायत की है। मैं पहला प्रश्न उठाना चाहूंगा हमारे भूतपूर्व गृह मन्त्री और आज के वित्त मन्त्री जी के सम्बन्ध में ताकि सदन को जानकारी मिल जावे कि राजस्थान में किस प्रकार के मामले होते हैं, किस तरह के मसले होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दो व्यक्ति इण्डियन फॉरेनर्स एक्ट में गिरफ्तार हुए थे। वे गिरफ्तार किये गये थे चुरू के एस. पी. के द्वारा। दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद दोनों व्यक्तियों का एस. डी. एम की कोर्ट में चालान किया गया। कार्यवाही चल रही है। उसी समय हमारे राजस्थान की सरकार ने आदेश दिये कि दोनों के खिलाफ मुकद्दमे वापिस लिए जावें, और इनको पाकिस्तान भेज दिया जावे। ये दोनों व्यक्ति 53 में हिन्दुस्तान में आये, 62 में पाकिस्तान के स्पाई के रूप में हिन्दुस्तान से खबरें पाकिस्तान भेजते रहे। 53 से आये हुए थे और गिरफ्तार हुए 62

Page No.131

(श्री भैरोंसिंह)

में। 62 के बाद कोर्ट में गये। कोर्ट में केस चल गया तो गृह मन्त्रीजी ने आदेश दिये कि दोनों मुकद्दमे वापिस ले लिए जावें। किसी हालत में राजस्थान की सरकार को इण्डियन फॉरेनर्स एक्ट में केस विथड्रा करने का अधिकार नहीं है। हमारे राजस्थान की सरकार को इस एक्ट के अन्तर्गत भारत सरकार पॉवर डेलीगेट करती है, पर ऐसी कोई पॉवर डेलीगेट नहीं की जिसके आधार पर केस विथड्रा कर लिये जावें। केस विथड्रा कर लिये गये, और इसके संबंध में मैं माननीय सदस्यों को यह भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अप्रमाण है। भारत सरकार ने राजस्थान की सरकार को इन व्यक्तियों के संबंध में पत्र लिखा है कि इनका कन्विक्शन होना चाहिए, और कन्विक्शन के बाद में डिपोर्टेशन होना चाहिए। पत्र पढ़ने में समय लगेगा। पर सुरक्षा की बात को मानते हुए इसे सदन की मेज पर रखता हूं। इसमें साफ लिखा है अनुमति नहीं दी जावे केस विथड्रा करने की, केस विथड्रा नहीं किया जावे जब तक कन्विक्शन न हो।

अब, अध्यक्ष महोदय, यह केवल कन्विक्शन का ही मामला नहीं है। इस सम्बन्ध में चूरू के एस॰ पी॰ ने राज्य सरकार को लिख दिया कि बिना परमीशन के इण्डियन फॉरेनर्स एक्ट के तहत जो केस बना है उसको विथड्रा करने के अधिकार राज्य सरकार को नहीं हैं, इसलिए एस॰ पी॰ ने कहा कि मैं केस को विथड्रा नहीं करता। राज्य सरकार ने उस एस॰ पी॰ को चार्जशीट दी और वह मामला फिर कमिश्नर डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी के पास गया। उस कमिश्नर डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी ने 6 में आपको केस की रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में से मैं इस सदन को पढ़कर, अध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाना चाहूंगा ताकि सदन के माननीय सदस्यों को पता लग जावे कि जो एन्क्वायरी हुई है और राज्य सरकार के स्वयं के अनुसार राज्य सरकार के बारे में क्या लिखा है? उसमें लिखा है:

"Moreover when substantial execution of Ex. P./4 order had been made by Shri G. D. Chadha as Superintendent of Police, Churu inspite of the fact that this order was illegal, the State Government is very much ill-advised to have started this Departmental Inquiry against the delinquent officer."

आगे लिखा है, अध्यक्ष महोदय,

"This letter clearly shows that a prosecution under section 14 of the Foreigners' Act, 1946 should be launched and after the conviction by the Court and the expiry of the sentence, the Pakistani National should be escorte to the border by the State Police and discreetly asked to cross over to Pakistan. In view of this mandatory instruction on the part of the Government of India to the State Government the later could not order for the pending case under Section 14 of the Foreigners' Act, against Mohd. Ameen to be withdrawn from the Court of Sub-Divisional Magistrate, Churu unless the Government of India agreed to

(श्री भैरोंसिंह)

make such an exception in this case. The order of the Government contained in Ex. P/4 and Ex. P/12 for withdrawal of pending case against Mohd. Ameen cannot therefore be substained in Law, and, if Shree G.D. Chadha decided to think about this point later on after the service of Ex. P/6 and Ex. P/7 Notice on Mohd. Ameen the inclination of Shri G. D. Chadha on this point cannot be questioned. The delinquent Officer has also produced express letter No. F. II/75/61-F-(IV) (B) dated 26th September, 1964 of the Government of India, Ministry of Home Affairs written to the Government of Rajasthan in the Home Department (Ex.D/30-A) in which the Government of India had ruled in the case of Mohd. Ameen that the Prosecution case under Section 14 of the Foreigners' Act, 1946, pending in the Court of the Sub-Divisional Magistrate, Churu should be allowed to proceed with and he may be deported to Pakistan after he has been convicted and has undergone the sentence. This document further proves that the Government of India did not have any intention to depart from the prescribed procedure for deportation of Pakistani National from India and in respect of Mohd. Ameen at all. The State Govt. and the officers specifically delegated powers under the Foreigners' Act could deport Mohd. Ameen from India following only the prescribed procedure in Ex. D/20-A."

और आगे जाकर उन्होंने साफ लिखा है · ·

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य कोई भी मसला सदन में उठायें तो पूर्व सूचना देकर उठायें और खास कर के ऐसे मसले की तो। अगर पहले सूचना होती तो ज्यादा अच्छा था। मैं भी तैयारी करके आता और सवाल का उचित जवाब दे देता। अब यह 62 का मामला है और अब इसमें आपने बताया मोहम्मद अमीन। तो यह कौन साहब है ? मैं नहीं जानता। क्योंकि आज 67 चल रहा है और होम मिनिस्टर की ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय इसको पाकिस्तान में भेजने का सवाल आया होगा, लेकिन आज मुझे उसके बारे में क्या मालूम ? इस पर तुरन्त जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। पहले आपको नोटिस देना चाहिए था और जब आप का नोटिस आता तो गवर्नमेन्ट उस पर जवाब देने के लिए तैयार रहती। अब यहां पर सवाल उठाकर सदन में मेरे लिए तो एन्टी-नेशनल कह दिया, लेकिन मैं इतने साल पहले का केस है उसका क्या जवाब दूं ? और फिर सवाल भी इस सिलसिले में उठाया जिसे अराष्ट्रीय कहते है। तो यह सवाल और भी महत्व पकड़ लेता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य कोई भी मसला उठाना चाहें तो पहले नोटिस दे दें तो हम उसके लिए तैयार हो जायं और जवाब भी दिया जा सके। इसमें उस समय के रेगुलेशन्स, प्रोसीजर और उस समय क्या नोटिंग हुआ उसका हम इस समय जवाब नहीं दे सकते है।

Page No.133

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जवाब अभी पीछे ही चाहते हैं इसलिए रैफर किया है।

श्री भैरोंसिंह : हम तो आपसे ही पूछ कर चलते हैं। आपकी पर्सनेलिटी और योग्यता से भी प्रभावित हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐसा नहीं है जो व्यक्ति विशेष को हो अब तो करीब करीब खत्म हो गया। 5 लाइनें और हैं पढ़कर सुनाता हूं . .

श्री अध्यक्ष : प्रश्न महत्वपूर्ण जरूर है इसलिए महत्वपूर्ण है कि माननीय सदस्य अब मुद्दा नया उठायें और माननीय वित्त मंत्री और अन्य मंत्रियों से उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तथ्य और आरोपों के सम्बन्ध में चाहें तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हमारे नियमों के अन्तर्गत भी और अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत भी पूर्व सूचना माननीय मन्त्री महोदय को दें और उसकी सूचना मुझे भी दें . .

श्री भैरोंसिंह : किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लगाया जाये तब लेकिन मैं तो सरकार के खिलाफ लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उसकी पूर्व सूचना मंत्री महोदय को भी और अध्यक्ष को भी दोनों को देने का प्रावधान हमारे नियमों में है और वह इसलिए है कि माननीय सदस्य के उन तथ्यों और आरोपों के संबंध में मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण करने के बाद माननीय सदस्य को संतोष मिले और क्योंकि इसकी पूर्व सूचना नहीं दी जा रही है ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री महोदय इस स्थिति में कोई स्पष्टीकरण कर सकेंगे या नहीं इसका मुझे शक है।

श्री भैरोंसिंह : मैं सदन में थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं कि माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि 62 का मामला है और आज 67 चल रहा है लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इसमें एन्क्वायरी 66 में समाप्त हुई और आज के दो तीन दिन पहले ही . . .

श्री मथुरादास माथुर : किस के खिलाफ ?

श्री भैरोंसिंह : एस.पी. के।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : आपने जो यह कहा कि दो पाकिस्तानी नेशनल्स उनमें से एक का तो आपने नाम लिया मोहम्मद अमीन और दूसरे के नाम का पता नहीं आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था और दो आदमी कौन हो सकते है—मैं अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा था। हुआ होगा, केस नीचे से रिकमण्ड हुआ होगा और तब हिन्दुस्तान से पाकिस्तान को डिपोर्ट करने के लिए गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स होते है। इसलिए आपने बीच में मिनिस्टर का नाम लिया है तो पूर्व सूचना आपको देनी चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि दो आदमी कौन है ? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ? आप इस समय इस सवाल को रेज कर देते हैं कि हम जवाब नहीं दे पाते हैं। 5 साल पहले का सवाल है। एन्क्वायरी तो चड्डा के खिलाफ है हाई कोर्ट में गई, सुप्रिम कोर्ट में गई। यह दूसरा प्रश्न है, लेकिन मैंने एज होम मिनिस्टर पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी नेशनल्स को किस कारण से हुक्म दिया उसके लिए नोटिस मिलता तो मैं फाइल मगाता, उसको देखता, स्टडी करता और आपको जरूर

(श्री मथुरादास माथुर)

बताता। माननीय सदस्य कहते हैं कि मैंने एन्टी-नेशनल एक्टीविटी की तो सदन के प्रति और मेरे प्रति इतना तो विश्वास रखते हैं कि मैं कम से कम एन्टी-नेशनल तो नहीं हूं। अब पाकिस्तान को उसको रवाना किया और यहां पर मुकद्दमा नहीं चलने दिया गया तो उसके कारण होंगे। तो उसकी बिना मिसल देखे हुए मैं कैसे कह सकता हूं। आपने कहने को तो कह दिया एन्टी-नेशनल लेकिन मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं इसलिए मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय का प्रोटेक्शन चाहा और सदन से भी चाहता हूं कि ऐसे सवालों के लिए पहले कह दिया जाय ताकि हम तैयार हो सकें।

श्री भैरोंसिंह : यह तो ऐसा हो जायेगा, अध्यक्ष महोदय, कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बकाया के संबंध में कहा और प्रॉफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट्स के बारे में कहा और बाकी चीज के लिए कहा तो मंत्री महोदय कह देंगे कि हिसाब बगल में लेकर नहीं आते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : लेकिन इन्डीविजुअल नेचर के केसेज में इतना प्रावधान है कि पर्सनल क्वेश्चन है तो नोटिस दिया जाता है।

(4 म. प.)

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि यह व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है। यह तो नियमों का प्रश्न है। इण्टरप्रिटेशन का भी प्रश्न नहीं है। इसके लिए तो नियम 63 बिल्कुल स्पष्ट है और परम्परा भी चलती आ रही है। यह बात दूसरी है किसी भी तथ्य को सरप्राइज के साथ रख दिया जाय। 61 का मामला हो, 62 का मामला हो या 64 का मामला हो यहां पर किसी मामले को उठाने से पूर्व प्रोसिजर में यह है कि "Previous notice is necessary to the Minister concerned and the Speaker." इसकी सूचना देना आवश्यक है।

(विराम)

आरम्भ रखिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह एक छोटा सा पेरेग्राफ है इसको पढ़ देता हूं। जवाब तो सारे का ही नहीं देंगे तो इसे ही क्यों छोड़ा जाय। अन्त में लिखा है:

"This much is clear that the Government of Rajasthan did not observe the prescribed procedure of the Government of India in the matter of deportation of Mohd. Iqbal Pakistani National and that the objection of the Supdt. of Police, Churu regarding withdrawal of the case under Sec. 14 of the Foreigners' Act pending against this Pakistani National was absolutely valid in law which was unnecessarily over-ruled."

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंटल कमिश्नर, कमिश्नर फार डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज की राय को स्वीकार किया है, वह लेटर है उसे भी पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : राय को स्वीकार किया है यही काफी है।

Page No.135

श्री भैरोंसिंह : दो ही लाइन का है, अभी सुना देता हूं। यह 8-64 को जिस दिन कि कमिश्नर ने रिपोर्ट की और इन सब बातों को रिपोर्ट में शामिल किया और राज्य सरकार ने रिपोर्ट पर कई एडवर्स नोट नहीं दिया, उन्होंने जो राज्य सरकार की गलती बताई है उसको स्वीकार किया है और स्वीकार करते हुए इस बात को कहा है :

"Govt. have considered the report of the Enquiry Officer alongwith your written statement. According to the findings of the Enquiry Officer, charges levelled against you vide Deptt. memo dated 16-9-63 have not been proved. Government while accepting the findings of the Enquiry Officer, has been pleased to exhonerate you."

इसका मतलब यह है कि जिस अधिकारी को चार्जशीट दी गई थी कि तुमने अमुक अमुक प्रकार की कार्यवाही की और इसलिए चार्जशीट दी जाती है उस अधिकारी को इस कमिश्नर की रिपोर्ट को बाद में एक्जोनरेट कर दिया गया और साथ ही अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रश्न चल रहा...

श्री अध्यक्ष : सर्टीफाइड कॉपी पर किस ऑफिसर के हस्ताक्षर हैं।

श्री भैरोंसिंह जी !

श्री अध्यक्ष : यह जो सर्टीफाईड कॉपी है उस पर हस्ताक्षर किस अधिकारी के हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास सर्टीफाइड कॉपी नहीं है। जो कुछ मैं कह रहा हूं अधिकृत रूप से कह रहा हूं और उसकी पूरी रेसपोंसिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेता हूं। अगर आप जानकारी चाहें तो उसकी एक कॉपी मेरे पास अभी भी है मैं उसको सदन की मेज पर रख सकता हूं। आप चाहें तो मेरे पास में कॉपी मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे प्रश्न को लेता हूं। और इस दूसरे प्रश्न में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का मंत्रिमण्डल किस प्रकार का है। एक मंत्री महोदय के सम्बन्ध में मैंने यहां कहा। मैं समझता हूं कि विदेशों के अन्दर राष्ट्र के प्रति जाग्रत लोगों में स्वाभिमान होता है। आज हम किसी भी व्यक्ति को फंसा सकते हैं जो कोई पाकिस्तानी सिपाही को घर में शरण दे। यदि किसी पाकिस्तानी गुप्तचर को किसी भी प्रकार की कोई मदद दे तो हम उसको जेल में रख सकते हैं। अभी पिछले महीनों में ही तीन-चार आदमियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया जो पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन करके पाकिस्तान से राजस्थान में आये और यहां पर गुप्तचर का काम किया, जिन लोगों ने उनकी मदद की, उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जंगले में रख दिया गया। अब जो व्यक्ति सन् 53 से लेकर 62 तक लगातार पाकिस्तान को हिन्दुस्तान से समाचार भेजता रहा और वह व्यक्ति जब पकड़ा गया तो सजा देने के बजाय गवर्नमेंट ने बाला-बाला क्यों पार करा दिया। इस सारे काण्ड की जिम्मेदारी राजस्थान के प्रशासन पर है और यदि सरकार में जरा भी नैतिक साहस है तो खड़े होकर कहे कि इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

के अपराध अक्षम्य है। लेकिन इसके विपरीत इस प्रकार के व्यक्तियों को क्षमा कर पाकिस्तान में भेज दिया जाय, इस प्रकार के देशद्रोही व्यक्ति राजस्थान में सेफ रहें तो, अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल मे भी आज एण्टी-नेशनल एक्टीविटीज को प्रोत्साहन मिलता है। यह इतना ही नही है, अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में मैंने यहां पर प्रश्न उठाया था और जो मेरी जानकारी है, मैं समझता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी को भली प्रकार महसूस करता हूं और जो कुछ भी कह रहा हूं अपनी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं लेकिन मैं निवेदन करूं कि मैंने बाड़मेर के माननीय सदस्य के बारे में जो बातें उठाई थीं उनके बारे में राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय को चाहिए तो यह था कि मुझे हर प्रकार का संतोष कराते, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैंने उस पत्र को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि इससे भारत देश की बदनामी होगी, एक व्यक्ति की बदनामी से समूचे देश की बदनामी होना मैंने उचित नहीं समझा और इसीलिए मैंने यह पत्र प्रकाशित नहीं कराया, जिसके बदले में राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने उन्हें देश भक्ति का जो प्रमाण-पत्र दे दिया तो आज वे ही व्यक्ति दम ठोक कर कहते फिरते हैं कि ऐसे पत्र हमने बहुत लिखे हैं हमें इनकी चिन्ता नहीं है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री मोहनलालजी सुखाड़िया, अब तक जिस प्रकार शिवजी की बरात में सब तरह के व्यक्ति पनपते रहते हैं, ऐसी शिवजी की बरात जैसा यदि कहीं बरात का काम कराना हो तो भले ही पनपाते रहें लेकिन सरकार के रूप में सुखाड़िया जी शिवजी की बरात की तरह विभिन्न प्रकार के आदमी लेकर चलें यह दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर उन्होंने बड़े जोर से तालियां बजवा कर यह घोषणा कर दी कि राजस्थान मन्त्रिमण्डल के उपमन्त्री श्री गंगाराम चौधरी बड़े राष्ट्रभक्त हैं और उनकी राष्ट्रभक्ति पर किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पत्र में जो कुछ लिखा गया वह देश के लिए कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय मैंने इस हिसाब को अच्छी तरह से देखा और देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो इस पत्र को प्रकाशित करूं या नहीं कराऊं। पत्र को प्रकाशित कराने से देश की ज्यादा बदनामी होगी, देश का ज्यादा नुकसान या पत्र को प्रकाशित न कराने से और श्री गंगाराम चौधरी के पद पर बने रहने से राजस्थान का और हिन्दुस्तान का ज्यादा नुकसान होगा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पत्र को प्रकाशित कराया जावे और इसका प्रकाशित कराया जाना ही राष्ट्र के हित में होगा ताकि दुनियां को जानकारी मिल जाय कि राजस्थान में किस तबके के आदमी बैठे हैं। फिर भी, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस करता हूं। आज की स्थिति में यदि पूरे पत्र को मैंने प्रकाशित करा दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया में हिन्दुस्तान की बड़ी बदनामी होगी कि जो आज तक सेक्यूलरिज्म की तस्वीर हिन्दुस्तान खींचता रहा है वह तस्वीर अच्छी तस्वीर नहीं है और सेक्यूलरिज्म का जो चित्र हिन्दुस्तान ने खींचा है उसका करेक्टर उसके अनुसार नहीं है।

(श्री भैरोंसिह)
पहले मुख्य मन्त्री जी ने पत्र को देखने के बाद कहा है कि उनकी दृष्टि में उस पत्र में देश के प्रति अथवा राष्ट्र के प्रतिकूल जाने वाली बात कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि मैं उस पत्र को ओरिजनल रूप में पढ़ता हूं तो उसकी जिम्मेदारी मुख्य मन्त्री जी की होगी क्योंकि वे पहले ही प्रमाण दे चुके हैं कि उसमें राष्ट्र-विरुद्ध कुछ भी नहीं है और इसीलिए उस पत्र का एक अंश यहां पर पढ़कर इस सदन को सुनाना चाहूंगा और उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर भी रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रतिलिपि है या ओरिजिनल लेटर है ?

श्री भैरोंसिह : जिसको मैं सुना रहा हूं मुख्य मन्त्री जी ने इसको देखा है··

श्री अध्यक्ष : मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि जो आपने सदन की मेज पर पत्र रखा है और जिसको आप पढ़ कर सुनाना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिह : उसका एक कागज है।

श्री अध्यक्ष : मेरा विश्वास है..

श्री भैरोंसिह : फैक्ट्स नहीं रख रहा हूं। केवल वही अंश रखना चाहता हूं जो उन्होंने एक पैराग्राफ में राष्ट्र के सम्बन्ध में लिखा है श्री गंगाराम जी ने उस पत्र में लिखा है····

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : On a point of order, Sir. एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिस पत्र का माननीय सदस्य हवाला दे रहे हैं यह पत्र इस पत्र पर पुलिस की मांगों पर विचार-विमर्श के समय विचार हो चुका है। इसके लिए रूल 154 का सब-रूल शायद (3) है उसमें साफ लिखा है कि जिस पर पहले भी वाद-विवाद हो चुका हो उसका रिपीटिशन सदन में नहीं किया जाय एप्रोप्रियेशन बिल के समय। तो यह तो उसका रिपीटिशन है, इस पर रूल्स के माफिक विचार नहीं होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स में यह भी लिखा हुआ है कि जिन डिमाण्ड्स पर विचार हो चुका है और जिनको पास किया जा चुका है, मांगें पारित हो चुकी हैं उनके बारे में भी सरसरी तौर पर रेफरेंस के लिए श्रीफली कहा जा सकता है।

यह रूल्स के अनुसार भी है और अब तक सदन की परम्परा भी रही है

श्री अध्यक्ष : This is an off-repeated point. We know it.

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आपने जिस जिम्मेदारी और दायित्व से इस प्रश्न को लिया है और जहां तक कन्टेन्ट्स आफ दी लेटर का सवाल है भाषण से ही बहुत कुछ संकेत मिलता है, इसका भी दुरुपयोग हो सकता है। ऐसी स्थिति में इन अंशों को आप न पढ़ें तो अच्छा होगा।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

मैं माननीय सदस्य (श्री भैरोंसिह) से निवेदन कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पत्र रख रहे हैं उसमें उन घटनाओं का जिक्र नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य मन्त्री महोदय भी इस पत्र पर अपनी छाप लगा चुके हैं कि यह पत्र एण्टी-नेशनल करेक्टर का नहीं रहा है। उनके कहने के मुताबिक अगर पत्र को पब्लिश कर दिया जाता है और उससे देश की बदनामी होती है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्य मंत्रीजी की होगी, हमारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं है वातावरण का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : मैं चेष्टा यह करूंगा कि वातावरण दूषित नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, 22-1-66 के पत्र में लिखा है—

"I am very unhappy over what is happening in my State eversince and I belive that our party......"

कांग्रेस पार्टी जो सिक्यूलेरिज्म की बहुत बड़ी दाद देती है उसके लिये गंगारामजी ने लिखा है..

"Congress party and our Government failed to demonstrate the ideal of secularism to which we have been wedded during the last period and which arose as a result of war between our country and Pakistan."

अब वे देश के लिए क्या लिखते हैं और क्या चित्र रखते हैं इससे भी सदन को कोई सन्तोष न हो..

श्री गंगाराम चौधरी (उपमंत्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, इसमें आप फर्मा रहे हैं तो मेरा निवेदन करना यह है कि या तो पूरा पत्र हाउस की टेबल पर रखेंगे या जिस संदर्भ में वह लिखा गया है उसको पढ़ा जाय। कुछ पोर्शन पढ़ कर सुनाते है तो इसका उत्तर देने की स्थिति में मैं नहीं हो सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गंगाराम जी भी इस बात को स्वीकार करके सदस्य से अपील करता हूँ कि वे इस पत्र को सदन की मेज पर रखें तो सदन उसको पढ़ कर जाने कि गंगाराम जी क्या हैं और हिन्दुस्तान की जनता समझे कि सक्यूलरिज्म केवल एक ढोंग है। उसको हाउस की टेबल पर आने दें।

श्री अध्यक्ष : This is a covering letter.

श्री भैरोंसिंह : उसमें आगे क्या लिखा है—

"As the enclosed and annexure connected

श्री अध्यक्ष : Order. Order. एक घण्टा और 10 मिनिट तो हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री गंगारामजी ने अभी कहा है सारे पत्र को सदन की मेज पर रखा जाय तो मैं गंगाराम जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने पत्र को साइक्लो स्टाइल करवाया है और साइक्लोस्टाइल करा कर उस पर कान्फीडेन्शियल लिखा है।

श्री गंगाराम चौधरी : यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल सही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज के प्रमाण देने को तैयार हूं कि गंगारामजी ने उस कान्फीडेन्शियल लेटर की साइक्लोस्टाइल कापियां करवाई हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं इसकी जांच करवाने के लिए तैयार हूं। माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं माननीय सदस्य ने इसको इस तरह से....

श्री भैरोंसिंह : जरूर जांच कराई जाय। यह साइक्लोस्टाइल कागज पाकिस्तान कैसे गया इस जांच से कम से कम इसका तो निष्कर्ष निकलेगा।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं खत्म कर रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उप मंत्रीजो यह समझ लेते हैं कि मैंने कुछ नहीं लिखा है और लेटर में कुछ नहीं है और जिस सदर्भ में एक्स्ट्रेक्ट्स पढ़ रहा हूं उसका उससे कोई तालमेल नहीं है तो ज्यादा उचित बात तो यह होगी कि उस पत्र को स्वयं वे सदन की मेज पर रखें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की तरफ बैठने वाले व्यक्ति, जिनमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, उनके सामने ही नहीं कहेंगे बल्कि सुखाड़ियाजी पर जोर डालेंगे कि या तो गंगारामजी ही रहेंगे या कांग्रेस ही रहेगी। मुझे क्यों कहते हैं कि वह पत्र मैं सदन की मेज पर रखूं।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेटर तो आपने लिखा है तो रखियेगा सदन की मेज पर।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य जो कुछ डाक्युमेन्ट के बारे में बता रहे हैं उस डाक्युमेन्ट को मैंने देखा ही नहीं अभी तक। माननीय अध्यक्ष, आपके सामने पेश किया होगा, लेकिन मैंने उस डाक्युमेन्ट को देखा नहीं है। आपने एक पत्र का हवाला दिया तो मैंने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्रीजी को दिया था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : Order Order.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आने दें माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : एक्स्प्लेनेशन और काउन्टर एक्स्प्लेनेशन न हो। पत्र टेबिल पर आता है तब भी इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत सीरियस मामला हो गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय गंगारामजी यह कहते हैं कि उन्होंने ऐसा पत्र देखा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने लेटर लिखा ही नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी ने जो रेफरेन्स दिया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न इस बात का है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसी जांच का हवाला दिया कि मैंने जांच कर ली है। जो कुछ लेटर हैं, कौन सा पत्र है उसको तुरन्त सदन की मेज पर रखें।

श्री भैरोंसिंह : यह तो निर्विवाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने समर्थन कर दिया हो

(श्री भैरोंसिंह)

इन्होंने इन सब बातों को मेरी बातों को और उस पत्र को स्वीकार किया है केवल मात्र पत्र वह जिसका मैंने सवाल प्रस्तुत किया है, गंगारामजी ने जो पत्र लिखा है उस पत्र का सवाल मैंने प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उत्तर दिया है और उत्तर देते हुए यह बात कही है कि इस पत्र में गंगारामजी ने राष्ट्र व देश के खिलाफ लिखा हो ऐसी कोई बात नहीं मिली है। वह पत्र, अध्यक्ष महोदय आपने पढा है। उसमें मैं आपको इन्वाल्व नहीं करना चाहता....

श्री अध्यक्ष : पढ़ लिया उसमें क्यों इन्वाल्व करना चाहते हैं। पढ लिया उससे इन्वाल्व हो गया।

श्री मदनसिंह : इसलिए आप ही फर्मा वें।

श्री अध्यक्ष : क्रिमिनल एक्सप्रेशन है यह।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको इन्वाल्व करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को इसलिए सदन के सामने रखना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों के अन्दर या 15 वर्षों के अन्दर सीमा-सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया है तो यह उसका परिणाम था कि राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान ने अधिकार करने की चेष्टा की और हमला करने की चेष्टा की और राजस्थान की भूमि के बडे भू-भाग पर राजस्थान के निवासियों को यातनाएं सहन करने के लिए मजबूर किया था। भारत सरकार कृपा करके राजस्थान की सीमा पर सड़कें बना रही है, लेकिन उन सड़कों के बारे में कुछ समाचार पत्रों में यह खबरें पढ़ी हैं कि राजस्थान के वयोवृद्ध व्यक्ति हरिश्चन्द्र माथुर ने लोक सभा में भाषण देते हुए बजट पर यह कहा है कि भारत सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में सड़कें बनाने के लिए जो 8 करोड़ का प्रावधान रखा था उसको घटा कर 4 करोड़ का कर दिया है। मुझे यह भी दुःख है कि यह स्थिति क्यों आई है। क्या इसमे जीप काण्ड शामिल है, क्या मशीनरी राजस्थान सरकार ने पर्चेज की थी उसके कारण या फिर राजस्थान सरकार की योग्यता के कारण ?

श्री अध्यक्ष : एजम्शन्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : इन्फरेन्स मेरा यह मैं सदन को देता हूं। सरकार अपना इन्फरेन्स अपने जवाब में बता देगी। मैं पूछना चाहता हूं कि सीमा की सड़कों के बारे में भारत सरकार ने जो प्रावधान रखा था वह किस कारण से कम हुआ है ?

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार यह जो बजट लेकर इस बजट के साथ में जो एप्रोप्रियेशन बिल ला रही है उसके कारण राजस्थान की जनता अच्छी तरह से सुनले, अगले 12 महीनों के अन्दर इस महंगाई के कारण, अनाज की कमी के कारण से, पानी की कमी के कारण से राजस्थान की जनता त्राहि त्राहि करने वाली है। राजस्थान की गरीब जनता टैक्सेज की मार से त्राहि-त्राहि करने वाली है। आज भ्रष्टाचार का भूत राजस्थान की जनता के पीछे पड़ गया है, वह भूत राजस्थान की जनता का शोषण करने वाला है। आज लेवी के नाम पर किसानों का शोषण, बाकी

(श्री भैरोंसिंह)

के टैक्सेज के नाम पर किसानों का शोषण-राजस्थान के 15 लाख हरिजन आज 15 वर्षों से राजस्थान की कांग्रेस के शोषण के नीचे चलते आ रहे हैं आज उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। आज सरकारी कर्मचारियों में इस सरकार के प्रति असन्तोष है। राजनैतिक वातावरण से विक्षुब्ध हैं। जनता में अशान्ति है और जनता का मौरल गिर जाने की स्थिति है। तो इन सब बातों के कारण मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस एप्रोप्रियशन बिल को रिजेक्ट करे और पिछले 15 वर्षों में राजस्थान सरकार ने जनता का शोषण किया है उसको इसी प्रकार का इनाम दिया जाय।

(विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : डा० हरि प्रसाद !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर):– अध्यक्ष महोदय, पिछले दो हफ्तों से जो बजट पर विचार हो रहा है उसके सम्बन्ध में जो सदन के अन्दर अलग अलग पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे। जो बातें आज उन्होंने उसके सम्बन्ध में कहीं हैं कि यह चीज जनता का सिरदर्द है यानि यह जनता का शोषण करने वाला बजट है। इसको तरह तरह की संज्ञायें दी गई हैं। यह अपनी अपनी विचारधारा है, सोचने का तरीका है कि वह बजट को किस तरीके से देखना चाहते हैं। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, यह आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि एक तो चीज होती है कि पब्लिक के सामने एक राजनैतिक पुट देकर तथ्यों को रखें और दूसरी चीज यह होती है कि उसको जिम्मेदारी के साथ जिसको मीनिंगफुल कहते हैं यानि उसके अन्दर मतलब निकल सके उस तरीके से उसको देखना है।

(4. 18 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो यह बातें कहने में अच्छी लगती हैं कि यह बजट या यह सरकार जनता का शोषण करने वाली है। सुनने में यह बात अच्छी लग सकती है और अखबारों में छपती है तो यह बात अच्छी लगती है, क्योंकि इसके जो समर्थक हैं उनका यह दृष्टिकोण होता है हर तरीके से हम यह चीज जनता के सामने पेश करें कि उनके ऊपर जो टैक्सेज हैं उनका हम विरोध करते हैं। उनकी दिक्कतों और उनके दुःखों के जानकार होने के नाते हम असल में उनके दुःखों को समझते हैं और इस तरीके से उनका विरोध करते हैं। और इसके साथ-साथ दूसरी मांग जो पेश की जाती है वह यह होती है कि सरकारी कर्मचारियों में कमी करके या और किसी भी तरीके से बचत गवर्नमेंट करने लगे तो उसका विरोध वह इस उद्देश्य से करते हैं, मानो जनता के सही तौर पर, सही मायने में जनता के हकों के प्रोपोनेन्ट्स वे लोग हों। मैं इस बात को सुन सुन कर हैरान हूं। इस बजट के लिए यहां तक कहा गया कि वह जनता का विरोधी ही नहीं एन्टीसोशलिस्टिक बजट भी है। यह बात सुनने में दिलचस्प यों हो गई, जिन लोगों से सोशलिज्म लाखों मील तक दूर है, जिनका सोशलिज्म से लाखों मील तक कॉन्टेक्ट नहीं उस विचारधारा के लोग भी स्पीच देते समय आगे बढ़ बढ़ कर किसानों और मजदूरों के हित की रक्षा करने

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

के हामी अपने आपको कहते हैं। कुछ पार्टियों का सीधा सादा दृष्टिकोण सोशलिज्म से संबंध रहता है वे चाहे इस बात को राजनैतिक पुट देकर कहें। कुछ कुछ तो यह मानकर चलते हैं और सिन्सीयरली इस बात को महसूस भी करते हैं कि जनता के सामने कष्ट हैं। आज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। जहां मैं यह बात विरोधी पार्टियों के लिए जिम्मेदारी के साथ कहता हूं वहां जो पार्टियां अपनी जिम्मेदारी समझती हैं वह भी यही कहेंगी कि अगले दस पन्द्रह सालों में ये कष्ट दूर होने वाले नहीं हैं। इस बारे में मेरी शिकायत अपनी गवर्नमेन्ट से भी रहती है। गलत तस्वीर सरकार क्यों रखे? एक वेलफेयर स्टेट का गोल रखकर हम जोर शोर के साथ इसका इमेज जनता के सामने यह रख दें कि हर चीज में टैक्सेज को काट देंगे, हर जगह तनख्वाहें बढ़ा देंगे-यह बातें दिन-रात कही जाती हैं यह बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी की भावना है। आज जो देश विकास की ओर बढ़ रहे हैं उन्होंने मजबूती के साथ कष्ट उठाये हैं। चाइना की मिसाल लें, रशिया की मिसाल लें, मैं आज भी रशिया के बारे में कह सकता हूं, उसको बहुत प्रगतिशील देश कहा जाता है आज रूसी क्रांति के पचास साल के बाद भी वहां पर बड़े पैमाने पर गरीबी और कमियां हर कदम पर मौजूद हैं। मैं इस जगह रूस-अमेरिका का कम्पेरिजन हिन्दुस्तान की हालत से करना नहीं चाहता। लेकिन जहां यह सवाल आता है कौन सी प्रणाली से हम इस देश की वर्तमान समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं उस समय हमें देखना होगा, किन किन देशों ने क्या क्या प्रणालियां अपनायीं और उनके क्या रिजल्टस साबित हुए हैं। रूस के बारे में मैंने जिक्र किया वहां आज भी बड़े पैमाने पर कमियां मौजूद हैं। अमेरिका के अन्दर, जो दुनियां का सबसे बड़ा समृद्धिशाली राष्ट्र है, नीग्रोज के अन्दर, स्पेनिश अमेरिकन्स के अन्दर आज गरीबी मौजूद है। यह कह कर कि भारत जनता के सामने चार हजार साल की समस्या है उसके लिए हम यह कह दें कि हम इसको तत्काल हल कर लेंगे यह बहुत गलत चीज होगी। मैं अपनी सरकार से भी यह बराबर कहता आया हूं हमारी गवर्नमेन्ट को इसमें शर्म क्यों आती है? गवर्नमेन्ट की कुछ कमजोरियां हैं जिसके कारण उनके मुंह बन्द हो जाते हैं। हमको सही स्थिति रखना है। हमारे सामने जो समस्यायें हैं जिनसे हम अगले 15 साल तक बाहर नहीं निकल सकते। पन्द्रह साल तक भी वे हल होने वाली नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय बजट के अन्दर जो टैक्सेज वगैरह लगाये गये हैं उनके बारे में तो मैं पीछे निवेदन करूंगा। एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं, बजट को सही तौर से और मिनिंगफुल तरीके से देखने के तीन तरीके मैं मानता हूं।

पहला तो तरीका है वह थ्योरिटिकल टैक्स बुक का तरीका होगा। जैसे बजट बेलेंस्ड होना चाहिये। अगर बजट वास्तव में डेफीसिट भी है तो उसको बेलेन्स्ड नहीं करना चाहिये। उसमें डाइरेक्ट टैक्सेशन न लगाकर इनडाइरेक्ट टैक्सेशन हमको लगाना चाहिये। यह मैं टैक्स्ट बुक एप्रोच मानता हूं। इसके साथ नाइत्तफाकी नहीं रह सकती लेकिन असल में जो देखना है वह है कि आज हमारी क्या स्थिति है। अगर उसको हटा देते हैं तो किताब खोल कर वह रास्ता

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

बता देते हैं। यह तो सदा सदा चेन्जेज किताबों के अन्दर देखा जा सकता है।

दूसरा यह है जो ऑडिट रिपोर्ट एप्रोच कहते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर हजारों भ्रष्टाचार के नमूने और अनियमितताओं के नमूने रहते हैं। एक एप्रोच वह होता है जो सारी गवर्नमेन्ट की नीति को उस रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी गलत एप्रोच है। यूजफुल एप्रोच इसको मान सकते हैं, इसको ध्यान में रखना जरूर है। इस तरह से बजट को केवल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर देखने का तरीका भी गलत होगा।

तीसरा एप्रोच वह है जो बजट को देखना है उसमें परिस्थितियों को सही तौर पर देखा जाय उसके अन्दर इन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता उसमें ज्वलन्त प्रोब्लम होनी चाहिये। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में परिस्थितियों का जो संकेत दिया है वह तीन जगह आया है। परिस्थितियों से मेरा मतलब है मानसून का फेल होना और वह भी लगातार तीन सालों से चल रहा है।

दूसरी तरफ मोटे तौर पर देश के सामने चाइना और पाकिस्तान का आक्रमण जो हुआ उसका खतरा है।

उपाध्यक्ष महोदय, देश के सामने आज जो मोटे तौर पर समस्या है और आज हम जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं उनको देखते हुए जो खतरा हमारे देश के सामने है, दरअसल परिस्थितियों का खतरा है, खतरे का मेगनीट्यूड है उसको हम सही तौर पर महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने पाकिस्तान और चाइना की लड़ाई हुई हालांकि फोरिन अफेयर्स और सुरक्षा केन्द्र के अधीन हैं उस पर सदन में ही विचार हो सकता है लेकिन कोई भी कदम उठता है तो टैक्स लगता है। कोई नयी घटना हो जाती है तो आज हमारा जो बजट है वह दो मिनिट के अन्दर कागज का टुकड़ा हो जाय ऐसी परिस्थिति आ सकती है। हालांकि अभी आने की सम्भावना नहीं है। फिर भी इन परिस्थितियों को अपने ध्यान में रखकर चलें तभी हम अपने बजट को मिनिंगफुल बना सकते हैं। चाइना की लडाई के समय हमारा बजट करीब तीन सौ करोड़ का था वह बढ़ते बढ़ते अब एक हजार करोड़ का हो गया। परिस्थितियों से मजबूर होकर यह करना पड़ा। यह आगे भी बढ़ सकता है। आज इस देश को जितना खतरा बाहर से है उससे कम खतरा अन्दर से नहीं है-यह मान कर नहीं चलना चाहिए इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सब आँखें खोल कर इस बात को महसूस करें।

पहला खतरा 1962 में हमारे सामने आया आज वह खतरा उस समय से कई गुना और बढ़ गया है। जिस चाइना के पास रिसोर्सेज डायरेक्ट अटेक के मीन्स नहीं थे वह आज उसके पास उपलब्ध हैं। ल्हासा और सिकयांग रेल्वे लाइन, जो 66 में कम्पलीट होने वाली थी, जो डाइरेक्ट ट्रान्सपोर्ट के लिए ल्हासा से काठमाण्डू तक हाई वे वहां बनने वाला था वह पूर्ण हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जो मार्च 62 में परिस्थिति मौजूद नहीं थी, आज डाइरेक्ट ल्हासा एक हाईवे से काठमण्डू और हमारे हिन्दुस्तान से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है, सीधा का

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
सीधा रास्ता हिन्दुस्तान से जोइन्ट है। इसका पोटेंशियल, इन्सीडेंट या जो भी हो मैं इतना ही कह कर अपने को सीमित रखना चाहता हूं कि इसका ध्यान रखना चाहिए।

दूसरी चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ जहां बाहर का यह खतरा है, वहां दूसरी तरफ हमारे देश या हमारे ही देश के अन्दर कुछ पार्टियां ऐसी मौजूद हैं जिनका कि सीधा सीधा दृष्टिकोण आज यह नहीं है कि अग्रेसर चाइना को कवर अप करने का हो। उनका दृष्टिकोण हर जगह यह रहता है कि उनको ले डाउन करना। मैं निवेदन करूंगा कि इस चुनाव के दौरान सुन्दरमैय्या का जो सी. पी. आई. के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, त्रिवेन्द्रम में एक भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा-यह चुनाव जो हुआ है, अंग्रेजी में उनके शब्द मुझे नहीं मालूम, मैं उनके भाषण का अर्थ बता देता हूं-जो चुनाव हुए हैं और सी. पी. आई. लेफ्ट की चीन पालिसी को विन्डिकेट किया है का मतलब जो सी. पी. आई. के·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : How is it relevant with this debate ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप यह मसला यहां पर न उठायें तो अच्छा हो क्योंकि बाद में इसका साम्यवादी सदस्य की तरफ से जवाब होगा और विवाद बढ़ेगा। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठाया जाय।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं सीमित रखना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट का एक एक पैसा एक एक मुद्रा डाइरेक्टली हमारे डिफेन्स से इन्वाल्व्ड है····

श्री उपाध्यक्ष : डिफेन्स का मसला अपने यहां विचाराधीन नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं मानता हूं, आपकी आज्ञा भी शिरोधार्य है। लेकिन हमारे बोर्डर का रोज रोज किस्सा होता है, आज ही भैरोंसिंह ने दो घण्टे इस पर चर्चा की। डिफेन्स को इससे एसोसियेट करके मैं चर्चा नहीं करना चाहता, जिससे स्टेटमेंट का सीधा सीधा सम्बन्ध है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता····

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया किसी पार्टी के लीडर का नाम न लें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में सीधा सीधा कोई स्टेटमेंट न्यूज पेपर में दिया जाता है तो मेरे ख्याल में कोई एतराज नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह कह दें तो मुझे भी मौका दे दें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपको मौका दे दें और मुझे भी मौका दे दें तो अपने अपने व्यू पॉइन्ट हम प्लेस कर दें। वैसे मैं आपकी आज्ञा से इसको यहीं छोड़ देता हूं। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट का मतलब यह निकाला गया है कि यह विन्डीकेशन आफ चाइना पालिसी है। लेकिन उसके बाद ही उसका सारे देश में प्रतिरोध हुआ, जो जो भी खतरे देश में अन्दरूनी मौजूद हैं उन्हें लेकर कलकत्ते में इस चीज को रिफ्यूट किया। पार्टी पॉलिटिकल ब्यूरो का यह स्टेटमेंट है, आपकी आज्ञा हो तो इसे पढ़ दूं, नहीं तो यह कह दूं कि स्टेटमेंट में रिफ्यूट किया कि चाइना पॉलिसी का मतलब यह निकाला, यह स्टेटमेंट लेफट का है, अलवर से आने वाले

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

माननीय सदस्य इसे जानते हैं-उसका यह मतलब निकाला, चाइना ने जो उनकी देश के प्रति पालिसी है, उसको सिन्डीकेट किया। आपकी पार्टी ने आगे जाकर उसको रिफ्यूट किया। मैं इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं कहना चाहता हूं, देश के अन्दर और देश के बाहर खतरा मौजूद है, वह खतरा देश के अन्दर भी मौजूद है, आजकल क्या घटना हो सकती है, कभी भी यह घटनाचक्र किस तरह से बदल सकता है-यह ध्यान में रखना होगा। हमारे केन्द्रीय डिप्टी होम मिनिस्टर, शुक्ला ने एक-सवा महीने पहले अपने यहां कन्सीडर्ड स्टेटमेंट दिया कि आज चाइना और पाकिस्तान दोनों के बोर्डर पर दुगुनी फोर्सेज मौजूद हैं, 1962 और 1965 से। मैं इतना कह कर इसको छोड़ दूंगा कि आज 1962 और 1965 की स्थिति से इन दोनों देशों की दुगुनी फोर्सेज मौजूद हैं, उसमें अन्दर के लोग मदद कर सकते हैं। यह केन्द्रीय डिप्टी होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। मैं कह रहा था, इन परिस्थितियों का जिक्र कर रहा था जिनका सीधा सीधा हमारे बजट पर असर पड़ता है। तो दरअसल जो यह परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर हम कन्सीडर न करें और सोचें वह है ही नहीं और उस तरीके के बजट को देखें तो वह एक डिस्टार्ट व्यू हो जायगा बजट का।

दूसरा खतरा जो चाइना और पाकिस्तान के बारे में है, उसके बारे में कहने की इजाजत मुझे होनी चाहिए। मैं इतनी बात कहूं कि आज पाकिस्तान के बोर्डर का समय से समय जिक्र होता ही रहता है। वहां भी अयूब साहब ने यह कहा कि जो खतरा है, वह हिन्दुस्तान से है और जो आर्मी और फोर्सेज को बढ़ाना है वह हिन्दुस्तान के अटैक की वजह से बढ़ाना है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा के कारण इस विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं इतना संकेत जरूर कर देना चाहता हूं कि आप हमारे सामने जो वित्तीय समस्या है, उसको कहीं ज्यादा गहरा बनाने के लिए यह दोनों चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मुद्दों पर आना चाहता हूं जो बजट में कहे गये हैं। पी. डब्ल्यू. डी. के विषय में पूरी डिबेट हुई, उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया है लेकिन उसके अन्दर एक खास गलती मालूम पड़ती है कि कई ऐसी रोड्स हैं जो सैकिंड फाइव ईयर प्लान से लगी हुई हैं और उनको बिना किसी कारण के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी चीज के हटा दिया गया है और उनका कुछ काम शुरु हो चुका था, वह आज इस तरीके से बीच में पड़ा हुआ है। मैं सैकिंड फाइव ईयर प्लान का जिक्र कर रहा हूं, थर्ड फाइव ईयर प्लान गुजर गया, और फोर्थ चल रहा है-ऐसी हालत में नई नई सड़कों का कोई प्रावधान करें, उसके बजाय-मेरी समझ में यह बहुत जरूरी है कि सबसे पहले उन कामों को, जो कि हमारे प्लान में रखे ही नहीं हैं बल्कि डाइरेक्टली हाथ में ले लिये हैं, जिनके ऊपर पैसा खर्च करना शुरु कर दिया है, प्रायोरिटी देनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जरा सा ध्यान दें तो ऐसी रोड्स मेरी तहसील में भी पड़ी हुई हैं जिनमें एक सोडावास की है। मैं छोटी छोटी चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन ऐसी रोड्स, जिन पर पैसा खर्च हो चुका है, को

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

आज हालत खराब हो रही है। उनको इस तरह छोड़ देने में क्या लॉजिक है यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं निवेदन करता हूं, ऐसी रोड्स, जिनके शुरू होने के बाद दो प्लान बीच में निकल चुके हैं और जिनका प्रावधान सेकिंड फाइव ईयर प्लान में था, को कम से कम पूरा करने के लिए पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए।

दूसरी चीज मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, जिसका सीधा सीधा सम्बन्ध शासन से है, वह एक ऐसी समस्या है जो एक व्यापक रूप से गवर्नमेंट की सारी कमजोरियों को लाती है, और उसकी ओर सीधा सीधा मैं इशारा करूं तो सीधा सीधा व्यापक भ्रष्टाचार है। कितनी ही जगह गवर्नमेंट शायद उसको खत्म करने का अपना एक सही इरादा भी रखती है लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज तक आती है तब तक वह चीज गायब हो जाती है। मैं स्पेसिफिक एक एक्जाम्पल रखना चाहता हूं। मेरे यहां साबी नदी में बाढ़ आई, बाढ़ ऐसी गम्भीर आई कि बहुत बड़े तीन मंजिले मकान सारे बह गये, जिनके अन्दर गर्डर थे, जो पचास पचास मन के थे, वह दो सौ गज दूर बह कर चले गये। यह बाढ़ की इन्टेन्सिटी की बात है। माननीय मंत्री, जो रेस्पान्सिबल थे, डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर, वह वहां पहुँचे, भाषण दिया, फोटो खिचवाये और लोगों को बड़े सहानुभूतिपूर्वक आश्वासन दिये–हम आपकी सारी मदद करेंगे। लेकिन कुछ थोड़ी टीन उनको दीं, गवर्नमेंट ने राहत के लिए टीन दीं और कहा कि वहां के लोग सीधा काम में हिस्सा लें और वहां बांध बनायें तो उसमें गवर्नमेंट भी मदद देगी। जनता से कहा कि वह कच्चा बांध खुद बना लेगी मिट्टी का, तो पक्का उसको गवर्नमेंट बना देगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि वहां आस पास की जनता ने मिल कर काम किया और वहां पर यह काफी बड़ी घटना हुई कि कई हजार गज लम्बा 40 फीट ऊंचा और 60 या 70 फीट मोटा बांध वहां के गांव की जनता ने मिल कर बांधा और वह इस आश्वासन पर कि मंत्री महोदय आकर कह गये थे कि वे इसको पक्का करवा देंगे। मगर दुःख इस बात का है कि आज तक उसको पक्का नहीं बनवाया गया है और वह गिरने की हालत में आ गया है। मगर गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का इस प्रकार का कदम बहुत ही गलत कदम है इसलिये नहीं कि आपने जनता को एक आश्वासन दिया और उसको पूरा नहीं किया लेकिन आपने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया उससे जनता की आस्था आप में कम होती है। आपके कमिटमेंट के प्रति उसकी आस्था और उनका विश्वास या वह गिर जाता है। मैं समझता हूं कि यह नुकसान एक बुनियादी नुकसान होगा।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं वह यह कि जमीन जो इस बांध में आई आज तक उसका भी कोई कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया है। इसके लिये दो तीन चार दफा बार बार इसके लिये मंत्री महोदय से निवेदन किया है और उन्होंने वहां की जनता को एश्योरेन्स दिया। जनता ने बांध बनाया उसके बाद भी कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया यह बड़े दुःख की बात है। मैं जो आपको कहता हूं वह कोई छोटी सी चीज को लेकर आपको नहीं कहता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

गवर्नमेंट का एक जनरल एप्रोच हो काम करने का और उसके अनुसार उसे काम करने चाहिये। रिलीफ और रीहेबिलिटेशन के मंत्री भी इसको जानकारी करें तो उनको मालूम होगा कि सरकार की तरफ से करना कराना कुछ नहीं और जो टीन दी थी उसके पैसे भी वसूल कर लिये। यह अपोजिशन चाहे 6 महीने तक आपको डीबेट में कुछ कहता रहे मगर उससे आपको नुकसान नहीं होगा लेकिन उससे ज्यादा आपको इस एक चीज से नुकसान होता है कि आप किसी चीज का कमिटमेंट करके उसको पूरा नहीं करते हैं।

अब कटौती करने के प्रश्न पर आपको कुछ कहूंगा। यह एक दुःख पूर्ण कदम है कि पंचायतों से स्टाफ हटाया गया। मैं कितनी ही मर्तबा सदन में कह चुका हूं कि यदि सरकार बराबर विकास के लिये सोचे तो यह कोई उसकी मान प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, इसमे उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होती। यह प्रश्न राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके लिये दोनों तरफ से एम. एल. ए. और हर आदमी आपको कहता है कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। जिस चीज को लेकर कम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम किया गया उसमें पैसे बेकार गये। ठीक है उसको मैं बुरा नहीं मानता मगर मैं कहता हूं कि इससे पांच कदम आगे चल कर इसी दिशा में जो देश में कॉन्फीडेन्स में आ रहा है उसको बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर, सोरी चीफ व्हिप, गवर्नमेंट के पटवारी हैं। तहसीलदार और दो तीन और एजेन्ट होते हैं जिनका संबंध डाइरेक्ट जनता से होता है। आपकी जो भी स्पीचेज होती है जो अखबारों में आती है और रेडियो पर सुनी जाती है उससे जनता का डाइरेक्ट सम्बन्ध नहीं होता। ये जो काम करते हैं उससे ज्यादा प्रभाव, मैं समझता हूं, आपके भाषण नहीं कर सकते। आज हम कितनी ही बड़ी बड़ी स्कीमें क्यों न बनावें, अपोजिशन के निगेटिव एप्रोच को लेकर नहीं चलता मगर में देखता हूं कि बजट में आप कहते हैं इतने काम होते हैं और इतने कामों के होते हुए भी सारे के सारे कामों में लोस उठाते हैं। पांच सालों से मैं बराबर देखता हूं और शुरू से कहता आ रहा हूं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे तो इससे कोई उसकी प्रतिष्ठा में गिरावट नहीं आवेगी। आज ग्राम सेवकों का मतलब यह है कि जो कम्युनिटी डवलपमेंट में पावर हमने दे रखी है वह पूरी नहीं होती और सारा प्रोग्राम जो भी आदमी डाइरेक्ट कॉन्टेक्ट करने वाला है अगर वह सही कॉन्टेक्ट जनता के सामने नहीं रखता है तो उसके सही गोल पर आप नहीं पहुंच पाते हैं चाहे आपने सही गोल की तरफ कदम उठाया हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आज हिन्दुस्तान की जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या है वह है फेमिली प्लानिंग की और इसके लिए हम लोग भी हमेशा सोचते देते हैं और कहते हैं कि इसका कन्ट्रोल होना चाहिए मगर अभी तक हम उसका सही तौर से कोई रास्ता नहीं निकाल पाये हैं। मगर 10 या 15 वर्षों तक यही हालत हमारी चलती रही और कोई रास्ता नहीं निकला तो हमारी क्या हालत होगी? और इसके लिए रास्ता निकलना आसान नहीं है। अगर पंचायतें अपनी सिन्सियरिटी को नहीं समझें तो उसके पीछे आपकी गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम फैल हो सकते हैं, और

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
हमारे डेवलपमेंट के सारे प्रोग्राम फेल हो सकते हैं।

इसके अलावा मैं गोचर और बंजरभूमि के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज जैसे ही पानी बरसा यह हमेशा की समस्या सामने आती है। इसके लिए गवर्नमेंट को मजबूती से नक्शा तय करना चाहिए और उसे केवल कागजों पर ही नहीं रखे मगर उसको इम्पलीमेन्ट भी करावे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में अपना दिमाग क्यों नहीं साफ रखना चाहते हैं? गोचर सरपास होते हैं। मेरे पास इसकी कई मिसालें हैं। जैसे ही पानी वर्षा इसके झगड़े होने लग जाते हैं। अगर हमारी सरकार की पालिसी यह हो कि गोचर हमको नहीं रखने तो उस पालिसी को भी आपको साफ करना चाहिए। मगर गोचर भूमि को आप रखना चाहते हैं और उसे रख कर भी उस पर फर्म एक्शन नहीं लें तो और भी ज्यादा खतरनाक बात है। और भी आपकी पालिसीज चलती हैं। मगर पहले इस पर विचार करना है। यह समस्या ऐसी है जो रोजाना होती रहती है और इस पर हमेशा दंगे फिसाद होंगे। मेरे पास भी चिट्ठियां आई हैं एक पार्टी की तरफ से कि वो गोचर को जोतने लग गये हैं। इससे लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है और गवर्नमेंट की पालिसी के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा होता है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सदन में बार बार कही गई है कि हम डाइरेक्ट टैक्सेशन का सहारा नहीं लेकर इनडाइरेक्ट टैक्सेशन का रास्ता अपना रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो आप ही कह रहे हैं हमने तो नहीं कहा।

एक माननीय सदस्य : नोन टैक्स रेवेन्यू।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने भी कहा था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह भ्रम के बारे में है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं गलत कह रहा हूं। मेरा मतलब यही था। मैंने गलत कह दिया।

तो नोन रेवेन्यू टैक्स के लिए हमारा प्रोविजन होना चाहिये जिससे जनता पर बोझ नहीं पड़े। इसके लिए हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तो इन्डस्ट्रीज।

(5.00 म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान की सारी स्टेट्स में कोई न कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारे यहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं नहीं है, हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिनके कारण हमारे यहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम नहीं खींच पाये हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि उसके लिए हमारे यहां जो फेक्टर्स होने चाहिए, वह फेक्टर्स मौजूद नहीं हैं, या हमारे यहां ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना फिजिबल नहीं है। यदि ऐसा प्रोजेक्ट हमारे यहां लायें तो हमारे यहां इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट के लिए काफी गुंजायश है, पर इसके लिए सेंटर से हमारी मांग दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ होनी चाहिए। अभी यू. पी. में बड़ा प्रोजेक्ट लाने के लिए सेंटर से मांग की है। तो हमारी भी सेंटर से इसके

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
लिए स्ट्रांग मांग होनी चाहिए। इसके लिए मेरा सुझाव है, हालांकि यह डिफेन्स से सम्बन्ध रखता है, पर मैं गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में एटम बम बनायेंगे या नहीं यह सवाल विचाराधीन है। उस सवाल को मैं यहां नहीं उठाना चाहता। मेरा निवेदन है कि जिस पृष्ठ भूमि में से होकर हम गुजर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगले दस सालों के लिए हमारे देश के लिए क्या पालिसी तय करें, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के सोचने की बात है। एटामिक बम का सीधा सादा सम्बन्ध 1,00 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से है। बिजली के लिए हम एटामिक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। अगर कभी सम्भव हो, मैं रिसर्च प्रोजेक्ट की बात कह रहा हूं, कम से कम अपनी केपेबिलिटी एटॉमिक रिसर्च में हो, क्योंकि एटॉमिक रिसर्च के लिए आवश्यक सामान के, यूरेनियम के भण्डार हमारे यहां है। एटामिक रिसर्च के लिए यूरेनियम की, प्रीशियस डेल्यूशन फैलाने की जरूरत होती है, पार्लियामेंट में इस पर बहस हो चुकी है....

श्री विजयसिंह रावत : कोई ऐसा बम बनाओ कि मंत्री मण्डल पर पटक सकें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : तो यह प्रोजेक्ट कहीं न कहीं हिन्दुस्तान में जायगा। रिसर्च फेसेलिटी के लिये 500 करोड़ पहले और पांच-पांच सौ करोड़ पांच साल में कुल मिला कर 15 सौ करोड़ का प्रोजेक्ट हो जहां-जहां पर एटोमिक रिएक्टर्स हों वहां लगेगा। बम्बई में साइट करीब पड़ता है पर वहां पोर्ट होने की वजह से, सिक्योरिटी के लिहाज से लगाना उचित नहीं होगा। हमारे यहां साइट आइडियल है तो गवर्नमेंट अपना क्लेम इसके लिये जरूर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास रखे ताकि दो साल, 5 साल या 10 साल बाद अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ऐसा प्रोजेक्ट कायम करना चाहे तो हमारा क्लेम उस पर रहे।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इस तरह अखबार नहीं पढ़ सकते।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कुछ बातें मैंने मोटे मोटे तौर पर कहीं उन्हें एक बात दोहरा देना चाहता हूं। बिजली के बारे में ध्यान दीजिये। दूसरी स्टेट एटामिक रिएक्टर ले लेगी इसलिए जो बात होने वाली है उसको गवर्नमेंट आफ इण्डिया के सामने रखें।

मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, जिन परिस्थियों में बजट पेश किया गया है, मैं उसका निश्चित रूप से समर्थन करता हूं। करप्शन की भर्त्सना करता हूं। जिन परिस्थितियों में बजट बना उसका वेट जिन जिन पर पड़ा उसके बावजूद मैं समझता हूं इन परिस्थितियों में ऐसा दूसरा बजट पेश किया जाना असंभव था।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह !

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंडावर से आने वाले माननीय सदस्य को हम सुन रहे थे। कब एटम बम बनायेंगे चीन पाकिस्तान के हमले की हालत क्या होगी, ऐसी हालत में प्रोस्पेरिटी के नाम पर, पोसिबिलिटी के नाम पर ऐसा बजट रखा गया और विनियोग लेखे पर मांग की जा रही

(श्री नरसींसिंह)

है, हम लोगों की बातों का पता नहीं लगा सकते, अन्तर्राष्ट्रीय दबाव मे हम परास्त हैं, इसलिए हम अन्धेरे में टटोलते हुए जो कर पाये हैं उस ही को गतिवान बजट कहने की दलील उन्होंने दी है।

पर आज बात बिलकुल विपरीत है। हम हमारे देश में अभी तक तय नहीं कर पाये हैं कि हम हिम्मत के साथ देश में आर्थिक और सामाजिक क्रांति करनी है या नहीं, इसलिए स्टेटिसको मेन्टेन रखने की नीति सरकार लेकर चल रही है उस ही नीति का नतीजा है कि पिछले 1 वर्षों से विनियोग विधेयक आते हैं, बहुत बड़ी राशि लेकर धक्का देकर किसी तरह राज्य को चलाते हैं और 15 वर्ष बाद भी हमारे प्रदेश की स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार जो हमें मिली, उसकी राजस्थान को देन है अकाल, बेरोजगारी, भुखमरी और भ्रष्टाचार।

मंडावर से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे थे वह वही दिशाभ्रम, दिशाहीनता की बात है, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। पर पर्दा डाला नहीं जा सकता। इसके पीछे कारण यह है कि हमारी सरकार के पास न तो नीतियां श्रेष्ठ हैं और न ही गन्तव्य स्थान है। वह लक्ष्य विहीन और दिशाभ्रम की हालत में है। एक कदम आगे बढ़ा और दूसरा कदम पीछे हटा इस स्थिति में है और उसी स्थिति में बरकरार हमारे प्रदेश को रखना चाहती है।

हमारे इस राजस्थान को प्रकृति ने अनेकों देने दी हैं। हमारे पास खनिज संपदा है, हमारे पास वन सम्पदा है, जो दूसरे प्रदेशों से अधिक हैं। हमारे पास जमीन अधिक है, हमारे पास मानव शक्ति भी है। इसके बावजूद भी हम पिछड़े हुए हैं, हम अकालग्रस्त हैं, हमारे यहां बेरोजगारी है, हमारे यहां भुखमरी है। दूसरे देशों से अनाज लाकर हमारे देशवासियों को खिलाया जा रहा है। इस सबका कारण यह है कि हमारी नीतियों में गतिहीनता है, हमारी सरकार को दिशाभ्रम है, उसका कोई गन्तव्य स्थान नहीं, लक्ष्य नहीं। हमारे वित्त मंत्री किन्हीं दिनों योजना मंत्री भी थे, अब तक कई प्रकार के मंत्री रह चुके हैं। वे ऐसा दिखाते हैं कि ये बड़े प्रगतिशील हैं पर उनकी गति अवरुद्ध है, दिशाभ्रम की सी हालत में लक्ष्य विहीन है। शायद उनका भेजा कमजोर हो गया है, क्योंकि उन पर दबाव काफी रहे हैं पिछले दिनों में। पर मैं उनको कहना चाहता हूं, सबसे पहले योजनाबद्ध विकास करना था तो आवश्यकता इस बात की देखने की थी कि योजना बोर्ड नाम मात्र का बना रखा है, वह केवल सील लगाने का काम करता है डाक घर का काम करता है। राजस्थान की तरक्की के लिये बुनियादी आवश्यकता इस बात की थी कि भारत सरकार से मांग करते कि हमें साधन दो। पर भारत सरकार जैसा आपको डिक्टेट करती है वैसे ही आप काम करते हैं। आप केवल डाक घर का काम करते हैं। यही कारण है कि आज हमारे यहां हर क्षेत्र में असंतुलन आ गया है, हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में असन्तुलन दृष्टिगोचर हो रहा है। अगर आपकी नीतियां ठीक होतीं तो असंतुलन आज हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। क्या यह सही है कि हमारे राज्य के पूर्वी क्षेत्र में आबादी ज्यादा है, पश्चिम में आबादी का दबाव कम है? हमारी योजनाएं बनाते समय इन चीजों का खयाल रखा जाना चाहिये था पूर्वी क्षेत्र में जहां आबादी ज्यादा है वहां

(श्री नत्थीसिंह)
किस किस प्रकार की इन्डस्ट्रीज चलाई जा सकती हैं। क्या आपने कभी इस प्रकार का सर्वेक्षण किया है? नहीं किया। हमारी पश्चिमी क्षेत्र में जहां आबादी का दबाव कम है वहां पर कृषि और पशुपालन पर ध्यान दे कर इस प्रकार का समुचित प्रावधान हमारी योजनाओं में रखते। पूर्वी राजस्थान के लिये जरूरी है कि खेती के साथ साथ उद्योग धन्धों के लिये पूर्वी क्षेत्र को प्राथमिकता देकर हमारी योजनाओं में प्रावधान रखते। पर हमारे यहां हालत इससे बिलकुल विपरीत है, क्योंकि आपकी नीति दिशा हीनता की नीति है, आपकी गति दिशाभ्रम की गति है, एक कदम आगे और एक कदम पीछे। क्या कभी आपने समुचित योजनाओं को सामने रखा है? नहीं। भरतपुर राजस्थान का सबसे अधिक घनी आबादी का हिस्सा है, पर यह विकास में 23 वें नम्बर पर आता है, और यदि फ्लड के नाम पर जो खर्चा हुआ है उसको निकाल दें तो यह सबसे पीछे है, सबसे नीचे इसका नम्बर आता है। इसके कई कारण हैं। इसका एक कारण तो यह है कि आप मन्त्री महोदय जो हैं, उनकी कोई अपनी हस्ती नहीं है, नीति नहीं है, आप मुख्य मन्त्री की कान पकड़ी छेरी के सिवाय कुछ नहीं है।

श्री रामकिशन : छेरी का मतलब बकरी।

श्री नत्थीसिंह : ये जो आपको डिक्टेशन दें, उसका पालन करना ही आपने अपना कर्तव्य बना रखा हैं। यह राजस्थान के क्षेत्रीय विकास के असंतुलन का मूल कारण है।

हमारे वित्त मन्त्री को सवाल पूछा गया कि प्रदेश की तरक्की करना चाहते हैं, इस प्रदेश में कई बार कहा गया कि राजस्थान की तरक्की करना है तो कृषि की तरक्की करनी होगी। आपने, वित्त मन्त्रीजी, गिरे हुए मन से, उदास मन से कई बार कहा है कि कृषि उत्पादन में गिरावट आ रही है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने गिरे हुए मन से नहीं कहा।

श्री नत्थीसिंह : अगर इस प्रकार आपने नहीं कहा तो निश्चित रूप से बनावट से कहा है।

जब बिजली की बात आती है तो कृषि मन्त्रीजी से पूछा कि बिजली का कृषि के लिये, व्यवसाय के लिये और डोमेस्टिक यूज के लिये प्रपोर्शन क्या है, रेशियो क्या है? तो विद्युत मन्त्री का जवाब होता है कि हमें रेशियो का पता नहीं है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि आपमें निष्ठा का अभाव है। अगर आपमें निष्ठा होती तो अंगुलियों पर बताते कि कृषि पर हम सबसे अधिक बिजली देते है। पर आज स्थिति बिलकुल उल्टी है, आप डोमेस्टिक यूज के लिये सबसे ज्यादा बिजली खर्च करते है दूसरा नम्बर उद्योग व्यवसाय का है और तीसरा नम्बर कृषि का है।

श्री पी. के. चौधरी : Industries first.

श्री नत्थीसिंह : 3-4 प्रतिशत बिजली आज कृषि के लिये दी जाती है जहां इस प्रकार की योजना हो, जहां इस प्रकार की नीति हो तो राजस्थान का वही हाल होने वाला है जो आपने कर दिया है। यदि आप राज्य में

(श्री नत्थीसिंह)

कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो किसानों को सुरक्षा देनी होगी। पर ग्राम किसानों के लिये सोचते नहीं, किसानों को असुरक्षित बनाते हैं। यह दूसरी बात है, वित्त मंत्री बड़े जोश से आये थे, इरिगेशन पर, मवेशियों पर टैक्स लगाऊंगा। आपने अपने मन से उसे वापिस नहीं लिया। सदन की परिस्थितियों के दबाव से आपने अपने उस कदम को पीछे हटाया है, जैसा कि मैंने कहा, कुछ कदम आगे ले जाते हैं, कुछ कदम पीछे ले जाते हैं। इण्डस्ट्रीज चल रही हैं, उनको आपने कितना बढ़ाया है? दूसरी जगहों में इस तरह की इण्डस्ट्रीज से वहां के राज्यों को अलग अलग इन्कम में ढाई पर्सेंट, तीन पर्सेन्ट योगदान मिला है। पर हमारे यहां राजस्थान में 6 पर्सेन्ट से अधिक इस क्षेत्र से राज्य को इन्कम का योगदान नहीं मिला क्योंकि आपने तो योजना के काम पर केवल ढोल पीटने के सिवाय नीतियों पर गम्भीरता से विचार ही नहीं किया है।

इस सदन में मेरी हमेशा शिकायत रही है कि जब भी नीतियों के सम्बन्ध में सवाल किया जाता है तो सरकार की ओर से हमेशा उनको टाला जाता है, कभी प्रतिपक्ष की ओर से या कांग्रेस की ओर से दलीलें दी जाती हैं तो जवाब देते समय ट्रेजेरी बेंचेज की तरफ से यदि किसी मंत्री के खिलाफ चार्ज हो तो कहा जायगा कि यह गलत है। पर नीतियों के सम्बन्ध में कोशिश करेंगे कि सीधा जवाब नहीं दिया जाय।

खाद्य नीति पर बहस हुई तो नीति के बारे में प्रश्न किये पर मंत्री महोदय की ओर से उनको टाला गया। वे कुछ करना भी चाहें, कुछ कहें भी पर उनके सामने सीमा है, उनको सीमा से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। नीतियों के हिसाब से मैं हमारे वित्त मंत्री और योजना मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो आपने आज तक रुपया इन्वेस्ट किया है, करोड़ों रुपया लगा कर राज्य के धन के उपयोग के जरिए जिन वर्गों को फायदा पहुंचाया है, क्या आपने कभी हिम्मत के साथ सदन में कहा है और कभी नीति बनाई है कि हमारी योजना के आधार पर जिन वर्गों ने फायदा उठाया है, उन वर्गों पर हमारे टैक्स का भार पड़ेगा? पर कभी नहीं कहा, कभी इस नीति को नहीं अपनाया। इस नीति पर चलते नहीं, उसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ता है कि आप के टैक्स बिल्कुल विपरीत दिशा में जाते हैं, जो मरे हुए हैं उनको और मारना चाहते हैं।

हमारे वित्त मन्त्री ने कहा कि इन्फ्लेशन जहां होता है वहां किसान सम्पन्न होता है। पर क्या आपने किसानों की गरीबी देखी है? राजस्थान में सबसे बड़ा किसानों का वर्ग है, जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग है, या मजदूरों का है, बहुत कम ऐसे किसान हैं जिनके पास इकोनोमिक होल्डिंग्स हैं, जो सम्पन्न हैं। अधिकांश किसानों की हालत खराब है, लेवी का कदम उठा कर आप ने उन पर एक और आघात किया है। कृषि की इन्कम की रिपोर्ट प्रकाशित करने की आपने कोशिश की पर एक चेप्टर ही छपा और आपने बन्द कर दिया क्योंकि उससे राजस्थान के जन मानस के समक्ष यह स्पष्ट हो जाता है कि, प्रत्येक को यह मालूम हो जाता कि कृषि की रकम का क्या हाल है। हम कहते हैं कि 1500 की इन्कम वाले

(श्री नत्थीसिंह)

को कम की जाय और 150 की इन्कम वाले की इन्कम बढ़ाई जाय। पर आप उस को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि स्पष्ट रूप से आपको जो आज्ञा होगी वही करना होगा, आप जो चाहते हैं वह आप नहीं कर सकते।

इस सदन में मैंने कई बार कहा है, जनसंघ के नेता अभी कह रहे थे कि शहरों में खाली जमीनें पड़ी हैं, उन पर टैक्स लगाया उसका क्या हुआ? राजस्थान में सीलिंग का सवाल आया, जब आप रूरल सेक्टर पर सीलिंग लगाते हैं तो हम यह मांग करते हैं कि शहरी आमदनी पर भी सीलिंग बांधो। शाहू जैन, डालमिया, बिड़लाजी की बात आ गई, यह अन्नदाता बैठे हैं जिनकी थैलियों के बल पर इधर वाले उधर जा कर बैठते हैं, जिनकी थैलियों के बल पर उधर वाले आकर बैठते हैं उधर वालों को ज्यादा ध्यान है। पर इधर वालों को ध्यान कतई नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर उधर वाले बोलते हैं तो कोई एतराज नहीं होना चाहिये शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाने पर। पर यह सरकार, कितना ही कहो, जानती है, और जान बूझ कर चुप है। इसके सामने कहना, नक्कारखाने में तूती बजाना है। इनके दल की नीति का निर्धारण कुछ ऐसे लोगों के हाथों में है जिनकी नकेल आज पूंजीपतियों के हाथ में हैं, जिन की बनाई हुई यह हुकूमत आज सारे देश में चलती है।

ये कहते हैं कि हमने राजाओं का बिजली पानी बन्द कर दिया। पर मैं पूछता हूं इससे क्या हो गया आप सबका बन्द करिये, करिये बन्द उनका प्रिवीपर्स, और हो हम आपमें तो शहरी सम्पत्ति पर सीमा निर्धारित कर दो! सभी राजाओं के प्रिविलेज बन्द कर दो। पर आपकी दुर्नीतियों के कारण यह नतीजा निकला है कि पिछड़े वर्ग की तरक्की की आप जो बातें करते हैं वह कागजों पर ही रह गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अपनी पार्टी की तरफ से मैं अकेला बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने लिखकर दिया है?

श्री नत्थीसिंह : हमने आपस में तय कर लिया है कि दूसरा नहीं बोल रहा है हम में से इस लिए समय के विभाजन का अब प्रश्न अब नहीं रहा है।

हरिजनों के उत्थान के लिए बहुत कहा जाता है। हमें मालूम है, नियम आप बनाते हैं तो अपने फायदे के लिए। गांवों में उनके आवास की समस्या है। आप उसे हल नहीं कर पाये। तो जब तक हमारी आर्थिक नीतियां ठीक नहीं होंगी हम उस समाज का कल्याण नहीं कर सकते।

आप के मन्त्रिमण्डल में महिलाओं को और इस वर्ग के प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया। इसमें सौदेबाजी पर्दे के पीछे चल रही है। आप ह्यूमिलियेट करके, आत्म सम्मान को ठोकर लगा कर, एक दो को अपना गुलाम बना कर मंत्रिमन्डल में स्थान देंगे। इस तरह से जो आपके इस मन्त्रिमण्डल में आ बैठेंगे वे पिछड़े वर्ग की तरक्की नहीं कर सकते हैं। आज हालत यह है कि पिछड़ा वर्ग पिछड़ा हुआ है। आप उसको तरक्की नहीं कर पाए हैं। आप उनको आवास के लिये जमीन नहीं दे सकते। हालत यह है

(श्री नत्थीसिंह)
कि आपको राज्य के खजाने की परवाह नहीं है।

भरतपुर में 64 भट्ठों के लिये सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। 54155 की तरह। अधिक अन्न उपजाओ के नाम पर। जाली आदेश से कर लिया। वे जाली आदेश रेवेन्यू सचिवालय में पकड़े गये। इन्क्वायरी का आर्डर दिया गया पर सारी चीजें अभी यों ही पड़ी हैं। जांच नहीं की जाती। उल्टे जिन्होंने जाली आदेश दिये उनकी जमानतें दी जा रही हैं। यह तो जाल साजी को बढ़ावा देने की बात है। इससे समाज में किसी तरह की आशा नहीं की जा सकती।

मन्त्रि-मण्डल पर कई तरह के आरोप लगाये जाते हैं। मुख्य मंत्री महोदय बड़े गरूर के साथ कहते हैं मेरे खिलाफ इन्क्वायरी कर लो। चाहे छोटी सादड़ी के सोने की बात हो, चाहे रिश्तेदारों को जमीन देने की बात हो। कहते हैं जांच कर लो और यह कब कहते है जांच की बात भी जब केन्द्र में कहा जाता है सेमी जूडीसियल मामला हो गया है। अगर उनमें सच्चाई न हो तो आज भी बनेड़ा से आने वाले भूतपूर्व सदस्य माणक चौक की चौपड़ पर सरे आम आरोपों को दोहराते हैं। पकड़ो उनको, मुकदमा चलाओ उनके खिलाफ। तो इसमें भी दो नीतियां चलती हैं।

कहीं जीपों के मामलों में सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, कहीं कोई और तरह से गबन करते हैं कोई अगर इन मामलों में जांच की बात कहते हैं तो ये जांच नहीं कराते।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब रिपीटीशन है।

श्री नत्थीसिंह : लेकिन मैं कह रहा हूं। मैं रिपीटीशन करूंगा ही नहीं। मैं तो मुख्य मन्त्रीजी की नीयत की बात कहता हूं। यह उन मन्त्रियों के प्रति लगाये गये आरोपों को दबा कर रखना चाहते हैं। उनको साफ करने का मौका नहीं देना चाहते। कोई उनके दामन पर कीचड़ उछाले तो चाहिये तो यह कि उनको उनके दामन को साफ करने का मौका मिले। पर वे उसे दबा रहे हैं। ध्यान में यह बात है उनके कि सच्चाई सामने न आने पावे। इसलिये उनको भी सफाई का मौका नहीं दिया जाता।

जब जब पीने के पानी का सवाल आता है, सिंचाई का सवाल आता है बोर्डर एरिया के लिये हम कहते हैं उनको कि उत्तर प्रदेश से बात करो, भाखरा से पानी लाने के लिये पंजाब सरकार से बात करो तो यह किसी तरह से दूसरी सरकारों को और भारत सरकार को मना नहीं सकते यह तो घुटना टेकू सरकार है। यह घुटना टेक नीति राजस्थान सरकार की है, यही भारत सरकार की बन रही है। इसी घुटना टेक नीति के कारण देश को अपमानित होना पड़ता है सारी दुनिया के सामने। चीन के पीकिंग में हमारे राजदूतों का अपमान होता है उसके प्रति हम में कोई आक्रोश नहीं है। चीन का एक आदमी हमारे पुलिस अधिकारियों के चांटा लगा दे और सरकार उसे पीकर रह जावे यह उसकी घुटना टेक नीति है। चीन के साथ सम्बन्ध विच्छेद करने को तैयार नहीं हो सकती। बिहार विधान सभा ने प्रस्ताव पास किया कि देश इतना अपमान नहीं सह सकता। निश्चित रूप से ऐसे बर्बर राष्ट्र

(श्री नत्थीसिंह)
से राजनैतिक सम्बन्ध समाप्त कर देने चाहिये ।

चाहे सवाल हो सी.आई.ए. का । अगर इसमें भी गड़बड़ी है तो जांच करावें । पर इसे भी दबाना चाहती है यह सरकार । पाकिस्तान है, चीन है हमें मारता पीटता जावे पर हम कुछ करना नहीं चाहते । इस तरह की कमजोर नीति सरकार की है। फिर घर की नीति भी ढिलमिल है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ शब्द न्याय और प्रशासन के सम्बन्ध में कहाना चाहता हूं। आज विलम्ब होता है । बहुत कुछ मुकदमे पड़े रहते हैं । आपने एक नीति अपनाई । न्याय और प्रशासन को अलग अलग करना चाहते थे । कुछ जिलों में आपने पहल की पर विस्तृत क्यों नहीं किया बाद में यह कदम ? और जहां आपने लागू किया है वहां पर भी जो प्रोसीक्यूशन केस बचे हैं उनको क्यों नहीं अलग करना चाहते पुलिस से ? इसके साथ साथ इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा, माननीय उपाध्यक्ष, आज न्याय पंचायतों को मुंसिफी के जो अधिकार दिये हैं काम्करेन्ट, जूरिस्डिक्शन दे रक्खा है जिससे बिलकुल आपकी न्याय पंचायतें अपंग हो गई हैं । आपको ठीक नहीं लगता है तो एबोलिश कर दीजिये । नहीं तो, फैसला करिये कि अमुक राशि तक फैसला करने का अधिकार न्याय पंचायतों को दिया जावेगा ।

हम हमेशा कहते आए हैं कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करो, जिले में जिला परिषद् को मजबूत करो । कलेक्टर का पद तोड़ दो, उसको जिला परिषद् का सेक्रेटरी बनाओ लेकिन आप कहते हैं कि बी. डी. ओ. हटा लिया, ग्राम सेवक हटा लियाया सी. ए. हटा लिया । इस तरह से पेगली लगाने से सुव्यवस्था नहीं आ सकती । पंचायत समिति जैसी संस्थाओं को पूर्णतः भंग करके राज्य में सही तौर से नीति का पालन करें ।

यहां भ्रष्टाचार की बात हुई । मैं एक उदाहरण देता हूं कि आज रोडवेज का सवाल है, आप जिस काम को हाथ में लेते हैं उसकी रेढ़ करते हैं । भरतपुर जिले से दिल्ली एक सरकारी बस चलती है और राजस्थान में भी रोडवेज की बस चलती है और दूसरी चलती है हरियाना की । मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप जांच कराइए कि क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान के रोडवेज की औसतन आमदनी 300 से ज्यादा नहीं आती है और हरियाना रोडवेज की औसतन आमदनी 700 तक जाती है ? रूट वही है भरतपुर से दिल्ली का । इसका कारण यह है कि आज आपकी जो दुर्नीतियां हैं, उनके कारण भरतपुर में सब का हिस्सा बंधा हुआ है ए. डी. एम. और ए. डी. आई. इत्यादि का । बीच में कन्डक्टर और ड्राइवर भी कुछ कर लें तो उनका दोष क्या ? अगर इस देश को आपको निश्चित रूप से उठाना है तो दिशाहीनता को बदलना पड़ेगा और दिशा तय करनी पड़ेगी । आप नाम तो लेते हैं समाजवाद का लेकिन काम करते हैं पूंजीवाद का, वाणी समाजवाद की और मन और कर्म पूंजीवाद का । इस व्यवस्था से देश को उन्नति के मार्ग के बजाय अवनति के मार्ग पर ले जाने की आप बात करते हैं ।

हम कहते हैं कि भावों पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में कि उत्पादन में जो व्यय आता है चाहे कारखाने में

(श्री नत्थीसिंह)

बनने वाली चीज हो चाहे जमीन का उत्पादन हो किसी पर लागत दाम का ड्योढ़ा दाम होने नहीं दें यह आपको देखना चाहिए।

शिक्षा के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नियम बने हुए हैं कि एक होनी चाहिए मन्थली टेस्ट और एक वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परिक्षा में जो विद्यार्थी जिन विषयों में डिस्टिंक्शन लेता है, फर्स्ट क्लास मार्क्स लेता है लेकिन यदि पहली दो मन्थली टेस्ट्स में उनमें फेल होगा तो उसको फेल किया जाता है। नकल तो करते हो दूसरे देशों की लेकिन नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। इसी दिशाहीनता के कारण प्रगति की ओर न जाकर अवनति की ओर जा रहे हैं।

पुलिस की जब डिमांड आई लेकिन भरतपुर जिले में जो विशेष बात हुई है उसके संबंध में यहां नहीं चर्चा हुई कि भरतपुर जिले में इस साल जितनी डकैतियां हुईं, धौलपुर की बात आप सुनते रहते हैं, उसको छोड़कर शेष भरतपुर जिले में जितनी डकैतियां इस साल हुई हैं, उतनी पहले कभी नहीं हुईं। कहने को तो आपने बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति वहां एस. पी. बना कर भेजा है लेकिन उसको सोने से, भैंसों की सेवा से और कुत्तों को सहलाने से फुर्सत ही नहीं मिलती और फिर डकैतियां पड़ती रहें तो किसका दोष होगा? कभी भी आपने हिम्मत नहीं की कि किसी प्रकार से व्यवस्था सुधरे।

राष्ट्रपति शासन हुआ तब तय हो गया कि कुम्हेर के प्रधान के खिलाफ 382 व 395 के तहत मुकदमा चलेगा। लेकिन ज्यों ही सुखाड़िया सरकार बनती है तो सब चीज गायब। राजस्थान के खजाने को आप लूट का माल समझ रहे हैं। कभी 150-150 रोज वकीलों को देते हो, जीपें खरीदते हो या और तरह के स्कैंडल करते हो। मेरा चार्ज है कि आप किसी न किसी तरह राज्य के खजाने की बरबादी कर रहे हो। गरीब और गरीब और अमीर और अमीर बनता चला जा रहा है। इस देश में जब तक हुकूमत नहीं बदलेगी तब तक राजस्थान की प्रगति नहीं हो सकती।

श्री खेतसिंह : मेरा क्लोजर मोशन है।

श्री उपाध्यक्ष : क्लोजर मोशन आया है, उस पर मतदान कराया जाय?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ पार्टियां तो बोली हैं, कुछ माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : निर्दलियों को कोई मौका नहीं मिला।

एक माननीय सदस्य : There will be no debate.

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक-एक पार्टी की तरफ से एक एक माननीय सदस्य बोला है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अगर कांग्रेस दल की मेजोरिटी का लाभ उठाना हो तो सुबर-क्लोजर मोशन लगा सकते हैं। यदि इस तरह ब्रूट मेजोरिटी से आप तय करना चाहें, वरना....

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप निर्दलियों को कभी मौका नहीं देते।

श्री खेतसिंह : 5 दिन जनरल डिबेट में अपना डिस्कशन हो गया, इतने दिन कट मोशन्स पर डिस्कशन हो गया। आज फिर दो

(श्री खेतसिंह)
गया करीब करीब 20 दिन तक यही बातें रिपिट करते जा रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : ये बातें पांच साल तक चलेंगी।

(शोरगुल)

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री जसराज : समाज कल्याण विभाग के बारे में उस दिन भी मौका नहीं मिला....

श्री उपाध्यक्ष : साम्यवादी दल और निर्दलीय माननीय सदस्यों की तरफ से कोई नहीं बोला है। अतः माननीय श्री रामानन्द अग्रवाल और माननीय श्री मनोहरसिंह मेहता के बोलने के बाद में....

श्री पी. के. चौधरी : Motion has been moved..

श्री लादूराम सुलानिया : कोई भी सदस्य अपने अधिकारों का उपयोग करे और उससे पहले आप आसन की तरफ से व्यवस्था दें, समय का ध्यान नहीं रखा जाय, यह सदस्यों के ऊपर आघात है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप समय की सीमा तो निर्धारित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : समय की सीमा का निर्धारण सुबह होना चाहिए था। कुछ माननीय सदस्य तो घंटा भर बोल गए और कुछ पौन घंटा बोल गए, उसके बाद समय 5–10 मिनट का निर्धारण कर दें, यह ठीक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री खेतसिंह : मोशन मूव हो चुका है उसके बाद आगे....

श्री लादूराम सुलानिया : आसन की तरफ से बार बार अवहेलना की जाती है। हम लोग खड़े होते रहते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आज डेढ़ महीना हो गया, मैं 50 बार उठा होऊंगा, आसन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी कठोरता आसन की ओर से बरतना अच्छी व्यवस्था नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : एक बार आपने क्लोजर मोशन मूव कर दिया, तो ऐसी हालत में डिबेट का सवाल ही नहीं रहता है। अब सवाल यह है कि..

श्री उपाध्यक्ष : Order please. आसन का अधिकार है कि अगर राइट ऑफ डिबेट डिनाई होता हो तो ऐसी हालत में क्लोजर मोशन को वोट के लिए नहीं रखा जाता।

श्री रामानन्द अग्रवाल !।

श्री खेतसिंह : 15 दिन तक इन्होंने यही बातें कहीं हैं ;

श्री मूलचन्द डागा : "At any time after a motion has been made, any member may move: 'That the question be now put'.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को पहले पूरा पढ़ लेने दीजिए।

(व्यवधान) (शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order please. आप आपस में वार्तालाप नहीं करें।

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

आप (श्री डागा) पूरे रूल को पढ़ लीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये पूरा पढ़ते नहीं है।

श्री खेतसिंह : आपने सारी पार्टीज को मौका दे दिया है, अब ये तो अकेले आदमी हैं। यह कोई पार्टी नहीं है।

Page No.158

श्री रामानन्द अग्रवाल : पेड़ तो एक ही होता है जंगल में।

श्री मूलचन्द डागा : "At any time after a motion has been made, any member may move : 'That the question be now put'.."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You are challenging the Chair.
On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट आफ आर्डर पर ही विचार हो रहा है। आप स्थान ग्रहण करें। आपको पढ़ने दें पूरा।

श्री मूलचन्द डागा : "..and, unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall then put the motion : 'That the question be now put'."

सुबह....

श्री उपाध्यक्ष : अतः आसन ने यह समझा कि कुछ दलों को अवसर नहीं मिल सका है, पूरी डिबेट हो नहीं पाई है इसलिए यह व्यवस्था दी गई कि वो माननीय सदस्य और बोलेंगे।

श्री खेतासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दल में कई माननीय सदस्य होने चाहिए, कोई एक आदमी का दल होता है? दल में पांच सात आदमी तो हों। अकेले आदमी का भी कोई दल है?

श्री मनोहरसिंह मेहता : निर्दलियों में भी कई हैं, मैं अकेला ही नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री पी. के. चौधरी : अगर एक ही आदमी का दल हो तो उसको केवल पांच मिनिट मिलने चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस दल में केवल एक ही आदमी हो उसको ज्यादा से ज्यादा पांच मिनिट मिलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय को डायरेक्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो रही है। पिछले पन्द्रह दिनों से विभिन्न विभागों की मांगों पर बहस करते हुए हमने उन विभागों सम्बन्धी सरकारी नीतियों के बारे में कुछ सुझाव रखे हैं और सरकार की तरफ से उन पर जो रुख अपनाया गया उसके ऊपर मैं तो बाद में आऊंगा, परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, जिस एप्रोप्रियेशन बिल को रख कर जितनी निधि इस हमारे कन्सोलिडेटेड फण्ड से सरकार द्वारा मांगी जा रही है, उसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, जो बुनियादी चीज एक तरह की है वह यह है कि हमारी स्टेट लगातार डेफिशिट बजट से लिप्त रही है। पिछले सन् 66-67 में, उपाध्यक्ष महोदय, 19 करोड़ का हमारे रेवेन्यू अकाउण्ट्स में घाटा रहा और यह बजट जो हम आज पास करने जा रहे हैं, इसमें साढ़े 17 करोड़ का रेवेन्यू अकाउण्ट्स में प्रस्तावित घाटा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सदन के लिए गम्भीरता से विचार करने का प्रश्न है वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वह है कि यह जो रैकरिंग डेफिसिट बजट हमारे प्रान्त में बनता आ रहा है, आज जो भारी डेट्स हमारी स्टेट के ऊपर पड़े हैं तो हम इस आर्थिक संकट में से कैसे निकल पायेंगे। माननीय सदस्यों ने, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत से बचत के सुझाव दिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी बचत के लिए किए गए कार्यों को सामने रखा गया और गवर्नमेंट ने भारी टैक्सेज का बोझ बढ़ा कर भारी टैक्सेज भी लगा दिए और हमारी तरफ से भी बचत वगैरह के लिये प्रपोजल रखे गए। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सवालों के अलावा भी हमको इस प्रश्न पर बुनियादी तौर से सोचना होगा और वह प्रश्न है कि आज अगर कोई भी स्टेट वेल एस्टब्लिस्ड स्टेट है तो जिस तरह के आज सेंटर और स्टेट्स के फाइनेंशियल रिलेशन्स हैं उसकी बुनियाद पर आज हम विकास के सही रास्ते पर नहीं जा सकते, अपने विकास के सम्बन्ध में बजट नहीं बना सकते। आज, उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूर है कि इस स्टेट और सेंटर के फाइनेंशियल एलोकेशन्स के बारे में जो सब्जेक्ट्स हैं, सेंटर और स्टेट्स के जो आइटम्स हैं उन पर पुनरावलोकन किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस तरह का हमारे देश में और मुख्य रूप से हमारे देश में इण्डीपेंडेंस के बाद यह राजनैतिक कोम्पलेक्शन में चेंज आया है। आज कई स्टेट्स के अन्दर नान-कांग्रेस गवर्नमेंट हैं। आठ स्टेट्स के अन्दर नान कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं और बाकी स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं। आज तक यह परम्परा चली आई कि केन्द्र स्टेट्स को अपने पेट चेले की तरह गोद में खिलाया है और इस तरह से स्टेट्स का दिमाग अपने पैरों पर आप खड़े न हो सकने की प्रवृत्ति जैसा बन गया है। स्टेट्स अपने हितों की रक्षा के लिए सेंटर के सामने आ सकें इस तरह का माद्दा इन स्टेट्स में आज नहीं रह गया है और जो स्टेट्स का हक होना चाहिए उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई है। और उन्होंने रास्ता निकाला कि सेन्टर के सामने खुशामद करके कुछ ऐड लेने का, कुछ लोन लेने का रास्ता अपनाया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आज केन्द्र में यह स्थिति बन रही है कि अब केन्द्र इस तरह से अनप्रिंसिपल्ड तरीके से किन्हीं स्टेट्स को चाहे जितनी फाइनेंशियल ऐड दे दे, ग्रान्ट इन ऐड देदे, या लोन देदे और किन्हीं दूसरी स्टेटों का न दें। अतः अब तक जो राजस्थान की सरकार रही है और जिस तरीके से वह सेंटर से लोन लेती रही है, ग्रान्ट इन ऐड लेती रही है उससे प्रान्त का भला नहीं हो सकता। हम सेंटर से लोन भी लें सकते हैं ग्रान्ट इन एड भी ले सकते हैं लेकिन हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज दूसरी स्टेट, जहां कांग्रेसी हुकूमत नहीं है, वे सीरियसली इन बातों की मांग कर रही हैं और वे कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट की मांग कर रही हैं। अभी कल ही मद्रास के चीफ मिनिस्टर श्री अन्नादुराई ने अपना बजट पेश करते हुए मांग की है कि आज जरूरी है कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 263 के तहत इस प्रकार के फाइनेंशियल ऐलोकेशन के बारे में जो प्रावधान हैं उनकी कमीशन बैठा कर दुबारा जांच की जाय और इन एलोकेशन्स के बारे में और अगर जरूरत पड़े तो कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बारे में भी वह विचार करे।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मै निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार की तरफ से भी स्टेट्स की मदद करने के बारे में बराबर जो नीति अपनाई जाती रही है उसमें बजाय इसके कि स्टेट्स को ज्यादा पावरफुल बनाया जाय, स्टेटों के हाथ में रिसोर्सेज दिए जांय, लगातार नोन रिसोर्सफुल स्टेट्स की मदद को कम करने की कोशिश की जा रही है, स्टेट्स की मदों को घटाने की कोशिश की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले फाइनेंस कमीशन ने यह विचार व्यक्त किया था कि स्टेट्स को ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। स्टेट्स की ज्यादा जरूरियात को देखते हुए, स्टेटस की रेवेन्यू रिट और रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को देखते हुए जो स्टेट्स पिछड़ी हुई हैं उनको ज्यादा मदद दें। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेंस कमीशन ने यह रिकमण्डेशन भी की थी कि ऐसी स्टेट्स जिनके पास नेशनल इम्पोर्टेन्स के प्रोजेक्ट हैं, से उन प्रोजेक्ट को या तो सेन्टर ले ले या फिर उनको विशेष तौर से मदद की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं आपको फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो इस सम्बन्ध में ओब्जर्वेशन हैं उसका एक पैरा पढ़ कर सुनाऊंगा :

"Grant-in-aid may be given to help individual States to meet their special burdens if such burdens are of national concern and if they are likly to cause undae strain on the States' finances.

Grants-in-aid may be given for broad national purposes with a view to fulfil any beneficient services of primary importance in regard to which it is in the national interest to assist the less advanced States to come forward."

तो, उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेंस कमीशन की यह राय थी कि जब किसी स्टेट की आर्थिक स्थिति कमजोर हो और वह फाइनेंशियल डेफिशिट की वजह से, बहुत भार बढ़ने से नीचे आ जाय तो उनको विशेष मदद करनी चाहिए और अगर वह स्टेट इस प्रकार के नेशनल प्रोजेक्ट्स अपने विकास के लिए रक्खे कि जिस की नेशल इम्पोर्टेंस भी हो तो उनको भी विशेष मदद दीजानी चाहिए और इसी के आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि थर्ड फाइनेंस कमीशन ने नोन प्लान और एक्सपेन्डीचर में जो रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर होता है उसमें 75 प्रतिशत ग्रान्ट इन एड देने की सिफारिश की थी। उपाध्यक्ष महोदय, खेद है कि भारत सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और भारत सरकार ने जो फोर्थ फाइनेन्स कमीशन बिठाया उसका जो टर्म्स आफ रेफरेन्स था उसको रिट्रैक्ट कर दिया और स्टेट्स जो प्लान एक्सपेन्डीचर के अन्दर विकास अपना करना चाहती है उसको ग्रान्ट इन एड का आधार नहीं माना और फोर्थ फाइनेन्स कमीशन ने उसके आधार पर यह कहा कि जहां तक नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर है उसका जो डेफिसिट है उस डेफिसिट के लिए सेन्टर ग्रान्ट इन एड देगी और बाकी विकास जो भी स्टेट अपने यहां करना चाहे वह अपने रिसोर्सेज के अनुसार करे। मैं यह समझता हूं कि यह बुनियाद ही गलत है, यह दिशा ही गलत है गवर्नमेंट आफ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन्डिया के सोचने की। इसका मतलब यह है कि राजस्थान जैसा प्रांत, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके रिसोर्सेज सीमित हैं, अपना प्लान एक्सपेन्डीचर अपने पास से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, वह ऐसे प्लान पेश नहीं कर सकता है तो उसका विकास कैसे हो सकता है ? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस फरर्ट फाइनेन्स कमीशन ने जिस प्रकार की रिकमन्डेशन की और जिन आधार पर ग्रान्ट इन एड देने के बारे में उन्होंने सिफारिश की वे ज्यादा साउन्ड प्रोपोजल थे, और ग्रान्ट इन एड देते वक्त न केवल रैवेन्यू एक्सपेन्डीचर ओन नान प्लान ही देखा जाना चाहिए, बाकी के जो स्टेट के एक्सपेन्डीचर हैं, जो विकास की जरूरियात हैं, आगे जो वह विकास करना चाहते हैं उनको भी देखकर उसका एलोकेशन होना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है इस फोर्थ फाइनेन्स कमीशन ने हमारी स्टेट को आर्टीकल 275 के तहत ग्रान्ट इन एड केवल 6 करोड़ और कुछ लाख रुपये सालाना देने का निश्चय किया यानि 5 वर्ष का कुल डेफिसिट 33,65,00,000 रु. आता था, लेकिन यह तो 5 वर्ष का था मगर हमने पिछले दो वर्षों में ही--पिछले साल 19 करोड़ का डेफिसिट और इस साल साढ़े सत्रह करोड का डेफिसिट है, उस लिमिट को क्रास कर दिया है। 33,65,00,000 रु. पूरी चौथी पंचवर्षीय योजना का आंक कर हमारी ग्रान्ट इन एड तय की गई थी और इन दो वर्षों के अन्दर वह सारा डेफिसिट में चला गया। इसका मतलब यह है कि इन 5 वर्षों में आगे और ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े डेफिसिट आयेंगे तो हम उसको कवर अप नहीं कर सकते तो हमारे विकास का रास्ता रुक जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, और इस फोर्थ फाइनेन्स कमीशन ने जिस वक्त में ग्रान्ट इन एड तय की तो उसने विशेष रूप से इस हाइपोथेसिस पर तय की थी कि राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राजस्थान के बजट में नहीं रखकर उसको अलग आथोरिटी बनाया जायगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूँगा इस सदन से कि हमारी स्टेट का यह हक है कि दुबारा इस प्रश्न को रिओपन कराये। हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इस बात का अनुरोध करें कि हमारी स्टेट की ग्रान्ट इन एड बढ़ाई जानी चाहिए। हम इस बात को रिओपन करें कि हमारे ऊपर जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के डेट्स हैं उन डेट्स पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए किन हालातों में ये डेट्स, जो 419 करोड़ के बल्की डेट्स हैं, हमारे सिर के ऊपर मढ़े गये हैं और करीब 3500 करोड़ के जो सेन्टर के हैं तो उनके पेमेन्ट के बारे में, कि डेट्स रिशेड्यूल होने चाहिये या नहीं होने चाहिए, बुनियादी तौर पर विचार होने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट अगर यह नीति अपनायेगी कि जो वहां पर बैठे हुए हैं वे जैसा तय कर दें उसको सिर झुका कर मानलें तो हम गवर्नमेंट आफ राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को सही तरीके से रिप्रेजेन्ट नहीं कर पायेंगे, सही तरीके से सेफगार्ड नहीं कर पायेंगे। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि सेन्टर और स्टेट के फाइनेन्शियल रिलेशन्स के बारे में सारे सदन को एकमत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
ध्यान में रख कर इसकी रिप्रेजेन्ट करें, इसको आगमेंट करें, और राजस्थान स्टेट बैकवर्ड होने के नाते, राजस्थान केनाल एक नेशनल प्रोजेक्ट होने के नाते, राजस्थान की ग्रान्ट इन एड को बढ़ाने के बारे में मांग की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ सेन्टर की तरफ से हमारी असिस्टेंन्स को बढ़ाने की बात मैं अर्ज करता हूं वहां इस बात को भी हमें दरगुजर नहीं करना चाहिए कि स्टेट को अपने फाइनैन्स को ठीक करने की दिशा में कदम उठाने चाहिएं या आया करने की दिशा में जो कदम उठ रहे है उनको रोका जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, समय-समय पर हमने इन मुद्दों के ऊपर विचार करते हुए मुख्तलिफ सजेशन्स दिये थे उनकी तरफ मैं अटेन्शन ड्रा करना चाहूंगा, और जिनका उल्लेख और भी माननीय सदस्यों ने किया है। वह यह है कि तीन पंचवर्षीय योजना गुजर गईं और हम चौथी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में से गुजर रहे हैं तो हमारा यह अनुभव रहा है और कहीं पर दबी-दबी आवाज में और कहीं पर ऊंची आवाज में यह प्रश्न राजस्थान में उठाया जा रहा है कि यह जो विकास का कार्य राजस्थान में हुआ है इसमें फाइनेन्स का एलोकेशन जिस तरह से केन्द्र इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है उसी परम्परा को लेकर हमारी राजस्थान स्टेट में भी यह फाइनेन्स का एलोकेशन विकास के लिए इक्वीटेबिल तरीके से नहीं हुआ है। सारे प्रान्त को एक यूनिट मान कर, सारी जनता के विकास का दृष्टिकोण रख कर इस सारी विकास की योजनाओं को बनाया जाय, यह दृष्टिकोण, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं रहा है। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कहता लेकिन कुछ आंकड़ों के आधार पर, जो इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के नतीजे के स्वरूप में हमारे सामने आये हैं, आपके जरिए सदन के सामने रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जो पर केपिटा एक्सपेन्डीचर हर जिले के अन्दर हुआ है अगर उसके ऊपर दृष्टिपात हम करें तो बहुत ही सीरियस पिक्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण पिक्चर हमारे सामने आयेगी। एक तरफ तो मैं उन 5 जिलों का पर केपिटा एक्सपेन्डीचर आपके सामने रखता हूं जो इस सारी सीरीज में सबसे नीचे हैं और दूसरी तरफ उन जिलों का रखता हूं जो इस सारी सीरीज में सब से ऊपर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे नीचे बाड़मेर जिला है जिसकी पर केपिटा एक्सपेन्डीचर 40.18 है। उससे आगे जालौर है जिसका पर केपिटा एक्सपेन्डीचर 40.76 है। उसके आगे सीकर है जिसकी पर केपिटा एक्सपेन्डीचर 44.56 है। उसके आगे नागौर है जिसका पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर 46.78 है। उसके बाद अलवर है जिसका एक्सपेन्डीचर 47.61 है। यह इस आपके नेजर के अन्दर यह एक्सपेन्डीचर, उपाध्यक्ष महोदय, सेकण्ड फाइव ईयर प्लान और थर्ड फाइव इयर प्लान के फर्स्ट फोर ईअर्स का है। लास्ट ईयर के फिगर्स डिस्ट्रिक्टवाइज मुझे मिले नहीं इसलिए कि वह सरकार ने छापे नहीं हैं, इसलिए मैं उनको इन्क्लूड नहीं कर पाया। मैं समझता हूं कि उनके पैटर्न में भी कोई डिफरैन्स नहीं है।

इनके मुकाबले में जो फर्स्ट फाइव डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें पर केपिटा एक्सपेन्डीचर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
क्या है ? तो फर्स्ट बूंदी है उसका 2.. 45, कोटा का 22..4, गंगानगर का 168.02, बीकानेर का 149.94 और अजमेर का 103.97 है और कई जिले ऐसे हैं जो बीच में हैं। ज्यादातर 75 के ऊपर आते हैं। अधिकतर जिले ऐसे हैं, जिन पर 75 रुपये पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर होता है।

अब आप देखिए, उपाध्यक्ष महोदय, कि बाड़मेर में जो छब्बीसवें नम्बर पर है उसका और बूंदी जो पहले नम्बर पर है उसका डिफरेन्स करीब-करीब सात गुना आता है। करीब सात गुना आता है, उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जो बाइसवें नम्बर पर है उसका और अजमेर का डिफरेन्स जहां 103.97 पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर है वहां का डिफरेंस करीब ढाई गुना आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अनइक्वीटेबल एलोकेशन केवल इस कारण हुआ है कि जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज, ज्योग्राफिकल कन्डीशन्स या विकास की सम्भावनाएं थीं और दूसरे में नहीं थी सम्भावनाएं, तो मैं समझता हूं कि यह इसका आधार नहीं है। वास्तव में दृष्टिकोण सब क्षेत्रों के विकास करने का नहीं है वरना, उपाध्यक्ष महोदय, आप ख्याल करें बाड़मेर और जैसलमेर बोर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बाड़मेर के अन्दर कोई नदी नहर नहीं निकल सकती तो क्या वहां सड़क का काम नहीं हो सकता था? क्या वहां पानी का इन्तजाम भी नहीं हो सकता था? क्या उस क्षेत्र के अन्दर एनीमल हस्बेन्ड्री में कोई खर्चा नहीं हो सकता था ? नेशनल डिफेन्स की दृष्टि से वह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसी तरह से नागौर, सीकर, अलवर ये नीचे के पांच जिले हैं, यहां इरिगेशन की फेसिलिटीज हो सकती है। जहां कृषि उत्पादन के साधन हैं वहां कुए खोदे जा सकते हैं, बिजली लायी जा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट के दिमाग में इस तरह के जिलों का विकास करने का ध्येय नहीं होने के कारण जबकि इस तरह से उनको फायदा पहुंचाया जा सकता था लेकिन नहीं पहुंचाया गया। इसलिए मैं यह मांग करता हूं, गवर्नमेंट इस बारे में एक कमीशन मुकर्रर करे और तीनों पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो विकास हुआ है उस विकास का ईवेल्यूएशन कराया जाय। इस दृष्टिकोण से जहां हमारा बजट इम्बेलेन्स्ड हो गया है, जहां संभावनायें थीं वहां खर्चा हुआ है या दूसरी जगह यह मालूम पड़ने पर आयन्दा हम इस चीज को दुरुस्त कर सकते हैं। कौन-कौन सी आगे सम्भावनायें हैं आदि सब बातें ध्यान में रख कर उनकी विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमें सेन्टर से जो ग्रान्ट्स इन एड मिल रही है उसको वहां बढ़ाने का पक्ष रखा था वहां केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए जिससे जो फिजूल खर्चियां हमारे यहां हुई उन फिजूल खर्चियों को भी कम किया जा सके, और वे कम की जा सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि हमारी सरकार इस तरफ से स्ट्रिन्जेन्सी के अन्दर अपनी पुरानी बुरी आदतों को, फिजूल खर्चियों को नहीं छोड़ रही है, चाहे जिसमें छोटे से लाभ के साथ बड़ा नुक्सान उठाने की नीति पर चल रही हो। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
अभी हाल ही के चुनावों के कुछ दिन पहले जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे के पास 230 बीघा जमीन है....

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम लिमिट तो होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : नियमानुसार अब समय का फिक्सेशन नहीं हो सकता। यह तो जिस समय डिबेट शुरू हुई उस समय यह कर दिया जाता तो हो सकता था। आप कोई रूल कोट करिये।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 282 है इसके लिए उसमें साफ है:-

"Whenever the debate on any motion in connection with a Bill or any other motion becomes unduly protracted, the speaker may, after taking the sense of the House, fix a time-limit for the conclusion of discussion on any stage or all stages of the Bill or the motion, as the case may be".

So I will request that the time should be limited, otherwise the Bill will go on.

श्री उपाध्यक्ष : इस डिबेट के जब समापन का प्रश्न आया था उस वक्त दो माननीय सदस्यों को अनुमती दी गई थी। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको घंटी बजा कर चेतावनी दे दी गई है। इनके बाद एक माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं उनके भाषण को सीमित करना, कि वे पांच या दस मिनिट में समाप्त करवें, उचित नहीं होगा।

श्री विजय सिंह रावत : इसके बारे में शासन से सुबह ही व्यवस्था हो चुकी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य श्री मूलचन्द जी को इसी गाड़ी से जाना है। वे जा सकते हैं। गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है यह सरकार गिरेगी अवश्य लेकिन इस समय नहीं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माननीय सदस्य आराम से जा सकते हैं इनकी गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था बावजूद फाइनेन्शियल स्ट्रिन्जेन्सी के हमारी सरकार यह खयाल न करके इस तरह से कार्य कर रही है जिससे बड़ा फाइनेन्शियल लास सरकार को होता है। मिसाल की तौर पर मैं अर्ज कर रहा था, हमारे यहां जयपुर के एक माफीदार हैं श्री अकील अहमद साहब जिन्होंने एक जमीन का क्लेम कर रखा है। सांगानेर हवाई अड्डे के पास 230 बीघा जमीन फोरेस्ट डिपार्टमेंट की है। उस जमीन पर पिछले सौ वर्षों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कब्जा है, चला आ रहा है। चुनाव से पहले हमारे फारेस्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब ने यह रिकमण्डेशन कर दी यह जमीन उन माफीदार साहब को दे दी जाय। जब इस बारे में विभाग द्वारा आब्जेक्शन हुआ और लीगल रिमेम्बरेन्सर...

श्री उपाध्यक्ष : यह भी बता दीजिए वह आर्डर वापिस ले लिया या स्टे करता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वापिस किस तरह से हुआ वही मैं बता रहा हूं। उपाध्यक्ष

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महोदय, उस पर एडवोकेट जनरल से रिकमन्ड करवाया गया और एडवोकेट जनरल ने उसको रिकमन्ड कर दिया। लेकिन जब यहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ उस समय एडवाइजर्स के सामने यह मामला गया उन्होंने सारे पेपर्स को देखकर उसके केन्सीलेशन के आर्डर्स जारी कर दिये और इस तरह से वह जमीन केन्सल की गई। उस जमीन की कीमत मार्केट वेल्यू के आधार पर एक करोड़ रुपया होती है। आप ही अन्दाजा लगाइये चुनाव से पहले यह इसलिए किया गया कि डा. कासलीवाल, जो चुनाव पार्लियामेंट का लड़ रहे थे, इनके भाई श्री गुलाबचन्द कासलीवाल होते हैं उन्होंने यह रिकमन्ड कर दिया ताकि फारेस्ट मिनिस्टर चुनाव में वोट हासिल कर सके। उन्होंने हमारी स्टेट को एक करोड़ रुपये की हानि पहुँचाने की कोशिश की। इस तरीके से कदम सरकार द्वारा उठाये जाते हैं।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बहस के दौरान में जितने सुझाव दिये हैं, सरकार के सामने बहुत रिसोर्सेज बढ़ाने के सुझाव भी हमने रखे हैं। जिन लोगों के दिमाग में और भी सोर्सेज हो सकते हैं, अनअर्न्ड इनकम जो है उस पर टैक्स लगाने के वह लगाकर हम गरीबों को रिलीफ दे सकते हैं। आज जो सरकार ने नीति अपनायी है जिस तरीके से हजारों स्टेट के कर्मचारियों की कमी करने का ऐलान किया है, टैक्सेशन की जो नीति अपनाई है उससे जनता पर करों का भार बढ़ा है। वैसी हालत में, उपाध्यक्ष महोदय, हमें इसमें संदेह नहीं यह एप्रोप्रियेशन बिल भले ही यह सरकार अपनी मेजोरिटी ताकत से बेशक पास करवाले, लेकिन यह बजट राज्य की जनता के हित में, रिलीफ देने वाला नहीं है। जो पालिसी इस बजट में निर्धारित की गई है उसके अन्दर नये नये आंदोलन का जन्म लेने वाला है। इससे लॉ एन्ड ऑर्डर की सिच्यूएशन खराब होगी। उपाध्यक्ष महोदय, जो इस दौरान में डिफेन्स पर्सनल्स को जमीन के एलॉटमेंट के बारे में कई बातें माननीय सदस्यों ने रखीं....

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसा विषय ले रहे हैं जिस पर ठाकुर मदनसिंह जी को बोलना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनकी तरफ से मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। इनके बारे में माननीय सदस्यों ने बातें रखी खास तौर से उन फौजी जवानों और अधिकारियों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान और चायना लड़ाई में कुर्बानी की। उनके साथ इस इस

(6 म. प.)

प्रकार का व्यवहार होता है। उनको सहायता मिलने के दौर में, एलॉटमेंट के दौर में, रिलीफ को देने के दौर में आज सरकार ने स्थिति को बदलने में दिलचस्पी नही दिखाई है, और इवेसिव रिप्लाइ दिये हैं, उनसे माननीय सदस्यों को संतोष नहीं हुआ। इन कई नीतियों के होते हुए, जो बजट के अन्दर और एप्रोप्रियेशन बिल के अन्दर निहित है—इस बुनियाद के ऊपर हम एप्रोप्रियेशन बिल का समर्थन नहीं कर सकते और हम इसका घोर विरोध करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मनोहर सिंह मेहता !

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सोच रहा था कि 20 साल में आज इस स्थिति पर पहुंच गये हैं तो गांधी जी की एक बात याद आ गई। वह दौरे में थे तो डेढ़ इंच की एक पैंसिल का टुकड़ा मनु गांधी कहीं रास्ते में भूल आई। बापू ने उनसे कहा कि पैंसिल का टुकड़ा कहां है? तो मनु गांधी ने कहा–बापू, मैं तो भूल आई, कहीं पर पड़ा रह गया। तो गांधीजी ने कहा–वह तो राष्ट्रीय सम्पत्ति है, उसको कहां भूल आई। और उसको वापिस भेजा, उस एक डेढ़ इंच के पैंसिल के टुकड़े के लिए मनु गांधी पैदल चल कर गई, उस एक डेढ़ इंच के पैंसिल के टुकड़े को लाने के लिए।

इसी तरह से गांधी जी जब विलायत में गये, तो आप जानते हैं उनको पंचम जार्ज से मिलना था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा–मैं तो एक गरीब राष्ट्र का व्यक्ति हूं, जिस तरह वहां मैं नंग–धड़ंग स्थिति में रहता हूं, उसी में मैं उनसे मिलूंगा। मिलने दें तो अच्छा है, नहीं मिलने दें तो अच्छा है।

लेकिन आज स्थिति इससे बिलकुल विपरीत है। जहां पर पब्लिक स्कूल हैं, वहां पर पब्लिक नहीं जा सकती है। और जो समाज कल्याण विभाग है वहां पर असमाज कल्याणकारी लोग घुसे हुए हैं। हालत यह हो रही है कि जो बड़े–बड़े लोग हैं, जो पचास–पचास और सौ सौ परमिट देने में खाते हैं, उनको तो सुपर एनुएशन का टाइम मिलता है और जो पन्द्रह पन्द्रह साल से नौकरी में पड़े हुए हैं, उनका क्योंकि फिक्सेशन नहीं हुआ है इसलिए इस बार बिना पेंशन के वह घर जायेंगे। और यदि वह आज इस हालत में मर जाते हैं तो उनको फेमिली पेंशन मिलेगी। कुछ दिनों के बाद वह जब रिटायर हो जायेंगे तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। वह सोचते हैं कि इससे तो पांच–दस दिन में मर जायें तो फेमिली पेंशन तो मिल जाय, नहीं तो पेंशन का ही पता नहीं है। उनकी वही स्थिति है–

खंड गुड एक भाव
रहनो मुश्किल राजियो

जीना मुश्किल हो रहा है। शिक्षा की हालत क्या है, जैसे एक फेक्ट्री या इन्डस्ट्री लगाई हो और माल बराबर बन कर जमा होता रहे और बिक्री नहीं हो तो उसका दिवाला ही निकलता रहेगा...

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर, जो डिमाण्ड डिस्कस हो चुकी है, जैसे एजूकेशन की डिमाण्ड डिस्कस हो चुकी है तो इस पर आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य को पता नहीं है, आप रूल देखिये, जो डिमांड डिस्कस हो चुकी है उस पर भी बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप व्यवस्था न दें, सतीशचन्द्र जी! नियमों में व्यवस्था नहीं है कि जिस डिमाण्ड के ऊपर वादविवाद हो चुका है उसके बारे में इस स्टेज पर नहीं कह सकते। ऐसा नियमों में प्रावधान नहीं है। प्रावधान यह है, कि जिस बात पर चर्चा हो चुकी है उसको दोहराया नहीं जायगा, जो कहा जा चुका है इस सदन में, उसको दोहराया नहीं जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पॉइन्ट मैंने उठा दिया है नहीं तो माननीय सदस्य बाद में फिर कहते।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके शिक्षा में ऐसा परिवर्तन लायें कि बेकारी न बढ़े। अभी एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल हैं··

श्री उपाध्यक्ष : यह बात कही जा चुकी है–मुझे भी याद है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं एक यह निवेदन करना चाहता हूं और दूसरे यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम और बुद्धि में जो इतना भेद है उसको आप कम करिये। यदि भेद कम नहीं होगा तो श्रम की तरफ कम जाने वाले होंगे और सब के सब नौकरी की तलाश करेंगे।

तीसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय माथुर साहब ने जो कुछ कहा, उससे मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि हमने अस्सी तक की योजना बनाई है। मुझे मालूम नहीं है कि अस्सी तक माथुर साहब कहां होंगे, कांग्रेस का राज्य 80 तक रह जायगा या नहीं, लेकिन शराब बन्दी की योजना उन्होंने अस्सी तक की बनाई है। प्रथम चरण में 10 करोड़, दूसरे चरण में 15 करोड़, तीसरे चरण में 20 करोड़ और चौथे चरण में 25 करोड़–तब जाकर सब के सब शराबमय हो जायेंगे। मुझे ताज्जुब होता है, इस बात से कि गारन्टी सिस्टम को भी हमारे माथुर साहब शराबबन्दी की तरफ कदम बढ़ाना मानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कृपा करके फिर इस पर विचार करिये और मैं सदन व माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि आप इस बिल को पास न करिये।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकास खण्डों के ऊपर चर्चा हो चुकी है, और समय भी बहुत हो गया है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मेरे मामले में ही यह बात हो रही है, सब मुझसे अधिक समय बोले हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप सब बात कह रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह नियम है–रंज या गंज, जो-जो मिलते हैं तो उनको तो समय मिल जाता है, नहीं तो समय में कटौती होती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, ब्लाक्स जितने हैं उनको बन्द करने का साहसिक कदम उठायें, तो इससे करोड़ों रुपये की बचत होगी। और शिक्षा को निश्चित रूप से ब्लाक से हटा दिया जाय। उनके सामने बच्चों को फेंक दिया है। आप कृपा करके यह मत करिये, यदि शिक्षा पंचायतों के पास रही तो अन्त तक बच्चों की नींव कमजोर रह जायगी। यदि आप विकास खण्डों को खत्म कर देंगे तो बहुत कल्याण होगा।

एक बात के लिए इस सदन के सब माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपने जो लगान बन्द किया है, इसको भले ही आप बढ़ाइये लेकिन शराब की आमदनी को कम करिये। मैं जानता हूं, किसान को दूसरों का कल्याण करने के लिए यदि उनका अहित भी होता है, यदि उनको आर्थिक हानि भी होती है तो उसको भी वह बर्दाश्त कर लेंगे। वह क्यों कर लेंगे? क्योंकि दुखी भाइयों को और दुःखी बहिनों को उन्हें सुखी करना है। आपने कहा कि बहुत से राज्य दुःखी हैं। गुजरात दुःखी नहीं है, गुजरात के अन्दर बहुत सुखी है मजदूरों की खुशहाली हुई है। मैं प्रणाम करता हूं, मद्रास के मुख्य

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
मंत्री को जिन्होंने कभी गांधीजी का नाम नहीं लिया है लेकिन उन्होंने क्या कहा–मैं अर्थ के मुकाबले नैतिकता को बहुत महत्व देता हूं। मैं पूर्ण नशाबन्दी की तरफ आगे से आगे बढ़ूंगा। मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार के द्वारा भी मार्ग–दर्शन किया जा सकता है, केन्द्रीय सरकार का और राज्य सरकारों का। तो इस मामले में आप सोचियेगा, जब तक आप इसको बन्द नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसको कानूनन बन्द करना बहुत जरूरी है। इस बात को मत भूलिये। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम शराबियों के बीच में जाना नहीं चाहते। मैं तो चाहता हूं कि जो बहुत शराब पीने वाले है, उनके सामने मैं ढोक दिया करूं, प्रार्थना किया करूं। कभी न कभी जब उनकी बुद्धि में बैठेगा तक उनको बोतल नजर आयेगी तब तक वह कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको तीन बात निवेदन करना चाहता हूं, प्रथम चरण में तो आप इस गारन्टी सिस्टम को समाप्त करिये। दूसरे चरण में जितनी बोर्डर्स पर दुकानें हैं, उनको आप उठाइये। और तीसरी बात यह कि जहां–जहां पर अकालग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां पर शराब की दुकानों को खत्म करिये। इसके अलावा जितने आर. ए. एस. और आई. ए. एस. अधिकारी और जितने कर्मचारी हैं, उनके लिए आप कानून में परिवर्तन लायें कि वह शराब पीना बन्द करें। यह सब करदें तो निश्चित रूप से फर्क आ जायेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

जो आई. ए. एस. की 55 साल की उम्र की बात हुई, और उसके विषय में जो कुछ कहा है। उससे मैं सहमत हूं कि यह हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने यह ठीक कहा। मैं यह सोचता हूं, मेरी दृष्टि में आई. ए. एस. तो महत्वपूर्ण सर्विस है, आई. ए. एस. का मतलब है अच्छा चरित्र। इसलिये मैं सोचता हूं कि वह स्वयं कह देंगे, हमारे छोटे भाई 55 साल में रिटायर होते हैं तो हम भी अपने आप 55 साल मे रिटायर होने के लिए वालेन्टियरी सुपुर्द करते हैं। 55 साल वालों के लिए तो दुर्भाग्य की बात होगी, उनकी हानि होगी और उनके 58 साल रहेंगे, तो आई. ए. एस. ऑफिसर ही रहेंगे और दूसरे घर जायेंगे। मैं समझता हूं कि आइ. ए. एस. आफिसर भाई के नाते यह भावना दिखायेंगे कि हमारे छोटे भाई की कुर्बानी होती है तो हम भी इस बात के लिये तैयार हैं। अब मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्योंकि मूलचन्द डागा को जल्दी हो रही है, और मेरा यह फर्ज है कि मैं उनकी मदद करूंगा।

श्री लादूराम तुलानिया : उपाध्यक्ष, मैं पांच मिनट के लिए . .

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : फौजियों के लिये जो प्रश्न इस सदन के सामने आये हैं।

श्री लादूराम तुलानियां : समय चाहता हूं, मैं महत्वपूर्ण बातों की ओर इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा।

श्री मदनसिंह दांता : आपने जो फौजियों के लिए जमीन रखी है, उसका एलाटमेंट हुआ नहीं है . .

श्री उपाध्यक्ष : जितना समय मिल सकता था, उतना दे दिया गया है और चर्चा भी काफी लम्बी हो गई है।

श्री मदनसिंह दांता : उनको पेंशन और स्कालरशिप आदि के लिए कई सुझाव रखे हैं।

श्री लादूराम तुलानिया : आप समय की बात फर्मा देते हैं, यह हमारे अधिकार की अवहेलना है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत समय हो चुका है, इस विषय पर सबह से चर्चा चल रही है।

श्री लादूराम तुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बात कहना चाहता हूं, कि बहुत सी बातें नहीं आई हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, अब माथुर साहब वही चर्चा करेंगे, जो इस हाउस में कह चुके हैं। इसलिये इसके पहले कि वह बोलें मैं बहिर्गमन करता हूं। मैं नहीं चाहता कि वह मेरे सामने शराब की बात करें।

(श्री मनोहरसिंह मेहता द्वारा बहिर्गमन)

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक महीने से फौजियों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय के द्वारा काफी चर्चा हुई, और फौजियों के लिए जमीन के सम्बन्ध में जो कुछ लिस्ट दी गई, रेवेन्यू मिनिस्टर ने जर्मान दी है उसकी लिस्ट भी बताई, फौजियों के सम्बन्ध में कितना रुपया रखा है और क्या खर्च कर रहे हैं—इसके सम्बन्ध में भी आपने फर्माया। लेकिन किया कुछ नहीं गया। मैं निवेदन करता हूं कि फौजियों के सम्बन्ध में कुछ करना चाहिए।......

श्री लादूराम तुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे बोलने का टाइम नहीं दिया जाय तो कोई बात नहीं। एक बात का उत्तर शासन की तरफ से दिलायें, माननीय मंत्री की ओर से इसका उत्तर मिल जाय......

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़े में कह दें।

श्री लादूराम तुलानिया : मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि आज डेढ़ महीना हो गया। जब हमारे लिये पूरे भारत वर्ष में और राजस्थान में इस बात का नियम है, इसके लिये कानून और कायदे बने हुए हैं कि पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि जिस स्थान पर नहीं लिये जाते हैं उसका कार्य अधूरा रह जाता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज तक हरिजनों का कोई प्रतिनिधि मन्त्रिमंडल में नहीं लिया गया है। मन्त्रिमंडल अपने आप में यह समझ ले कि वह पूरा है, लेकिन वह इस बात को नहीं भूलें कि राजस्थान में आदिवासी और हरिजन की संख्या वन-फोर्थ है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आज तक उनके प्रतिनिधि के अभाव में जितने भी आज तक आर्डर और आर्डिनेन्स निकले हैं वे सारे के सारे गलत किये जावें, और उन पर दुबारा विचार किया जावे, क्योंकि आपने हमारे प्रतिनिधित्व का हनन किया है और सारे हरिजनों की हत्या की है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं विरोधी

(श्री लादूराम सुलानिया)

दल के बारे में कहता हूं कि हमारे अधिकार का हनन किया गया है। आप चाहे जिस हरिजन को नियुक्त करें हमें कोई ऐतराज नहीं। वह चाहे कोई काम करे या नहीं-यह जिम्मेदारी हमारी होगी। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे और हमारे कोटे को पूरा नहीं करेंगे और मन्त्रिमंडल में हरिजनों के प्रतिनिधि को नहीं लेंगे हमारी समस्याएं नहीं सुलझ सकेंगी। मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर मुझे एक घण्टे तक बोलने का समय दिया जावे, मैं इसका घोर विरोध करूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बजट पर बहस होते वक्त जिस वक्त मैंने सदन में बजट पेश किया था और जो····

श्री लादूराम सुलानिया : On a point of information, Sir । मैंने जो कहा वह मैंने मनमाना कहा है या नियमानुसार है। आसन की ओर से इसका निराकरण होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आसन, किसी माननीय सदस्य को शंका हो कि यह नियमानुसार है या नहीं इसके लिए नहीं है। अगर कोई प्रश्न पूछे कि यह प्रश्न संगत है या असंगत है अगर हमें उसमें कहने की जरूरत हो तो हम कह सकते हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : आपके मार्फत मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आज 15 दिनों की बहस के बाद भी हमारे मूलभूत अधिकारों के प्रति सरकार जागरूक नहीं है, उनको कहा जावे····

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो अपना भाषण शुरू कर दिया है। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं आसन का सम्मान करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं लेकिन मैं बराबर यह निवेदन करूंगा कि किसी के अधिकारों का हनन किया जावे तो यह उचित नहीं है। आज हरिजनों के अधिकारों के बारे में···

श्री उपाध्यक्ष : आप वाद-विवाद में जा रहे हैं। इसमें लम्बा समय लग जावेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : हम समय की बात नहीं जानते हैं। हम अपने अधिकारों की बात जानते हैं। हमारी बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने हमारे समय का बंटवारा किया है। हमारा समय है, और हमको बोलने का अधिकार है और रहेगा, और मैं यह कहूंगा कि हमारे अधिकारों की हत्या हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please. बजट पर जो वाद-विवाद हुआ उसमें व्यवस्था यह रखी गई थी कि भिन्न-भिन्न दलों के सचेतक एक सूची देंगे उसी क्रम में आसन ने नाम पुकारे। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपका नाम प्रॉयोरिटी में आया नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया : मेरा नाम 10 रोज तक बराबर दिया गया और उसकी अवहेलना की गई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे साथ अन्याय किया गया है। मेरा नाम हमारे सचेतक द्वारा भेज दिया गया था।

(6.08 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

Page No.171

श्री अध्यक्ष : Order please. माननीय वित्त मंत्री !

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने विधेयक पर बोलते हुए अपने अपने विचार रखे, उनके अलग अलग विचार उनकी अलग अलग नीतियां हमारे सामने आईं, और आज अंतिम रूप में जब कि हम विधेयक को पास करने जा रहे हैं मैं उनके विचारों की कद्र करता हूं। मगर जिस प्रकार के कांट्रेडिक्शन्स नजर आते हैं वह उनके विचारों में नजर आये। कई माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस सदन की जिस मांग को देखते हुए हमने लेण्ड रैवेन्यू में माफी दी वह नहीं मिलनी चाहिये। कुछ यह चाहते हैं कि इसमें ज्यादा माफी होनी चाहिये। बजट के अलग अलग पहलुओं को देखा जावे तो अलग अलग पहलू होते हैं। लेकिन एक बात मुझे सबसे सुनने को मिली और उसके लिये मैं बधाई देता हूं। हर आदमी यह चाहता है कि हमारी आर्थिक स्थिति है उसके चाहे कोई कारण हों उसके बारे में मैंने अपने बजट भाषण में और उत्तर में कह चुका हूं, उसको दोहराना नहीं चाहता कि हमारे फाईनेन्स में हम जो खर्च के बजट में जो आंकड़े तैयार करें उन पर हमें मुकर्रर रहना चाहिए। हमारा जो कुछ बजट बनता है उस पर हमें चलना चाहिए। मैं उनकी इस राय की कद्र करता हूं। राजस्थान में कटौती के प्रस्तावों के बारे में जो हमने रखा है, अगर माननीय सदस्यों का सहयोग रहा तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि रैवेन्यू एक्सपेन्सेज के आंकड़े रखे हैं उनमें आधा पर्सेन्ट वेरियेशन के अलावा नहीं हो। उसके अनुसार राज्य सरकार .. के काम करे। ज्यादातर इस प्रकार के सुझाव आये हैं उनको मैं अच्छी निगाह से देखता हूं। यह भी बात ठीक है कि राजस्थान की आर्थिक नीति और भारत सरकार का रवैया जो रहा है उसके लिए माननीय सदस्यों ने कई तरह की चर्चाएं कीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और भारत सरकार को इस हद तक धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे समक्ष जो आर्थिक कठिनाइयां आईं उनमें भारत सरकार ने हमारी मदद की है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर से फोर्थ फाइनेन्स कमीशन के बारे में जिक्र किया है। मैं उनकी सूचना के लिए कहना चाहता हूं कि आपकी और हमारी राय इसमें दो नहीं हैं। राजस्थान केनाल के बारे में उस वक्त इसको पूरा करने के लिए जो प्रावधान था वह 13 करोड़ का था। उस 13 करोड़ के लिए हमने कहा कि यह 13 करोड़ हमको मिलना चाहिए। कमीशन ने रटे नहीं किया और यह कह कर छोड़ दिया कि सेन्टर प्रॉयोरिटी बन जावे। इसलिए जो हमें मिलना चाहिए वह नहीं मिला। राजस्थान सरकार ने इसके लिए भारत सरकार को चिट्ठियां भी लिखीं और भारत सरकार ने उनके एवज में दो साल में सिर्फ हमको इतनी ग्रान्ट दी है कि हमारा आज तक 13 करोड़ का गेप था वह पूरा नहीं हो पाया है। हमने इसके लिए लिखा है और फिर लिखेंगे कि यह रेवेन्यू गेप पूरा हो।

मैं यह भी मानता हूं कि टेक्सेज के बारे में कई प्रकार के सुझाव आते हैं। आप और हम इस बात को समझते हैं कि जो शिड्यूल बना है उसके आधार पर स्टेट को जो आमदनी के साधन हैं वे बहुत लिमिटेड हैं,

Page No.172

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं इसलिये आज के दिन विकास के काम राजस्थान में और दूसरी रियासतों में हम करना चाहते हैं, उसमें राजस्थान की खास परिस्थिति रही है। सामन्ती रियासतें मिला कर राजस्थान बना। पुरानी फ्यूडल लीगेसी से दबे हुए राजस्थान में हमें काम करना पड़ रहा है। कुछ ऐतिहासिक, इमोशनल अच्छाइयां उसकी हो सकती हैं पर फाइनेन्शियल घाटा है, उसको लेकर हम चलते हैं। राजस्थान में शिक्षा की प्रगति नहीं हुई, उसके लिये हमें स्कूलें खोलनी पड़ रही हैं। यहां फ्यूडल लैंड टेन्योर था, उसकी वजह से किसान कृषि की पैदावार बढ़ाने में इन्ट्रेस्ट नहीं ले सके। हमने लैंड रिफॉर्म्स किये हैं ताकि किसान कृषि की पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी लें।

तो माननीय सदस्यों ने जो राय दी है उससे हमें बल मिलेगा। जो यह कहा गया कि प्लानिंग कमीशन में हमने कुछ नहीं किया, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने और मैंने खुद ने जोर देकर कहा था कि हिन्दुस्तान का प्लान्स के लिये एवरेज है वह हर स्टेट का मिनिमम मुकर्रर होना चाहिये और राजस्थान चूंकि पिछड़ा हुआ है इसलिये राजस्थान को सेंट्रल गवर्नमेन्ट मदद देनी चाहिये। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको माननीय सदस्य पढ़ने की कोशिश करें। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने पर–केपिटा एक्सपेन्डीचर का जिक्र किया। हर प्लान में उसका जिक्र हो नहीं सकता। उसके कारण हैं। हमारे जिले सियासी कारणों से, भौगोलिक कारणों से अलग-अलग तरह के बने हैं। कोई 10 लाख की पॉपुलेशन का है तो कोई 1 लाख की पॉपुलेशन का है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 16 हजार या 18 हजार स्क्वायर माइल्स आता है। राजस्थान को तीन हिस्सों में बांटा है। डेजर्ट एरिया में बांटा है, पूर्वी हिस्से में बांटा है और तीसरा हिल्ली एरियाज में बांटा है। ज्योग्राफिकली तीन हिस्सों में बांट कर चौथी योजना में मैंने पेश किया है। गंगानगर जिले का पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर ज्यादा है तो इसलिये कि भाखरा प्रोजेक्ट और गंग नहर वहां हो सकती है। राजस्थान केनाल गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में हो सकती है। ज्योग्राफिकली जो चीज जहां हो सकती है वहीं वह होगी, दूसरी जगह उसे नहीं ले जाया जा सकता। रिवर वेली प्रोजेक्ट हैं, जिनमें अरबों रुपया खर्च करते हैं. पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में खर्च करते हैं उसका खर्चा वहीं होता है इसलिये पर–केपिटा एक्सपेन्डीचर बढ़ जाता है। जैसलमेर का पर–केपिटा एक्सपेन्डीचर कम था पर अब बढ़ जायगा। बाड़मेर में बोर्डर रोड्स का खर्चा हो रहा है इसलिये पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर प्लान का वहां बढ़ जायगा।

राजस्थान सरकार की यह मंशा कभी नहीं रही है कि किसी जिले को योजना बनाते समय इग्नोर करें या किसी को ज्यादा दें। ज्योग्राफिकल आधार को लेकर होता है, पर जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है वहां ज्यादा खर्चा करते हैं। माननीय सदस्य ने कह दिया कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होता ही नहीं है, रूरल वाटर सप्लाई के लिये भी यही कहा, वह सही नहीं है। हमने इसमें प्रगति की है। मैं यह मानता हूं कि इसके लिये ज्यादा धन की आवश्यकता है। हम आउट साइड प्लान जाकर भी भारत सरकार से 50 लाख, या करोड़ जितना भी रुपया हमें इसके लिये मिल सकता

Page No.173

(श्री मथुरादास माथुर)

है, वह हम लेते हैं। हमारे डेजर्ट एरिया को डेवलप करने के लिये प्लान में हमारे रिसोर्सेज के माफिक जितना हम कर सकते हैं करते हैं। इसका इवेल्युएशन हो सकता है। तो यह कहना उचित नहीं है कि अन्धेरे में हाथ फैला रहे हैं। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इन रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ते हैं।.....

श्री भैरोंसिंह : आपके प्लान के आधार पर ही कहा है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी कठिनाई इतनी है कि प्लान बना लेते हैं पर रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो पेपर प्लान रह जाता है। राजस्थान में दुर्भाग्य से 3 साल लगातार अकाल पड़ने से रिसोर्सेज कम हुए हैं। अकाल के कारण स्टेट रेवेन्यू में भी कमी आती है, सेल्स टेक्स में कमी आती है, पॉवर से आय में पावर कम आने से कमी आती है, एन्टरटेनमेंट टेक्स में कमी आती है, लोगों की आय कम हो जाती है तो स्टेट रिसोर्सेज में भी कमी आ जाती है। यही वजह है कि ओवर ड्राफ्ट हो गया और इधर उधर से इकट्ठा करने की कोशिश की।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि मेरा बजट आइडियल बजट नहीं बन सकता। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम लोगों को इरिगेशन पोटेन्शियल में 3.41 का घाटा रहता है। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वे घाटे में चलते हैं। उधर मैं 25 प्रतिशत इरिगेशन रेट को बढ़ाने का प्रस्ताव लाता हूं तो उसका विरोध किया जाता है...

श्री भैरोंसिंह : पहले एस्टीमेट बताये उसमें घाटा है।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे सुनिये पहले। Let me interprete your own language. 3.41 परसेंट का घाटा। इरिगेशन चार्जेज कोई टैक्स नहीं है। वह फीस है। पानी दिया जाता है उसकी फीस है, जो हम सर्विस करते हैं उसके एवज में चार्ज किया जाता है। मंहगाई बढ़ी है, स्टाफ पर, इम्प्लीमेंट्स पर और और चीजों पर खर्च करना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ता है, ब्याज भी नहीं चुका पाते, साढ़े तीन परसेंट का घाटा होता है, तो मजबूर हो कर इरिगेशन की फीस को बढ़ाने का प्रपोजल ले कर आना पड़ता है। पर आपका फाइनेन्स मिनिस्टर आपका मातहत है, आप जो हुक्म देते हैं उसे करना अपना कर्त्तव्य समझता है (हीयर, हीयर)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के कहने पर मुनाफा भी दे सकता है। लेबर का सवाल आता है तो लेबर की गुडविल गेन करने के लिये कहा जाता है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाओ, तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं। पर फीस नहीं बढ़े तो इसमें परेशानी हो जाती है। तो इन तीन कारणों में मैंने बजट बनाया है वह मैं पेश कर चुका हूं। आज के मुल्क के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उनका जिक्र भी कर चुका हूं। उनको ध्यान में रख कर बजट बनाने देखें तो पता चलेगा कि बजट क्या है। फिर भी जो सुझाव आये हैं उनको अंगीकार करता हूं। राजस्थान के आर्थिक विकास के लिये माननीय सदस्यों ने कहा खास तौर से सामने बैठने वाले माननीय सदस्य योजना को क्रिटिकली देखते हैं। Plans are for the people, people are not for the plans.

Page No.174

(श्री मथुरादास माथुर)
इस प्रकार का स्लोगन दिया करते हैं। उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहूंगा people for the plan का सवाल ही पैदा नहीं होता।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : People for the plan नहीं होता है तो खुशहाली कहां है? खुशहाली के स्थान पर भुखमरी है, बेरोजगारी है, जलालत है। फिर मेरे को प्रवोक क्यों करते हैं?

श्री अध्यक्ष : Order।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे प्रवोक क्यों करते? After all I am a human being, Sir.

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रवोक करना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष : As mild as possible.

श्री मथुरादास माथुर : मजबूरी राजस्थान के वित्त मंत्री की यह है कि सामन्ती परम्पराओं के शोषण से बहुत ही दबे हुए राजस्थान में बजट बनाने खड़ा होता है। इसलिए लीगेसी जो पास्ट की है उसको··

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : झख मार कर मान लिया। यह लैंड रेवेन्यू रेमिशन हमारे मेनीफेस्टो से आपने लिया। इन्फ्लेशनरी टेन्डेन्सीज का हमारा विरोध है, वह भी आपने स्वीकार किया है। You have taken so many things from our policy book.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह भी बात निश्चित है कि राजाओं ने राज लेने के लिए एक बच्चे का भी खून नहीं लिया और आपने अपना राज्य कायम करने के लिए ? आदमियों का खून लिया।

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य न जाने इसका कितना राजनैतिक फायदा उठायेंगे, कब तक इसको उठाते रहेंगे? जब कभी बहस में और कोई दलील नहीं होती है तो यही दलील रहती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा मन्त्रि-मण्डल जिसमें दो दो मन्त्री ऐसे हों, जिन पर 420 के मुकदमें चल रहे हों···

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : His speech is just like whipping a dead horse.

श्री मथुरादास माथुर : मुझे खेद है कि सच्ची बात मेरे मुंह से निकल गई। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार की इस बात की कोशिश रहेगी और बराबर हम आपके सहयोग से इस बात की कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके, हमारे यहां पर फाइनेन्शियल डिसीप्लेन ऑब्जर्व किया जाय।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने 55 साल की रिटायरमेंट एज की बात की। जो कुछ मैंने सदन में कहा था वह ठीक है। नियम बनते हैं, आर. एस. आर. में और हर एक रूल में सरकार को पॉवर होती है। राज्य सरकार की मंशा है कि इन ऑर्डर्स का पालन किया जायगा। इस से 9,000 कर्मचारी और 400 गजेटेड अधिकारी रिटायर होंगे। मगर उसके अंदर

(श्री मथुरादास माथुर)
जो उन्होंने कहा कि रिएम्पलायमेंट का सवाल है, उसमें सरकार को पावर रहती है लेकिन राज्य सरकार की नीति है कि जहां तक हो सके...

श्री रामकिशन जहां तक मत कहिए।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार किसी को रिएम्पलाय करने की मन्शा नहीं रखती है। इसलिए जो रूल्स हैं उनका मिसइन्टरप्रेट न करके लागू किए जायें।

यहां यह भी कहा गया कि विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को राज्य सरकार ने सेंट पर्सेंट एग्री किया है और एक्शन लेने की कार्यवाही शुरू की गई है। इस बारे में आपने खिलजी कलेक्टर साहब का जिक्र भी किया इसकी जांच विजिलेन्स कमीशन के पास जारी है। विजिलेन्स कमीशन ने जांच करके राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है। इनको चार्जशीट देकर कार्यवाही की जायगी। विजिलेन्स कमीशन बताता है कि इस पर मुकदमा चलाया जाय, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की जाय। इस केस में उन्होंने सजेस्ट किया कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की जाय, उसके सिलसिले में उनको चार्जशीट दी गई। जवाब आयगा तो आगे की कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह आपने उनको सस्पेंड किया? जब आप गृह मन्त्री थे, फाइल पर खुद अपनी कलम से नोट किया है। तो इन आरोपों के आधार पर आपने उनको मुअत्तिल क्यों नहीं किया?

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मन्त्री) : फाइल आपको कहां से मिल गई?

श्री मथुरादास माथुर : उसके बाद विजिलेन्स कमीशन के पास केस चला गया, उसकी पूरी जांच की और उसके बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी। फिर हमने एक्सप्लेनेशन मंगाया और इसमें आगे कार्यवाही जारी है।

यहां पर मार्क्स के लिए भी कहा गया। विजिलेन्स कमीशन के पास एन्क्वायरी चल रही है। 26 मई 1967 को रिमाइंडर भेजा। उसके जवाब में आया है कि एन्क्वायरी फाइनल नहीं हुई है, फाइनल होते ही रिपोर्ट भेजेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैंने कहा था कि विजिलेन्स कमीशन ने कलेक्टर की रिपोर्ट आपसे मांगी है और 6 महीने तक आपने रोक रखा। पिछले 18 दिनों में भेजी हो तो पता नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : विजिलेन्स कमीशन का 26 मई का खत है।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। माननीय सदस्य जल्दी जाने की इच्छा रखते है, लेकिन दो तीन बातों पर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा।

हमने कानून पास किया था वेकेन्ट प्लॉट्स के बारे में। रूल्स में यह है कि उनका सर्वे होना जरूरी है। जयपुर शहर का सर्वे करीब करीब कम्पलीट हो चुका है, या कम्पलीट होने पर आया है। इसके बाद टैक्स लागू हो जायगा।

हमारे यहां भरतपुर और अलवर से आने वाले माननीय सदस्यों ने आज तो नहीं मगर सदन में जिस समय बजट पर बहस

(श्री मथुरादास माथुर)

हुई थी उस समय सैल्स टैक्स पर बोलते हुए तिलहन पर जो टैक्स बढ़ाया है उसके लिए कहा था कि क्योंकि इससे भरतपुर का ट्रेड बैलेंस बिगड़ जायगा, इसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद तिलहन पर बिक्री कर को 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी और खाद्य-तेल (एडीबल ऑइल) व्यापार की अन्तर्राज्यीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे खाद्य-तेल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर, जिस के उत्पादन के लिए प्रयोग में लिए गये तिलहन पर राज्य का बिक्री कर पूरी तीन प्रतिशत दर से दिया गया हो, केन्द्रीय बिक्री कर तीन प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत की दर से ही लिया जाय । इससे माननीय सदस्यों को जो कठिनाई थी, वह हल हो जायगी और हमारा बैलेंस आफ ट्रेड नहीं बिगड़ेगा ।

उसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि गोटा, गोटा-किनारी, सलमा, सितारा, व बादला की अन्तर्राज्यीय बिक्री कर पर केन्द्रीय बिक्री की दर, सी फार्म के बिना भी, तीन प्रतिशत की जाय ।

माननीय सदस्य सुमेरपुर से आने वाले से कहूंगा कि विभिन्न विभागों के बारे में कोई बात उठाई हो तो माननीय सदस्य का जवाब दे दूंगा, क्योंकि जिस समय यह पाइन्ट उठाया गया था उस समय डिटेल्स मेरे पास नहीं थे ।

अब मैं आशा करके चलता हूं कि राज्य सरकार ने जो मांगें 1967–68 की सदन में पेश की थी और जिनको सदन ने स्वीकार किया, आज विनियोग विधेयक के रूप में पेश हैं, 277 करोड़ और कुछ लाखों की जो राशि रखी गई है । मैं उम्मीद करता हूं कि सदन उसे स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1967 को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार हुआ ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1967 को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1967 को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही 6 जुलाई, 1967, प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 6.40 बजे, बृहस्पतिवार, दि. 6 जुलाई, 1967 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—4

(कृपया तारांकित प्रश्न सं. 627 का उत्तर देखिए)

उत्पादन विवरण (सैंकड़े टन में)

वर्ष	बाजरा उत्पादन	बाजरा प्रतिशत बढ़त	ज्वार उत्पादन	ज्वार प्रतिशत बढ़त	मक्का उत्पादन	मक्का प्रतिशत बढ़त	गेहूं उत्पादन	गेहूं प्रतिशत बढ़त	बाजरा उत्पादन	बाजरा प्रतिशत बढ़त
1960–61	195	—	116	—	261	—	505	—	273	—
1961–62	362	86	382	229	247	—5	875	73	397	45
1962–63	236	16	151	30	251	—4	563	11	314	15
1963–64	121	—38	82	—29	167	—36	389	—43	261	—4
1964–65	415	113	164	41	200	—23	641	27	306	12
1965–66	320	64	89	—23	182	—30	678	30	280	3

परिशिष्ट 4

पाली जिले में कृषि योजना पर प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित खर्च हुआ:--

वर्ष	कर्मचारियों का वेतन	अन्य खर्च	कुल खर्च
1960-61	अप्राप्त	287,230	287,230
1961-62	अप्राप्त	764085	764,085
1962-63	अप्राप्त	943373	943,373
1963-64	126686	658332	784918
1964-65	168750	756160	924910
1965-66	219408	884446	1103854
1966-67	192600	345329	537929
	707444	4638855	5346299

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

कोलायत क्षेत्र की नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

632. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या विधान सभा के कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में स्थित नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन का बराबर भुगतान हो रहा है? यदि नहीं, तो किस नगरपालिका के कर्मचारियों का वेतन भुगतान होना बाकी है और कितने मास का?

(2) क्या सरकार इस दिशा में कोई उचित कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) विधान सभा के कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में देशनोक, गंगाशहर व भीनासर नगरपालिकायें स्थित हैं। इस क्षेत्र में नगर परिषद् बीकानेर के भी कुछ वार्ड हैं।

नगरपालिका गंगाशहर के हरिजन कर्मचारियों का वेतन माह दिसम्बर, 1966 से एवं अन्य कर्मचारियों का माह अक्टूबर, 1966 से बकाया है।

नगरपालिका देशनोक के कर्मचारियों का वेतन बकाया नहीं है। नगरपालिका भीनासर से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(2) गृहकर की वसूली व पालिका की अन्य बकाया वसूली प्रशासक द्वारा की जा रही है।

पीपलखूंट क्षेत्र में भूमिहीन कृषकों द्वारा भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र

633. श्री विट्ठल (पीपलखूंट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला बांसवाड़ा के पीपलखूंट क्षेत्र में 1966 से अब तक कितने भूमिहीन किसानों द्वारा वन विभाग की जमीन को नाजायज खेड़ने के आरोप में उनके खिलाफ केस दायर कर उनके ऊपर जुर्माना किया गया है?

(2) क्या उक्त किसानों ने तहसील में भूमि देने के लिए फार्म प्रस्तुत किये थे और क्या तहसील ने जमीन देने की कार्यवाही समय पर की थी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के पीपलखूंट क्षेत्र में सन् 1966 से अब तक 8 व्यक्तियों के खिलाफ वन खण्डों की सीमा के अन्दर नाजायज भूमि खेड़ने के आरोप में केस दायर हुए हैं। उनमें से 5 केस कम्पेनसेशन लेकर कम्पाउण्ड किये गये हैं एवं अन्य 3 केस अदालत में चालान किये गये हैं।

(2) किसी भी कृषक की ओर से वन विभाग की भूमि मिलने के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

धौलपुर को चीनी का कोटा

634. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(1) धौलपुर उप-जिले को भरतपुर जिले के लिए मिलने वाले चीनी के कोटे का कुल कितना हिस्सा दिया जाता है ?

(2) क्या चीनी का धौलपुर को मिलने वाला हिस्सा जिले के कुल कोटे का एक तिहाई भाग है ?

(3) यदि यह भाग एक तिहाई नहीं है, तो क्या सरकार जन संख्या के आधार पर अब उसे एक तिहाई करने का कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले को चीनी का जो मासिक आवंटन दिया जाता है, उसका लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा धौलपुर उप-जिले हेतु दिया जाता है।

(2) जी नहीं। एक तिहाई से कुछ कम है।

(3) नहीं।

(4) भारत सरकार द्वारा राजस्थान को मिलने वाले चीनी के आवंटन में भारी कमी कर दी गई है। फरवरी, मार्च, 67 में कुल चीनी का आवंटन 9160 टन था जो मार्च अप्रेल, 67 में 7000 टन तथा मई, जून, 67 में 5849 टन किया गया। इस कारण से जिलों को दिये जाने वाले चीनी का आवंटन कम करना पड़ा। इस परिस्थिति में धौलपुर के लिए एक-तिहाई हिस्सा देना सम्भव नहीं है।

नसीराबाद में जल संकट

635. श्री विजयसिंह रावत : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नसीराबाद (जिला अजमेर) के जल संकट को दूर करने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ? अगर हां, तो कब तक वह योजना पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

जी हां अजमेर जलदाय योजना में ही नसीराबाद के पेय जल संकट को दूर करने की व्यवस्था निहित है। आशा है यह योजना इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जायेगी।

कोयला सड़क के निर्माण पर व्यय

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोयला सड़क (बारां तहसील) का निर्माण कब हुआ और उस पर कितना रुपया व्यय हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर अभी तक डामर नहीं हुआ है ? यदि हां, तो किन कारणों से नहीं हुआ ? और अब कब तक डामर हो जावेगा।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क बनने के बाद इसकी मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क खराब हो गई है ?

उत्तर

(1) इस सड़क का निर्माण वर्ष 1963-64 में 1,09,024/- रु. की लागत पर हुआ है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) डामर का काम योजना में मंजूर नहीं हुआ है। और यह काम कब शुरू होगा अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(3) जी नहीं, सड़क की हालत साधारण है।

पंचायत समिति नैनवा व पाटन द्वारा अनुदान की रकम का उपयोग

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति नैनवा व पाटन, जिला बूंदी ने गत 3 वर्षों में कुल कितना अनुदान किस मद में खर्च किया है?

(2) उक्त अनुदान की रकम किस किस व्यक्ति को (पूरे पते सहित) किस काम के लिये दी गई?

(3) क्या यह सही है कि अब तक भी यह जांच करने की कोशिश नहीं की गई कि अनुदान दी हुई रकम का सही उपयोग हुआ भी है या नहीं?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

नेशनल हाई-वे, पाली

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

पाली शहर के बीच नेशनल हाई-वे गुजरता है? यदि हां, तो कहां से कहां तक? क्या सरकार इस सड़क को चौड़ी करने की योजना रखती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

जी नहीं। नेशनल हाई-वे नहीं गुजरता। जो सड़क गुजरती है उसको चौड़ा करने का अर्थाभाव के कारण कोई प्रोग्राम नहीं है।

वाटर वर्क्स सुजानगढ़

639. श्री लाभचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित सुजानगढ़ में अभी तक वाटर वर्क्स का काम अधूरा पड़ा हुआ है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि गत ग्रीष्मकाल में सरकार ने सुजानगढ़ में पानी वितरित किये जाने हेतु विशेष सहायता दी थी?

(3) क्या इस वर्ष भी सरकार पानी की कठिनाई को देखते हुये विशेष सहायता देने वाली है? अगर हां तो कितनी व कब कब?

उत्तर

(1) जी नहीं, कार्य चालू है

(2) जी हां. गत ग्रीष्म काल में सुजानगढ़ को लाडनूं से पानी सप्लाई करने के लिये एक 3 इंच की पाइप लाइन बिछाई गई थी।

(3) इस वर्ष भी गत वर्ष डाली गई पाइप लाइन से ही सुजानगढ़ को यथासंभव जल वितरण किया जा रहा है। अलग से कोई विशेष सहायता नहीं दी जा रही है।

सरकारी कृषि फार्म, रीयां

640. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मेड़ता तहसील के ग्राम रीयां में सरकारी कृषि फार्म कितने वर्षों से है व सरकार को उससे कितना हानि अथवा लाभ हुआ है ?

(2) क्या यह कृषि फार्म पंचायत समिति रीयां के सुपुर्द है ? अगर हां, तो कितने वर्षों से ? व पंचायत समिति को सौंपे जाने के बाद कृषि फार्म में फायदा हुआ है या नुकसान ?

(3) क्या यह कृषि फार्म अभी नुकसान में चल रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मेडता तहसील के ग्राम रीयां में विभाग द्वारा फार्म 19- -59 से चालू किया गया था 1966-67 तक 41601.48 रु० की हानि हुई।

(2) जी हां, विकेन्द्रीकरण योजना के तहत इस फार्म को विभाग द्वारा 2-10-59 से पंचायत समिति के सुपुर्द किया गया था और तब से फार्म पंचायत समिति के पास है। फार्म शुरू से नुकसान में चल रहा है ?

(3) जी हां। फार्म का सुचारु रूप से प्रबन्ध नहीं होने के कारण फार्म लगातार नुकसान में चल रहा है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सिंचाई के साधन

641. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति दूदू के अन्तर्गत ग्राम बोबास व झरणा में जमीन के ऊपर झरणों द्वारा पानी बहता है ? यदि हां तो क्या सरकार ट्यूबवेल लगा कर कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों को बढावा देने का विचार रखती है ?

(2) जमीन के अन्दर किस मात्रा में कितना पानी उपलब्ध हो सकता है, इसकी छानबीन हेतु क्या सरकार कोई कदम उठा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति दूदू में 20 पंचायत के ग्रामों में जमीन में सख्त पत्थर हैं ? यदि हां, तो क्या इसके लिए कम्प्रेसर व ड्रिलिंग मशीन को कुए खोदने के लिए सरकार व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र का जिसमें पंचायत समिति दूदू स्थित है सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अतः इस विभाग को इस बात का ज्ञान नहीं है कि पंचायत समिति दूदू के अन्तर्गत ग्राम बोबास व झरणा में जमीन के ऊपर झरणों द्वारा पानी बहता है।

(2) राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा भूमिगत जल का सर्वेक्षण और अन्वेषण करने की योजना इस साल क्रियान्वित कर दी गई है।

(3) राजस्थान ग्राउण्ड वाटर बोर्ड बिना हानि बिना लाभ के आधार पर अग्रिम धन राशि जमा कराने पर कुओं को खोदने का

(कृषि मंत्री)

व चट्टानों को तोड़ने का कार्यभार लेता है। इस विभाग द्वारा पंचायत समिति दूदू में कम्प्रेसर मशीनें चल रही हैं। अग्रिम राशि जमा कराने पर ड्रिलिंग मशीन भी भेजी जा सकती है।

आयुर्वेद औषधालय सुमेरगंज मंडी

642. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम सुमेरगंज मण्डी में एक आयुर्वेद औषधालय है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त औषधालय के लिए ग्रामवासियों ने एक भवन निर्माण कर औषधालय की सुपुर्दगी में दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भवन की कोई मरम्मत सरकार द्वारा नहीं कराई जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस औषधालय में अक्सर औषधियों का अभाव रहता है और आवश्यक अन्य इन्स्ट्रूमेंट्स की भी कमी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां ग्रामवासियों द्वारा भवन निर्माण कर औषधालय को दिनांक 30-8-62 को सुपुर्द किया।

(3) जी नहीं भवन की मरम्मत पंचायत द्वारा कराई जाती है।

(4) जी नहीं वर्ष 66-67 में वैद्य इन्चार्ज के द्वारा प्रस्तुत इन्डेन्ट के अनुसार औषध समय-समय पर भेजी गई। अन्य इन्स्ट्रूमेन्ट्स का कोई अभाव नहीं है।

गऊ घाट—बड़ोरा सड़क का कार्य

643. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कोटा जिले में गऊघाट से बरोड़ा 7 मील कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनाने के लिए मंजूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो कब हुई ?

(2) इस सड़क के लिए कितनी रकम मंजूर हुई ?

(3) इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

गांव हाजीवास का पंचायत हैडक्वार्टर

44. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या पंचायत मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिलाधीश ने अपने पत्र संख्या 3384 दिनांक 15-9-60 और उप-जिला विकास अधिकारी पाली ने अपने पत्र संख्या 9564 दिनांक 28-12-63 के जरिए संयुक्त विकास

(श्री शंकरलाल)
आयुक्त जयपुर को यह निवेदन किया कि गांव हाजीवास, तहसील रायपुर, जिला पाली का पंचायत हैडक्वार्टर विरांटिया कलां से हटाकर गांव हाजीवास में ही रखा जाय ?

(2) क्या यह भी सही है कि पहले गांव हाजीवास में पंचायत हैडक्वार्टर था ?

(3) पाली जिलाधीश और उप-जिला विकास अधिकारी पाली के पत्रों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार गांव हाजीवास में पंचायत हैडक्वार्टर रखे जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि पंचायतों के आम चुनाव से ठीक पूर्व मुख्यावास के प्रश्न को उठाना वांछित नहीं है। जिलाधीश से पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर इस मामले को पुनर्सीमा निर्धारण समिति की आगामी बैठक में रक्खा जावेगा।

हिण्डौन से धमान धोलेटा सड़क का कार्य

645. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हिण्डौन से धमान धोलेटा सड़क निकालने का कार्य कब शुरू हुआ था व कब तक चला था ?

(2) इस सड़क पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

(3) क्या यह सच है कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना में यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए था ? यदि हां, तो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है और इसे आगे पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) यह कच्ची रोड है और इसका ताल्लुक इस महकमे से नहीं है।

(2) सवाल पैदा नहीं होता।

(3) यह सड़क तीसरी योजना में शामिल नहीं है लिहाजा सड़क बनाने का सवाल पैदा नहीं होता।

सांचौर में पीने के पानी की व्यवस्था

646. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर में पर्याप्त मीठा पीने का पानी सप्लाई करने के लिए रु० 10,000/- की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा पिछले साल की गई थी ? अगर हां, तो उस रकम का अब तक क्या उपयोग किया गया है ?

(2) क्या यह सत्य है कि अभी तक पाइप लाइन पूरी नहीं गई है ? अगर हां, तो उसके अपूर्ण करने के क्या कारण हैं ?

(3) संशोधित पाइप लाइन की योजना से सांचोर के लोगों को पीने का पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, 10,000) रु० को नहीं किन्तु 50,000) रु० की स्वीकृति की गई थी और इस रकम का प्रयोग करके जलदाय विभाग द्वारा पाइप लाइन डालने का सारा कार्य पिछले वर्ष ही पूरा कर दिया था।

(2) जी नहीं, पाइप लाइन डालने का कार्य मार्च, 67 के अंत तक पूर्ण कर दिया गया था।

(3) जैसे ही नल कूप पर बिजली का कनैक्शन मिल जायगा पानी सप्लाई का कार्य एक माह के अन्दर 2 शुरू कर दिया जायगा, बिजली विभाग से इस विषय में पत्र व्यवहार चालू है।

जिला बूंदी की मंडियां

647. श्री केसरी सिंह (हिन्डौली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बूंदी में कितनी मंडियां, मंडी कमेटी द्वारा मंजूर की जा चुकी हैं, और वे कौन 2 सी हैं ?

(2) क्या कापरेन स्टेशन पर जो मंडी है वह मंजूरशुदा है ?

(3) ऐसी कितनी मंडियां हैं जो बिना मंजूरी के खरीद का काम कर रही हैं ?

उत्तर

(1) जिला बूंदी में कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बूंदी को मुख्य मण्डी यार्ड व केशवरायपाटन को गौण मण्डी यार्ड, यानी कुल दो मण्डियां घोषित की हैं।

(2) कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कापरेन स्टेशन पर मन्डी घोषित नहीं हुई है।

(3) ऐसी कोई मण्डी नहीं है जहां पर यह अधिनियम लागू न हुआ हो।

परिशिष्ट 3

(कृपया तारांकित प्रश्न सं. 617 का उत्तर देखिए)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

यांत्रिक शाखा, जयपुर।

राजपत्रित अधिकारियों की सूची:-

क्र. सं.		नाम अधिकारी	पद
1.	श्री	एस. के. मोईत्रा	मुख्य यंत्र अभियन्ता।
2.	,,	जी. एन. चक्रपाणी	कार्य व्यवस्थापक (योजना)।
3.	,,	रामकृष्ण पोनेरी	कार्य व्यवस्थापक (आपरेशन)।
4.	,,	एस. पी. टन्डन	प्रादेशिक यंत्र अभियन्ता जोधपुर रीजन।
5.	,,	एस. एन. लोन्कर	प्रादेशिक यंत्र अभियन्ता, जयपुर रीजन।
6.	,,	एस. एन, चटर्जी	सहायक यंत्र अभियन्ता, ट्रेनिंग इन्चार्ज।
7.	,,	पी. ए. मोरिश	सहायक यंत्र अभियन्ता, के. कार्यशाला। रिकन्डीशन शाखा।
8.	,,	आई. ओ. कैस्टलस	सहायक यन्त्र अभियन्ता, वाहन, हैवी रिपेयर।
9.	,,	के. पी. गुप्ता	सहायक यन्त्र अभियन्ता, मुख्यालय।
10.	,,	पी. एम. कुलश्रेष्ठ	सहायक यन्त्र अभियन्ता, कोटा आगरा।
11.	,,	नारायण सिंह	,, अजमेर।
12.	,,	ए. सी. वर्मा	,, जयपुर।
13.	,,	ताराचन्द तेवर	,, जोधपुर।
14.	,,	के. एस. शास्त्री	कन्ट्रोलर आफ स्टोर। प्रादेशिक यंत्र अभियन्ता, जयपुर। केन्द्रीय स्टोर, जयपुर।
15.	,,	एम. के. वाधवानी	सहायक यन्त्र अभियन्ता, स्टोर अधिकारी केन्द्रीय स्टोर, जयपुर।

परिशिष्ट

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के समस्त कार्यशालाओं के तकनीकी के पदों की सूची

क्र. सं.	नाम पद	के० कार्य-शाला। जयपुर	ग्रा. कार्य. जयपुर।	ग्रा. कार्य. अजमेर।	ग्रा. कार्य. कोटा।	ग्रा. कार्य. जोधपुर।	ग्रा. कार्य. उदयपुर।	ग्रा. कार्य. आबूरोड।	ग्रा. कार्य. अलवर।	ग्रा. कार्य. भरतपुर।	ग्रा. कार्य. सिरोही।
1.	कार्य अधीक्षक या वरिष्ठ कार्यदेशक प्रथम श्रेणी।	1–	1	–1	–	–1	–	1	–	.	–
2.	वरिष्ठ कार्यदेशक द्वितीय श्रेणी	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–
3.	कनिष्ठ कार्यदेशक (मैकेनिकल)	4	3	2	1	2	1	1	1	1	1
4.	कनिष्ठ कार्यदेशक (विद्युत्)	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
5.	मैकेनिक प्रथम श्रेणी	9	10	6	4	7	3	3	2	2	2
6.	विद्युताकार प्रथम श्रेणी	5	1	1	1	1	1	–	–	–	–
7.	पेन्टर प्रथम श्रेणी	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–
8.	टर्नर प्रथम श्रेणी	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–
9.	टिन स्मिथ प्रथम श्रेणी	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
10.	वल्डर प्रथम श्रेणी	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
11.	वेल्कनाईजर प्रथम श्रेणी	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
12.	लुहार प्रथम श्रेणी	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–
13.	कारपेन्टर प्रथम श्रेणी	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–
14.	सहायक मैकेनिक	7	10	6	6	6	3	3	2	2	2

पेज नं० 2 तकनीकी पदों की सूची:—

क्र. सं.	नाम पद	के. कार्य. जयपुर	जयपुर आगरा	अजमेर	कोटा	जोधपुर	उदयपुर	आबूरोड़	अलवर	भरतपुर	सिरोही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	टायर फिटर द्वितीय श्रेणी	—	4	2	1	2	1	1	1	1	1
16.	सहायक विद्युताकार	4	2	2	1	2	1	1	1	1	1
17.	पेन्टर द्वितीय श्रेणी	4	1	1	1	1	1	1	—	—	—
18.	टर्नर द्वितीय श्रेणी	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
19.	टिन स्मिथ द्वितीय श्रेणी	2	1	1	1	1	1	1	—	—	—
20.	वेल्डर द्वितीय श्रेणी	2	1	1	1	1	1	1	—	—	1
21.	वल्कनाईजर द्वितीय श्रेणी	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
22.	लुहार (ब्लैकस्मिथ) द्वितीय श्रेणी	4	4	2	2	2	2	2	1	1	1
23.	कारपेन्टर द्वितीय श्रेणी (बढ़ई)	5	4	2	2	2	2	2	1	1	1
24.	अपोस्टर द्वितीय श्रेणी	3	2	2	1	2	1	1	—	—	—
25.	शीट मेटल वरकर	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	हैल्पर	28	20	12	6	14	6	6	4	4	4
27.	क्लीनर	24	32	20	14	17	10	10	6	6	6

Page No.189

परिशिष्ट 4

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 66 का उत्तर देखिये)

सफल सिद्ध हुए कुओं की सूची

क्र. सं.	नल कूप का स्थान	गहराई फीट में	पानी की उपलब्धिता गैलन में प्रति घंटे	सफल असफल
1.	सरदार शहर प्रथम	263	3600	सफल
2.	सरदार शहर द्वितीय	231	7000	"
3.	चुरू प्रथम	344	3600	"
4.	चुरू द्वितीय	325	9700	"
5.	तारानगर द्वितीय	142	3000	"
6.	सांडवा प्रथम	345	3000	"
7.	सांडवा द्वितीय	350	3200	"
8.	चांदगोठी प्रथम	320	6400	"
9.	सादुलपुर प्रथम	391	6000	"
10.	सादुलपुर द्वितीय	143	2800	"
11.	सादुलपुर तृतीय	145	2800	"
12.	सादलपुर चतुर्थ	143	2800	"
13.	सादलपुर पंचम	140	3600	"
14.	साकू	330	5000	"
15.	रतन नगर	परिणाम आना शेष है।		
16.	जयसिंहसर	278	4300	"
17.	डूंगरगढ़	280	5200	"
18.	जूंजर बोहा	परिणाम आने शेष हैं।		
19.	बजरंगसर			

असफल सिद्ध हुए कुओं की सूची जो पाट दिये गये हैं।

1 तारानगर प्रथम

2 बीदासर

3 मालेड़ी

4. जेरासर
5. वूधावास
6. घण्टेल
7. सहावा
8. मालासर
9. नोमा
10. परिहारा
11. लोहा
12. मादुलपुर-छत्री
13. धोरवास
14. चांद गोठी द्वितीय
15. लाखासर
16. भाम्बू

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 19 जून, 1967)

स्कंभ सं. 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	3	म. प्र.	म. पू.
1	5	(श्री निरन्जनताथ आचार्य अध्यक्ष पदासीन)	(श्री निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)
,,	11	श्री अध्यक्ष प्रश्न	श्री अध्यक्ष : प्रश्न
4	7	इमजेम्सी	इमर्जेन्सी
6	अंतिम से 4 व 12	श्री रानकिशन	श्री रामकिशन
13	अंतिम से 6	भ्रष्टाचार	भ्रष्टाचार
18	13	राजस्थान मैं	राजस्थान में
23	अंतिम से 9	बाकायदा	वे बाकायदा
25	,, 8	श्री रा किशन	श्री रामकिशन
27	1	मुकूटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
,,	18	मुक्त	मुफ्त
29	1	ओर	और
39	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर 19 जून, 196	तारांकित प्रश्नोत्तर-19 जून, 1967
49	अन्तिम	सइ	इस
56	अंतिम से 12	म नियोजित	में नियोजित
61	,, 13	सरकार ओ है	सरकार है
,,	,, 7	मिल्कियन को	मिल्कियत के
65	,, 3	यह्	यह
74	,, 5	उस	उसमें
75	19	ढेट	डेढ
77	10	नहीं कइ	नहीं कह
80	12	वूध में	दूध में
,,	22	महोदेय	महोदय
,,	अन्तिम से 6	उनसे	उनके
92	3	इंदालिया	इंदलिया
97 से 104	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के–19 जून, 1967-तारांकित प्रश्नोत्तर	सदन के कार्यक्रम-19 जून, 1967 सम्बन्धी चर्चा
97	11	श्री परसरा	श्री परसराम

1	2	3	4
8	अंतिम से 3	श्री सतीशबद्र	श्री सतीशचन्द्र
101	11	एडवास	एडवा-
,,	अंतिम से 3	का हमारी	को हमारी
102	5	onder	order
,,	अंतिम से 2	तबदली	तबदिली
103	,, 5	श्री पी. के चौधरी	श्री पी. के. चौधरी
104	स्तम्भ	014	104
104	1	श्री पी. चौधरी	श्री पी. के. चौधरी
,,	11	on point	on a point
105	2	मैं अ पसे	मैं आपसे
106	अन्तिम	स्लेन्डर	स्केन्डल
107	13	श्री पी के. चौधरी	श्री पी. के. चौधरी
,,	अंतिम से 4	में	में.... श्री पी. के. चौधरी : Point of order, Sir....
110	,, 8	एम्स्पाज	एक्सपोज
111	शीर्षक	आकर्षक	आकर्षण
117	10	importpnce	importance
130	अंतिम से 4	क मोका	का मोका
,,	,, 3	का नम	का नाम
131	,, 3	हैर पाऑर्लियामेन्ट	है पार्लियामेन्ट
135	,, 4	हम री	हमारी
140	8	जिसम	जिसमें
147	अंतिम से 3	सभा म	सभा में
151	22	से ताल्लुक है	से है
155	शीर्षक	ध्यान आकषण	ध्यान आकर्षण
159	5	उपाध्य	उपाध्यक्ष
163	शीर्षक	ध्यान आकषण-9 जून, 1967-प्रस्ताव	ध्यान आकर्षण-9 जून, 1967 -प्रस्ताव
169	17	आसान	आसन
172	5	अपने प्रणाली	अपनी प्रणाली
177	14	कया	किवा
181	17	से भी	महोदय मैं भी

1	2	3	4
183	शीर्षक	ध्यानाकर्षण-1 जून 16 7-	ध्यानाकर्षण 19 जून, 1967-
184	अंतिम से 2	क्या बा	क्या आप
193	शीर्षक	ध्यानाकषण	ध्यानाकर्षण
214	अंतिम	पिघला	पिघलाना
215	2	मरीब	गरीब
,,	8	अ क्ष महोदय, राज थान	अध्यक्ष महोदय, राजस्थान
222	अंतिम	दे दं	दे दूं
232	शीर्षक	(विचारार्ल)	(विचारार्थ)
238	अंतिम से 2	आपक	आपको
244	शीर्षक	विनियोग-1967	विधेयक 1967
246, 250 व 252	शीर्षक	(विचाराथ)	(विचारार्थ)
262	नीचे से 13	escorte	escorted.
270	7	श्री मरोंसिह	श्री भैरोंसिह
274	19	off	oft
275	,,	belive	believe
278, 280, 282 व 284	शीर्षक	(विचाराथ)	(विचारार्थ)
291, 293 व 295	शीर्षक	19 जूम,1967 विधेयक	-19 जून,1967-विधेयक
293	अंतिम से 11	कम्पुनिटी	कम्युनिटी
294	7	मगर में	मगर में
298	17	परिस्थियों	परिस्थितियों
303	शीर्षक	-19 जून, 2967-	-19 जून, 1967
307	,,	राजस्क्षान	राजस्थान
309	,,	राजस्थान विनियोच	राजस्थान विनियोग
313	अंतिम से 5	श्री खतसिह	श्री खेतसिह
315	,, 7	श्री खेतासिह	श्री खेतसिह
318	शीर्षक	विधेयक 1997	विधेयक 1967

1	2	3	4
319	15	रेवेन्यू रिट	रेवेन्यू रिसीट
324	ग्रन्तिम	डिस्ट्रक्ट्स	डिस्ट्रिक्ट्स
325	शीर्षक	9 जून, 1967	19 जून, 1967
330	6	सिक्यूएशन	सिच्यूएशन
335	17	बैठेगा	बैठेगा अब
337	11	पर सबह	पर सुबह
351	शोर्ष	(श्री मथुरादास मथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
353	शोर्ष	परिशिष्ट 4	परिशिष्ट 1
354	शीर्षक	परिशिष्ट 4	परिशिष्ट 1
361	,,	परिशिष्ट 4	परिशिष्ट 2